न माला, खंड 23, अंक 21

मंगलवार, 2 दिसम्बर, 1986
11 अग्रहायण, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 23 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 23, सातवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 21, मंगलवार, 2 दिसम्बर, 1986/11 अग्रहायण 1908 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	...	5—29
*तारांकित प्रश्न संख्या : 407 से 411 और 413			
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	...	29—217
तारांकित प्रश्न संख्या : 412 और 414 से 426			
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4280 से 4371, 4373 से 4399, 4401 से 4467, 4469 से 4506, 4508 से 4512 और 4212 क			
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		...	217—224
राज्य सभा से सन्देश	...		225
प्राक्कलन समिति	...	...	226
सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण			
लोक-लेखा समिति	...	...	226
59वां प्रतिवेदन			
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति		...	226
ग्यारहवां प्रतिवेदन			
रेल अभिसमय समिति	...	...	226
छठा प्रतिवेदन			

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ

लेवी चीनी के सम्बन्ध में प्राधिकृत राशन की दुकानों के मुनाफे की मात्रा में वृद्धि के बारे में याचिका

श्री अनूप चन्द शाह ... ... 226—227

कारखाना (संशोधन) विधेयक-पुर:स्थापित ... 227

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 227—231

(एक) पश्चिम बंगाल में बरहामपुर दूरदर्शन रिले केन्द्र में माइक्रोवेव लाइन स्थापित करने की मांग

डा० फूलरेणु गुहा ... ... 227—228

(दो) गुंटाकल और सिकन्दराबाद के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग

श्रीमती बसवराजेश्वरी 228

(तीन) अतिभोजन के बारे में लोगों को शिक्षित करने और उन्हें अतिभोजन करने से रोकने के लिए आवश्यक कानून बनाने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा ... ... 228—229

(चार) उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ में उच्चतापसह संयंत्र परियोजना का कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत 229

(पांच) कर्नाटक में विजय नगर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार ... ... 229—230

(छः) सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में लोगों में पैदा हो रही गलतफहमियों को दूर करने की आवश्यकता

श्री गंगा राम ... ... 230—231

(सात) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज अली खां 231

विषय पृष्ठ

(आठ) कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री कादम्बुर जनार्दनन 231

सोवियत संघ कीकम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव महामहिम श्री मिखाइल गोर्बाचेव की भारत यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

श्री राजीव गांधी ... ... 232—233

पंजाब की स्थिति के बारे में चर्चा ... 233—264, 268—309

जन० आर०एस० स्पैरो ... ... 234—237

श्री मोहम्मद महफूज अली खां ... ... 237—239

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ... ... 239—241

प्रो० सैफुद्दीन सोज, ... 241—248

श्री रणवीर सिंह ... ... 249—252

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया ... ... 252—256

डा० सी०पी० ठाकुर ... ... 256—260

श्री वीरसेन ... ... 260—264

श्री गिरधारी लाल डोगरा ... ... 268—271

श्री दिनेश गोस्वामी ... ... 271—276

श्री जैनुल बशर ... ... 277—281

श्री श्याम लाल यादव ... ... 281—285

श्री काली प्रसाद पांडे ... ... 285—286

श्री चिरंजी लाल शर्मा ... ... 286—289

डा० दत्ता सामन्त ... ... 289—293

सरदार बूटा सिंह ... . 292—309

केन्द्रीय योजना 1987-88 के लिए संसाधनों के अनुमानों के बारे में वक्तव्य

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ... ... 264—267

/

विषय			पृष्ठ
सभा की बैठकें 8 और 9 दिसम्बर, 1986 के लिए बढ़ाने के बारे में घोषणा	...	...	310
राष्ट्रीय चिन्हों की पवित्रता और गरिमा को बनाये रखने की आवश्यकता के बारे में चर्चा	...	...	310—342
श्री सुरेश कुरूप	...	...	311—316
श्री राजीव गांधी	...	...	316—324
श्री बालकवि बैरागी	...	...	325—328
श्री एस० जयपाल रेड्डी	...	...	325—334
श्री पी०आर० कुमारमंगलम	...	...	334—337
श्री पी० सेलवेन्द्रन	...	...	337—340
श्री अमिताभ बच्चन	...	...	340—342

लोक सभा

मंगलवार, 2 दिसम्बर, 1986/11 अग्रहायण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, आज दस और व्यक्ति मारे गए हैं जिससे पहले ही मारे गए लोगों की संख्या बढ़ गई है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई जादू तो है नहीं, देखिए······

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पूरी दिल्ली बंद है।

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई जादू की छड़ी नहीं है और इसमें कुछ समय लगेगा—वे लोग क्या करने जा रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, यहां कोई जादू की छड़ी नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने जो कदम उठाए हैं, क्या उसके बारे में संसद को बताया जायेगा ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रधान मंत्री ने दो बार हस्तक्षेप किया है परन्तु कुछ भी ठोस परिणाम नहीं निकला है। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी । कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी । देश में क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें समय लगता है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे इस सभा को गंभीरता से नहीं लेते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है वे शारीरिक और मानसिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या हमारे यहां सरकार है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ कदमों के बारे में नहीं बताया जा सकता है। उन्हें क्रियान्वित किया जाना है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप हमसे इस बात पर सहमत हैं कि प्रधान मंत्री द्वारा दो बार हस्तक्षेप करने के बावजूद कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है ? (व्यवधान)]

अध्यक्ष महोदय : यह स्वाभाविक है कि इस आक्रोश का और जो हम कहते हैं उसका हमारे दिल पर छाप पड़ता है क्योंकि आप उनमें से एक हैं और वे आप में से एक हैं। यह स्वाभाविक है कि आप इस बात पर उत्तेजित हों और जैसा कि प्रधान मंत्री तथा सरकार ने कल कहा था कि इसका धीरे-धीरे प्रभाव पड़ेगा। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसके द्वारा वे ऐसा कर सकते हैं। जो शुरुआत उन्होंने की है उसे कुछ समय दीजिए। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, हर बात स्पष्ट नहीं की जा सकती है। यह कही नहीं जा सकती है, इसे क्रियान्वित किया जाना है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आतंकवादियों ने चुनौती दी है और वे लोगों की हत्याएं करते जा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात को समझता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप में से एक हूं, जहां तक आपकी भावना और आपके इस बात पर उत्तेजित होने का सम्बन्ध है मैं आपसे सहमत हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं ! आप उनसे दूर हैं। मैं उनमें से एक हूं। मैं अपने दिल

में उनके दर्द को बखूबी जानता हूं। मैं जानता हूं, मेरा मन इस बात से कितना दुखी हो जाता है।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम : अध्यक्ष जी, मैंने कल ही आपसे कहा था कि यहां डिस्कशन से कोई फायदा नहीं होगा। कोई ठोस कदम उठाया जाए······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या करें बताईए······

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभा को गंभीरता से नहीं लिया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधान मंत्री को यहां आना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह मामला बहुत गंभीर है? क्या यह उनके कार्यों से नहीं झलकता है? वे लोग क्या कर रहे है। (व्यवधान)

सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : गृह मंत्री महोदय कहां है, यह एक असाधारण स्थिति है। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री कहां हैं?

अध्यक्ष महोदय : यहां चर्चा चल रही है। गृह मंत्री को यहां होना चाहिए।

इस तरह से बच नहीं सकते हैं। उन्हें यहां होना चाहिए। उन्हें इसका उत्तर देना है। वह इस तरह से नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि राज्य सभा में उनका कोई काम हो। दोनों सदन साथ-साथ चल रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे कहां हैं। वह यहां निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। उन्हें यहां होना चाहिए। यह मैं जानता हूं। परन्तु मैं आपको बता दूं कि इससे अधिक दुख की बात नहीं है······

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : ऐसा हर रोज नहीं हो सकता······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठे रहिए। यह सब ठीक है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम : आदमी मर रहे हैं, आप क्वश्चन लेकर क्या करेंगे ? रंगा जी, आप दिन भर और रात भर बैठकर क्वश्चन पढ़ा करो। आप इतने सीनियर मैम्बर होकर क्वश्चन की बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि लोगों की जानें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तुलसी राम जी, गुस्सा न करो।

[अनुवाद]

मेरे विचार से आपका गुस्सा जायज है। प्रश्न तो प्रश्न ही होता है परन्तु प्राण उससे भी ज्यादा कीमती हैं। आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : गृह मंत्री महोदय को बुलाइये।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय आते ही होंगे। हम उसके बाद 12 बजे इस मामले को लेंगे और तब हम उनसे पूछेंगे कि क्या कदम उठाये जा रहे हैं। वह कुछ बातें बताना नहीं चाहेंगे हम यह बात उन पर छोड़ देंगे। मैं समझता हूं कि सदस्यों ने अपनी भावनायें और संकल्प व्यक्त कर दिए हैं कि किसी भी कीमत पर इसे रोका जाना चाहिए और निर्दोष व्यक्तियों को इस प्रकार मरने नहीं दिया जाना चाहिए। यह इस सदन की आम राय है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जयपाल रेड्डी जी, बीमारी शुरू जल्दी हो जाती है, लेकिन उसके जाने में टाइम लगता है।

श्री वी० तुलसी राम : अध्यक्ष जी, इंजेक्शन अच्छा होना चाहिए। उससे बीमारी जल्दी खत्म हो जायेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, करेंगे।

श्री वी० तुलसी राम : अच्छी गोलियाँ देने से भी बीमारी अच्छी हो जाती है······ (व्यवधान)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : अध्यक्ष महोदय, आपकी मीठी बातों से गजब हो जाता है।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

शीरे का उत्पादन

*407. **श्री चिन्तामणि जेना+**
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीरे की भारी कमी है;

(ख) देश में शीरे का वार्षिक उत्पादन कितना है और उसकी वार्षिक मांग कितनी है ; और

(ग) इसकी मांग को पूरा करने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

शीरे का उत्पादन गन्ने के उत्पादन पर निर्भर करता है और प्रतिवर्ष अलग-अलग होता है। गत चार अल्कोहल वर्षों (दिसम्बर-नवम्बर) के दौरान शीरे की उपलब्धता और खपत निम्न प्रकार रहा है :—

(मात्रा लाख टनों में)

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
पिछला स्टाक	3.09	16.50	17.56	4.95	1.21
उत्पादन	39.93	33.75	23.87	25.12	28.00 (अनुमानित)
उपलब्धता	43.02	50.25	41.43	30.07	29.21

खपत/निर्यात					
अल्कोहल के उत्पादन के लिये	23.05	23.27	26.02	25.49	अभी उपलब्ध नहीं
अन्य प्रयोगों के लिए	3.37	5.60	4.67	3.23	
भारत से बाहर निर्यात किया गया	0.10	3.82	5.79	0.14	
योग	26.52	32.69	36.48	28.86	
बकाया	(+) 16.50	(+) 17.56	(+) 4.95	(+) 1.21	

तथापि जब शीरे की अपर्याप्त उपलब्धता से औद्योगिक प्रयोजनों के लिये अल्कोहल की कमी हुई है, विकृत अल्कोहल के शुल्कमुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

श्री चिन्तामणि जेना : मंत्री महोदय ने लोक सभा के दिनांक 11 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2275, राज्य सभा के दिनांक 21 जुलाई, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 195, लोक सभा के 25 फरवरी, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 341, लोक सभा के 8 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5829 के उत्तर ने सदन को बताया है कि सरकार शीरे के लिए नई नीति और उस पर नियंत्रण तथा शीरे के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में घोषणा करने पर बहुत सक्रियता से विचार कर रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या नई नीति की घोषणा कर दी गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? और इसको कब तक घोषित कर दिया जायेगा ? क्या शीरे पर कोई मूल्य नियंत्रण है ? यदि नहीं, तो क्या शीरे का मूल्य निर्धारित न करने से अवैध रूप से शराब बनाने की घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ? क्या आल इंडिया डिसटिल्लार्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाई गई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : शीरे की नीति निर्धारित नहीं की गयी है। इस पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही।

श्री चिन्तामणि जेना : मैंने मूल्य-निर्धारण के बारे में भी पूछा है। क्या शीरे का कोई मूल्य निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो इसका मूल्य कब निर्धारित किया जायेगा ?

श्री जे० वेंगल राव : सरकार शीरे का मूल्य निर्धारित करने के बारे में विचार कर रही है। हम शीघ्र ही इसकी घोषणा करेंगे।

श्री चिंतामणि जेना : क्या यह सच है कि शीरे का प्रयोग पशुओं के लिए चारा बनाने के रूप में किया जाता है ? यदि हां, तो क्या फालतू शीरे वाले राज्यों द्वारा पशुओं के लिए चारा बनाने के कार्य में लगे संगठनों, उद्योगों और एजेंसियों को शीरे की सप्लाई करने के कार्य में

प्राथमिकता नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कार्यवाही करेगी ? पशुओं के लिए चारा बनाने के कार्य में लगे संगठनों, उद्योगों आदि को शीरे की सप्लाई न होने से उन्हें काफी कठिनाइयां हो रही हैं। इसके साथ ही साथ आज लाखों पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार का रवैया क्या है और उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ताकि फालतू शीरे वाले राज्य पशुओं के लिए चारा बनाने के काम में लगे उद्योगों को शीरा सप्लाई करने के कार्य को प्राथमिकता दें।

श्री जे० वेंगल राव : कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत शीरा पशुओं के लिए चारा बनाने और अन्य कार्यों के लिए और 90 प्रतिशत शीरा अल्कोहल बनाने के लिए आवंटित किया जाता है।

श्री सी० माधव रेड्डी : इस बात से सहमत होते हुए कि शीरे की भारी कमी है, यह आंकड़े इस बात को दर्शाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि 1981-82 में 16.50 लाख टन 1982-83 में 17.56 लाख टन और 1983-84 में 4.95 लाख टन शीरे का फालतू उत्पादन हुआ। 1984-85 में भी शीरे का फालतू उत्पादन दिखाया गया। क्या इसका तात्पर्य है कि वास्तव में देश में शीरे का फालतू उत्पादन हुआ है? जब हम शीरे की कमी महसूस कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप अल्कोहल की भारी कमी है तब गलत ब्यौरा देने का क्या कारण है ?

श्री जे० वेंगलराव : यह गलत नहीं है। शुरू के दो वर्षों में शीरे का फालतू उत्पादन हुआ। अब इसके उत्पादन में कमी हुई है। श्री माधव रेड्डी जानते हैं कि शीरे की सप्लाई चीनी कारखानों में गन्ने की पेराई पर निर्भर है। आज हम गन्ने की कमी के कारण चीनी कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सक रहे हैं।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है :

> "तथापि जब शीरे की अपर्याप्त उपलब्धता से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अल्कोहल की कमी हुई है, विकृत अल्कोहल के शुल्कमुक्त आयात की अनुमति दी गई है।"

मंत्री महोदय ने अभी इस बात को स्वीकार किया है—90 प्रतिशत अल्कोहल का उपयोग अल्कोहल शराब बनाने के लिए किया जाता है। सरकार इसे पूर्ण उद्योग का दर्जा दे रही है। साथ ही साथ, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अल्कोहल के लिए देश में निर्मित शीरे का मूल्य बढ़ाने के बजाए सरकार शुल्क मुक्त अल्कोहल का आयात क्यों कर रही है? इसके क्या लाभ हैं ? उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य भागों में अल्कोहल का भारी स्टाक जमा है।

श्री जे० वेंगल राव : उत्तर प्रदेश में शीरे का उत्पादन अधिक हुआ है और अन्य राज्यों में इसकी कमी है। यह सही नहीं है। हमारे यहां शुल्क मुक्त अल्कोहल की कमी है। औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अल्कोहल का आयात हमारे यहां निर्मित अल्कोहल की तुलना में सस्ता पड़ता है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : इस तथ्य को देखते हुए कि केन्द्र सरकार हमारा निर्धा-

रित सांविधिक न्यूनतम मूल्य गन्ना उत्पादकों को बताया नहीं जाता है। कारखानों को राज्य द्वारा निर्देशित मूल्य दिया जाता है जिससे कई गुना नुकसान हो रहा है। क्या सरकार अब शीरे का मूल्य बढ़ाने पर विचार करेगी जिससे कारखाने गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य दे सकें और आसवनशाला मालिकों के दबाव में न आये ?

श्री जे० वेंगल राव : मैंने माननीय सदस्य के विचारों को नोट कर लिया है। यह सरकार के विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री जे० वेंगल राव : राज्य सरकार नहीं बल्कि वे शराब से ढेर सारा पैसा बना रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हेरा-फेरी कर गए ना।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अपने लेखे विलम्ब से प्रस्तुत करना

*408. **श्री कमल नाथ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की अनेक कम्पनियां अपने वार्षिक लेखाओं को लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत करने हेतु समय पर तैयार नहीं करती हैं जिसके परिणामस्वरूप लेखा परीक्षित लेखाओं को सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार सरकार और संसद के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है ;

(ख) क्या कुछ मामलों में लेखाओं को प्रस्तुत करने में दो वर्ष या उससे भी अधिक का विलम्ब हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इन दोषी सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) : विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 217 में से

213 उद्यमों ने अब तक 1984-85 के दौरान अपनी वार्षिक आम बैठकें आयोजित की हैं। इनमें से प्रत्येक उद्यम की बैठक में क्या इनके लेखे अभिस्वीकृत किये गए हैं, इसकी जानकारी एकत्र की जा रही है।

(घ) सरकारी उद्यमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा सलाह दी गई है कि वे समुचित समय अनुसूचियां बनायें ताकि लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा सके, उनकी लेखा-परीक्षा की जा सके, उन्हें वार्षिक आम बैठक में अभिस्वीकृत किया जा सके तथा निर्धारित समय सीमाओं के भीतर संसद में प्रस्तुत किया जा सके। सरकारी उद्यम कार्यालय ने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उनके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन उद्यमों के लेखाओं को अन्तिम रूप देने तथा वार्षिक रिपोर्टें संसद में पेश किए जाने में कोई विलम्ब न हो।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सभा-पटल पर रखा गया विवरण इतना बड़ा नहीं है कि उसे पढ़ा ही न जा सके। श्री के० के० तिवारी इतने कमजोर कैसे हो गए हैं कि वे एक विवरण तक पढ़ने में असमर्थ हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब उन्होंने कसरत करनी बन्द कर दी है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उत्तर प्रश्न से छोटा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन्हें शून्य-काल के दौरान ही उत्तर देने की अनुमति दी जानी चाहिए। तब हम इनकी गतिविधियों को देख सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तभी मैंने कहा कि उन्होंने कसरत बन्द कर दी है।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : श्रीमान, मेरे सहयोगी द्वारा उठाया गया प्रश्न बहुत सही है क्योंकि उत्तर पूरी तरह से प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है और मुझे विश्वास है कि श्री तिवारी इस बात को समझते हैं चूंकि वह एक अनुभवी सांसद हैं और वह अधिकतर दूसरों की आलोचना ही करते रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कमल जी, उसी एक्सपीरियेंस का फायदा उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : श्रीमान, मेरे विचार से मेरा प्रश्न अत्यन्त विशिष्ट और सुस्पष्ट था जिसमें मैंने उन सरकारी कम्पनियों की संख्या तथा उनके नामों के बारे में पूछा था जो दोषी हैं। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकारी क्षेत्र के 217 में से 213 उद्यमों ने अपनी वार्षिक ग्राम बैठकें आयोजित की हैं। मैं विशेष रूप से इन उद्यमों के नाम जानना चाहता था क्योंकि इनकी संख्या के बारे में मैं स्वयं अस्पष्ट हूं। मेरा प्रश्न यह है कि वे कम्पनियां कौन सी हैं और क्या इनके लेखे अभिस्वीकृत हो गये हैं। केवल वार्षिक आम बैठक आयोजित करने से ही यह पता नहीं चलता है कि लेखाओं को प्रस्तुत कर दिया गया था और अगर प्रस्तुत किया भी गया था तो क्या वे अभिस्वीकृत भी किए गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सामान्यतया।

श्री कमल नाथ : अतः सामान्यतया ऐसा होना चाहिए लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसका आशय यही है। अतः मंत्री महोदय कहते हैं कि इसे एकत्र किया जा रहा है। मेरा अनुमान है कि इसे एकत्र किया जायगा। मैं चाहूंगा कि यदि वह हमें बतायें कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ कौन-कौन सी हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी वार्षिक आम बैठकें बिल्कुल भी आयोजित नहीं की हैं और वे कब करेंगी तथा विलम्ब के क्या कारण हैं। मंत्री महोदय मेरे प्रश्न के उत्तर के बारे में जानकारी कब तक प्राप्त कर लेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी श्री कमल नाथ अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं।

श्री कमल नाथ : मेरे अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं, न कि प्रमाण पत्र।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें मालूम है कि आपको और उत्तर की जरूरत नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, श्री कमल नाथ निश्चित रूप से इसके बारे में जानते हैं। वह स्वयं एक उद्योगपति हैं। उन्हें सरकारी निगमों में नियुक्त किया जा सकता है। अब उनकी यह नीति है।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा है ? अब आपको उनसे भी अधिक जानकारी है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, श्री कमल नाथ का विचार है कि वह उनके खिलाफ अपवाद-परक टिप्पणी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जायगा !

श्री कमल नाथ : उन्होंने उसे चुनौती भी दी है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : कमल, कमल का जवाब दें, यह कैसे चलेगा। कमल कमल की बात चीत कब तक चलेगी।

अध्यक्ष महोदय : एक डंडा और लगा दें तो कमाल हो जायगा।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैं कम्पनी कार्यों के प्रबन्ध और लेखाओं के बारे में अपने सहयोगी की विद्वता और जानकारी को स्वीकार कर रहा हूं। अत: स्वभाविक है कि उन्हें इस मामले में अधिक विशेषज्ञता प्राप्त है लेकिन जहां तक मुख्य प्रश्न का संबंध है, उत्तर में हमने स्पष्ट रूप से बताया है कि 217 कम्पनियों में से 142 कम्पनियों ने 30 सितम्बर, 1985 तक अपनी वार्षिक आम बैठकें आयोजित कर ली थीं।

श्री कमल नाथ : जी नहीं, इसमें कहा गया है कि 217 कम्पनियों में से 213 कम्पनियों ने बैठकें आयोजित की हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूं। 217 कम्पनियों में से 142 कम्पनियों ने 30 सितम्बर, 1985 तक अपनी वार्षिक आम बैठकें आयोजित की थीं। 75 उद्यमों में से 71 ने सितम्बर 1985 से लेकर अद्यतन अपनी वार्षिक बैठकें आयोजित की हैं। क्या वार्षिक आम बैठकों में लेखा परीक्षित लेखे भी प्रस्तुत किये गये थे, इस मामले पर महोदय हमने सदस्य महोदय को आश्वासन दिया है, क्योंकि ये कम्पनियां बोर्ड से प्रशासनिक मंत्रालयों के अधीन कार्यरत हैं। हम उनसे जानकारी एकत्र करते हैं तो दोषी कम्पनियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और ज्यों ही जानकारी उपलब्ध होगी, उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

श्री कमल नाथ : महोदय, सरकारी कम्पनियां और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रश्न पर कम्पनी अधिनियम की धारा 679(ख) में कहा गया है कि सरकारी कम्पनी वह कम्पनी है जिसके 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक शेयर केन्द्रीय या राज्य सरकार या सरकारी कम्पनियों या केन्द्रीय या राज्य निगमों या दोनों के पास हों। जिस कम्पनी के कुल 51 प्रतिशत या इससे अधिक शेयर केन्द्रीय या राज्य सरकार या निगमों के पास हों तो उसे एक सरकारी कम्पनी मानना चाहिए तथा सरकार को उसके लेखाओं तथा इन कम्पनियों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की निकट से निगरानी करनी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन कम्पनियों में सरकार के 51 प्रतिशत या इससे अधिक शेयर होते हैं लेकिन ये कम्पनियां न तो सरकार अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इसलिए उन कम्पनियों को, जिनमें 51 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनके निगमों के होते हैं, सरकार के प्रति और परिणाम स्वरूप बाद में संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए।

क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है या सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे कि इन कंपनियों को सरकार तथा संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके ?

प्रो॰ के॰ के॰ तिवारी : निजी क्षेत्र में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनमें 51% या इससे अधिक की सरकारी राशि लगी हुई है। निजी क्षेत्र की ये कंपनियां ऋण के लिए सरकारी राशि पर निर्भर करती हैं इसलिए इसमें सरकारी राशि लगी होती है वास्तव में इनकी लेखा परीक्षा का तरीका सरकारी कंपनियों पर लागू होने वाले तरीके से अलग होता है। अर्थात् इनके लेखाओं की लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा महालेखाकार (सी॰ ए॰ जी॰) द्वारा नहीं की जाती है। इस पहलू को सदन के नोटिस में लाया गया है तथा सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान, हम सब इस बारे में एकमत हैं कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को कुशलता से कार्य करना चाहिए और ऐसे विभिन्न तरीके अपनाये गये हैं, जिनके द्वारा सरकारी क्षेत्र को किसी तरह अनुशासित किया जा सके। यह प्रश्न उठाया गया अर्थात् लेखे अद्यतन नहीं किए जाते ताकि जनता को यह पता चले कि यह कंपनी कुशलता से काम नहीं कर रही है। कई मामलों में, कंपनी के लेखे तैयार होते हैं परन्तु सी॰ एण्ड ए॰ जी॰ देर करता है या फिर लेखाकार की नियुक्ति में समय लगता है जिसके कारण लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा लेखाओं को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है। क्या मंत्री महोदय को सी॰ एंड ए॰ जी॰ के पैनल से लेखा परीक्षा के लिए लेखाकार को भेजने में देरी संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अगर हुई है तो क्या वह इस बारे में आवश्यक कारंवाई करेंगे ताकि लेखाकार को सूचना भेजने के बाद जल्दी से जल्दी लेखा परीक्षा कराई जा सके।

प्रो॰ के॰ के॰ तिवारी : यह देरी विभिन्न कारणों की वजह से होती है और जैसा कि श्री चटर्जी ने उल्लेख किया है, मैं इनसे सहमत हूं अर्थात् देरी का कारण है लेखाकार का नियुक्त न किया जाना या सी॰ एंड ए॰ जी॰ द्वारा लेखा परीक्षा में देरी किया जाना। हमें इस बारे में कुछ रिपोर्टें मिली है कि कुछ बहु-इकाई कंपनियों के बहुत सारे कार्यालय हैं और उनमें से कुछ कंपनियों के कार्यालय विदेश में भी स्थित है, इस कारण भी देरी हो जाती है। इसलिए इसमें थोड़ा समय लगता है और कुछ अन्य मामलों में लेखाओं को प्रस्तुत करने में देरी हो जाती है। परंतु मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इन सभी पहलुओं तथा देरी के मामलों की जांच कर रहे हैं। वर्ष 1984-85 के लिए सरकारी उद्यमों की समीक्षा सदन को प्रस्तुत कर दी गयी है तथा वर्ष 1985-86 की समीक्षा भी समय पर अर्थात 1987 में संसद को प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसमें देरी नहीं हुई है। कहीं भी किसी भी प्रकार की देरी की जांच की जा रही है और हम इसमें सुधार करने के लिये निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं इस संगत प्रश्न को उठाने के लिए श्री कमल नाथ का धन्यवाद करता हूं और यह प्रश्न निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री कमलनाथ : मुझे हर जगह से प्रशंसा प्राप्त हो रही है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : इन्होंने निजी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों का हवाला दिया है जिनमें सरकार के 51 प्रतिशत या 70 से 80 प्रतिशत तक शेयर है। उदाहरण के लिए 'टिस्को' को लें मैं समझता हूं कि टाटा का टिस्कों में मात्र 3 प्रतिशत शेयर है। सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों

से 'टिस्को' तथा ऐसी अन्य कंपनियों में कम से कम लेखाओं के मामले में विभिन्न प्रक्रिया को क्यों लागू किया जाना चाहिए ? इस प्रश्न को कई बार उठाया गया है। माननीय मंत्री ने प्रश्न को स्वीकार तो किया पर उसका उत्तर देने का कष्ट नहीं किया।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया क्या मैंने इससे बचने का कोई प्रयत्न नहीं किया और मेरे माननीय सहयोगी श्री जयपाल रेड्डी जानते हैं कि सामान्यत: मैं प्रश्नों से नहीं बचता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सामान्यत:।

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा, इससे असामान्य प्रयोग की बात उठती है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे निर्णय करना पड़ेगा कि क्या सामान्य है और क्या असामान्य !

प्रो० के० के० तिवारी : सामान्यत: जब श्री जयपाल रेड्डी शांत नहीं होते हैं उनको कुछ वचन दिया जाता है। इसलिए सामान्यत: मैं प्रश्नों से बचने की कोशिश नहीं करता हूं। परन्तु इस मामले में भी प्रश्न का उत्तर देने से बचने की मैंने कोई कोशिश नहीं की है। किसी सदस्य को इस बात को सदन के नोटिस में लाना चाहिए। परन्तु इसे सदन की जानकारी में नहीं लाया गया। परन्तु कंपनी के लेखाओं की निगरानी करने का एक भिन्न तरीका है। ऐसा नहीं है कि लेखों की निगरानी नहीं की जाती ऐसा भी नहीं है कि सरकार इन कंपनियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ है क्योंकि कंपनियों के बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधि भी होते हैं। (**व्यवधान**) अगर माननीय सदस्य, लेखा तथा लेखा-परीक्षा की यही विधि प्राइवेट कंपनियों पर भी लागू करना चाहते हैं क्योंकि इनमें भी सरकारी राशि लगी हुई है तो सरकार इस बारे में जरूर विचार करेगी।

श्री कमल नाथ : माननीय मंत्री महोदय, सदन को इस बात का आश्वासन दें कि वह एक निश्चित अवधि के भीतर नीति संबंधी वक्तव्य लेकर आएंगे। (**व्यवधान**)

श्री वाई० एस० महाजन : सभी सरकारी उद्यम या तो कंपनी अधिनियम या विधान मंडल द्वारा पारित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। ये सभी संविधियां और कम्पनी अधिनियम निर्धारित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छ: महीने के अंदर ही लेखा-परीक्षित लेखे वार्षिक आम बैठक के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसका आशय यह है कि कानून का उल्लंघन होता है और दूसरे जब लेखा-परीक्षित लेखे वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तब भी सरकारी उपक्रम ब्यूरो की रिपोर्ट सारे आर्थिक मामलों का निष्कर्ष देती है कि इतने सारे करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है। ये लाभ और हानि किस प्रकार परिगणित कर लिए जाते हैं जबकि सरकार के पास लेखा-परीक्षित लेखाओं का विवरण ही उपलब्ध नहीं है ?

श्री कमल नाथ : वे क्या लेखा परीक्षक से या ज्योतिषी से, परामर्श लेते हैं ? **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : सरकारी क्षेत्र कभी-ज्योतिषियों से परामर्श नहीं करता है। यह लेखा-परीक्षित लेखाओं तथा विशेषज्ञों की सलाह पर निर्भर करता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से संबद्ध मंत्री उनसे सलाह ले सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर बनने वाले ज्यादा करते हैं,

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि विधिवत लेखा-परीक्षित लेखे कंपनी की वार्षिक आम बैठक को प्रस्तुत किए जाते हैं और इन्हें लेखा वर्ष के समाप्त होने के छह महीनों के अंदर ही प्रस्तुत करना होता है। इसलिए अनेक मामलों में लेखे उपलब्ध नहीं थे। इसलिए मैंने कहा था कि सूचना एकत्र की जा रही है और वर्ष 1985-86 के लिए हम सरकारी उद्यमों की समीक्षा कर रहे हैं और सूचना एकत्र कर रहे हैं। इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी और विधिवत लेखा-परीक्षित लेखे उपलब्ध होने के आधार पर सदन को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। **(व्यवधान)**

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी : महोदय, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने निजी क्षेत्र की कम्पनियों में एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक पूँजी निवेश किया है। इस समय यह कम्पनियां जो कि वास्तव में, सार्वजनिक धन पर चलती हैं, किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हैं। यदि यह मान लिया जाये कि इन कम्पनियों को संसद की लोक लेखा समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जायगा, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार उपयुक्त कदम उठायेगी, कि यह निजी क्षेत्र की सभी कम्पनियाँ अपने वार्षिक लेखे संसद में प्रस्तुत करें ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिये क्यों नहीं कहते ?

एक माननीय सदस्य : यह अत्यन्त संगत प्रश्न है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने इस अनुपूरक प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है। सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। इस समय जो हमारे पास व्यवस्था है, उसके अनुसार धन देने वाली सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहां होते हैं। हम सभी संगत पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना

*409. **डा० टी० कल्पना देवी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेष में भारतीय मानक संस्थान की एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोगशाला कब स्थापित की जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) संसाधन संबंधी अड़चनों के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय मानक संस्था द्वारा आंध्र प्रदेश में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय मानक संस्था की प्रयोगशाला स्थापित करने की दीर्घावधि योजना तैयार की जा रही है और इस योजना को अंतिम रूप देते समय भारतीय मानक संस्था द्वारा आंध्र प्रदेश में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता की जांच की जाएगी।

डा० टी० कल्पना देवी : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर बहुत असंतोषजनक है। गुणवत्ता परीक्षण और नियंत्रण सुविधा के बिना, वे गुणवत्ता की आशा कैसे करते हैं ? हम मिलावट और घटिया किस्म के उत्पादों के उत्पादन पर कैसे रोक लगा सकते हैं ? भारत सरकार को चाहिए कि वह प्राथमिकता के आधार पर, सभी राज्यों में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करें। हमारे प्रधान मंत्री जी ने नवम्बर, 1986 को गुणवत्ता सुधार माह घोषित किया है। गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण के लिए उचित आधारभूत अवसंरचना के बिना इस गुणवत्ता सुधार माह को केवल मना कर, क्या हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगी बने रहने के लिए हमें गुणवत्ता शुद्धता और ईमानदारी की आवश्यकता है।

डा० वी० वेंकटेश : वे अभी मुद्दे पर आ रही है।

अध्यक्ष महोदय : ये सब सुझाव हैं।

डा० टी० कल्पना देवी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि हमारे देश में कितनी गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, और कितने उद्योग उनका उपयोग कर रहे हैं, तथा उनके उपयोग का अनुपात क्या है, और क्या ये प्रयोगशालायें समय पर कार्य निपटान कर सकती हैं। और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने तो झडू ही लगा दी।

[अनुवाद]

डा० टी० कल्पना देवी : मुझे अवसर ही नहीं मिलता ......

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी, आपकी तरफ देखते ही पन्ना पलट गया।

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष जी, आप लेडीज के डेपलपमेंट की हर वक्त बात करते हैं, लेकिन आप लेडी को ही भूल गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० टी० कल्पना देवी औसत कानून में विश्वास रखती हैं...... ।

संसदीय कार्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : भारतीय मानक संस्था की छ: प्रयोगशालायें कार्य कर रही हैं। कम से कम 200 अन्य प्रयोगशालायें जो कि भारतीय मानक संस्था से मान्यता प्राप्त हैं। मानक, नमूने आदि के परीक्षण के लिए, उपयोग में लाई जाती हैं। मैं माननीय सदस्य से इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूं कि इन प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि करना जरूरी है। वस्तुतः एक प्रयोगशाला की इमारत बंगलौर में बन कर तैयार हो चुकी है और हम यह आशा करते हैं कि यह जल्दी कार्य करना शुरू कर देगी। लगभग दो वर्षों में एक और प्रयोगशाला अहमदाबाद में शुरू हो जायेगी। आंध्र प्रदेश की बात सच है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में एक प्रयोगशाला की आवश्यकता है। विभिन्न उद्योगों के बहुत से नमूनों का परीक्षण करना होता है और उनकी गुणवत्ता को देखना होता है। इस समय उचित व्यवस्था न होने के कारण बहुत से नमूनों का परीक्षण अलग जगहों पर होता है। हम इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश सरकार से बातचीत कर रहे हैं।

कई मामलों में, बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने सुझाव दिये थे। और कहा था कि वे जमीन अन्य सुविधायें भी देंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी सिद्धांत रूप में कुछ कहा था, पर इसे विस्तार से तैयार नहीं किया गया। सातवीं योजना में जो राशि हमें उपलब्ध कराई गई है, वह ऐसे कुछ प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, जिसके लिए वह आवंटित की गई हैं। मैं निजी तौर पर आंध्र प्रदेश सरकार से इस प्रश्न पर बातचीत करना चाहता हूँ। जहां तक उद्योगों की कुल संख्या का प्रश्न है, कुछ उद्योग अथवा उत्पाद ऐसे हैं, जहां परीक्षण या नमूने आदि लेना अनिवार्य है। इनकी संख्या 112 जमा 10 है जो हमने अभी हाल में ही स्वीकृत की हैं। अन्यथा इनकी संख्या बहुत अधिक है। परन्तु सरकार ने गुणवत्ता और उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए, एक संशोधन करने का निर्णय किया है और इस सदन ने भारतीय मानक संस्था को मानक ब्यूरो में बदलने के बारे में एक विधेयक पहले ही पारित कर दिया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि भारतीय मानक संस्था में सुधार लाया जाये, उसे सुदृढ़ किया जाए, तथा भारतीय मानक संस्था द्वारा विकसित विशिष्टियों की मजबूती के अनुपात में अधिक से अधिक वस्तुओं को इसके अन्तर्गत

लाया जाए। हम निजी तौर पर चाहते हैं कि भारतीय मानक संस्था की एक प्रयोगशाला आंध्र प्रदेश में हो। यह आंध्र प्रदेश के साथ हमारी बातचीत पर निर्भर है; और उसी के अध्यधीन है।

डा० वी० वेंकटेश : आंध्र प्रदेश सब कुछ देने को तैयार है, सिवाय वोटों के।

डा० टी० कल्पना देवी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि वर्ष 1980 से 1985 तक की अवधि के दौरान नकली और खतरनाक औषधियों का अनुपात इस देश में कितना रहा है, और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें गुणवत्ता प्रयोगशालाओं ने इस मामले में पकड़ा है, तथा इस बारे में इन कम्पनियों को दण्ड देने, लाइसेंस रद्द करने तथा फौजदारी मुकदमा चलाने जैसी क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एच० के० एल० भगत : मुझे बहुत खेद है। मैं साधारणत: किसी महिला सदस्य को जवाब देने में इंकार नहीं करता हूं लेकिन दुर्भाग्य से यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है··· (व्यवधान)···

श्री पी० कुलनवईवेलू : पुरुष और महिला सदस्य के बीच ऐसा भेदभाव कैसे हो सकता है ? वे इस तरह की बात वह कैसे कर सकते हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं महिला सदस्य एवं सदस्य प्रत्येक माननीय सदस्य को हर संभव जानकारी देना चाहता हूं। आपको इससे वैमनस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे खेद है कि यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है, और मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।·· (व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : यह तो भगत जी आपका बर्थ राइट है।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा नहीं, आपका भी है।

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कुछ-कुछ बताया है उसमें सन्तोष-जनक बात नहीं कही···।

अध्यक्ष महोदय : सन्तोष मोहन देव को भेज देते हैं···।

श्री वी० तुलसीराम : मंत्री जी ने कहा कि मैं लेडी मेम्बर को न नहीं करता हूं, लेकिन आपने जो जवाब दिया उसमें ना ही कहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने सेंटर रखा ही नहीं। आगे के लिए भी क्या रखा है वह मैं पढ़कर सुनाता हूं। आन्ध्र प्रदेश में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता की जांच की जायेगी, यह इसमें लिखा है। यह पता नहीं कि कब तक जांच की जायेगी, अध्यक्ष महोदय, आप देखें···।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं।

श्री वी० तुलसीराम : मैंने पहले भी कहा था। हमारे अच्छे-अच्छे प्रश्न आपके बैलेट में रह जाते हैं और बेकार प्रश्न आ जाते हैं जिससे मंत्री महोदय को कोई कष्ट नहीं करना पड़ता। सेक्रेटरी लोग लिख कर भेज देते हैं। जहां भी आन्ध्र प्रदेश की बात आती है वहां न में ही जवाब आता है। आन्ध्र प्रदेश और वहां की जनता ने क्या पाप किया है। 35 साल तक कांग्रेस का वहां राज रहा, आज तेलुगू देशम् का राज है, क्या इसलिए न में जवाब आता है। जैसे बंगलोर में आपने सेंटर खोला है, क्या 7वीं योजना में आंध्र में भी सेंटर खोलेंगे। क्योंकि आप महिला सदस्यों के प्रश्न पर न नहीं करते। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस सैन्टर की स्थापना के लिए आप तुरन्त कार्यवाही करें। कब तक स्थापित होने की सम्भावना है, कृपया यह भी बतायें।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आनरेबल मैम्बर की इस बात से सहमत नहीं हूं, कि आन्ध्र प्रदेश के मामले में हमेशा "न" ही होता है। ऐसी बात नहीं है। आन्ध्र प्रदेश के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन नहीं किया जाता। दूसरे, जहां तक आन्ध्र प्रदेश में इस सैन्टर की जरूरत का सम्बन्ध है, यह बिल्कुल साफ है कि उसकी जरूरत है, इस समय जितना काम है, उसको देखते हुए इसकी आवश्यकता है, इसमें कोई शक-शुबह की बात नहीं है। तीसरी बात उन्होंने पूछी कि इस वक्त आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा रहा है, हम उसको दूसरी जगह टैस्ट कर रहे हैं। चौथी बात वे जानना चाहते हैं कि कब तक बन कर तैयार हो जाएगा, मैं उसकी कोई स्पष्ट तारीख नहीं बता सकता...।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : हम यही तो जानना चाहते हैं कि कब तक बन कर तैयार हो जाएगा।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता क्योंकि सातवीं पंच वर्षीय योजना का जो नक्शा बना है, वह उसमें नहीं है। फिर भी हमारी आन्ध्र-प्रदेश गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं खुद बातचीत करूंगा, उसके बाद ही यह निश्चित होगा कि कब तक बनेगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया बंगलौर प्रयोगशाला को रद्द न करें।

केरल के तटों से रेत निकालना

*410. डा० के० जी० अदियोडी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शीशे का वार्षिक उत्पादन कितना है और उसका उपयोग/खपत कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के तटों की रेत शीशे के कणों से युक्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने शीशे के इन कणों को निकालने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए कौन से कदम उठाये जाने वाले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संगठित क्षेत्र में विभिन्न मदों के उत्पादन में लगे तकरीबन 60 एककों द्वारा किया गया वार्षिक उत्पादन लगभग 10 लाख टन है, जिसका मूल्य लगभग 340 करोड़ रु० है। लघु एककों की उत्पादन क्षमता 2 लाख टन है, जिसका मूल्य 52 करोड़ रु० है जो 1116 एककों से संबंधित है। (31 मार्च, 1981 को)

(ख) शीशे के कण मूलतः शीशे के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं और यह केवल शीशे की गुणवत्ता वाली रेत ही है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है और इसके निक्षेप देश के विभिन्न भागों में बिखरे हैं। इसलिए केरल के तटों की रेत समृद्ध शीशे के कण से युक्त नहीं है। तथापि, अन्य कई तटों की तरह इनमें अच्छी मात्रा में काचमणि है।

(ग) और (घ) केरल के तटों की रेत को लाभदायक भारी खनिजों के लिए खोदा जा रहा है। कुछ लघु एककों के अलावा, केरल में मैं० एक्सेल ग्लासिस द्वारा शीशे की बोतलों का निर्माण करने के लिए स्थानीय रेत का उपयोग किए जाने की सूचना मिली है।

डा० के० जी० अदियोडी : महोदय, मुझे पता लगा है कि विदेशी सहयोग से उष्म-सह-शीशा उत्पादन करने के लिए केरल सरकार की ओर से एक प्रस्ताव है। यह केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसे स्वीकृत देने में कौन सी बाधायें हैं ?

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक केरल का प्रश्न है, ऐसा कोई आवेदन-पत्र उद्योग मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

डा० के० जी० अदियोडी : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशों से उष्म-सह शीशे के सहित शीशे का कुल आयात कितना है ?

श्री एम० अरुणाचलम : हम 'फ्लोट' शीशे का कम आयात कर रहे हैं। मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं। मैं ये आंकड़े सदस्य महोदय को भेज दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इस प्रश्न में बहुत दिलचस्पी रखता हूं क्योंकि गुजरात सब किसी अन्य राज्य की तुलना में से अधिक शीशा उत्पादन करता है। दो सौ करोड़ रुपये के 'फ्लोट' शीशे के उत्पादन की परियोजना आरंभ की जानी थी और मेरे विचार से आप जानते हैं कि एक बार देश में 'फ्लोट' प्रायः शीशे का उत्पादन हो जाए तो प्रायः सभी अन्य प्रकार के शीशों का उत्पादन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह अद्यतन प्रौद्योगिकी है। यह केवल सस्ता ही नहीं पड़ेगा, बल्कि यह ज्यादा

मजबूत भी होगा और इसके आगे शीशा उत्पादन में और कोई प्रौद्योगिकी नहीं है। अब यह दो सौ करोड़ रुपये के शीशे के कारखाने की सहयोग से चलने वाली परियोजना गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच औद्योगिक लाइसेंस के लिये घूमती रही है। अब यह इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब यह 'फ्लोट' शीशे का बड़ा कारखाना भारत में कहीं पर स्थापित होगा, तब उन 1116 छोटे एककों की क्या स्थिति होगी, जो बंद होने के कगार पर हैं क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह छोटे एकक किसी भी प्रकार से सुरक्षित रहें ?

श्री एम० अरुणाचलम : जहाँ तक गुजरात का सम्बन्ध है, हमने हाल ही में एक आशय-पत्र जारी किया है, कि इस प्रकार की 6.16 वर्ग मीटर की क्षमता वाले शीशे का उत्पादन विलयन (फ्यूजन) प्रक्रिया से हो। जहाँ तक छोटे एककों का संबंध है, हमें उनके बन्द होने की कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम जरूर इसकी जाँच करेंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्राय: उन सब तटों का सर्वेक्षण हो चुका है, जहाँ ऐसी रेत उपलब्ध है ? हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध है और बहुत से समुद्र-तटीय इलाकों में और नदी-तलों में 'सिलिका' रेत भी उपलब्ध है, जिससे शीशा बनाने का कारखान शुरू किया जा सकता है। मैं यह जान :: चाहता हूँ कि क्या मद्रास के मरीना तट और अन्य तटों में पायी जाने वाली रेत का सर्वेक्षण किया गया है, जिससे कि यह पता लग सके कि वहाँ उपलब्ध रेत के आधार पर शीशे का कारखाना लगाया जा सकता है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : महोदय, जो कच्चा माल शीशे के कारखाने में प्रयोग होता है। उनमें कांचमणि (क्वार्टज, मुख्यत: है। यह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में उपलब्ध हैं। इन राज्यों में शीशे के उत्पादन के लिये अच्छी किस्म की रेत भी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

राजस्थान में लिग्नाइट

*411. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर लिग्नाइट पाया गया है तथा वह कितनी मात्रा में पाया गया है और वह किस किस्म का है ; और

(ख) लिग्नाइट का बिजली के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने के संबंध में अब तक कौन से प्रयत्न किए गए हैं तथा इस प्रक्रिया में कितनी सफलता मिली है ?

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री श्री वसंत साठे : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जिलों में लिग्नाइट भंडारों का पता चला है। जिन भूवैज्ञानिक भंडारों का पता चला है उनकी मात्रा का मोटे तौर पर अनुमान तथा क्षेत्रीय ड्रिलिंग/विस्तृत अन्वेषण के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में उनकी संभावित किस्म का विवरण नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	क्षेत्र	भंडार	
		मात्रा (मि० टनों में)	किस्म (सकल कैलोरीफिक मूल्य- कि० कै०/कि० ग्रा० में)
1.	पलाना	13.65 (प्रमाणित)	3300
2.	कापुर्डी	70.00 (इंगित)	2660
3.	जालिपा	40.00 (इंगित)	2700
4.	बारसिंहसर	70.00 (इंगित)	2700 से 3000
5.	मेर्टा खेड	23.90 (इंगित)	3600
6.	मोकला इंदावर	12.00 (इंगित)	2760
7.	गुरहा	40.00 (इंगित)	2400 से 2800

(ख) पलाना लिग्नाइट पर आधारित 2 × 60 मे० वा० क्षमता के एक ताप बिजली घर का अगस्त, 1986 में अनुमोदित कर दिया गया है। ताप संयंत्र स्थापित करने के लिए अन्य क्षेत्रों के लिग्नाइट भंडारों के दोहन पर विचार करने से पहले, अनेक तकनीकी और आर्थिक मुद्दों पर अभी निर्णय लिया जाना है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब प्रस्तुत किया है; उससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जिलों में लिगनाइट का अपार भण्डार है। इसके सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पलाना में लिगनाइट के बेस पर जो प्लाण्ट स्थापित किया जा रहा है और जिसकी स्वीकृति भी आपने दी है, उसकी क्या प्रगति है ? मेरे ख्याल से उसकी अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है। पहले यह बात थी कि वेस्टर्न जर्मनी से बात चल रही थी, लेकिन राजस्थान सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि

पलाना लिग्नाइड प्लाण्ट को अपने साधनों से स्थापित कर सके। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार क्या मदद कर रही है, कहीं ऐसा न हो कि यह प्लाण्ट एप्रूव्ड होने के बावजूद शुरू न हो और कोई प्रगति न हो ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, जहाँ तक पलाना लिगनाइट पर आधारित ताप बिजली संयंत्र का सवाल है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसको चलाने का तय किया है। 2× 60 मैगावाट का यह संयंत्र लगाया जाएगा। दो यूनिटें साठ-साठ मैगावाट की बनाई जायेंगी, और माइन और बिजली के संयंत्र साथ-साथ चलेंगे, जिसमें लिगनाइट माइनिंग के लिए 170 करोड़ और संयंत्र के लिए 180 करोड़ रुपए, इस तरह से लगभग 257 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है और राजस्थान सरकार ने अपने सेवंथ फाइव ईयर प्लान में 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे मालूम होता है कि उनकी क्षमता है। लेकिन सवाल कलेबोरेशन का है। कलेबोरेशन के लिए हंगरी, जी० डी० आर०, पोलैंड, आस्ट्रिया और एफ० आर० जी०। इन लोगों ने कुछ उसमें इंटरेस्ट के प्रपोजल्स दिए हैं। राजस्थान सरकार उनसे बात कर रही है और उसके बाद जब ठोस योजना बनाकर वे हमारे पास भेजेंगे, तो उसके बारे में उनसे चर्चा करके और योग्य कलेबोरेशन के आधार पर, यह काम चालू किया जा सकेगा। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है और जितने भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, हम राजस्थान सरकार को इस मामले में जरूर मदद कर रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पलाना लिगनाइट प्लाण्ट के बारे में जो जवाब दिया है वह काफी संतोषप्रद है और इस जवाब से आभास मिलता है कि वह जल्दी से जल्दी शुरू होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में जो आपने सूचना दी है उसके अनुसार उसमें 7 करोड़ मीटरिक टन कापुर्दी में और 4 करोड़ टन जालिपा में लिगनाइट निकला है।

इस प्रकार 11 करोड़ मीट्रिक टन लिग्नाइट निकला है और इसके बारे में सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जो मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन फंक्शन कर रहा है उसने अभी तक प्रोजेक्ट को प्रस्तुत क्यों नहीं किया है ? आप किस प्रकार थर्मल प्लांट बना कर यह कार्यक्रम शुरू करेंगे और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कितना प्रावधान रखा गया है ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, अभी तक बाकी के जो रिजर्वस है, उनके बारे में अभी इंडिकेटिव एक्सप्लोरेशन हुआ है, डिटेल एक्सप्लोरेशन, इंटैसिव और एक्सटेंसिव जारी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में करीबन 24 करोड़ रुपये का प्रावधान खाली इनवैस्टीगेशन के लिये रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान में जितना लिग्नाइट का भंडार हो उसकी ठीक जांच हो सके। यदि वह अच्छी तरह से पता लग जाता है कि कितनी गहराई में है क्योंकि वह फैला हुआ है, इस कारण उसकी ठीक जांच जब तक न हो तब तक उसका उपयोग माइनिंग के लिये और ताप

बिजली के लिये करना सम्भव है या नहीं यह जानना या कहना योग्य नहीं होगा, लेकिन हमारी इच्छा यह है कि राजस्थान के लिये इस लिग्नाइट का यदि हम उपयोग कर सकें तो बहुत बड़ा वरदान होगा।

श्री राम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय जी ने राजस्थान के कापुर्डी में 70 मि० टन, जालिपा में 40 मि० टन, बारसिंहसर में 70 मि० टन०, मेर्टा रोड में 23.90, मोकला इंदावर में 12.00 मि० टन और गुरहा में 40.00 मि० टन लिग्नाइट के भंडार के बारे में बताया है। इसमें सबसे अधिक कापुर्डी में 70 मि० टन और जालिपा में 40 मि० टन लिग्नाइट का भंडार मिला है। कपैसिटी और क्वालिटी के लिहाज से पलाना और बारसिंहसर सबसे अच्छे नम्बर पर हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मन की फर्म को आज से तीन साल पहले सर्वे का और इस प्रोजैक्ट को तैयार करने का कांट्रेक्ट दिया था। इस फर्म ने काफी हद तक कार्य भी किया। आज आप जो यह कहते हैं कि यह अलग-अलग फैला हुआ है लेकिन कहीं-कहीं यह लिग्नाइट पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मन की फर्म ने यह स्वीकार किया है कि भारतवर्ष में एक बहुत ही अच्छा एक विद्युत गृह है जो कि इस लिग्नाइट के आधार पर बन सकता है और जो कि राजस्थान के लिये वरदान होगा। आज भी राजस्थान में कुल मिला कर 11-12 परसेंट बिजली का अभाव है। क्या उसकी पूर्ति करने के लिये इस बारे में शीघ्र कदम उठायेंगे और उसी फर्म की रिपोर्ट प्राप्त करके इस कार्य को आगे बढ़ायेंगे ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, फर्म जो जर्मनी की थी जिसको सर्वे करने के लिए कहा था उन्होंने प्रीलिमनरी सर्वे किया है। मैंने खुद बतलाया है कि यह इंडिकेटिव है कि वहां लिग्नाइट का भंडार है। मैंने इस बारे में जो कुछ भी बताया है वह सब राजस्थान में एक जगह नहीं है। यह बाड़मेर, बीकानेर और नागौर आदि जिलों में है।

श्री राम सिंह यादव : यह अध्यक्ष जी के क्षेत्र सीकर में भी है।

श्री वसन्त साठे : हां यह अध्यक्ष जी के क्षेत्र में भी है।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम द्वारा इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज तथा अन्य नवीकरण कार्य

*** 413. डा० चिन्ता मोहन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम ने इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए हैं और इलैक्ट्रानिक मेल, डिजिटल रेडियो पेजिंग, वीडियोटेक्स, पैकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेट वर्क, टेलीफेक्स टेलीटेक्स और मोबाइल टेलीफोन जैसे कई अभिनव परिवर्तन भी किए हैं ;

(ख) इन अधिष्ठापनाओं का ब्योरा क्या है और इन पर पृथक-पृथक कुल कितनी पूंजी लागत आयी है, आवर्ती व्यय कितना होगा तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ; और

(ग) धनराशि के रूप में तथा कार्य-कुशलता के रूप में इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां, इनमें से कुछेक प्रारम्भ कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) विस्तृत ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

महानगर टेलीफोन निगम द्वारा इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज तथा अन्य नवीकरण कार्य।

1. अनुबंध-1 और 2 में दर्शाए गए इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज नई दिल्ली और बंबई में संस्थापित कर दिए गए हैं।

2. उल्लिखित कुछ सेवाएं अनुबंध-3 के अनुसार प्रारंभ कर दी गई हैं।

3. निम्नलिखित लाभ होने की संभावना हैं।

3.1. **इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज**

(क) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में खराबियों की संख्या बहुत ही कम होती है तथा मिलने वाली कालों की दर बहुत अधिक होती है।

(ख) इस किस्म के एक्सचेंजों के रख-रखाव की कम आवश्यकता होती है।

(ग) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से 10 से 12 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना होती है।

3.2. **अन्य सेवायें** :

(क) **पैकेट स्विच डाटा नेटवर्क**

यह नेटवर्क अन्ततोगत्वा विभिन्न उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई डाटा संचार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

(ख) **मोबाइल टेलीफोन सर्विस** :

इस सेवा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता एक विशेष क्षेत्र के भीतर चलते हुए वाहन से काल करने के साथ-साथ काल प्राप्त भी कर सकता है।

(ग) **रेडियो पेजिंग :**

यह सेवा उन उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक लाभप्रद है जो हमेशा ही चलते-फिरते रहते हैं।

अनुबंध-1

दिल्ली में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	पूंजीगत लागत (करोड़ रु० में)	विदेशी मुद्रा संघटक (करोड़ रु० में)	वार्षिक आवर्ती व्यय (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5
1.	ईदगाह	11.3	2.0	1.59
2.	तीस हजारी	5.12	2.52	1.0
3.	तीस हजारी विस्तार	12.35	1.63	1.82
4.	सेना भवन	9.62	2.10	1.52
5.	किदवई भवन	11.37	1.89	1.8
6.	राजौरी गार्डन	12.94	1.99	1.89
7.	करोल बाग	11.27	2.22	1.78
8.	नेहरू प्लेस	11.09	2.01	1.62
9.	नेहरू प्लेस विस्तार	11.85	1.53	1.75
10.	राजौरी गार्डन डिजिटल	14.52	1.83	2.65
11.	शक्ति नगर डिजिटल	15.33	1.79	2.76
12.	करोल बाग टेंडम डिजिटल	5.49	1.74	0.77
13.	एस० पी० सी० टैलेक्स	15.63	3.19	2.80
14.	एस० पी० टैक्स	8.43	2.33	2.80

अनुबंध-2

बंबई में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का ब्यौरा।

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	पूंजीगत लागत (करोड़ रु० में)	विदेशी मुद्रा संघटक (करोड़ रु० में)	वार्षिक आवर्ती व्यय (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5
1.	को-आपरेज-V	13.04	1.37	2.13
2.	घाटकोपर-II टेंडम	12.07	2.41	2.02
3.	खार-III	8.73	1.08	1.42
4.	मरोल-III	13.12	3.13	2.14
5.	वोर्ली-III	13.19	4.06	2.15
6.	वडाला-II	13.11	2.01	2.84
7.	मरोड-टेंडम	7.89	0.69	0.59
8.	वांद्रा-I और-II विस्तार	23.56	6.97	3.37
9.	मझगांव-III	11.32	5.13	1.61
10.	प्रभा देवी-II	12.54	2.60	1.82
11.	को-आपरेज-IV और IV विस्तार	22.63	7.07	3.28
12.	प्रभा देवी टेलेक्स	16.96	4.04	2.42
13.	प्रभा देवी टैक्स एस० पी० सी-ए	13.81	2.44	1.97
14.	कालम्बोली (पी०आर०एक्स०ए०)	2.54	0.55	0.40

अनुबंध-3

प्रारंभ की गई अन्य सेवाएं

क्र० सं०	सेवा	पूंजीगत लागत	विदेशी मुद्रा संघटक	आवर्ती व्यय
1.	नई दिल्ली, बम्बई और मद्रास में पैकेट स्विच्ड डाटा नेटवर्क	1.87 करोड़ रुपये	शून्य	चूंकि ये सेवाएं अंशत: प्रायोगिक हैं और अनुसंधान कर्मचारी कार्यरत हैं अत: इसका पता नहीं लगाया गया।
2.	केवल दिल्ली में मोबाइल टेलीफोन सेवा	1.2 करोड़ रुपये	1.05 करोड़ रुपये	
3.	केवल दिल्ली में रेडियो पेजिंग	29 लाख रुपये	28 लाख रुपये	

डा० चिन्ता मोहन : श्रीमान, क्या यह सच है कि वर्तमान एम० टी० एन० एल० व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता तक नया टेलीफोन पहुंचाने के लिए 26,600 रु० का खर्च आता है ! यदि हां, तो सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चे का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान दरों के आधार पर सरकार कैसे 26,600 रुपये के खर्चे को पूरा करने की योजना बना रही है।

श्री संतोष मोहन देव : श्रीमान, इस 26,600 रु० के लक्ष्य को पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न चरणों में खर्च किया गया है। हम बंगलौर की फैक्टरी से एक्सचेंज प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यह फैक्टरी 'इलेक्टेल' के सहयोग में कार्य कर रही है। बम्बई और दिल्ली के खर्चे का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

डा० चिन्ता मोहन : आपने ऐसा कोई विवरण उसमें नहीं दिया है। आपने मात्र विदेशी मुद्रा का विवरण उसमें दिया है। परंतु आपने 26,600 रु० के खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने ब्यौरा विवरण में दिया है।

डा० चिन्ता मोहन : श्रीमान क्या यह सच है कि एम० टी० एन० एल० को विभिन्न कंपनियों से 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनको जांचने के बाद तीन कंपनियों को पांच लाख तथा कुछ अन्य कंपनियों को क्रमशः दो लाख तथा एक अन्य कंपनी को पन्द्रह हजार उपकरणों के क्रयादेश दिए गए हैं। इस बारे में सरकार ने कौन से मानदंड अपनाये हैं तथा इन क्रयादेशों को प्राप्त करने में कितने मंत्रियों के पुत्र संबद्ध हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : ये ठेके निगम द्वारा दिए जाते हैं तथा निगम में एक बोर्ड होता है जो इस बात का निर्णय करता है कि किसको कितनी मात्रा आवंटित की जाये। अगर वहां इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता होती है और आपके पास कोई विशिष्ट शिकायत हो तो आप इसे मुझे दे सकते हैं और मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि वे बंगलौर फैक्टरी से उपकरण प्राप्त करेंगे। परन्तु डिजिटल ट्रंक एक्सचेंज फैक्टरी ने अभी कार्य शुरू नहीं किया है और वर्तमान क्रास-बार सेक्शन फैक्टरी को बंद किया जा रहा है जिसके कारण लगभग सात से आठ हजार कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। सरकार डिजिटल फैक्टरी को कब प्रारंभ करने जा रही है।

श्री संतोष मोहन देव : इस बारे में विचार किया जा रहा है और बहुत जल्दी बंगलौर फैक्टरी के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

श्री जी० जी० स्वैल : प्रश्न में 'इलैक्ट्रोनिक-मेल' के बारे में पूछा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है और कौन सी प्रणाली का इसमें प्रयोग किया जा रहा है।

श्री संतोष मोहन देव : इलैक्ट्रौनिक-मेल' प्रणाली को अभी केवल दिल्ली में प्रयोग किया जा रहा है और इसे केवल छह फर्मों को दिया गया है······।

श्री जी० जी० स्वैल : यह प्रणाली क्या है ? मैं 'इलैक्ट्रोनिक मेल' के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। इलेक्ट्रोनिक मेल' में कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है ?

श्री संतोष मोहन देव : यह एक कम्प्यूटर है। आप कम्प्यूटर में सूचनाएं भर सकते हैं और अगर आप उपभोक्ता हैं तो कम्प्यूटर दूसरी तरफ संदेशों को ग्रहण भी कर सकता है। इस प्रणाली को केवल छह फर्मों में प्रयोग के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो इसे अन्य महानगरों में भी प्रारंभ किया जाएगा।

श्री सुरेश कुरूप : आजकल टेलीफोन-बांड जारी किए जा रहे हैं और इनके माध्यम से पूरे देश से भारी राशि एकत्र की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इन बांडों के जरिए मंत्रालय को कितनी धनराशि उपलब्ध होने की आशा है। क्या मंत्रालय, एकत्र हुई इस धनराशि को केवल दिल्ली और बंबई में ही खर्च करेग ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत संगत प्रश्न है।

श्री संतोष मोहन देव : हमें प्रारम्भ में 150 करोड़ रु० के मूल्य के बांड जारी करने की अनुमति मिली है। हमें कुल 300 करोड़ रु० में बांडों के लिए आवेदन पत्र मिले थे। अगर हम 150 करोड़ रु० के बांडों को बेच देते हैं तो फिर हम 150 करोड़ रु० के और बांड जारी करेंगे। और इनसे प्राप्त धन का उपयोग बम्बई तथा कलकत्ता के निगमों के लिए होगा ·····।

श्री नारायण चौबे : कलकत्ता में कोई निगम नहीं है। कलकत्ता निगम-रहित है।

श्री संतोष मोहन देव : श्रीमान, कलकत्ता को, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अब तक, 250 करोड़ रु० दिए गए हैं। उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान मैं, कलकत्ता को शामिल करने के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। नए मंत्री महोदय को कलकत्ता के लिए एक निगम बनाने हेतु धन्यवाद।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वायनाड जिले के आदिवासी क्षेत्रों में सप्लाई किए जा रहे चावल की किस्म

*412. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के वायनाड जिले के अप्पापारा और दूसरे जनजाति क्षेत्रों के आदिवासियों को ओणम के अवसर पर उचित दर की दुकानों से मानव उपयोग के अयोग्य घटिया किस्म के चावल की सप्लाई किये जाने के बारे में रिपोर्टें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यह विदित हुआ है कि इस क्षेत्र की दो उचित दर की दुकानों द्वारा घटिया किस्म का चावल प्राप्त किया गया था।

(ख) घटिया किस्म के चावल के बदले में वितरण हेतु अच्छी किस्म का चावल दे दिया गया था।

[हिन्दी]

मारुति कारों, वैनों आदि की कालाबाजारी

*414. **श्री आर० एम० भोये :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मारुति कार, वैन और जिप्सी की कृत्रिम कमी और जाली बुकिंग के कारण इन गाड़ियों की कालाबाजारी होने के समाचारों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) गाड़ियों की कीमतों पर कानूनी नियंत्रण नहीं

है। बताया जाता है कि कुछ मारुति गाड़ियां बाजार में अधिक कीमत पर बिकती हैं।

(ख) मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के हेतु बराबर प्रयास किए जा रहे हैं।

सीधी ट्रंक डायल सेवा के द्वारा पंजाब के नगरों को दिल्ली से जोड़ना

*415. **श्री तेजा सिंह दर्दी**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के कुछ और महत्वपूर्ण किन्तु छोटे नगरों को सीधी ट्रंक डायल सेवा (एस० टी० डी०) के द्वारा दिल्ली से जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का आनन्दपुर साहिब को सीधी ट्रंक डायल सेवा के द्वारा दिल्ली से जोड़ने का विचार है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस योजना के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) संसाधनों, समिति उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के छोटे शहरों को एस० टी० डी० के माध्यम से दिल्ली के साथ जोड़ने की कोई विशेष योजना नहीं है। एस० टी० डी० प्रदान करने की योजना सम्बन्धी नीति में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है—

(1) राज्य की राजधानियों को दिल्ली के साथ जोड़ना।

(2) दिल्ली के 300 कि० मी० के भीतर आने वाले जिला मुख्यालयों को दिल्ली के साथ जोड़ना।

(3) भारी परियात की दृष्टि से औचित्य पाए गए अन्य मार्ग।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) इस समय आनन्दपुर साहिब में 120 लाइनों का छोटा एक्सचेंज है, जो वर्तमान नीति के मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत नहीं आता।

[अनुवाद]

साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया की व्यापक योजना

*416. डा० सुधीर राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया (सेन रेले यूनिट) द्वारा सरकार की सातवीं योजना अवधि के लिए एक व्यापक योजना भेजी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए सरकार द्वारा कम्पनी को कितनी धनराशि दी गई ; और

(घ) क्या योजना लक्ष्यों को प्राप्ति किया जा सका है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) और (ख) कम्पनी द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई एक गोजना में 1986-87 में 2,95,000 साइकिलों और 1987-88 में 4,22,000 साइकिलों का उत्पादन करके होल्डिंग आपरेशन और उसके बाद 1990-91 में 7,22,000 साइकिलों तक उत्पादन करके पुनः दिशानिर्देश कार्य-संचालन का अनुमान लगाया गया है। रिमों को छोड़कर सभी हिस्से-पुर्जों के निर्माण का आसनसोल तथा कल्याणी एकक में अनुषंगीकरण किया जायेगा तथा स्वतन्त्ररूप से लाभ कमाने वाला केन्द्र बनाया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए निवेश-योजना के अधीन 1985-86 से 1989-90 तक 700 लाख रुपये के कुल योजना व्यय और 1100 लाख रुपये के गैर-योजना व्यय का अनुमान है।

(ग) 1985-86 में सरकार ने कम्पनी को योजना ऋण के रूप में 65 लाख रुपये और गैर-योजना ऋण के रूप में 400 लाख रुपये दिए हैं।

(घ) विभिन्न कारणों से यह कम्पनी उत्पादन के लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकी।

उचित दर की दुकानें

*417. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितनी उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी हैं और उन दुकानों के माध्यम से बेची जा रही वस्तुओं का विवरण क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को सभी अत्यावश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर बेची जायें, निगरानी समितियां गठित करने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को इस बारे में निदेश जारी करने का है कि कमजोर वर्गों के लोगों को उचित दर की दुकानों का आवंटन किया जाए, ताकि वे सरकारी नीतियों का पूरा लाभ उठा सकें ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) 30 जून 1986 को देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के लिए कुल लगभग 3.28 लाख उचित दर की दुकानें कार्य कर रहीं थीं केंद्रीय सरकार ने सात आवश्यक वस्तुओं अर्थात गेहूं, चावल, लेवी-चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक और नियंत्रित कपड़े की अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इनकी आपूर्ति की जिम्मेदारी ली है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस बात की छूट है कि वे आम खपत की कोई भी अन्य वस्तुएँ, उनकी अधिप्राप्ति और वितरण का प्रबंध स्वयं करके इसमें शामिल कर सकते हैं।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ता उन्मुख स्वरूप को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इस बात के लिए जोर दिया है कि वे ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर सलाहकार/सतर्कता समितियां गठित करें, जिनमें महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित, प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित किया सा सके। ये समितियां किसी न किसी रूप में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।

3. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मिली सूचना से पता चलता है कि अधिकांश राज्य उचित दर की दुकानों के आवंटन के मामले में समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को वरीयता दे रहे हैं।

भारतीय न्यायिक सेवा

*418. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शीघ्र ही देश में एक भारतीय न्यायिक सेवा (भा० न्या० से०) का गठन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) भारत के विधि आयोग ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के संबंध में अपनी एक सो सोलहवीं रिपोर्ट प्रस्तुतकर दी है। रिपोर्ट की प्रतियों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सरकार रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरेवार अध्ययन करेगी।

खेलों का सामान बनाने वाले उद्योगों में संकट

*419. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में खेलों का सामान बनाने वाले कारखाने संकट की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हजारों कारखानों के बंद होने और कई हजार कामगारों के बेरोजगार हो जाने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस उद्योग को बचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) खेल-कूद सामान उद्योग के केवल पंजाब में सामना किये जा रहे किसी विशेष संकट के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ! फिर भी, इस समय चल रही कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण पंजाब में सभी उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन खेल-कूद सामान उद्योग जो मुख्यतः लघु और कुटीर क्षेत्र में है, में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता है जिससे यह प्रभावशाली ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता कर सके और बढ़ती हुई आन्तरिक मांग को पूरा कर सके।

(ग) 1. सरकार ने मेरठ में यू० एन० डी० पी० की सहायता से खेल-कूद सामान के लिये एक प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र स्थापित किया है। यह केन्द्र इस उद्योग को उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उद्यमियों तथा कुशल कामगारों के प्रशिक्षण, तकनीकी एवं वाणिज्यिक जानकारी के प्रसार प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण में सहायता देगा।

2. भारतीय राज्य व्यापार निगम ने खेल-कूद सामान के लिये जालन्धर में एक डिजाइन-कम-डिवेलपमेंट केन्द्र स्थापित किया है। यह केन्द्र इस समय उद्योग को बेंत जैसे कच्चे माल की सप्लाई कर रहा है और यथासमय में, इसमें आयातित कच्चे माल को भी सम्मिलित किया जायेगा।

3. खेल कूद सामान उद्योग की जरूरत के लिये चमड़े के विकास एवं परीक्षण हेतु सी० एल० आर० आई० क्षेत्रीय विस्तार केन्द्र ने जालंधर में एक पूर्णरूपेण कार्यशाला तथा प्रयोगशाला स्थापित की है।

4. खेल कूद सामान के लिए पंजाब राज्य सरकार जालंधर में एक क्वालिटी मार्किंग केन्द्र चला रही है।

5. खेल-कूद सामान के निर्यात के बदले अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चे-माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है।

6. निर्यातित खेलकूद सामान की विशेष वस्तुओं पर 10 से 15 प्रतिशत की रेंज में नकद प्रतिपूर्ति सहायता दी जाती है।

मिनी-माइक्रो पन-बिजली योजनाएं

* 420. श्री अमरसिंह राठवा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेष रूप से बिजली भारी कमी वाले क्षेत्रों में मिनी माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी मिनी-माइक्रो पन बिजली परियोजनायें स्थापित की गई हैं।

(ग) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने अनेक योजनाओं का पता लगाया है और उन्हें स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात सरकार द्वारा ऐसी कितनी योजनायें भेजी गई हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत स्कीमें इस समय राज्य योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही हैं। देश में प्रचालनाधीन इस प्रकार की 89 परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात की एक स्कीम सहित इस प्रकार की 16 स्कीमों के संबंध में परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई है। गुजरात से प्राप्त प्रस्ताव की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच कर ली गई है तथा टिप्पणियां राज्य प्राधिकारियों को भेज दी गई है।

विवरण

प्रचालनाधीन/मिनी/माइक्रो/लघु जल विद्युत परियोजनायें

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रों की संख्या
1	2	3
पूर्वी क्षेत्र		
1.	हिमाचल प्रदेश	10
2.	जम्मू और कश्मीर	6

3.	उत्तर प्रदेश	23
4.	पंजाब	1
पश्चिमी क्षेत्र		
5.	महाराष्ट्र	2
दक्षिणी क्षेत्र		
6.	आन्ध्र प्रदेश	2
पूर्वी क्षेत्र		
7.	दामोदर घाटी निगम	1
8.	सिक्किम	3
9.	पश्चिम बंगाल	7
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
10.	असम	1
11.	मणिपुर	3
12.	मेघालय	2
13.	नागालैण्ड	1
14.	त्रिपुरा	3
15.	अरुणाचल प्रदेश	22
16.	मिजोरम	1
17.	उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम	1
	जोड़	89

[हिन्दी]

लघु और कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

*421. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और कुटीर उद्योगों को उचित मूल्यों पर कच्चा माल समय पर सप्लाई नहीं किया जाता है, और

(ख) यदि हां तो उन्हें उचित मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) लघु और कुटीर उद्योगों को दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति उनकी मांग और उपलब्धता के अनुसार की जाती है। सरकार द्वारा उचित कीमतों पर लघु क्षेत्र को कच्चे माल की व्यवस्था करने के लिए किए गए कुछेक उपाय निम्न प्रकार हैं—

(1) ई० सी० ग्रेड ऐलुमीनियम केबल और कंडक्टरों के लघु उत्पादकों को आवंटित किया जाता है और यह कीमत ऐलुमीनियम नियंत्रण आदेश, 1970 के अनुसार नियंत्रित की जाती है।

(2) जहां तक लोहा और इस्पात का सम्बन्ध है, आपूर्तियां सामान्यतया लघु उद्योग निगम के माध्यम से की जाती हैं और कीमतें संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

(3) आयातित ताड़ वसीय अम्ल छोटे पैमाने पर साबुन का उत्पादन करने वालों को राज्य सरकार के नामितों सामान्यतया लघु उद्योग निगम। के माध्यम से वितरित किया जाता है और रिलीज कीमत देश भर में एक ही होती है।

(4) पैराफीन मोम राज्य सरकारों की सिफारिशों पर निर्धारित कीमत पर इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा लघु एककों को वितरित की जाती है।

[अनुवाद]

तेल का उत्पादन

*422. श्री आर० एस० माने
श्री सोमनाथ रथ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष तेल का उत्पादन कितना कम रहता है ;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, कच्चे तेल की कितनी कमी होने की संभावना है ; और

(ग) क्या सन् 2000 ई० से पहले बम्बई हाई से तेल का उत्पादन अधिकतम स्तर पर पहुंच जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) कच्चे तेल के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। छठी योजना में 93.4 मिलियन मी० टन के लक्ष्य के

मुकाबले 102.8 मिलियन मी० टन उत्पादन हुआ। 1985 86 में 30 14 मिलियन मी० टन लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक उत्पादन 30.17 मिमी० टन हुआ।

(ख) 1986-87 से 1989-90 तक कच्चे तेल के उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	(मि० टन में)
1986—87	30.21 (बी० ई०)
1987—88	30.46 (अस्थायी)
1988—89	31.90 (सातवीं योजना)
1989—90	34.53 (कागजात के लक्ष्य)

आशा है कि ये लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे।

(ग) जी हां।

औषध कंपनियों द्वारा अर्जित अनभिप्रेत लाभ की वसूली

*423. डा० बी० एल० शैलेश
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अनेक औषध कंपनियों द्वारा पिछले सात वर्षों के दौरान उनके द्वारा निर्मित विभिन्न औषध फार्मूलेशनों से अर्जित किये गए अनभिप्रेत लाभ, जिसे उन्होंने औषध मूल्य समीकरण लेखे (ड्रग प्राइसेराइक्विलाइजेशन अकाउन्ट) में जमा न करके प्राप्त किया है, वसूल करने के लिए एक प्रमुख अभियान चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के क्या क्या नाम हैं और इसमें कितनी धन राशि अन्तर्गस्त है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस धनराशि की वसूली के संबंध में किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सरकार ने ऐसी अनेक औषध उत्पादन कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अधीन गठित औषध मूल्य समीकरण खाते भुगतान करना है।

(ख) इस प्रकार जारी किए गए नोटिसों के आधार पर ब्यौरे प्राप्त करने के पश्चात्, देय राशि का निर्धारण करने से पूर्व खरीद की दर तथा प्रपुंज औषधों के उपयोग की जांच की जानी

अपेक्षित होती है। जिन कंपनियों से संबंधित राशियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	प्रपुंज औषध का नाम	देय राशि (रु० लाख
1.	फुलफोर्ड इंडिया लि०	जैंटामाइसिन	194.62
2.	लुपिन लैब्स	रिफाम्पिसिन	215.89
3.	बायोकेम फार्मा लि०	जैंटामाइसिन	33.88
4.	बायोकेम फार्मा लि०	रिफाम्पिसिन	34.28
5.	इथिको ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कं०	रिफाम्पिसिन	141.00
6.	रैनबैक्सी लैब्स	रिफाम्पिसिन	36.23
7.	लिका लैब्स	बैंटामाइसिन	27.47

(ग) वसूली की प्रक्रिया कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पश्चात् मैसर्स फुलफोर्ड इंडिया लि० ने उनसे वसूल की जाने वाली कुल देय राशि में से 25 लाख रुपए की राशि पहले ही औषध मूल्य पंजीकरण खाते में जमा कर दी है।

बागान लगाने को एक प्रमुख राष्ट्रीय विकास गतिविधि मानना

*424. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग का बागानों को एक प्रमुख राष्ट्रीय विकासात्मक और पर्यावरण संबंधी गतिविधि के रूप में मान्यता देने और रक्षित बागानों के लिए बहुत आसान शर्तों पर धन उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) कागज उद्योग ने विचार व्यक्त किया है कि कागज के एककों के लिए उद्योग के सामने आई कच्चे माल की बाधा पर काबू पाने के लिए केवल मात्र दीर्घावधि हल रक्षित बागान हैं। उद्योग ने इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त भूमि को पट्टे पर देने, ब्याज की कम दरों पर वित्त की व्यवस्था करने और कराधान प्रयोजनों के लिए कुल आय से रक्षित बागानों पर किए गये कुल निवेश की पूर्ण कटौती करने की अनुमति देने के लिए आयकर अधिनियम में समुचित व्यवस्था करने का सुझाव दिया है।

(ख) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड ने बंजर भूमि पर वनरोपण करके रक्षित बागान तैयार करने में सामन्य रूप से उद्योग आवेष्टन से सम्बन्धित सभी पहलुओं की जांच करने तथा सरकार के विचारार्थ नीति संबंधी अभ्युपायों पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किय है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

शराब बनाने के कारखानों का बन्द होना

*425. **श्री रेणुपद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत. कुछ वर्षों में शराब बनाने के कई कारखाने काफी समय के लिए बन्द रहे;

(ख) क्या अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग को भी इन सभी वर्षों में हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) से (ग) गत दो वर्षों के दौरान शीरे और अल्कोहल की आपूर्ति उनकी मांग को पूरा करने के लिये अपर्याप्त रही है। हाल ही में आल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन और यू०पी० डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्यात पास शुल्क बढ़ाने के कारण अल्कोहल का काम उठान होने से उत्तर प्रदेश की कुछ आसंवनियों में उत्पादन कार्यकलाप बंद कर दिया गया है।

रसायनिक मदों के उत्पादन स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से, वास्तविक उपयोगकर्ताओं (औद्योगिक) को, अल्कोहल (डीनेचर्ड) के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश से कमी वाले राज्यों को अल्कोहल के निर्यात को सुगम बनाने के उद्देश्य से उ०प्र० सरकार को अल्कोहल के लिये शुल्क ढांचे को सुव्यवस्थित करने की सलाह दी गई है।

विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में विचार-गोष्ठी

*426. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित एक विचार गोष्ठी में लागत में वृद्धि किए बिना निर्धारित समय पर विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में हुए विचार विमर्श के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या सरकार इस विचार गोष्ठी में चर्चा किए गये विषयों की समीक्षा करेगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने भारतीय प्रबंध संस्थान, कैलकत्ता के सहयोग से सितम्बर, 1986 में नई दिल्ली में परियोजना क्रियान्वयन के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला का कार्य क्षेत्र विद्युत परि-परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं था। कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय कार्यशाला की रिपोर्ट तैयार कर रहा है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

निम्न तापीय कार्बनीकरण की तकनीकी /आर्थिक व्यवहार्यता

4280. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के ;माध्यम से एकीकृत निम्न तापीय कार्बनीकरण और संगठित कोक उद्योग की तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार केन्द्रीय ईंधन, अनुसंधान संस्थान के निम्नताप कार्बनीकरण और विनिर्मित कोक तकनालॉजी के आधार पर व्यवसायिक स्तर का कोई समेकित सयंत्र शुरू करने पर अभी विचार नहीं कर रही है। इस्पात संयंत्रों में इस्तेमाल के लिए विनिर्मित कोक के प्रतिदिन 300 टन उत्पादन की एक विकासीय परियोजना पर विचार किया गया था परन्तु इसकी अलाभकर अर्थव्यवस्था के कारण यह विचार त्याग दिया गया। प्रारम्भ में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की निम्न ताप कार्बनीकरण प्रणाली का परीक्षण के तौर पर प्रयोग किया गया था परन्तु कुछ तकनीकी कारणों से इसे छोड़ दिया गया है।

आल इंडिया ब्रिज एण्ड रूफ इम्पलाईज यूनियन द्वारा ज्ञापन

4281. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया ब्रिज एण्ड रूफ इम्पलाईज यूनियन की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त उद्यम की समस्याओं की जांच की है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव किया है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) से (घ) ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के दिहाड़ी पर काम करने वाले तथा अस्थायी

मजदूरों ने विभिन्न सांसदों के माध्यम से एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। इनकी मांगे हैं कि उन्हें स्थायी बनाया जाना चाहिए, उन्हें बी०एच०ई०एल० में काम कर रहे कर्मचारियों के समान मजदूरी और महंगाई भत्ता इत्यादि दिया जाना चाहिए, उन्हें परियोजना/स्थल भत्ता दिया जाना चाहिए, ब्रिज एण्ड रूफ के सभी कार्य ठेकेदारों के माध्यम से नहीं बल्कि विभागीय रूप में किया जाना चाहिए, अन्य उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों के समान उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं दी जानी चाहिए, उन्हें आवास की पर्याप्त सुविधा दी जानी चाहिए और उनके बच्चों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

इन मजदूरों की मांगे युक्तिसंगत नहीं हैं। किसी विशेष स्थल पर कम्पनी के काम समय-बद्ध और अस्थायी किस्म के होते हैं। मजदूरों की भर्ती अस्थायी और काम के अनुसार मजदूरी के आधार पर की जाती है। काम पूरा हो जाने पर प्रचलित कानून के मुताबिक सभी बकाया देय-राशियों का भुगतान करके उन्हें काम से हटा दिया जाता है। अगर इन मजदूरों को स्थायी रूप से ले लिया जाता है तो परियोजना के पूरा हो जाने के बाद बिना काम के ही पैसा देना पड़ेगा। यह न तो सम्भव है और न ही अपेक्षित है।

सात सांसदों को, जिन्होंने इन मजदूरों के मांगपत्र को अग्रसारित किया था, सूचित कर दिया गया है कि इन मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु दिशा-निर्देश

4282. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में काम करने वाले कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो एक ही स्थान पर रहने की अवधि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपनी सामान्य निर्धारित कार्यावधि पूरी कर ली है किन्तु प्रबन्धकों द्वारा उन्हें वहीं पर बने रहने की अनुमति दी जा रही है और सामान्य कार्यावधि पूरी करने के पश्चात भी उन्हीं पदों पर बने रहने के क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में सेवारत कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोल इण्डिया लिमिटेड में हानि

4283. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० में कोयला खानों के मुहानों पर कोयले के कई लाख टन स्टाक का बट्टे खाते में डाला जाना कोल इंडिया लि० को हानि होने का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य कारणों का ब्यौरा क्या है ?

• **ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) :** (क) से (ग) जी, नहीं। कोल इंडिया लि० को वर्ष 1980-81 तक घाटा हो रहा था। वर्ष 1981-82 में इसे 34.20 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। कोल इंडिया लि० का पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटा इस प्रकार था :—

वर्ष	को०इं०लि० का घाटा (रुपए करोड़ों में)
1983-84	242.68
1984-85	78.03
1985-86	अभी खाते तैयार नहीं हुए हैं।

छह कोयला उत्पादक सहायक कम्पनियों में से (जिनमें दो नव गठित कंपनियां हैं) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० को घाटा होता रहा है जबकि वेस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० और सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० को लाभ होता रहा है।

घाटे का मुख्य कारण भारत कोकिंग कोल लि० और ई०को०लि० के उत्पादन में गिरावट है। इस गिरावट के कारण हैं—कठिन भौगोलिक और भूखनन दशाएं, भूमिगत खानों की अधिकता जिनमें उत्पादन लागत अधिक होती है, बिजली सप्लाई में रूकावट, कामगारों की विशाल संख्या, कानून और व्यवस्था की समस्या, आदि। खान-मुहाना स्टाकों को बट्टे खाते डालने में जो घाटा हुआ वह बहुत मामूली है।

कोयला खानों के कामगारों को आधारभूत आवश्यक सुविधाएं और उनकी छंटनी

4284. **श्रीमती सुमति उरांव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृति दे दिए जाने के बावजूद बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र की अनेक कोयला खानों में काम कर रहे श्रमिकों को अभी तक पेय जल, अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल जैसी आधारभूत आवश्यक सुविधाएं प्रदत्त नहीं की गई हैं;

(ख) इन श्रमिकों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कारंवाई करने का विचार है;

(ग) क्या तदर्थ श्रमिकों को नियमित कर्मचारियों के रूप में न खपाकर उनकी छंटनी की जा रही है।

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन छंटनी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में खानों के कर्मचारियों की कार्य संबंधी परिस्थितियों को सुधारने के लिए क्या कल्याणकारी उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) कोयला कंपनियां अपने कामगारों को आवास, जलपूर्ति, चिकित्सा, मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करती हैं। परन्तु कामगारों के रहन-सहन की दशाओं में और उनके जीवन-स्तर में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। कोयला कंपनियां कल्याण कार्यों के लिए नियमित रूप से पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक प्रावधान करती हैं तथा कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति भी कल्याण कार्यों की लगातार पुनरीक्षा करती हैं।

छोटा नागपुर क्षेत्र के संबंध में, निश्चित तथ्य की दृष्टि से, निम्नलिखित सारणी से यह पता चलता है कि उस क्षेत्र में कार्यरत दोनों कोयला कंपनियों के कामगारों के कल्याण के लिए राष्ट्रीयकरण के बाद कितना काम किया गया है :—

	राष्ट्रीयकरण के समय		दिनांक 1-4-1986 को	
	भा०को० को०लि०	से०को०लि०	भा०को० को०लि०	से०को०लि०
उपलब्ध मकान	37383	22850	63591	63150
जलपूर्ति की सुविधा	13150	1,01500	564000	367760
कल्याण कार्यों पर वार्षिक खर्च (रुपए लाखों में)	84	343	1482	3004

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न के इस भाग का उत्तर, इसी प्रश्न के उपर्युक्त (क) और (ख) भाग के उत्तर में निहित है।

ईस्टर्न कोलफील्डस लि० के अधीन खुले मुहाने की खानें

4285. **श्री आनन्द पाठक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोल फील्डस लि० के अधीन कितनी खुले मुहाने की खाने हैं;

(ख) इन खानों में से कितनी खानें लाभ में चल रही हैं और कितनी खानों ने कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया तथा अन्ततः उन्हें बंद करना पड़ा था;

(ग) महवीर खुले मुहाने की खान, रतिबाटी खुले मुहाने की खान, जम्बाद खुले मुहाने की खान जैसी खुले मुहाने की खानों में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(घ) उक्त तीन खुले मुहाने की खानों में कितने कोयले का उत्पादन हुआ;

(ड.) क्या किए गए पूंजी निवेश और उत्पादित कोयले में परस्पर साम्यता है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या समुचित मूल्यांकन और सर्वेक्षण किए बिना गैर-उत्पादक निवेश के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दंडित किया गया है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) ईस्टर्न कोल फील्डस लि० द्वारा शुरू की गई ओपेन-कास्ट परियोजना की संख्या 26 है।

(ख) उपर्युक्त 26 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं भूमि उपलब्ध नहीं होने और अथवा स्थानीय लोगों द्वारा बाधा डालने के कारण शुरू नहीं की जा सकीं। अन्य तीन योजनाओं को प्रतिकूल भू-खनन दशाओं के कारण बंद करना पड़ा था।

(ग) से (ङ) प्रत्येक खान का पूंजी निवेश निम्नलिखित है :—

	(रुपए लाखों में)
रतीबाती	261.40
महावीर	182.80
जम्बाद	अभी मंजूर नहीं।

रतीबाती खान बन्द करने पर रु० 259.40 लाख मूल्य के संयंत्र और उपकरण अन्य परियोजनाओं को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। महाबीर खान से रु० 182.13 लाख के संयंत्र और उपकरण अन्य परियोजनाओं को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

रतीबाती में उत्पादन 1.8 लाख टन था जिसका मूल्य रु० 2.69 करोड़ था और महाबीर में उत्पादन 5.62 लाख टन था जिसका मूल्य रु० 5.93 करोड़ था।

इस प्रकार लागत उत्पादन के मूल्य के अनुरूप ही रही।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बिजली का वितरण

4286. **श्री सैफुद्दीन चौधरी**
श्री अनिल बसु : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बर्दमान जिले में सीधे बिजली वितरण के प्रयोजन के लिए दामोदर घाटी निगम द्वारा घोषित संयंत्र के कमान क्षेत्र के रूप में कितना क्षेत्र आता है;

(ख) दामोदर घाटी निगम के कमान क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितना क्षेत्र आता है जिनके लिए दामोदर घाटी निगम केवल बिजली सप्लाई के लिए वचनबद्ध है और उनके द्वारा प्रभावी सप्लाई की जा रही है; और

(ग) विशेषकर गांव में उन मौजाओं के नाम क्या हैं जिन्हें दामोदर घाटी निगम द्वारा गत तीन वर्षों में बिजली दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दामोदर घाटी निगम पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अलाय इस्पात संयंत्र तथा भारतीय लोहा तथा इस्पात कम्पनी को सीधे तथा इस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड को दिशेरगढ़ सप्लाई कम्पनी के जरिए विद्युत का वितरण करता है ।

(ख) दामोदर घाटी निगम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को सीधे विद्युत की सप्लाई नहीं करता है । ये कार्य पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के उत्तराधिकार के अन्तर्गत आता है ।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण का कार्य दामोदर घाटी निगम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है ।

दिशेरगर पावर सप्लाई, पश्चिम बंगाल द्वारा अधिक प्रभार लिया जाना

4387. **श्री अनिल बसु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिशेरगर पावर सप्लाई, दिशेरगर, पश्चिम बंगाल और दामोदर घाटी निगम के बीच कोई समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम दिशेरगर को बिजली की सप्लाई कर रहा है;

(ख) समझौते का ब्यौरा क्या है और दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रति यूनिट के लिए कितना प्रभार लिया जा रहा है;

(ग) क्या दिशेरगर पावर सप्लाई स्टेशन राज्य बिजली बोर्ड सहित अपने उपभोक्ताओं से जो प्रभार वसूल करता है, वह दामोदर घाटी निगम द्वारा लिए जाने वाले प्रभार से काफी अधिक है;

(घ) यदि हां, तो दिशेरगर बिजली संयंत्र राज्य बिजली बोर्ड और सरकारी उपक्रमों सहित अपने उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट कितनी धनराशि वसूल कर रहा है, और

(ङ) दामोदर घाटी निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्ड और अन्य उपभोक्ताओं को बिजली की सीधी सप्लाई किए जाने के बजाय दिशेरगर पावर सप्लाई को "बिचौलिए" के रूप में अनावश्यक रूप से अतिरिक्त धनराशि वसूल करने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और वर्तमान समझौता तैयार करने की संभावित तारीख क्या है?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कम्पनी और दामोदर घाटी निगम घाटी निमग के बीच 1971 में हुए समझौते के अनुसार जो कि प्रारम्भ में दस वर्ष की अवधि के लिए था और तत्पश्चात जिसे वर्ष प्रतिवर्ष के लिए पुन: वैधीकृत किया गया था। दामोदर घाटी निगम तीन प्वांट पर कम्पनी को विद्युत सप्लाई करता है। 1-6-1986 से लागू की गई स्वीकार्य टैरिफ निम्नानुसार है :—

(1) ऊर्जा प्रभार प्रति किलोवाट आवर	:	24 पैसे
(2) मांग प्रभार	:	61 रुपये प्रति के०वी०ए० प्रति-माह सीमित विद्युत प्राप्ति के लिए 63.50 रुपये प्रति के० वी० ए० सीमित विद्युत से अधिक विद्युत प्राप्त करने के लिए।
(3) इंधन लागत अधिकार	:	27.76 पैसे प्रति किलोवाट आवर।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी काउंसेलों की नियुक्ति

4288. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 60 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति को सरकारी काउंसेलों के रूप में नियुक्त किया जाता है/पारिश्रमिक पर रखा जाता है; और

(ख) क्या सरकारी काउंसेल के रूप में विशेषकर माध्यस्थम् मामलों में नामांकन करने से पहले नामांकित व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य का, विशेष रूप से उसकी जिरह करने की क्षमता का पता लगाने के लिए उसका कोई वैयक्तिक साक्षात्कार किया जाता है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) सरकारी काउंसेल अपनी अर्हताओं, अनुभव, वकीलों के बीच प्रतिष्ठा और दक्षता के आधार पर तथा संबद्ध विभागों और अन्य जानकार स्रोतों के विचार सुनिश्चित करने के पश्चात् नियुक्त किए जाते हैं/पारिश्रमिक पर रखे जाते हैं। इस सम्बन्ध में संबंधित व्यक्ति की आयु सुसंगत तथ्य नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

कलकत्ता के मोहन बागान एथलेटिक क्लब पर विशेष डाक टिकट

4289. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के मोहन बागान एथलेटिक क्लब की शताब्दी के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस टिकट के डिजाइन को अन्तिम रूप भी क्लब के प्राधिकारियों के परामर्श से देगी; और

(ग) उक्त टिकट कब तक जारी करने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस प्रस्ताव को फिलैटलिक सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा। समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद ही डाक टिकट जारी करने के मामले पर निर्णय लिया जाएगा।

(ख) यदि प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जाता है, तो प्रायोजकों द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर डिजाइन आदि को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(ग) यदि इस मामले को अनुमोदित कर दिया जाता है, तो प्रायोजकों के साथ परामर्श करके क्लब की शताब्दी के अवसर पर डाक टिकट जारी कर दिया जाएगा।

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत औषधियों को नियंत्रण मुक्त करना

4290. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत औषधियों को नियंत्रण मुक्त श्रेणी में रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या नियंत्रण मुक्त श्रेणी में आने वाली अधिकांश औषधियों पर 500 प्रतिशत से भी अधिक मूल्य अंकित होता है; और

(ग) यदि हां, तो इन औषधियों पर अधिक मूल्य अंकित किए जाने का क्या मानदंड हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) प्रपुंज औषधों एवं सूत्रयोगों के मूल्य नियंत्रण की पूरी योजना पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में दुर्घटनाएं

4291. श्री एच०जी० रामुलू : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने कुछ ऐसे जंग लगे उपस्कर खरीदे थे जो कार्य-स्थल पर कार्य नहीं कर पाये और उनसे भीषण दुर्घटनाएं हुई तथा मानव जीवन की हानि सहित परियोजना-हानि आदि हुई; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए क्या कारंवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने द्वितीय खान चरण-I परियोजना के लिए मेसर्स एम०ए०एन० (पश्चिम जर्मनी) से 1400 लीटर क्षमता के दो बक्केटव्हील एक्सकेवेटर खरीदे थे। मेसर्स एम०ए०एन० को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के परामर्शदाता मेसर्स राइन ब्राउन कंसल्टिंग ने तकनीकी दृष्टि से योग्य समझा था।

बक्केटव्हील एक्सकेवेटरों को चालू करने के बाद, संविदा की व्यवस्था के अनुसार आठ घण्टे का अधिग्रहण परीक्षण और 1000 घंटे का दीर्घकालीन कार्य-निष्पादन परीक्षण दोनों बक्केट-व्हील एक्सकेवेटरों के संबंध में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। दिनांक 6-10-1986 को जब एक बक्केटव्हील एक्सकेवेटर में एक दरार की मरम्मत का काम चल रहा था तो उसका काउंटर-वेट स्ट्रक्चर गिर पड़ा जिसके फलस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ अन्य घायल हो हो गए।

खान सुरक्षा महानिदेशक, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अधिकारियों की एक समिति तथा पश्चिम जर्मनी के एक विशेषज्ञ ने जो अलग-अलग जांच की उससे यह पता चला कि दुर्घटना का कारण मानवीय भूल थी क्योंकि मरम्मत कार्य शुरू करने के पहले काउंटरवेट बूम को सही स्थिति में लाकर नहीं रखा गया था। खान सुरक्षा महानिदेशक ने नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के पांच अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन प्रारम्भ किया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन अधिकारियों को अदालत में बरी कर दिया है।

राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन

4292. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों के मिट्टी के तेल के मासिक आबंटन में वृद्धि की है;

(ख) क्या उड़ीसा के मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो अक्तूबर से दिसम्बर, 1986 (महीनेवार) तक की अवधि के दौरान उड़ीसा को कुल कितने टन मिट्टी के तेल का आबंटन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) शीतकालीन ब्लाक—नवम्बर 1986 से फरवरी, 1987 तक के लिए उड़ीसा सहित सभी राज्यों/संघी राज्य क्षेत्रों को किरोसिन का आबंटन तदनुरूपी पिछले वर्ष के इस ब्लाक के आबंटन में वृद्धि देकर किया गया है। विशिष्ट एवं खास आवश्यकताओं के लिए तदर्थ-आधार पर भी आबंटन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) अक्तूबर से दिसम्बर 86 तक केरोसिन की कुल 32,910 टन मात्रा को निम्न प्रकार से माहवार आबंटन किया गया है :—

(आंकड़े टन में)

	कुल आबंटन
अक्तूबर, 1986	10,220
नवम्बर, 1986	11,345
दिसम्बर, 1986	11,345
	32,910

नारियल का उत्पादन

4293. **श्री ओ० भूपति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पूरे विश्व में नारियल के उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है;

(ख) क्या खपत की तुलना में नारियल तेल के उत्पादन में गिरावट आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल में पड़े सूखे के कारण 1983-84 में नारियल के तेल के उत्पादन में कमी आई थी, परन्तु अगले वर्ष इसमें वृद्धि हो गई थी। नारियल के तेल की खपत में वृद्धि होती रही है।

भारत कोकिंग कोल लि० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारी

4294. श्री वसुदेव आचार्य : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० में 1982 से अब तक कुल कितने व्यक्तियों को नियोजित/भर्ती किया गया है; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिशत कितना है तथा तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कुल कितने व्यक्ति भर्ती किए गए हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	कर्मचारियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भर्ती व्यक्तियों की कुल संख्या
1982	171420	1410
1983	172326	1039
1984	173688	302
1985	172330	154

वर्ष	कुल कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों का का प्रतिशत	कुल कर्मचारी वर्ग में अनु०जन-जातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत	वर्ष में भर्ती व्यक्तियों में अनु०जातियों के व्यक्तियों का प्रतिशत	वर्ष में भर्ती व्यक्तियों में अनु० जन-जातियों का प्रतिशत
1982	29.97	10.76	3.90	0.92
1983	30.97	10.41	6.44	5.65
1984	30.21	9.87	5.62	2.31
1985	31.07	9.90	9.74	1.94

(ग) भर्ती किए गए उन व्यक्तियों की कुल संख्या का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनकी जमीन पर उसी अवधि के लिए अधिग्रहण किया गया है :

वर्ष	भर्ती किए गए व्यक्ति
1982	217
1983	184
1984	53
1985	43

दूरसंचार परियोजनाएं

4295. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दूरसंचार परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की जानी थी; और

(ख) क्या ये पूरी ही गई हैं और यदि नहीं, तो उन दूरसंचार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अभी पूरी तरह की जानी हैं और उनके कब तक पूरी होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित प्रणालीवार लक्ष्य तथा इस अवधि में वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। दूरसंचार की प्रणालियां निरन्तर किस्म की होती है। कुछ प्रणालियों की उपलब्धि लक्ष्य से अधिक रही तथा कुछ प्रणालियों में लक्ष्य से कम उपलब्धि रही । शेष लक्ष्यों को सातवीं योजना में शामिल किया गया और इस योजना के दौरान इन्हें पूरा करने की संभावना है ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां

	दूरसंचार/प्रणालियां	छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	छठी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां	उतार-चढ़ाव अधिक/कमी
	1	2	3	4
1.	**स्थानीय टेलीफोन प्रणाली**			
1.1.	स्वीचिंग क्षमता (लाख लाइनें)	14.80	9.71	5.09
1.2.	यू०/जी० केबल (लाख पियर पू० कि०मी०)	78.00	58.93	19.07
1.3.	डी०ई०एल०एस० (लाख लाइनें)	13.30	8.82	4.48

	1	2	3	4
1.4.	सब टेलीफोन स्टेशन (लाख नं०)	17.29	11.58	5.71
1.5.	टेलीफोन एक्सचेंज	3500	3278	222
2.	**लम्बी दूरी की प्रणालियां**			
2.1.1	टी०ए०एक्स० (संख्या)	40	12	28
2.1.2	टी०ए०एक्स० क्षमता (लाइनें)	94770	47220	47550
2.1.3	एस०टी०डी० मार्ग (प्वा-टू-प्वा)	60	76	-16 अधिक
2.1.4	मैनुअल ट्रंक बोर्ड (संख्या)	2500	992	1500
2.2	**लम्बी दूरी की संचारण प्रणाली**			
2.2.1	कोएक्सल केबल (मार्ग कि०मी०)	12000	1659	10341
2.2.2	माइक्रोवेव (मार्ग कि०मी०)	16000	5969	10031
2.2.3	यू०एच०एफ० प्रणाली (मार्ग-कि०मी०)	14000	3610	10390
2.2.4	ओपन वायर चै० (संख्या)	7500	6057	1440
3.	**खुली तार एवं टेलीग्राफ**			
3.1	टेलीग्राफ कार्यालय (संख्या)	20000	10794	9206
3.2	लम्बी दूरी के सार्व०टेलीफोन	20000	11774	8226
3.3	टेलेक्स एक्सचेंज (संख्या)	100	51	49
3.4	**टेलेक्स क्षमता (लाइनें)**			
	(क) स्थानीय	22500	17079	542
	(ख) ट्रांजिट	13000	10700	2300
3.5	टेलेक्स कनेक्शन (संख्या)	18300	8270	10030
3.6	वी०एफ०टी० चैनल (संख्या)	7000	5908	1092

आन्ध्र प्रदेश में रामागुण्डम और तमिलनाडु में कल्पक्कम से केरल को बिजली की सप्लाई

4296. **श्री टी० बशीर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र के एककों, आंध्र प्रदेश में रामागुण्डम और तमिलनाडु में कल्पक्कम से केरल को बिजली की सप्लाई उपलब्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितनी बिजली उपलब्ध होती है; और

(ग) बिजली की सप्लाई के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) केरल को अक्तूबर, 1986 महीने के दौरान रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र और कल्पक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र से क्रमशः 35.3 मिलियन यूनिट और 5.7 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त हुई।

(ग) इन विद्युत केन्द्रों से केरल को विद्युत की सप्लाई करने के लिए 400 के०वी० की कुड्डापाह-बंगलौर तथा 220 की मदुराई-साबरीगिर्री और कयाथर-एडमन पारेषण लाइनें पूरी हो गई हैं।

गुजरात में 90 एम०टी०पी०डी० हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना

4297. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद**
श्री आतिश चन्द्र सिन्हा } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की गुजरात रिफाइनरी के लिए एक डिस्टिलेट हाईड्रोक्रेकर संयंत्र के एक हिस्से के रूप में एक 90 एम०टी०पी०डी० हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या इस परियोजना की लागत का अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सरकार को ऐसे संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) गुजरात रिफाइनरी में अतिरिक्त अनुपूरक शोधन सुविधाओं की स्थापना

करने की कुल लागत अनुमानों में जो 620 करोड़ रुपये का है, हाईड्रोजन प्लांट की लागत को शामिल किया गया है। सातवीं योजना में 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(घ) और (ङ) परियोजना के अनुमोदन से पूर्व आई०ओ०सी० द्वारा पूछताछ आरम्भ कर दी गई है क्योंकि बोलियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15-12-1986 है।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश

4298. श्री परसराम भारद्वाज : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति खर्च की गई धनराशि के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में मध्य प्रदेश स्थित इन उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में वास्तविक पूंजी-निवेश के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	के अन्त तक	
	पांचवीं योजना (अर्थात 31-3-79 को)	छठी योजना (अर्थात् 32-3-85)
मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कुल पूंजी निवेश (करोड़ रुपयों में)	1846.13	5396.12
जनसंख्या	521.8 लाख (1981 की जनगणना के अनुसार)	
प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश	354 रुपये	1034 रुपये

पश्चिम बंगाल में डाकघर खोलना

4299. श्री पीयूष तिरकी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में डाकघरों की जिलावार संख्या और जनसंख्या औसत क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्ष-वार और जिला-वार कितने नए डाकघर खोले गए; और

(ग) पश्चिम बंगाल में प्रत्येक चाय बागान में एक डाकघर खोले जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) डाकघरों को खोलना विभिन्न मानदंडों पर आधारित होता है जिनमें जनसंख्या, निकटतम डाकघर से दूरी तथा प्रतिशत के रूप में लागत की तुलना में उससे होने वाली संभावित आय शामिल हैं। इन मानदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों पर ही विचार किया जा सकता है। अत: प्रत्येक चाय बागान में डाकघर खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

	जिला	डाकघरों की संख्या	प्रत्येक डाकघर में औसत जनसंख्या
1.	बंकुरा	464	5117
2.	बुर्दवान	729	6596
3.	बीरभूम	435	4815
4.	कलकत्ता	253	13010
5.	कूच बिहार	304	5827
6.	दार्जिलिंग	180	5591
7.	जलपाईगुरी	265	8329
8	मालदा	298	6829
9.	मिदनापुर	1334	5040
10.	मुर्शिदाबाद	521	7107
11.	पुरुलिया	421	4407
12.	नादिया	438	6797
13.	हुगली	492	7215
14.	हावड़ा	338	8750
15.	पश्चिमी दिनाजपुर	330	7287
16.	24-परगना	1306	8213

विवरण-II

	जिला	खोले गए डाकघरों की संख्या			
		1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
1.	बंकुरा	12	—	—	—
2.	बुर्दवान	6	—	—	—
3.	बीरभूम	5	—	—	—
4.	कलकत्ता	4	1	—	—
5.	कूच बिहार	14	1	—	—
6.	दार्जिलिंग	3	—	—	—
7.	जलपाईगुड़ी	7	—	—	—
8.	मालदा	8	—	—	—
9.	मिदरापुर	17	1	1	—
10.	मुर्शिदाबाद	8	—	—	—
11.	पुरुलिया	6	—	—	—
12.	नादिया	6	—	—	—
13.	हुगली	3	—	—	—
14.	हावड़ा	5	1	—	—
15.	वेस्ट दीनाजपुर	7	—	—	—
16.	24-परगना	48	2	—	—

बल्लारपुर इंडस्ट्रीज द्वारा पुरानी एक्रेलिक फाइबर यूनिट का आयात

4300. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका स्थित किसी बहुराष्ट्रीय बड़ी कम्पनी से पुरानी फाइबर यूनिट के आयात के लिए बल्लारपुर इंडस्ट्रीज और हिमाचल प्रदेश धातु और औद्योगिक विकास निगम ने परस्पर सहयोग करार किया है;

(ख) क्या सरकार ने पुराने संयंत्र के आयात को स्वीकृति दे दी है जबकि नए संयंत्र की लागत इसकी अपेक्षा मामूली अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार के आयातों के रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश धातु और औद्योगिक विकास निगम को एक्रेलिक फाइबर के विनिर्माण के लिए 14 अप्रैल, 1986 को आशय पत्र प्रदान किया गया। निगम ने सूचित किया है कि उनका इस परियोजना को मैं० बल्लारपुर इंडस्ट्रीज के साथ सहायता प्राप्त क्षेत्र में कार्यान्वित करने का विचार है। पुराने एक्रेलिक फाइबर संयंत्र, जिसकी अनुमानित लागत-बीमा-भाड़ा कीमत 15.80 करोड़ रुपये है, के आयात के लिए 28-11-2986 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था और इस आवेदन पर कारंवाई की जा रही है।

रत्नगिरि और सिन्धु दुर्ग जिलों में टेलीफोन प्रणाली

430'. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में रत्नगिरि और सिन्धु दुर्ग में टेलीफोन प्रणाली बहुत ही खराब स्थिति में है और प्राय: जब दिल्ली तथा बम्बई से इन जिलों के स्थानों के लिए कालें बुक की जाती हैं तो सम्बद्ध पार्टियों को यह सूचित किया जाता है कि टेलीफोन लाइनें चालू स्थिति में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इन लाइनों के खराब रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन लाइनों में सुधार लाने क लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं। इन जिलों की टेलीफोन प्रणाली तथा एक्सचेंजों को बम्बई के साथ जोड़ने वाली ट्रंक लाइनें संतो3प्रद ढंग से काम कर रही है। ट्रंक सर्किटों में व्यवधान उत्पन्न हो जाने पर उपभोक्ताओं को यह सूचित कर दिया जाता है कि सर्किट खराब है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा सर्किटों के कार्य का निरन्तर देखभाल की जाती है और यदि कोई खराबी आ जाए तो उन्हें पुन:स्थापित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

बड़े उद्योग गृहों द्वारा अनुसंधान और विकास पर खर्च की गई धनराशि

4302. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े उद्योग गृह गुणवत्ता नियन्त्रण कार्यों के अलावा अनुसंधान और विकास कार्यों पर काफी धन खर्च करते हैं। और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े उद्योग गृहों ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) औद्योगिक एककों द्वारा अनुसंधान और विकास पर किए जा रहे व्यय में पिछले कुछ वर्षों के दौरान वृद्धि दिखायी दी है। इस समय औद्योगिक अनुसंधान और विकास एककों द्वारा किया जाने वाला वार्षिक व्यय 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

(ख) अभी अनुसंधान और विकास क 70 से अधिक ऐसे एकक हैं जो प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च कर रहे हैं और 150 एकक ऐसे हैं जिनका वार्षिक व्यय 25 से 100 लाख रुपये के बीच है।

आटोमोबाइल उद्योग में विदेशी सहयोग

4303. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यात्री कारों, वाणिज्यिक बाहनों आदि जैसे विभिन्न प्रकार के आटोमोबाइलों के सम्बन्ध में आटोमोबाइल उद्योग में कितने और किन-किन देशों के साथ सहयोग किए गए हैं; और

(ख) उनमें से उड़ीसा राज्य में कितने उद्योग कार्य कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) उड़ीसा राज्य में यात्री कारों, वाणिज्यिक वाहनों, दुपहिया और तिपहिया स्कूटरों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त अथवा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत कोई एकक नहीं है।

विवरण

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगी	उत्पाद
1	2	3	4
1.	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता	इसुजु मोटर्स लिमिटेड, जापान	यात्री कार (इंजिन तथा ट्रांसमिशन); वाणिज्यिक वाहन तथा सामान्य उपयोगिता वाले वाहन

1	2	3	4
2.	प्रिमियर आटोमोबील्स लिमिटेड, बम्बई	निशान मोटर कं०, जापान (इंजिन तथा ट्रांसमीशन)	यात्री कारें
3.	स्टैण्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास	आस्टिन रोवर ग्रुप यू०के० (बाडी तथा अण्डर केरेज)	यात्री कार
4.	मारुति उद्योग लिमिटेड, गुडगांव	सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड, जापान	यात्री कार, वैन तथा जीप की तरह के वाहन
5.	सिपानी आटोमोबील्स लिमिटेट, बंगलौर	रिलाएन्ट मोटर कं०, यू०के०	यात्री कारें
6.	डी०सी०एम०—टोएटा लिमिटेड, दिल्ली	टोएटा मोटर कं०, जापान	हल्के वाणिज्यिक वाहन
7.	स्वराज-माजदा लि०, रोपड़	माजदा मोटर कम्पनी, जापान	हल्के वाणिज्यिक वाहन
8.	आल्विन निशान लि०, हैदराबाद	निशान मोटर कम्पनी, जापान	हल्के वाणिज्यिक वाहन
9.	इचर मोटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली	मित्सुबिशी मोटर कम्पनी, जापान	हल्के वाणिज्यिक वाहन
10.	बजाज टैम्पो लिमिटेड, पुणे	डायमलेर बेंज पश्चिम जर्मनी	हल्के वाणिज्यिक वाहन
11.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, बम्बई	आटोमोबाइल पियोगियॉट, फ्रांस	वाणिज्यिक वाहन
12.	सिम्पसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, मद्रास	फोर्ड मोटर कम्पनी, यू०के०	वाणिज्यिक वाहन
13.	अशोक लीलैंड लिमिटेड, मद्रास	बी०एल०, यू०के० तथा हिनो मोटर्स। जापान	वाणिज्यिक वाहन

कर्नाटक की विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना

4304. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में चल रही कितनी विद्युत परियोजनाओं के चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ख) उन विद्युत परियोजनाओं से कुल कितने मेगावाट विद्युत पैदा की जा सकेगी;

(ग) उन विद्युत परियोजनाओं से राज्य की बढ़ती हुई विद्युत की मांग किस सीमा तक पूरी होगी; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कर्नाटक में क्रियान्वित की जा रही किसी विद्युत परियोजना के चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा किए जाने की सम्भावना नहीं है।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सुपर बाजार की शाखायें खोलना

4305. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री दिल्ली में सुपर बाजार की शाखाओं के कार्य करने के बारे में 14 मार्च, 1986 के तारांकित प्रश्न संख्या 286 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां वर्ष 1886-87 के दौरान सुपर बाजार की कई शाखाएं खोल दी गई है; और

(ख) सुपर बाजार की शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सुपर बाजार, दि कोऑपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान अब तक निम्नांकित स्थानों में पांच नई शाखाएं खोली गई हैं :—

1. कालकाजी
2. नेहरू नगर
3. स्वास्थ्य विहार
4. सफदरजंग एंकलेव
5. मयूर विहार

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उसने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, स्थान सम्बन्धी सीमाओं को देखते हुए, अपनी कई शाखाओं में स्वयं-सेवा की प्रणाली शुरू की है।

क्नॉट प्लेस में फल एवं सब्जी विभाग में, उसके वातानुकूलित कर दिए जाने के पश्चात अब स्वयं-सेवा की प्रणाली आरम्भ कर दी गई है। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल स्थित औषधि-भंडार ने 24 घंटे की सेवा आरम्भ कर दी है, जिससे दिन और रात सेवा प्रदान करने वाले औषधि-बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। ग्राहकों की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए शाखाओं के नवीकरण और उन्हें नया रूप देने का कार्य शुरू किया गया है।

कार्यकारी अधिकारियों को प्रौद्योगिकी अन्तरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजना

4306. **श्री सुदर्शन दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पन-बिजली निगम लिमिटेड अपने कार्यकारी अधिकारियों को प्रौद्योगिकी अन्तरण कार्यक्रप के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज रहा है;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न देशों के साथ ऐसे कितने कार्यक्रम चल रहे हैं; और प्रत्येक कार्यक्रम कुल कितने जन-महीनों का है;

(ग) अधिकारियों को अब तक विदेश भेजकर प्रत्येक कार्यक्रम में कितने जन-महीनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया;

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित अधिकारियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों द्वारा कुल कितने जन महीनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया;

(ङ) भाग (ग) में उल्लिखित अधिकारियों की तुलना में भाग (घ) के अधिकारियों की प्रतिशतता क्या है; और

(च) क्या यह सरकार की नीति के अनुसार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-एक के संबंध में प्रि-इंजीनियरी के लिए कनाडा के मैसर्ज एस० एन० सी०/ए० सी० आर० ई० एस० के साथ राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० के द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौते में कनाडा में प्रौद्योगिकी के अन्तरण कार्यक्रमों के लिए 60 जन-महीनों की व्यवस्था है।

चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-एक के क्रियान्वयन के लिए मैसर्स एस० एन० सी०/ए० सी० आर० ई० एस० मेराइन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और केनेडियन जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, कनाडा के साथ अगस्त, 1984 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा हस्ताक्षर किए गए

समझौते में कनाडा और फ्रांस में प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए 750 जन महीनों की व्यवस्था है।

(ग) प्रौद्योगिकी के अन्तरण के इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अक्तूबर, 1986 तक कुल 321 जन महीने पूरे हो गए हैं।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर में बताए गए 15.5 महीनों में जो कि कुल जन महीनों का 4.83% बैठते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अधिकारी शामिल थे।

(च) यद्यपि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को भेजने के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं किया गया है, फिर भी कार्य की आवश्यकताओं तथा अभ्यार्थियों की पात्रता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यार्थियों को भेजने के संबंध में समुचित ध्यान रखा जाता है।

त्रिवेन्द्रम में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

4307. श्री ए० चार्ल्स : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के त्रिवेन्द्रम जिले में मेडिकल कालेज क्षेत्र में एक नया टेलीकाम इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए एक्सचेंज स्थापित करने की प्रस्तावित तारीख क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) त्रिवेन्द्रम में मेडिकल क्षेत्र कालेज के लिए 10,000 लाइनों का एक ई-10 वी० स्थानीय डिजिटल इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज का आवंटन किया गया है। इस एक्सचेंज के लिए वैसे एक नये भवन का निर्माण किया जाना है जिसके आठवीं योजना में तैयार किए जाने की सभावना है। तदनुसार, यह एक्सचेंज आठवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किया जाएगा।

हल्दिया में कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना

4308. श्री सत्यगोपाल मिश्र :: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया में (इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनीज द्वारा) कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) हल्दिया, पश्चिम बंगाल में कास्टिक सोडा, तरल क्लोरीन आदि का निर्माण करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के आवेदन को एम० आर० टी० पी०/फेरा स्वीकृतियों की शर्त पर अनुमोदित किया गया है ।

डाकघरों द्वारा मनीआर्डर स्वीकार करना

4309. श्री पी० एम० सईद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या डाकघरों में मनीआर्डरों को केवल रुपयों में ही स्वीकार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा—43 में केन्द्र सरकार को मनीआर्डरों से संबंधित नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं । भारतीय डाकघर नियम 1933 (नियम 110 से 142 तक) में उन शर्तों को परिभाषित किया गया है जिसके अधीन मनीआर्डर सेवा का संचालन किया जाता है । अब सरकार ने निर्णय किया है कि मनीआर्डर केवल रुपयों में ही जारी किए जा सकते हैं और भारतीय डाकघर नियम 1933 के उपनियम 110 में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है :—

"वह राशि जो किसी एक मनीआर्डर से भेजी जा सकती है, 1000/-रु० से अधिक नहीं होगी और उसमें रुपये की कोई खण्ड राशि शामिल नहीं होगी ।

नारियल जटा उद्योग में नियुक्त श्रमिक

4310. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में नारियल जटा उद्योग में नियुक्त श्रमिकों की संख्या के बारे में आंकड़े हैं?

(ख) यदि हां, तो भारत में विशेष रूप से केरल में इस उद्योग में नियुक्त श्रमिकों की संख्या क्या है; और

(ग) भूसे की अन-उपलब्धता के कारण उत्पादन क्षेत्र में इस समय कितने नारियल जटा श्रमिक बेरोजगार हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां । देश में नारियल जटा उद्योग में नियुक्त श्रमिकों की कुल अनुमानित सं० पांच लाख है जिसमें से 4.75 लाख श्रमिक केरल में हैं ।

(ग) भूसे को अन-उपलब्धता के कारण उत्पादन क्षेत्र में किसी भी श्रमिक के बेरोजगार होने की सूचना नहीं मिली है।

मृदु इस्पात ट्यूब गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 1978 का उल्लंघन

4311. श्री मुख्तार हसन
श्री वी० श्री निवास प्रसाद
प्रो० चन्द्र भानु देवी } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मृदु इस्पात ट्यूब गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 1978 के अनुसार छिड़काव सिंचाई प्रणाली के अतिरिक्त आई० एस० 1239 के अन्तर्गत निर्धारित मानक स्तर से कम मोटाई की मृदु इस्पात ट्यूबों का निर्माण भण्डारण अथवा विक्रय अथवा वितरण नहीं किया जा सकता;

(ख) क्या भारतीय मानक संस्था में हाल ही में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करते हुए छिड़काव सिंचाई प्रणाली के अलावा अनेक प्रयोजनों के लिए आई० एस० 1239 के अन्तर्गत निर्धारित मोटाई से कम मोटाई की मृदु इस्पात ट्यूबों की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) मृदु इस्पात (माइल्ड स्टील) ट्यूब गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 1978 में उन ट्यूबों की न्यूनतम मोटाई निर्धारित की गई है, जिनका उपयोग वाष्प, जल, गैस तथा वायु के वहन के लिए किया जा सकता है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में छिड़काव द्वारा, सिंचाई करने की प्रणाली का कोई हवाला नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि विदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित ट्यूबों को कुछ नई किस्में बाजार में आ गई थीं, जिसकी मोटाई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 1978 में विनिर्दिष्ट मोटाई से कम थी, अतः उनके लिए एक अलग भारतीय मानक निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इन पाइपों, जिनका उपयोग जल के संवहन के लिए किया जाना है, की ढुलाई आसानी से की जा सकती है तथा इन्हें शीघ्र जोड़ा और खोला जा सकता है। उनकी उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन पाइपों के लिए हाल ही में भारतीय मानक विनिर्दिष्ट प्रकाशित की गई है। अब प्रकाशित किए गए भारतीय मानक में नए पाइपों को न केवल छिड़काव द्वारा सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है बल्कि उन क्षेत्रों में भी दी गई है, जहां पर प्रयोक्ताओं की प्रमुख आवश्यकता परिवहन और शीघ्र जोड़ने तथा तथा खोलने के मामले में आसानी की हो। ऐसे क्षेत्र नीचे दिए गए हैं :—

(क) सिंचाई, जिसमें छिड़काव द्वारा सिंचाई शामिल है;

(ख) सिविल इंजीनियरी तथा निर्माण परियोजनाओं में निर्माण स्थल पर जल की आपूर्ति, निर्माण स्थलों पर कंप्रेस्ड एयर पाइप लाइनें तथा नेटवर्क;

(ग) अस्थायी अथवा आपातकालीन जल सेवा;

(घ) पानी निकालने की लाइनें (नलकूप);

(ङ) बाढ़ राहत कार्यों में पानी की निकासी;

(च) खान में खुदाई, खनिज की साज-सम्भाल करने में छिड़काव के माध्यम से धूल को दबाना;

(छ) औद्योगिक पाइप लगाने की प्रणाली, जिसमें सफाई करने अथवा पुनः समरेखण (रिएलाइनमेंट) के लिए समय-समय पर पुर्जे खोलने की आवश्यकता होती है;

(ज) जलस्रोत (वैल प्वाइंट) पर जल निकालने के तंत्र;

(झ) मत्स्य-पालन में वायु-मिश्रण; और

(ञ) अग्नि की रोकथाम तथा शमन (कोयला यार्ड/कोयले की खदानों, टालों/कागज की मिलों के लिए कच्चे माल के बाड़े)।

आई० एस० : 1239 में निर्धारित मानक नियमित जल आपूर्ति योजनाओं हेतु पाइपों के माध्यम से जल का वहन करने से संबंध रखते हैं। चूंकि नए संदर्भाधीन पाइपों के प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है, अतः गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 1978 उन पर लागू नहीं होता है।

गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारियों की समान सेवा निवृत्त आयु

4312. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्च योग्यता प्राप्त व्यावसायियों और इंजीनियरों को रोजगार देने के उपाय के रूप में सरकारी क्षेत्र की भांति गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की समान आयु निर्धारित करने की दृष्टि से कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार के विचाराधीन इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी

4313. श्री कमला प्रसाद सिंह
श्री डालचन्द जैन
} : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में प्रकाशित की गई दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी के बारे में शिकायतों की जानकारी है जिसके बारे में कहा गया है कि इसकी छपाई और प्रकाशन अत्यन्त खराब है और इसमें काफी बड़ी संख्या में प्रयोक्ताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी 1986 अत्यधिक सावधानी के साथ मुद्रित की गई है। डायरेक्टरी के टाइप का आकार तथा पृष्ठों का आकार पुरानी डायरेक्टरी जैसा ही है। इस डाइरेक्टरी की समाचार-पत्रों तथा जनता ने खुलकर तारीफ की है। यद्यपि, डाइरेक्टरी में चूंकि पांच लाख से अधिक प्रविष्टियां की गई हैं, अतः यह संभव है कि अत्यधिक सावधानी बरतने के बावजूद कुछ प्रविष्टयां रह गई हों।

डाइरेक्टरी की किसी प्रति में किसी प्रकार की कमी होने पर मुद्रक द्वारा तत्काल बदली जाती है।

(ख) खुर्शीदलाल भवन, नई दिल्ली में कंप्यूटरीकृत डाइरेक्टरी प्रविष्टि शुद्धिकरण काउन्टर खोला जा रहा है। जब कभी किसी गलती की जानकारी होती है, उसका शुद्ध रूप कंप्यूटर में फीड किया जाता है ताकि अगले संस्करण में फिर गलती न हो।

असम के तेल क्षेत्रों के लिए अपशिष्ट पदार्थ उपचार संयंत्र

4314. श्री एम० आर सैकिया : क्या तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के सभी तेल क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थों के उपचार संयंत्र हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रदूषण को रोकने हेतु असम के सभी तेल क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थ उपचार संयंत्रों का निर्माण करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) संक्षेप में ओ० एन० जी० सी० और ओ० आई० एल० के आसाम के तेल क्षेत्रों एफ्लूएंट ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ओ० एन० जी० सी० ने लाकवा के तेल क्षेत्रों में एक एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ई० टी० पी०) भी स्थापित किया है जहां अधिकतर एफलूएंट उत्पादित किया जाता है। रुद्रसागर में एक और ई० टी० पी० की स्थापना की जा रही है जो 1988 तक पूरा होने की संभावना है। ओ० एन० जी० सी० का गेलेकी और अन्य क्षेत्रों में मोड्यूलर पोर्टेबल

यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार के दो यूनिटों के लिए पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं।

आपत्तिजनक कालों के बारे में शिकायतें

4315. **श्री यू० एच० पटेल**
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जन साधारण से उनके टेलीफोनों पर आपत्तिजनक काल मिलने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में एक्सचेंज-वार ऐसी कितनी शिकयतें प्राप्त हुई;

(ग) शिकायतें किस् प्रकार की हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां। कभी कभार इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो जाती हैं।

(ख) से (घ) देश में 10,000 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं और फिलहाल ऐसे आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। अत: यह जानकारी दे पाना संभव नहीं है। वैसे जब कभी भी व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो गुण दोष के आधार पर उनकी जांच की जाती है और समुचित कार्रवाई भी की जाती है।

एक संयुक्त स्टाक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को सरकारी कम्पनी के सामान माने जाने के मापदण्ड

4316. **श्री वी०एन० गाडगिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक संयुक्त स्टाक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को सरकारी कम्पनी के समान माने जाने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या इस प्रकार की कम्पनियों के स्वरूप का निर्धारण करते समय राज्य सरकारों और राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गये पूंजी निवेश को भी हिसाब में लिया जाता है; और

(ग) क्या ऐसी कम्पनियां भी हैं जिनमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कुल मिला कर 90 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं किन्तु उन्हें फिर भी सरकारी कम्पनियों के समान नहीं समझा जाता ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत "सरकारी कम्पनी समझे जाने" की कोई परिभाषा नहीं है तथापि, कम्पनी अधिनियम की धारा 619, जो सरकारी कम्पनियों पर लागू होती है तथा उस कम्पनी पर भी लागू होती है जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक या उसके कोई संयुक्त संघटक द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी का 51% से कम नहीं धारित है, अगर वह सरकारी कम्पनी जैसी ही थी, नामश :—

(क) केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक सरकारी कम्पनियों;

(ख) कोई राज्य सरकार या सरकारों और एक या अधिक सरकारी कम्पनियों;

(ग) केन्द्रीय सरकार, एक या अधिक राज्य सरकारों और एक या अधिक सरकारी कम्पनियों;

(घ) केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्वी या नियंत्रित एक या अधिक निगमों;

(ङ) केन्द्रीय सरकार एक या अधिक राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्वी या नियंत्रित एक या अधिक निगमों;

(च) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वी या नियंत्रित एक या अधिक निगमों;

(छ) एक से अधिक सरकारी कम्पनी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन

4317. श्री रामधन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सितम्बर/अक्तूबर, 1986 में पिछले आयोग की अवधि समाप्त होने पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार पैदा हुए अन्तराल को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार का इस आयोग को शीघ्र ही पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है।

रुग्ण सरकारी उपक्रमों को बन्द करने के बारे में योजना आयोग के सुझाव

4318. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्र के कुछ रुग्ण उपक्रमों को बन्द कर देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन रुग्ण एककों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने स्वदेशी पूंजीगत माल का निर्माण करने वाले उद्योगों को बचाने के लिए कुछ उपाय सुझाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) ऐसा कोई विशेष सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सचिव (योजना) की अध्यक्षता में गठित सचिव दल ने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा पूंजीगत माल के आयात में कमी करने के लिए नीति सम्बन्धी रूपरेखा विषयक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सिफारिशों के अन्तर्गत मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाने, सरकारी क्षेत्र में पूंजीगत माल के विनिर्माताओं की क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा प्रयोक्ता क्षेत्रों के साथ कारगर सहलग्नता विकसित करने की दिशा में दीर्घावधिक एवं सतत उपागम के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के पूंजीगत माल विनिर्माताओं की क्षमता का बेहतर उपयोग किया जाए। सरकार ने व्यापक रूप से सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा सम्बद्ध मंत्रालयों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेशित किया है ।

माल भाड़े में वृद्धि का प्रभाव

4319. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा माल भाड़े में हाल ही में की गई वृद्धि का औद्योगिक सामान और कच्चे माल पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इससे लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचकांक के मामले में

1-12-86 से भाड़े में संशोधन के प्रभाव का रेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रकार से अनुमान लगाया गया है :—

वस्तु	थोक मूल्यों के सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि (प्रत्यक्ष)	थोक मूल्यों के सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि (योग)
कोयला	0.072	0.169
लोहे तथा इस्पात की प्लेटें	0.008	0.038
लोहे तथा इस्पात की संरचना	0.006	0.039
एच०एम० डीजल तेल	0.019	0.019
मिट्टी का तेल	0.012	0.012*
पेट्रोल	0.006	0.006*
सीमेंट	0.023	0.032
उर्वरक	0.023	0.100
चूना पत्थर	0.021	0.021*
नमक	0.001	0.001*

*ये कालम 2 से लिए गए प्रत्यक्ष प्रभाव के आंकड़े हैं क्योंकि कुल आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

गुजरात के गावों का विद्युतीकरण

4320. श्री भरत कुमार ओडेदरा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में 31 अक्तूबर, 1986 तक 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गावों में बिजली पहुंचाई गई है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष में कितना लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 31 अक्तूबर, 1986 तक गुजरात राज्य में 17268 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1986-87 के लिए योजना आयोग ने गुजरात में 900 गांव विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है।

नकली सीमेंट का उत्पादन

4321. श्री पी०ए० एंटनी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नकली सीमेंट के उत्पादन को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि वह घटिया सीमेंट के उत्पादन को रोकने के लिए विधान बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित विधान का आशय सीमेंट तथा सीमेंट जैसी अन्य सामग्री के बीच अन्तर करना है जिससे कि उत्पादकों और विक्रेताओं द्वारा सीमेंट के रूप में या सीमेंट के साथ मिलाकर अथवा अकेले सीमेंट जैसी अन्य सामग्री बनाये जाने और/अथवा बेचे जाने पर रोक लगाई जा सके ।

भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानान्तरित करना

4322. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम के राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय को इसके वर्तमान स्थल से स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्यालय को स्थानान्तरित करने से प्रतिवर्ष किराये के रूप में 6 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय होगा;

(घ) इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने 21 मई, 1986 को एक ज्ञापन किया था; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई स्थान छोड़ा/खाली नही किया जा रहा है ।

जोनल समितियों का पुनर्गठन करना

4323. **श्री आर० जीवारथिनम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जोनल समितियों, जो तेल और गैस की एजेंसियां देने का कार्य करती हैं, के कार्यकरण को चुस्त बनाने के न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करके इसका पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को रखे जाने की व्यवस्था को जारी रखने का प्रस्ताव है।

धमन भट्टी उद्योग के लिए विकास समिति

4324. श्री श्रीहरि राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धमन भट्टी उद्योग के लिए एक विकास समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) इन्फेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री के धमन भट्टी प्रभाग के साथ विचार-विमर्श करके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में दिहाड़ी श्रमिकों की मजदूरी

4325. श्री मुरली धर माने : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में बहुत बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर नियोजित हैं, जिनकी इसी तरह के काम के लिए नियोजित नियमित कर्मचारियों की तुलना में मजदूरी और सेवा शर्तें भेदभावपूर्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) सरकार ने इस भेदभाव को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दैनिक मजदूरी के भुगतान और सेवा शर्तों के मामले में सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यम एक समान नियम अपनायें, क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री० के०के० तिवारी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

काली बाड़ी, दिल्ली में कर्मचारियों को मकानों का आबंटन

4326. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एण्ड टी० कालोनी, काली बाड़ी, दिल्ली में 32 नवनिर्मित और विधिवत पूरे हुए, मकान खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये मकान किन कर्मचारियों को आवंटित किये जाएंगे; और

(ग) इन मकानों के आवंटन में देरी के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं। हालांकि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने डाक व दूरसंचार विभाग के लिए टाईप-1 से 32 क्वार्टरों का निर्माण कर लिया है लेकिन ये क्वार्टर अभी सी०पी०डब्ल्यू०डी० ने सरकार को नहीं सौंपे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र के उपकरणों और सेवाओं के स्वदेशीकरण सम्बन्ध ग्रुप द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग

4327. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल क्षेत्र के उपकरणों और सेवाओं के स्वदेशीकरण सम्बन्धी ग्रुप द्वारा भारत और विदेशी कार्यालयों के बीच संयुक्त उद्यमों और तकनीकी सहयोग के कितने करारों को स्वीकृति दी गई है; और

(ख) भारतीय उद्योग में टैक्नोलोजी को अपनाने तथा उसके प्रकार को तेज करने तथा उद्योग में सार्थक और सफलतापूर्वक अनुसंधान और विकास के लिए ठीक प्रकार से संकेत देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ड्रिलिंग सेवायें प्रदान करने के लिए सरकार ने 17 संयुक्त उद्यमों/विदेशी सहयोगों को स्वीकृति दी है।

(ख) तेल क्षेत्र के उपकरणों के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने के विचार से, सरकार ने तेल क्षेत्र के उपकरणों के स्वदेशी निर्माताओं को निम्नलिखित रियायतें दी हैं :—

(1) अगर पेशकश अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी है तो ओ०एन०जी०सी० तथा ओ०

आई०एल० को तेल क्षेत्र के उपकरणों की आपूर्तियों पर निर्यात पर मिलने वाले लाभ सुलभ होंगे ।

(2) उन वस्तुओं के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे-माल तथा हिस्से-पुर्जों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति ।

(3) वर्धित मूल्य पर आधारित 15 से 35% की रेंज में मूल्य अधिमानता ।

लैंड रिग्स, आफशोर प्लेटफार्मों, जेक-अप रिगों, आफशोर सप्लाई वेसल्स, पम्पों एवं कम्प्रेशरों, तेल क्षेत्र के रसायनों, आयल वेल सीमेंट, आदि के निर्माण में देशीकरण किया गया है। तेल क्षेत्र की सेवायें प्रदान करने के लिए, प्रसिद्ध विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अनेक भारतीय कम्पनियां भी आगे आई हैं ।

दिल्ली और अन्य राज्यों में कुटुम्ब न्यायालय

4328. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि 20 नवम्बर, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है, क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी प्रकार के वैवाहिक मामलों से निपटते के लिए दिल्ली में तीन कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के लिए कोई नये मार्ग दर्शक सिद्धांत जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और कुटुम्ब न्यायालय वैवाहिक विवादों को, जिनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है, किस सीमा तक शीघ्रता से निपटा पाएंगे ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) दिल्ली में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के लिए सरकार ने न्यायाधीशों के तीन पद मन्जूर किये हैं ।

(ख) और (ग) कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना शीघ्र करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए समय-समय पर राज्य सरकारों को स्मरण कराया गया है । न्यायालय सम्बन्धी औपचारिक कार्यवाहियों का कम से कम आश्रय लेकर वैवाहिक विवादों में सुलह कराने और उनका निपटारा शीघ्र सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियम में उपबन्ध किया गया गया है । यह बात जयपुर में कुटुम्ब न्यायालय के कार्यकरण से स्पष्ट है जिसने 1-1-86 से 31-8-86 तक, अपने समक्ष संस्थित किये गये 1777 मामलों में से 848 मामले निपटाए हैं ।

कोयला उत्पादन के लक्ष्य

4329. श्री गुरुदास कामत
श्री चित्त महाता } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-अक्तूबर, 1986 के दौरान कोयला उत्पादन का लक्ष्य कितना था;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) अप्रैल-अक्तूबर, 1986 अवधि के दौरान कोयले का वास्तविक उत्पादन 87.61 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 82.52 मिलियन टन रहा। इस प्रकार उत्पादन में 4.09 मिलियन टन की कमी आई।

इस अवधि के दौरान लक्ष्य की तुलना में उत्पादन कम होने के यह कारण रहे—अभूतपूर्व भारी वर्षा, बिजली सप्लाई में रुकावट, अनुपस्थित की प्रवृत्ति, नई परियोजनाओं के चालू होने में देरी, आदि।

(घ) कोयला कम्पनियों के निष्पादन की कड़ी निगरानी के अलावा, मानव और मशीनों केबेहतर इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। ये कदम हैं—प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार, आधारभूत सुविधाएं जैसे पर्याप्त बिजली सप्लाई, परियोजनाओं को अधिक तेजी से पूरा करना तथा बेहतर औद्योगिक सम्बन्ध आदि।

पतनमतिट्टा केरल में माइक्रोवेव टावर

4330. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पततमतिट्टा में माइक्रोवेव टावर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या कुछ उपकरणों के उपलब्ध न होने के कारण इस केन्द्र के चालू होने में विलंब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन उपकरणों की सप्लाई शीघ्रताशीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। अभी मैसर्स जी०सी०ई०एल० से रेडियो उपस्कर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) विभाग मैसर्स जी०सी०ई०एल० के साथ बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं। इस फर्म ने अब जनवरी, 1987 में उपस्कर जांच की दृष्टि से देने का वादा किया है।

[हिन्दी]

गौरी गंगा परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार

4331. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौरी गंगा परियोजना के सर्वेक्षण कार्यों में इस समय कुल कितने कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों में कुछ स्थानीय लोग भी हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(घ) क्या यह संख्या पर्याप्त है और यदि नहीं, तो परियोजना कार्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1-10-1986 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित गौरी गंगा जल विद्युत परियोजना के सर्वेक्षण कार्य में 38 नियमित कर्मचारी लगे हुए थे ।

(ख) और (ग) इन 38 कर्मचारियों में से 12 कर्मचारी उत्तर प्रदेश राज्य के थे जिनमें पिथौरागढ़ जिले के 2 कर्मचारी थे ।

(घ) गौरीगंगा जैसे नये स्थलों पर किसी भी अतिरिक्त जन-शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को अपनी अन्य परियोजनाओं में उपलब्ध फालतू जन-शक्ति को लगाना है । यदि कोई बाकी रिक्त स्थान बचेंगे तो उन्हें सरकार को वर्तमान नीति के अनुरूप समुचित रूप से योग्य स्थानीय लोगों को भरती करके भरा जा सकता है ।

[अनुवाद]

नेशनल ऑरगेनिक कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पी०वी०सी० रेजिन का मूल्य बढ़ाना

4332. श्री वी० तुलसी राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल ऑरगेनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पी०वी०सी० रेजिन मुख्य रूप से तार केबिलों के निर्माण में प्रयोग में लाई जाने वाली एक मूल प्लास्टिक सामग्री, का मूल्य बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मूल्य वृद्धि का देश में निर्माताओं पर, विशेष रूप से छोटे एककों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) से (ग) नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इम्युनिटी ने 1-10-1986 से पी०वी० सी० रेजिन के मुख्य ग्रेडों का सूची मूल्य (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) 6 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इससे निर्माताओं पर केवल सीमांतरीय प्रभाव ही पड़ेगा।

राज सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की कम खरीद

4333. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की बिक्री अधिक नहीं है;

(ख) क्या क्रमशः उत्तर और दक्षिण से देश के अन्य भागों को चावल और गेहूं की ढुलाई की अधिक लागत के कारण खाद्यान्नों का अन्तिम मूल्य अधिक हो जाता है, जिसके कारण बिक्री कम हो रही है, तथा इसके अलावा कम क्रय शक्ति सहायक कारण हैं;

(ग) सरकार के अनुसार खाद्यान्नों की जगह-जगह पर सप्लाई कम करने के लिए अन्य क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। खाद्यान्नों का कुल उठान, जो 1984 में 133.3 लाख मीटरी टन था, 1985 में बढ़कर 158.0 लाख मीटरी टन हो गया और 1986 के दौरान (अक्तूबर तक) यह 149.9 लाख मीटरी टन बैठता है।

(ख) केन्द्रीय पूल से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न जारी किये जाते हैं। ये मूल्य देश भर में एक-समान होते हैं।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उठान खुले बाजार में उपलब्धता, चल रहे मूल्यों, उपभोक्ता की तरजीहों, आदि जैसे कई एक तथ्यों पर निर्भर करता है।

(घ) सरकार ने सार्वजनिक वितरण के लिए आवंटनों को उदार कर दिया है। ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए तथा आदिवासी क्षेत्रों में रह रही जनता को विशेष राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरण करने के लिए भी और महिलाओं तथा बच्चों के लिए कल्याण योजनाओं में भी खाद्यान्न मुहैया किये जा रहे हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनुसंधान और विकास सम्बन्धी कार्यों में कुप्रबन्ध

4334. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति**
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों में कथित कुप्रबन्ध के बारे में प्रकाशित समाचारों को देखा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बी०एच०ई०एल० ने अनुसंधान और विकास कार्य की प्रौद्योगिकीय नीति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार किया है। अनुसंधान और विकास केन्द्र में उत्पन्न सुविधाओं का उपयोग परीक्षण और विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है। अनुसंधान और विकास प्रयत्नों से विकसित उत्पादों के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए के क्रयादेश पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

औषध इकाईयों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति

4335. **श्री सुभाष यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पेंसिलिन से 6 ए०पी०ए० तथा अन्य सेमी सिंथेटिक पेंसिलिनों का निर्माण करने के लिए अनुमति प्राप्त लघु तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत इकाईयों, दोनों में, की अधिष्ठापित क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु कुछ औषध इकाईयों की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने इस बीच सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। पैन्सिलिन फर्स्ट क्रिस्टल की उपलब्धता का प्रबन्ध करने से पूर्व अन्य बातों के साथ-साथ 6 ए०पी०ए० के उत्पादन के लिए लघु उद्योग क्षेत्र की सक्षमता के निर्धारण के लिए एक दल का गठन किया गया था।

(ख) इस दल में तीन सदस्य थे और इनके नाम नीचे दिये गये है :—

1. श्री पी०एम० मेहता	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
2. श्री एस०एन० पाण्डे	तकनीकी विकास महानिदेशक
3. श्री एस०आर० सिंह	विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय

(ग) और (घ) इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और 6 ए०पी०ए० के उत्पादन के लिए पैंसिलिन जी के आवंटन के लिए इस दल के निष्कर्षों का प्रयोग किया गया है।

बम्बई की एक कम्पनी द्वारा डी०एम०टी० संयंत्र का आयात

4336. श्री एस०एम० गुरड्डी
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि
डा० जी विजय रामा राव
श्री डी०पी० जदेजा
श्री मानिक रेड्डी
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई की एक कम्पनी को डी०एम०टी० संयंत्र वास्तविक लागत से तथा कथित अधिक कीमत पर इसके आयात के लिए आयात लाइसेंस देने के बारे में हाल में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां; तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस कार्य से विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कोई उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आरोप सही नहीं है। आयात के समय प्रचलित नीति के अनुसार डी०एम०टी० संयंत्र के आयात की अनुमति दी गई थी और इस डी०एम०टी परियोजना के लिए अनुमोदित कुल विदेशी मुद्रा अपरिवर्तित रही।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उतठा।

उच्चतम न्यायालय और दिल्ली के अन्य न्यायालयों में वकील चैम्बरों की व्यवस्था

4337. श्री रामभगत पासवान : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वकीलों के लिए स्थान की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा दिल्ली के जिला न्यायालयों में वकील-चैम्बरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार बार एसोसिएशन को, वकीलों के खर्च पर, नए चैम्बरों के निर्माण की अनुज्ञा देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय के लिए, 120 अतिरिक्त वकील-चैम्बरों के निर्माण का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए 2648.18 वर्ग गज का एक भूखंड आबंटित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य भवन के विस्तार के लिए तथा वकीलों के लिए अतिरिक्त चैम्बरों के निर्माण के लिए भूमि अर्जित किये जाने का प्रस्ताव है।

जिला न्यायालयों के लिए तीस हजारी में अतिरिक्त चैंबरों के निर्माण के लिए पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है और लोक निर्माण विभाग/निर्माण कार्य पर विचार कर रहा है। शाहदरा में अतिरिक्त न्यायालयों और वकील चैंबरों के निर्माण के प्रयोजन के लिए 6.02 हैक्टेयर भूमि अर्जित की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उपग्रह संचार स्थानांतरणीय भू-केन्द्रों की स्थापना

4338. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थ उपग्रह संचार स्थानांतरणीय भू-केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) विभाग के पास पहले से उपलब्ध दो आपत कालीन संचार टर्मिनलों के अतिरिक्त दस अन्य टर्मिनल प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इन परिवहनीय आपतकालीन संचार टर्मिनलों से संचार की आपतकालीन मांगें पूरी हो सकेंगी। ग्रामीण संचार की दृष्टि से इसे लागत कार्य साधक नहीं समझा गया है।

(ख) इन दस परिवहनीय आपतकालीन संचार टर्मिनलों को देश के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि उन्हें अल्प सूचना पर संचार व्यवस्था की मांग करने वाले स्थानों में ले जाया जा सके।

कटनी में टेलीफोन केन्द्र का निर्माण

4339. **श्री अजय मुशरान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कटनी में मैक्स एक टेलीफोन केन्द्र के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब स्थापित किया जाएगा और यह कब से काम करना आरम्भ कर देगा; और

(ग) इस केन्द्र के भवन के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां।

कटनी में एम०ए०एक्स०-I का भवन बनाने के लिए राज्य सरकार से एक प्लाट का अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्लाट की उपयुक्तता की जांच की जा रही है। टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त सिद्ध होने पर भूमि अधिग्रहण कर ली जाएगी। सातवीं योजना के अन्तर्गत एक्सचेंज चालू किये जाने का जो कार्यक्रम है उसमें यह एक्सचेंज सम्मिलित नहीं है।

(ग) टेलीफोन एक्सचेन्ज के लिए भवन निर्माण की अनुमति लेने में कुछ समय लगेगा अत: इस वर्ष निधि आबंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

खाना पकाने की गैस के छोटे आकार के सिलेण्डरों का उपयोग आरम्भ करना

4340. श्री विनेश गोस्वामी
डा० जी० विजय रामाराव
श्री मानिक रेड्डी } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का विचार खाना पकाने की गस के लिए छोटे आकार के सिलेण्डरों का उपयोग करना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाना पखाने की गैस की सभी फिटिंग का मानकीकरण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में छोटे एल०पी०जी० सिलेण्डरों में विपणन की पायलट योजना परीक्षण के तौर पर चालू करने का इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जबकि एल०पी०जी० सिलेण्डर की फिटिंग्स जैसे प्रेशर रेगुलेटर और वाल्व की, आवश्यकता पड़वे पर एक कम्पनी का दूसरे कम्पनी के सिलेण्डरों से अदल-बदला या

सके, दृष्टिगत रखते हुए मानकीकरण किया जा रहा है किन्तु, इसके लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है ।

[हिन्दी]

कोयले की ढुलाई के कारण खराब हुई सड़कों को मजबूत बनाने तथा चौड़ा करने के लिए प्राक्कलन

4341. श्री महेन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग से कोयले की ढुलाई के कारण खराब हुई सड़कें (लम्बाई 2950 किलोमीटर और लागत 200 करोड़ रुपये) को मजबूत बनाने तथा चौड़ा करने के प्राक्कलन वर्ष 1982 में वित्तीय स्वीकृति के लिए प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन प्राक्कलनों को वित्तीय स्वीकृति दे दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और वित्तीय स्वीकृति कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राजकीय मार्गों का निर्माण मुख्यतया राज्य सरकारों का दायित्व है और उन्हें ही ऐसी परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु स्रोत्र और साधन ढूंढ़ना चाहिए ।

[अनुवाद]

नैवेली लिग्नाइट निगम के आयातित उपकरणों के मूल्य में वृद्धि

4342. श्री प्रतीश चन्द्र सिन्हा
श्री वी० श्री निवास प्रसाद } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु स्थित नैवेली लिग्नाइट निगम के लिए उन आयातित उपकरणों का मूल्य डिलीवरी में विलम्ब होने के कारण कई गुना बढ़ गया है जिसके लिए वर्ष 1981-82 के आस-पास और उसके बाद विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को निश्चित क्रयादेश दिये गये थे;

(ख) क्या विलम्ब आपूर्तिकर्ताओं के कारण हुआ है;

(ग) क्या संविदा करारों में कमियों के कारण इस विलम्ब के लिए भी आपूर्तिकर्ताओं को मूल्य वृद्धि के लाभ दिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और पार्टियों के बीच दिए गए प्रत्येक करार, पार्टियों की संख्या और उनके नामों तथा मूल निदेशों, मूल्य और प्रत्येक मामले में किए गए आयात, दिए गए मूल्य वृद्धि सम्बन्धी लाभ आदि का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दो ठेकों के मामले में सप्लायरों के कारण देरी हुई लेकिन इस देरी के कारण लागत में कोई वृद्धि नहीं दी गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मिरयालागुडा में माडर्न राइस मिल्स का बन्द किया जाना

4343. **श्री बी०एन० रेड्डी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिरयालागुडा में भारतीय खाद्य निगम की माडर्न राइस मिल्स के सेला (पारबइल) चावल अनुभाग को सम्बन्धित अधिकारियों की अनुमति के बिना बन्द कर दिया गया है और इससे 50 कामगर बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और उन्हें बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है; और

(ग) बन्द यूनिटों को पुन: खोलने और कामगारों को मिलों के बन्द रहने की अवधि का वेतन देने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। नालगोंडा जिले में सूखे के कारण पानी की कमी होने से पारबायलिंग खण्ड ने कार्य नहीं किया था। चूंकि यह चावल मिलिंग परिचालन का एक हिस्सा था इसलिए किसी विशिष्ट हानि का मूल्यांकन नहीं किया जा सका था।

(ग) जब पानी की सप्लाई और कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार होगा तब परिचालन कार्यों के पुन: आरम्भ होने की आशा है।

जब कभी आवश्यकता होती है तब हैंडलिंग ठेकेदार द्वारा नैमित्तिक श्रमिक मुहैया किए जाते हैं, इसलिए पारबायलिंग खण्ड के कार्य न करने की अवधि के दौरान इन श्रमिकों को मजदूरी देने का निगम का कोई दायित्व नहीं है।

रिसाव के कारण बम्बई हाई से तेल की बर्बादी

4344. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल अन्त-क्षेपण तकनीक (वाटर इंजेक्शन टैकनीक) का इस्तेमाल न करने के कारण बम्बई हाई में लगभग 170 लाख एन प्रतिलभ्य तेल रिस करके बर्बाद हो गया है;

(ख) इससे देश को कुल कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है; और

(ग) जलाशय में जल का दबाव बनाए रखने के लिए जल अन्त क्षेपण प्रणाली की व्यवस्था किए जाने तक तेल उत्पादन 2,60,000 बैरल से घटाकर 1,80,000 बैरल प्रतिदिन करने की सिफारिश को न मानने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्टैण्डर्ड मोटर्स रोवर 2000 द्वारा ईंधन की खपत

4345. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेण्डर्ड मोटर रोवर 2000 कम ईंधन की खपत करने वाली कार घोषित किए जाने के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती है;

(ख) यदि हां, तो इसकी ईंधन की खपत कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्टेण्डर्ड मोटर विशेषकर उसके आयातित पुर्जों वाले रोवर 2000 को कम ईंधन की खपत करने वाली कार के लाभ देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 1400 सी०सी० से अधिक क्षमता के इंजन वाली सवारी कार को यदि यह प्रमाण पत्र मिला हो कि 450 कि०ग्रा० वजन के साथ 50 कि०मी० प्रति घण्टे की निरन्तर गति से चलते हुए वह एक लीटर पेट्रोल में कम से कम 15 कि०मी० की दूरी तय कर लेगी तब उसे ईंधन बचाने वाली कार माना जा सकता है। मै० स्टैंड मोटर प्रॉडक्ट्स ऑफ इण्डिया लिमिटेड की "रोवर 2000" नामक कार को निर्धारित मानकों के अनुसार ईंधन बचाने वाली कार प्रमाणित किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं

4346. **श्री महावीर प्रसाद यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की नीति है;

(ख) क्या शिक्षा सुविधाएं विद्यालय स्तर तक ही सीमित है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कालेजों में प्रवेश के लिए इधर-उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसे सरकारी उपक्रम आते हैं, से सम्बद्ध किये जाने के लिए कालेजों की स्थापना करने के सम्बन्ध में उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में बायोगैस विकास परियोजना कार्यक्रम

4347. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बायोगैस विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में अब तक किन-किन जिलों में उक्त संयंत्रों की स्थापना की गई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत, उड़ीसा राज्य के सभी 13 जिलों को सम्मिलित किया है। 1981-32 से 1985-86 के दौरान, स्थापित किए गए जिलेवार संयंत्रों का ब्यौरा और इन वर्षों के दौरान उड़ीसा में इन पर हुए व्यय और 1986-87 के दौरान अब तक दी गई राशि का क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण—I

बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत 1981-82 से 1985-86 के दौरान उड़ीसा में जिलेवार स्थापित संयंत्र

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
	1	2	3	4	5
कटक	2	69	103	406	602
ढेंकानल	2	83	70	102	152
मयूरभंज	3	87	136	400	605
क्योंझार	1	52	83	102	253

	1	2	3	4	5
पुरी	2	81	131	94	158
गंजाम	10	86	159	209	1103
कालाहांडी	7	70	26	403	602
बेलनगीर	—	94	129	74	251
कोरापुट	—	37	55	23	93
बालासोर	—	2	139	61	273
फुलबनी	—	15	23	14	55
सुन्दरगोष	—	41	83	301	564
संबलपुर	—	53	88	601	636
	27	770	1225	2850	5347

विवरण—II

(क) उड़ीसा राज्य में बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत हुआ व्यय:

वर्ष	राशि रुपये (लाख)
1981-82	14.99
1982-83	32.88
1983-84	36.92
1984-85	84.79
1985-86	153.71
(ख) उड़ीसा को बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत, अक्तूबर, 1986 तक दी गई राशि (1986-87 के दौरान)	83.75

नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड के ताप विद्युत केन्द्र से बिजली का वितरण

4348. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिग्नाइट निगम के ताप विद्युत केन्द्र से कितनी बिजली उत्पन्न की जाती है और इसका राज्यों में विशेषतः दक्षिणी क्षेत्र में कितना-कितना वितरण किया गया है; और

(ख) यदि कोई असमानता हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के पहले माइनकट 600 मेगावाट विद्युत केन्द्र से उत्पादित विद्युत को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात तमिलनाडु बिजली बोर्ड को सप्लाई किया जाता है। अप्रैल-अक्तूबर, 1986 के दौरान विद्युत का सकल उत्पादन 2229.88 मिलियन यूनिट था जिसमें से 1699.72 मिलियन यूनिट विद्युत तमिलनाडु बिजली बोर्ड को सप्लाई की गई थी। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के दूसरा माइन कट चरण-I (3×210 मेगावाट) ताप विद्युत केन्द्र की दक्षिणी क्षेत्र में स्थित राज्यों के लाभ के लिए एक क्षेत्रीय विद्युत केन्द्र के रूप में परिकल्पना की गई है; लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों को विद्युत का आबंटन केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार नीचे दिये अनुसार किया गया है :—

आन्ध्र प्रदेश	97 मेगावाट
कर्नाटक	84 मेगावाट
केरल	63 मेगावाट
नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	50 मेगावाट
पांडिचेरी	65 मेगावाट
तमिलनाडु	176 मेगावाट
अनाबंटित	95 मेगावाट
जोड़	630 मेगावाट

दूसरा माइन कट विद्युत केन्द्र की चालू की गई 210 मेगावाट की यूनिट द्वारा अप्रैल-अक्तूबर, 1986 के दौरान 511.61 मिलियन यूनिट (सकल) विद्युत उत्पादन किया गया जिसमें से 393.91 मिलियन यूनिट विद्युत लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों को सप्लाई की गई। दूसरा माइन कट विद्युत केन्द्र की विद्युत आबंटन के सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है।

चीनी का आयात

4349. डा० दत्तासामन्त
श्री टी० बशीर
श्री के० राममूर्ति
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान चीनी की कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा और उसकी दरें क्या हैं तथा किस देश से कितने मूल्य की चीनी का आयात किया जाएगा;

(ख) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान चीनी की कितनी मात्रा का तथा कितने मूल्य की चीनी का आयात क़िया गया और किन-किन देशों से आयात किया गया; और

(ग) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1986-87 में कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) चालू वर्ष 1986-87 (अप्रैल-मार्च) के दौरान आंतरिक खपत की आवश्यकता को पूरा करने के लिएचीनी का आयात चीनी वर्ष 1986-87 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान प्राप्त होने वाले चीनी के उत्पादन पर निर्भर करेगा। चूंकि चीनी वर्ष अभी-अभी प्रारम्भ हुआ है, इसलिए वर्ष 1986-87 के दौरान चीनी के उत्पादन और आयात की जाने वाली मात्रा, यदि कोई हुई, के विश्वस्त अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगी।

(ख) राज्य व्यापार निगम से प्राप्त सूचनानुसार, 1984-85 और 1985-86 (अप्रैल-मार्च) के वर्षों के दौरान क्रमश: लगभग 4.85 लाख मीटरी टन और 20.22 लाख मीटरी टन चीनी का आयात किया गया था और इसका लागत बीमा भाड़ा मूल्य क्रमशः लगभग 110.99 करोड़ रुपये और 446.84 करोड़ रुपये था।

इन वर्षों के दौरान ब्राजील, दक्षिणी कोरिया, फिलीपीन, बुलगारिया, क्यूबा, थाइलैंड, फ्रांस, यू०के०, पश्चिमी जर्मनी, चीन, पोलैण्ड, युगास्लाविया, चेकोस्लवाकिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, नीदरलैंड, हालैंड, आयरलैंड, मलेशिया, वियतनाम और मोरेशियस से चीनी का आयात किया गया था।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर)	चीनी का उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1984-85	61.44
1985-86	70.03 (अनन्तिम)
1986-87	75.00 (अनुमानित)

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आयोडीनयुक्त नमक का वितरण

4350. **श्री एम०एल० झिकराम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गलगण्ड रोग को रोकने के लिए जिन राज्यों में आयोडीनयुक्त नमक का वितरण किया जा रहा है, उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में 1978 से आयोडीनयुक्त नमक का वितरण किया जाना था किन्तु इसे अभी तक वितरित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत देशभर में आयोडीकृत नमक सप्लाई किया जा रहा है। 16 राज्यों ने खाने के प्रयोजनों के लिए गैर-आयोडीकृत नमक की बिक्री पर रोक लगा दी है। इन राज्यों/जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उन राज्यों को आयोडीकृत नमक नियमित रूप से सप्लाई किया जा रहा है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में आयोडीकृत नमक की सप्लाई उन तारीखों से की जा रही है जब से जिलों को गलगण्ड प्रधान क्षेत्र निर्धारित किया गया है तथा गैर-आयोडीकृत नमक को लाने और बिक्री करने पर रोक लगा दी गई है।

विवरण

उन राज्यों/जिलों के नामों की सूची जिन्होंने खाने के प्रयोजनों के लिए गैर-आयोडीकृत नमक की बिक्री पर रोक लगा दी है।

1.	हिमाचल प्रदेश	(संपूर्ण राज्य)
2.	जम्मू और कश्मीर	(संपूर्ण राज्य)
3.	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	(संपूर्ण राज्य)
4.	मणिपुर	(संपूर्ण राज्य)
5.	अरुणाचल प्रदेश	(संपूर्ण राज्य)
6.	नागालैंड	(संपूर्ण राज्य)
7.	मिजोरम	(संपूर्ण राज्य)
8.	सिक्किम	(संपूर्ण राज्य)
9	पंजाब	(गुरदासपुर, रोपड और होशियारपुर)
10.	हरियाणा	(अम्बाला)
11.	उत्तर प्रदेश	(अल्मोड़ा, चमोली, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बस्ती, बिजनौर, देहरादून, देवरिया, बरेली, खीरी, पीलीभीत, गोंडा, गोरखपुर, रामपुर, बहराइच, बदौन, शाहजहांपुर)

12,	बिहार	(चम्पारन, सहरसा, माधेपुरा, पूर्णिया, कठिहार, सारन, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, रांची, गुमला, लोहारडागा, पलामू, दुम्का, गोड्डा, देवघर, साहबगंज)
13.	महाराष्ट्र	(औरंगाबाद, जालेना, वर्धा, अमरावती, बुल्डाना, सतारा, और दुले)
14.	गुजरात	(भड़ौच)
15.	मध्य प्रदेश	(सीधी, शाहडौल, सरगुजा, रायगढ़, खरगांव (पश्चिम निमाड़) बेतौल, खंडवा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मांडला, बिलासपुर और जबलपुर)
16.	पश्चिम बंगाल	(माल्दा, कूच बिहार, पश्चिमी दीनाजपुर, दार्जिलिंग और जलपाइगुड़ी)

[अनुवाद]

कर्नाटक में रुग्ण चीनी एककें

4351. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इस समय कर्नाटक में कितनी रुग्ण चीनी मिलें हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इन रुग्ण चीनी मिलों के पुन: चालू करने के लिए आर्थिक सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मिल-वार ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ने चीनी यूनिटों की रुग्णता की पहचान करने के लिए कोई पैरामीटर तैयार नहीं किए हैं, जोकि कृषि-मौसमी संबंधी बातों सहित कई तथ्यों पर निर्भर करते हैं।

(ख) और (ग) यह मंत्रालय इसके द्वारा चलाई जा रही चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को ऋण सहायता सुलभ करता है। चीनी मिलों के पुनर्वासन/आधुनिकीकरण के लिए ऐसी सहायता वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सहायता के सहायक के रूप में प्रोत्साहकों के भाग में अन्तर की सीमा तक सुगम शर्तों पर उपलब्ध है। खाद्य विभाग में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सहायता प्राप्त कोई स्कीमें नहीं हैं। कर्नाटक की किसी भी चीनी मिल ने चीनी विकास निधि से अब तक पुनर्वासन/आधुनिकीकरण के लिए कोई सहायता नहीं ली है।

[हिन्दी]

फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में किसान सहकारी मिल

4352. श्री राम प्यारे सुमन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले में किसान सहकारी मिल की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उक्त लाइसेन्स को रद्द किया गया था;

(ग) क्या सरकार को उक्त लाइसेन्स पुन: बहाल करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित अकबरपुर में एक नया औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए 20 अप्रैल, 1974 को लाइसेन्स प्रदान किया गया था।

(ख) चूंकि सहकारी समिति लाइसेन्स में निर्दिष्ट समय के अन्दर नया औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए प्रभावकारी पग उठाने में असफल रही थी, इसलिए 18 मार्च, 1978 को लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया था।

(ग) जी, हां। सहकारी समिति ने लाइसेन्स का नवीकरण करने के लिए दिसम्बर, 1978 में अपील की थी।

(घ) निरस्तीकरण आदेश को वापस लेने के लिए नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। सहकारी समिति को 23 दिसम्बर, 1978 को तदनुसार सूचित कर दिया गया था कि पहले से निरस्त कर दिये गये लाइसेन्स का नवीकरण करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित सिविल और दांडिक मामले

4353. श्री के०डी० सुल्तानपुरी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1986 को देश में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मुकदमों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या लंबित मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है; और

(ग) लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा भेजी गई जानकारी, संलग्न **विवरण-I** में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के सम्बन्ध में जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामले

उच्चतम न्यायालय		लंबित सिविल और दांडिक मामले (नियमित और ग्रहण के लिए मामले)	
सिविल		**दांडिक**	
साधारण सिविल अपील	25874	दांडिक अपील	4091
संवैधानिक अपील	611	रिट अर्जियां (दांडिक)	1299
रिट अर्जियां	16184	विशेष इजाजत अर्जियां	4588
विशेष इजाजत अर्जियां	30126		
	72795 +		9978 +

+इनके अतिरिक्त 64882 प्रकीर्ण अर्जियां भी लंबित थी। ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

उच्च न्यायालय	31-12-1985 को लम्बित मामले	
	सिविल	दांडिक
1	2	3
1. इलाहाबाद*	225622	62438
2. आन्ध्र प्रदेश*	87535	2035
3. मुम्बई	104992	7096

1	2	3
4. कलकत्ता	134956	13374
5. दिल्ली*	70511	2904
6. गुवाहाटी	13242	3043
7. गुजरात	36623	5127
8. हिमाचल प्रदेश	10323	610
9. जम्मू-कश्मीर	27272	2750
10. कर्नाटक	85801	1807
11. केरल	110340	7772
12. मध्य प्रदेश	38200	13879
13. मद्रास	145141	13377
14. उड़ीसा	27878	3484
15. पटना	39832	17072
16. पंजाब और हरियाणा*	41315	4283
17. राजस्थान	37185	11736
18. सिक्किम	62	1
	1236830	172788

*इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, दिल्ली तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय सम्बन्धी आंकड़े, 30-6-1986 को यथा विद्यमान हैं।

विवरण-II

लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्य के मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के 31 अगस्त—1 सितम्बर, 1985 को हुए सम्मेलन में सभी न्यायालयों में बकाया मामलों के निपटारे

के विषय में विचार-विमर्श हो गया है और सम्मेलन के संकल्प उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को भेजे गए हैं।

2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील के रूप में लेटर्स पेटेन्ट अपील को समाप्त करने के लिए सन् 1976 में सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया था (देखिए धारा 100क)।

3. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता, वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई।

4. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 10-5-86 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या (जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं है) 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई।

5. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे 1 नवम्बर, 1986 को बढ़कार 434 कर दिया गया है।

6. उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:—

(i) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है;

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं;

(iii) ऐसे रिट पिटीशनों को, जिनमें एक जैसे प्रश्न अंतर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैंच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं;

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न विचाराधीन होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए;

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों का 1966 में पुनरीक्षण करके उसमें यह उपबन्ध किया गया है कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी चूंकि काफी समय लग जाता था, अत: अभी हाल में न्यायालय ने, जहां कहीं भी संभव होता है, अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करके अपील की सुनवाई विशेष इजाजत "पेपर-बुक" पर ही करना आरम्भ कर दिया है, परन्तु यह तब जब उत्तर में दोनों पक्षकार अपने प्रतिशपथ-पत्र और शपथ-पत्र दाखिल कर दें;

(vi) न्यायालय का समय बचाने के लिए, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायालय के समय के पश्चात् मामलों में 'उल्लेख" सम्बन्धी सुनवाई करते हैं जिसमें पहले कम से कम लगभग एक घण्टा लग जाता था;

(vii) दाण्डिक अपीलों में, अपीलार्थियों के काउंसेल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे साइक्लोस्टाइल अभिलेख को, मुद्रित कराने में लगने वाले समय को बचाने के लिए, फाइल करें जिससे कि मामले पर शीघ्र सुनवाई हो सके;

(viii) माननीय चेंबर न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार को कुछ प्रकार के मामलों के निपटाने के लिए, जो कि इससे पूर्व न्यायालय की सूची में रखे जाते थे, सशक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय नियमों को संशोधित किया गया है। न्यायालय का समय बचाने के लिए ऐसा किया गया है।

(ix) विधि की उस शाखा से सम्बन्धित विशेष प्रकार के मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए विशिष्ट न्यायपीठों का गठन किया गया है जिसमें विशिष्ट न्यायपीठ गठित करने वाले माननीय न्यायाधीश विशेषज्ञ होते हैं। इससे विशिष्ट न्यायपीठ को ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने में सहायता मिलती है।

(x) भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने हाल ही में यह निदेश दिया है कि यदि प्रत्येक पक्ष को बहस में पांच घंटे से अधिक समय लगता है तो प्रत्येक मामले में काउंसेल को, लिखित बहस फाइल करनी होगी। ऐसे किसी मामले में मौखिक बहस के लिए प्रत्येक पक्ष के काउंसेल को अब पांच घंटे से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। जिसमें अभी तक अधिक से अधिक दस घण्टे दिए जाते हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों के काउंसेलों द्वारा मौखिक बहस के समय को कम कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप मामले अब शीघ्र निपट जाते हैं।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं:—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

8. विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए ये सिफारिशें संघ सरकार के विचारों सहित उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

9. सरकार ने विधि आयोग को, आवश्यक सुधार लाने के लिए न्यायिक पद्धति का अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायत या किसी अन्य तन्त्र की स्थापना करके, उसका विस्तार करके और उसे सुदृढ़ करके;

(ii) उपयुक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित भाग लेने वाली न्याय पद्धति स्थापित करके;

(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक श्रेणी के भीतर अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके;

न्याय प्रशासन की पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता।

(ख) ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14क में यथा परिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को अपवर्जित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके स्थापन और कार्यकरण से सम्बन्धित विभिन्न विषय;

(ग) प्रक्रिया सम्बन्धी विधियां साधारणतः मामलों के शीघ्र निपटाने, अनावश्यक मुकदमेबाजी को और मामलों की सुनवाई में विलम्ब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया तथा प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद क(i) और क(ii) में परिकल्पित विषयों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना;

(घ) अधीनस्थ न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति का ढंग;

(ङ) न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण;

(च) न्याय प्रशासन की पद्धति को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका;

(छ) ऐसे मानदण्डों को निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना

चाहिए। इसके अन्तर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिए वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है;

(ज) मुकदमेबाजी का खर्च, मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से;

(झ) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन; और

(ञ) ऐसे अन्य विषय जो आयोग उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त या आवश्यक समझे या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

सतना और रीवा के बीच सीधी माइक्रोवेव ट्रंक डायल सेवा

4354. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में सतना और रीवा के बीच सीधी माइक्रोवेव ट्रंक डायल सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : इस समय सतना और रीवा के बीच एस०टी०डी सेवा उपलब्ध नहीं है। वैसे सतना और रीवा को जबलपुर ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ सातवीं योजना अवधि के दौरान एस०टी०डी० सुविधा के लिए जोड़ने की योजना बनाई गई है।

(ख) अभी हाल में अक्तूबर, 1986 में सतना और रीवा के बीच एक यू०एच०एफ० योजना चालू की गई है। सतना और इलाहाबाद के बीच नैरो बैन्ड माइक्रोवेव-लिंक का काम चल रहा है तथा इसके 1986-87 के दौरान चालू करने की योजना है। सतना और रीवा से सर्किटें, एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से इलाहाबाद के रास्ते जबलपुर टी०ए०एक्स० के लिए तैयार की जाएंगी।

तुरीरहित (शटललैस) करघे

4355. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा**
श्री जी० एस० बसवराजू } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की एक फर्म द्वारा कपड़ा बुनने का हाल में विकसित और बाजार में बिक्री के लिए रखा गया तुरीरहित (शटललैस) करघा नामक क्रांतिकारी मशीन भारत में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु टैक्सटाइल मिल्स में यह मशीन लगाई जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो कपड़ा परिष्करणाओं में यह किस सीमा तक उपयोगी होगी और कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण हेतु इस मशीन का प्रयोग शुरू करने के लिए सरकार का क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) संभवतः यह जानकारी, भारतीय टेक्सटाइल मिलों में इटली से आयातित शट्ललैस लूम्स लगाये जाने के सम्बन्ध में, अपेक्षित है। मे० लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लि०, मद्रास ने इटली में 1986 में एक मल्टी फेस वीविंग मशीन का आयात किया है और इसके अधिष्ठापन तथा चालू करने के लिए इटली से एक विदेशी तकनीशियन की नियुक्ति की भी सरकार ने स्वीकृति दी है। भारत में लगाये जाने वाली यह अपने प्रकार की शटललेस लूम है।

टेक्सटाइल पालिसी जून, 1985 के वक्तव्य के अनुसार, सरकार टेक्सटाइल मिलों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देती है और आधुनिक शट्ललेस करघों द्वारा पुराने करघों के प्रतिस्थापन का निर्धारण 1 : 1 के अनुपात में उनके प्रतिस्थापन के आधार पर किया जाता है और कुछ आधुनिक शट्ललेस करघे ओ०जी०एल० सूची के अन्तर्गत आते हैं और आयात नीति की शर्तों के अनुसार इनका आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है। स्वीट्जरलैंड से आयातित शट्ललेस करघे, विशेषकर सुलजेर प्रोजेक्टाइल किस्म के करघे, इटली के शट्लेस करघों की अपेक्षा भारत में अधिक लोकप्रिय हुए हैं। शट्ललेस करघे, देश में भी, अनेक निर्माताओं के पास उपलब्ध हैं।

पंजाब और हरियाणा में गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा धान की वसूली

4356. श्री नित्यानन्द मिश्र
श्री सोमनाथ रथ
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री इन्द्रजीत गुप्त

: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा में धान का मूल्य भारतीय खाद्य निगम और भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन परिसंघ लिमिटेड द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक चल रहा है, यदि हां, तो कितना अधिक चल रहा है;

(ख) क्या धान की अधिकतर मात्रा इन राज्यों में गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा जमा कर ली गई है अथवा की जा रही है;

(ग) क्या इससे भारतीय खाद्य निगम और भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन परिसंघ लिमिटेड के इस वर्ष धान के लिए वसूली लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कमी होने की संभावना है तो वह कितनी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पंजाब और हरियाणा की मंडियों में धान के मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्यों से, कुल मिलाकर, ऊंचे चल रहे हैं। इसके फलस्वरूप, चालू विपणन मौसम के दौरान 27.11.1986 तक पंजाब और हरियाणा की मंडियों में आयी 87.89 लाख मीटरी टन धान में से 63.7 लाख मीटरी टन धान व्यापारियों को बेच दी गई है।

(ग) और (घ) वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि किसानों को समर्थन मूल्य मुहैया करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा धान खरीदी जाती है जबकि सांविधिक लेवी के अधीन मिल मालिकों/व्यापारियों से चावल वसूल किया जाता है।

इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा "मेग" के मूल्य बढ़ाया जाना

4357. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ने मार्च, 1986 से "मेग" के मूल्य 13,500 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर अप्रैल, 1986 में 15,900 रुपये प्रति टन कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। वर्ष 1985-86 के दौरान एम०ई०जी० का मूल्य 15,500 रु० प्रति टन था जिसे इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई०पी०सी०एल०) द्वारा इसके घटकों की लागत में वृद्धि को आंशिक रूप से निष्प्रभावी करने हेतु, दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से 400 रु० प्रति टन बढ़ाया गया था। तथापि, आई०पी०सी०एल० ने फरवरी-मार्च, 1986 के दौरान, बड़ी मात्रा में एकत्र भण्डारों को बेचने लिये 2000 रु० प्रति टन का ट्रेड डिस्काउंट प्रदान किया।

दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की कमी

4358. **डा० पी० वल्लल पेरुमन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी क्षेत्र में मौजूदा बिजली की कमी कितनी है और 2000 ई० में बिजली की कितनी कमी होने की संभावना है;

(ख) क्या दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की कमी को उत्तरी भारत से कोयला लाकर बिजली घर स्थापित करके पूरा किया जाएगा; और

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लिगनाइट का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1986 की अवधि के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी लगभग 12% थी। 2000 ई० में विद्युत की स्थिति का निर्धारण 8वीं और 9वीं योजना अवधियों में विद्युत के कार्यक्रम तैयार कर लिए जाने के बाद किया जा सकता है।

(ख) दक्षिणी क्षेत्र के कोयले पर आधारित ताप विद्युत केन्द्रों के लिए देश की कोयला खानों के साथ लिंक पहले से ही विद्यमान है तथा आवश्यकता होने पर और लिंकों के बारे में भी विचार किया जा सकता है।

(ग) दक्षिणी क्षेत्र में नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन का 600 मेगावाट क्षमता वाला ताप विद्युत केन्द्र-1 पहले से ही प्रचालनाधीन है। क्रमश: 630 मेगावाट और 840 मेगावाट की क्षमता वाले दूसरा माइनकट तथा दूसरा माइनकट विस्तार विद्युत केन्द्र मंजूर कर दिये गए हैं। दूसरा माइनकट केन्द्र में 1 यूनिट चालू कर दी गई है।

उड़ीसा में प्लाईवुड यूनिट

4359. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय किन-किन स्थानों पर कितने प्लाईवुड यूनिट कार्य कर कर रहे हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में और अधिक प्लाईवुड यूनिट खोलने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्लाईवुड के निर्माण यूनिट किन-किन स्थानों पर लगाने का विचार है और इस प्रकार के यूनिटों के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस समय उड़ीसा राज्य के संगठित क्षेत्र में प्लाइवुड का कोई भी एकक उत्पादनरत नहीं है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर, उड़ीसा के बालंगीर और पुरी जिलों में प्लाइवुड एककों की स्थापनार्थ दो अनुमोदन जारी किये गये थे।

उद्योग द्वारा प्रायोजित बिजली परियोजनाएं

4360. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग द्वारा प्रायोजित बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति उन विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दी जाएगी जिन्हें निरन्तर बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य बिजली बोर्डों तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को उपर्युक्त परियोजनाओं के बारे में आपत्तियां हैं; और

(ग) उद्योग द्वारा प्रायोजित ऐसी बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने के लिए किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों को चुना गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विद्युत के उत्पादन तथा विद्युत के वितरण के संबंध में नीति का विनियमन औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के द्वारा होता है। निजी स्वामित्व वाली विद्यमान युटिलिटीज के विस्तार अथवा निजी क्षेत्र में नई यूनिटों की स्थापना पर संकल्प में कोई रोक नहीं लगाई गई है। कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए भी अनुमति दी जा रही है, विशेषकर जहां विद्युत की आवश्यकता अधिक होती है और सतत और विश्वसनीय विद्युत सप्लाई आवश्यक होती है।

विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के विशिष्ट प्रस्तावों पर, उपर्युक्त नीति को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई चयन नहीं किया गया है।

रोजगार में गैर-सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों को प्राथमिकता देना

4361. **श्री राम बहादुर सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र के बन्द यूनिटों के श्रमिकों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम कार्यालय द्वारा कोई परिपत्र जारी किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) से (ग) ऐसा कोई सामान्य निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने के मामले में चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कारखाना बंद करने का निर्णय किया है। अतः सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मध्य प्रदेश में स्थित उपक्रमों को सलाह दी है कि अगर आवश्यक हो तो रोजगार देने में छटनी किये गये कर्मचारियों को उनकी आयु सीमा में छूट देकर और रोजगार में प्राथमिकता देकर उन्हें अधिमान्यता प्रदान की जाए, अगर वे अन्यथा भर्ती के लिए उपयुक्त हैं।

केरल में नई विद्युत परियोजनाएं

4362. **श्री थम्पन थामस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोई पनबिजली अथवा परमाणु या सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केरल की निम्नलिखित जल-विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं/योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं :—

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावाट
ईदामलयार	2×37.5
कक्कड़	2×25
कल्लाडा	2×7.5
लोअर पेरियार	3×60
पइनकुट्टी चरण-1	2×120
मादपट्टी	1×2
मालापुझा	1×2.5
मुवत्सुवुझा	1×6
चिमोनी	1×2.5

केरल में एक न्यूक्लीय संयंत्र स्थापित करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सौर ताप विद्युत विस्तार कार्यक्रमों के अन्तर्गत, केरल में सौर ऊर्जा ताप-विद्युत प्रणालियों को स्थापित करने हेतु निधियों का आबंटन कर दिया गया है और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	प्रणाली	लक्ष्य	आबंटन
1985-86	सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली	12	12.30 लाख रु०
	सोलर टिम्बर किल्नस	1	0.40 लाख रु०
	सोलर डिस्सैलिनेशन प्रणाली	2	0.20 लाख रु०
	सोलर एयर-हीटरस/सोलर कोल्ड स्टोरेज	1	1.00 लाख रु०
	डोमेस्टिक सोलर वाटर हीटिंग प्रणालर	10	0.30 लाख रु०

केरल सरकार द्वारा कार्यक्रम का कार्यान्वियन किया जा रहा है कार्य-स्थलों का चुनाव तथा कार्य का क्रियान्वयन उनके द्वारा सीधे ही किया जा रहा है।

शहद का उत्पादन

4363. **श्री एन० डेनिस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में अनुमानतः कितने मूल्य के शहद और कितनी मात्रा में उत्पादन होता है; और

(ख) देश में शहद उत्पादन क्षमता के समुचित उपयोग और विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में 1984-85 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन 936.25 लाख रु० मूल्य का 55,07,366 कि० ग्राम शहद का उत्पादन हुआ था, इसके अलावा 19,511 कि० ग्राम मोम का उत्पादन भी किया गया था जिसका मूल्य 6. 25 लाख रु० था।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग उपकरणों के वितरण सहित तकनीकी सहायता देने के साथ-साथ मझौली और अर्ध-वाणिज्यिक मधुवाटिकाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता तथा मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास के लिए मधुमक्खी पालकों से शहद की खरीद करने हेतु राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थाओं और मधुमक्खी पालक सहकारी समितियों को कार्यचालन पूंजी ऋण तथा विपणन की सुविधाएं देता है। केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान, पुणे मधुमक्खी पालन क्षेत्रों में स्थित अपने एककों के साथ मधुमक्खियों की नस्ल सुधारने, बेहतर प्रबंध, तकनीकों और उपयोगी पौधों आदि के अध्ययन द्वारा उत्पादकता में सुधार करने का कार्य करता है।

कर्नाटक में शाखा डाकघरों का खोला जाना तथा उनका दर्जा बढ़ाया जाना

4364. **श्री एच० बी० पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान कर्नाटक में मंडल-वार कितने शाखा डाकघर खोलने का विचार है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक में कितने शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप-डाकघर में बदलने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पदों के सृजन पर चल रही निरन्तर रोक के कारण कर्नाटक या अन्य किसी डाक सर्किल में नए डाकघर खोलने का कोई भी कार्यक्रम लागू नहीं किया जा सका। फिर भी, विभाग अतिरिक्त विभागीय प्रणाली की जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा अन्य सम्बद्ध परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए डाक-

घर खोलने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्डों पर पुनः विचार कर रहा है। इसका लक्ष्य यह है कि वार्षिक योजनाओं के अधीन उपलब्ध सीमित साधनों में ही अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा सकें और विशेष मामले के बतौर वित्त मंत्रालय से मंजूर करा लिए जाएं। इस सम्बन्ध में कर्नाटक सहित सभी सर्किलों की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा।

(ख) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को विभागीय डाकघरों में बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि अन्तरण एक गैर-योजना गतिविधि है और इससे पदों के सृजन पर लगी रोक लागू होती है।

इलाहाबाद में डाकघरों का बन्द किया जाना

4365. **श्री अभिताभ बच्चन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति ने देश भर में 35,000 डाकघरों को बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या विभाग का इन सेवाओं को चलाने के लिए इनके स्थान पर डाक एजेन्यिों को लाइसेंस देने का विचार है;

(ग) क्या इलाहाबाद मंडल में कुछ डाकघर बन्द कर दिए गए हैं और कुछ डाकघरों को बन्द करने के लिए कार्यवाही चल रही है किन्तु उनके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि इन डाकघरों की सुविधा तब तक बन्द न की जाए जब तक कि कोई संतोषजनक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दी जाती ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) ऐसी कोई बात नहीं है। अतिरिक्त विभागीय प्रणाली (1986) पर गठित समिति की सिफारिशें इस प्रकार है :—

(एक) तीन किलोमीटर की न्यूनतम दूरी की शर्त पूरी न करने वाले शाखा डाकघरों को बनाए न रखा जाए। इनमें वे डाकघर शामिल नहीं हैं जिनके बारे में महानिदेशक, डाकसेवा ने विशेष प्राधिकार दिया हो।

(दो) जहां शाखा डाकघर ऊंची लागत पर कार्य कर रहे हों, वहां पहला प्रयास यह हो कि विवेकपूर्ण ढंग से ड्यूटियों को मिलाकर स्थापना में कटौती करके खर्च को कम किया जाए।

(तीन) ऐसी धारणा नहीं रहनी चाहिए कि डाकघर स्थायी किया जाना है। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर केवल उस स्थिति में बनाए रखा जाए जब वार्षिक पुन-

रीक्षा से यह स्पष्ट हो जाए कि ग्रामीण डाकघरों को दी गई आर्थिक सहायता में वृद्धि नहीं हुई है।

उपर्युक्त सिफारिशों से ऐसा समझना अनिवार्य नहीं है कि डाकघरों की पूर्व निर्धारित संख्या को कम ही कर दिया जाएगा। इस सिफारिश के पीछे यह भावना है कि हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही मौजूदा व्यापक डाक सेवाओं को जारी रखा जाये और जहां कहीं अनिवार्य हो, उनमें सुधार लाया जाये लेकिन डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी के बारे में निर्धारित मानदण्डों तथा घाटे की अनुमत सीमा को जनहित में सख्ती से लागू किया जाये। इन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए किसी डाकघर को बन्द करने का मामला मुख्यतया उन सर्किल/क्षेत्रीय डाक प्राधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होते हैं कि जहां मौजूदा डाकघर को बन्द करने का औचित्य पाया गया हो, वहां प्रत्येक मामले में उपयुक्त दूरी के अन्तर्गत डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) पदों के सृजन पर लगी रोक तथा नए डाकघर खोलने की अन्य दिक्कतों को देखते हुए नए क्षेत्रों में न्यूनतम स्तर पर डाक सेवा प्रदान करने के इरादे से ही लाइसेंस शुदा डाक एजेंटों की योजना प्रारम्भ की गई है। इस बारे में कोई नीति नहीं है कि प्रत्येक ऐसे मामले में, जहां मौजूदा डाकघर को बन्द करना अनिवार्य हो जाता है, एक लाइसेंस शुदा डाक एजेंट नियुक्त किया जाये। यह प्रत्येक मामले की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं। ऐसी बात नहीं है। स्थिति यह है कि इलाहाबाद में रानीपुर डाकघर के समीप स्थित अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर को जिसमें पर्याप्त डाक कार्य नहीं है तथा जिससे घाटा भी हो रहा था, बन्द किया गया था। दो अन्य मामलों पर विचार किया गया लेकिन कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

(घ) ऐसे सभी मामलों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन सम्बन्धित स्थान के निवासियों की एक सुविधाजनक दूरी के भीतर स्थित अन्य डाकघर या डाक एजेंसी के माध्यम से डाक सुविधाएं मिल रही हैं।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में पुराने दोषपूर्ण दूरसंचार उपकरणों का निर्माण

4366. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा "सेन्टर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स" और फाइबर आप्टिक्स" जैसे दूरसंचार प्रणाली अपनाये जाने को ध्यान में रखते हुए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की रायबरेली और इलाहाबाद स्थित फैक्टरियों में निर्मित किये जा रहे दूरसंचार उपकरण पुराने हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की रायबरेली और इलाहाबाद स्थित फैक्टरियों में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) अगले तीन वर्षों के लिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की रायबरेली और इलाहाबाद स्थित फैक्टरियों का उत्पादन कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) रायबरेली में स्ट्रोजर और क्रासबार स्विचिंग उपस्करों के उत्पादन को क्रमशः 1990 और 1995 तक बन्द करने का प्रस्ताव है। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०) की इलाहाबाद के निकट नैनी में स्थित यूनिट में पारेषण उपस्कर और टेलीफोन उपकरण बनाए जा रहे हैं। रायबरेली के कारखाने में डिजिटल पारेषण उपस्कर बनाकर उसका दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है। आई० टी० आई० पुराने माडलों को बदलने के उद्देश्य से अपनी नैनी बंगलौर यूनिटों में रोटरी के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक पुश बटन डायल टेलीफोन की उत्पादन क्षमता स्थापित कर रही है। क्रासबार और स्ट्रोजर उपस्कर के निर्माण को बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप आई० टी० आई० की बंगलौर और रायबरेली यूनिटों में फालतू होने वाली वर्तमान अवसंरचना और श्रमिकों की संख्या को ध्यान में रखकर तीसरे इलेक्ट्रानिक स्विचिंग कारखाने की स्थापना के स्थान के बारे में कालान्तर में निर्णय लिया जाएगा।

(ग) रायबरेली के स्ट्रोजर प्रभाग में 1990 तक प्रतिवर्ष 50,000 लाइनों का निर्माण तय हुआ है। रायबरेली के क्रासबार प्रभाग में अगले तीन वर्षों के दौरान आई० सी० पी० उपस्कर की लगभग एक लाख लाइनों के उत्पादन होने की आशा है। नैनी के पारेषण प्रभाग ने, 1987-88 में 51 करोड़ रुपये मूल्य के, 1988-89 में 61 करोड़ रुपये मूल्य के और 1989-90 में 65 करोड़ रुपये मूल्य के पारेषण उपस्करों का निर्माण करना है। टेलीफोन प्रभाग ने वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 में क्रमशः 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख अदद टेलीफोनों का निर्माण करना है।

[हिन्दी]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में हानियां

4367. **श्री मदन पांडे**
श्री नन्द लाल चौधरी } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को हाल के महीनों में उपकरणों की अनियमित खरीद के कारण भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उठाई गई हानियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मामले की जांच करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह जांच कब तक की जायेगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में अंशदान

4368. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय उत्पादन में क्या अंशदान रहा और इस अवधि के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : सरकारी उद्यमों से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1985-86 के दौरान प्रमुख क्षेत्र जैसे इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम आदि में उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

उत्पाद	एकक	वास्तविक उत्पादन 1985-86
इस्पात (पिण्ड)	10 लाख टनों में	69.65
बिक्री योग्य इस्पात	,,	60.04
कोयला	,,	1340.90
लिग्नाइट	,,	71.30
जस्ता	हजार टनों में	60.123
सीसा	,,	17.208
तांबा	,,	32.621
सोना	किलोग्राम में	916
प्रट्रोलियम कच्चा	10 लाख टनों में	301.82
पेट्रोलियम परिष्करण	,,	429.15
उर्वरक "एन"	हजार टनों में	2052.0
उर्वरक पी$_2$ ओ$_5$	,,	304.0

जहां तक रोजगार देने का प्रश्न है, केवल 1984-85 के आंकड़े ही उपलब्ध हैं तथा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-35 के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कुल 21.81 लाख कर्मचारी सेवारत हैं।

[अनुवाद]

मिजोरम में एच० एम० टी० 'असेम्बली' यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव

4369. **श्री पी० नामग्याल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने एच० एम० टी० असेम्बली यूनिट की स्थापना की मांग की है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मिजोरम में एच० एम० टी० 'असेम्बली यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य राज्यों में इस प्रकार की यूनिटें स्थापित न करने के क्या कारण हैं?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, महाराष्ट्र और पांडिचेरी की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में एच० एम० टी० की वाच असेम्बली यूनिटें स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एरोमेटिक संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी

4370. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व पेट्रो-रसायन बाजार में एरोमेटिक संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या विशिष्ट कदम उठाए गये हैं; और

(ग) भारतीय पेट्रो-रसायन लिमिटेड ने देश में बनाए जा रहे संयंत्रों के लिए प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून, नेशनल केमिकल लेबोरेट्री, पुने, इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कार्पोरेशन लि०, बड़ौदा और इंजीनियर्स इण्डिया लि० ऐरोमेटिक्स उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आइसोमराइजेशन, सिफार्मिंग और आर्थोजाइलीन विलगीकरण के क्षेत्र में, निकट सहयोग से कार्यरत है।

(ग) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने, नेशनल केमिकल्स लेबोरेट्रीज, एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी और इन्जीनियर्स इण्डिया लि० के सहयोग से आइसोमराइजेशन के लिये स्वदेशी कुशलता विकसित कर ली है। एनसिलाइट कैटेलिस्ट पर आधारित नव विकसित जाइलोफाइनिंग प्रौद्योगिकी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को, उनके बम्बई में प्रस्तावित ऐरोमैटिक्स कम्पलैक्स के लिए प्रदान की गई है।

कोरापुट उड़ीसा में माइक्रोवेव टेलीफोन प्रणाली

4371. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के कोरापुट जिले में माइक्रोवेव टेलीफोन प्रणाली का विस्तार करने का विचार है;

(ख) क्या कोरापुट में काम शुरू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सिविल निर्माण कार्य चल रहा है।

(घ) कोरापुट को 1988-89 के दौरान नैरो बैंड माइक्रोवेव लिंक के जरिए विशाखापट्टनम के साथ जोड़ने की संभावना है।

नहाने के साबुनों के मूल्य में वृद्धि

4378. **श्री सलीम आई० शेरवानी**
श्री यू०एच० पटेल } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नहाने के साबुनों का निर्माण कर रही है, उनके ब्राण्ड, नाम, मूल्य, वजन और आकार क्या हैं तथा गत पांच वर्षों के दौरान उनमें क्या-क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) कितनी भारतीय कम्पनियां नहाने के साबुन बना रही हैं, उनके ब्राण्ड नाम, मूल्य, वजन और आकार क्या हैं तथा गत पांच वर्षों के दौरान उनमें क्या-क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नहाने के साबुनों की बार-बार मूल्य वृद्धि और साथ ही उनका आकार और वजन कम किए जाने पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का गुणवत्ता और मात्रा के सम्बन्ध में कोई मानक निर्धारित करने और मूल्य नियंत्रण लागू करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल को दिए गये चावल, गेहूं और चीनी पर राजसहायता

4374. **प्रो० के०वी० थामस :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान केरल को सप्लाई किये गए चावल, गेहूं और चीनी पर सरकार द्वारा कितनी खाद्य राजसहायता दी गई;

(ख) क्या दिसम्बर, 1986 के लिए अधिक चावल, चीनी और मिट्टी का तेल आवंटन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु की मात्रा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) चीनी पर कोई राजसहायता नहीं है। केरल सरकार को 1984-85 और 1985-86 के दौरान जारी किए गए गेहूं और चावल पर दी गई राशि निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1984-85	1985-86
गेहूं	12.49	17.74
चावल	97.73	109.38

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1986 मास के लिए चावल, चीनी और मिट्टी के तेल का निम्नानुसार आवंटन किया गया है :—

	आंकड़े मीटरी टनों में
चावल	1,25,000
चीनी	11,225
मिट्टी का तेल	19,312

लघु एककों का नया वर्गीकरण

4375. **श्री लक्ष्मण मल्लिक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु एककों के नए वर्गीकरण के लिए हाल ही में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और यदि इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है तो उसको देखते हुए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और विभिन्न एककों से क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं, ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना

4376. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यमान औषध फारमूलेशनों की पुनरीक्षा करने तथा उन्हें युक्ति-संगत बनाने के लिए राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है जैसा कि दिनांक 9 नवम्बर, 1986 के इकानामिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्राधिकरण उन हानिकारक औषधियों के प्रयोग के बारे में जांच करेगा जिनके प्रयोग पर विदेश में पहले ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है; और

(ग) क्या इस प्रकार के प्राधिकरण के गठन से जीवन रक्षक औषधियों के बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने में भी सहायता मिलेगी ।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है ।

स्थानीय ट्रंक कालों का लागत ढांचा

4377. **श्री शांताराम नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्थानीय कालों, अर्थात् की गई एक स्थानीय काल पर कितना खर्च आएगा, का लागत ढांचा तैयार किया है;

(ख) प्रत्येक काल पर सरकार द्वारा प्रतिशतता-वार अथवा अन्यथा कितना लाभांश निर्धारित किया गया है; और

(ग) ट्रंक-कालों के लागत ढांचे के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) विभाग में लागत विश्लेषण विभागीय एक्सचेंज लाइन, विभागीय टेलेक्स लाइन, लंबी दूरी की कैरियर लाइन आदि की लागत निकालने के लिए किया जाता है। उपस्कर के संचालन तथा उसके अनुरक्षण के लिए स्विचिंग और संचारण उपस्कर के साथ-साथ मानव शक्ति, स्थानीय काल, ट्रंक काल टेलेक्स काल तथा एस०टी०डी० काल जैसी आधारभूत सेवा की एक से अधिक मदों के लिए समान है। कुछ मामलों में नेटवर्क भी तार की भांति होता है।

इन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए लाभ की मात्रा को विभाग में समूचे परिव्यय के लिए समझा जाता है न कि सेवा की अलग-अलग मदों पर की गई लागत पर। इसके अलावा, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अधिकांश सेवाएं आर्थिक सहायता के आधार पर चलाई जाती हैं। अत: विभाग की नीति यह है कि वह समूचे देश में किए, स्थानीय काल और ट्रंक कालों जैसी विभिन्न शीर्षों के अधीन वापसी प्राप्त करने के बजाय कुल निवेश की वापसी को प्राप्त करें।

उस्मानाबाद में सीधी ट्रंक डायल सुविधा

4378. **श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानाबाद में बनाए गए माइक्रोवेव टावर से उस क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा; और

(ख) क्या उस्मानाबाद के लोगों की सीधी ट्रंक डायल सुविधा उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। उस्मानाबाद टेलीफोन एक्सचेंज के उपभोक्ताओं को सातवीं योजना के दौरान एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने का कार्यक्रम है।

जोगपट्टी, बिहार में तेल की खोज के लिए खुदाई कार्य

4379. **प्रो० चन्द्रभानु देवी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या बिहार के बेतिया जिले के जोगपट्टी क्षेत्र में तेल की खोज के लिए किए जा रहे खुदाई कार्य पर 30 करोड़ रुपये खर्च करने के पश्चात अब इसे रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई कार्य को बीच में ही रोक दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) जिला बेतिया बिहार के गंडक-I कुंए की खुदाई तेल संबंधी विवरण प्राप्त करने के लिए की गई थी, जिसको 5314 मीटर की गहराई पर खत्म कर दिया गया था। ज्योलिजिकल उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद उसकी और खुदाई करने की आवश्यकता नहीं थी। इस कुंए पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।

औषधों और औषध मध्यवर्तियों को लाइसेंस मुक्त करने के मानदण्ड

4380. **श्री विष्णु मोदी**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधों और औषध मध्यवर्तियों को लाइसेंस मुक्त करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत औषधों और औषध मध्यवर्तियों के बल्क आयात की सिफारिश के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(ग) क्या औषध और औषध मध्यवर्तियों को लाइसेंस मुक्त करने या उनके आयात की सिफारिश करने के लिए उनकी सूची की पुनरीक्षा की गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) किसी औषध की लाइसेंस नीति एवं आयात नीति का निर्धारण उसकी अनिवार्यता, स्वदेशी उत्पादन के संदर्भ में उसकी मांग, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता आदि सहित, अनेक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) लाइसेंस मुक्त अथवा आयात के लिए सिफारिश करने के लिए औषधों एवं औषध मध्यवर्तियों की सूची की समीक्षा इस मंत्रालय द्वारा निरन्तर की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की ओर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की बकाया धनराशि

4381. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कहने पर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने मई/जून, 1984 में बिहार के रास्ते से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए उड़ीसा को आगे बिजली देने हेतु बिजली सप्लाई की थी;

(ख) क्या इस तरह मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की 88.50 लाख रुपये की धनराशि बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस बकाया धनराशि का मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतान करने के संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के जरिए राउरकेला इस्पात संयंत्र के जरिए 19.92 मिलियन यूनिट विद्युत सप्लाई की थी।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने यह मामला संबंधित संगठनों के साथ उठाया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को बकाया राशि का भुगतान विमोचित कर दिया है।

[अनुवाद]

नंदी कोटकुर (आन्ध्र प्रदेश) में खाना पकाने की गैस की एजेंसी

4382. श्री एम० सुब्बा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंदी कोटकुर (आन्ध्र प्रदेश) में, जहां अधिकांश लोग लकड़ी से खाना पकाते हैं जिससे वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है और खाना पकाने की गैस की एजेंसी शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) हालांकि इस स्थान पर एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोले जाने का प्रस्ताव था, किन्तु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा के बाद इस स्थान को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य न पाये जाने के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित किया गया।

आंध्र प्रदेश में डाकघर और तारघर खोलना

4383. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने डाकघर और तारघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 के दौरान और अब तक कितने गांवों को इसमें शामिल किया गया है; और

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजनावधि के लिए लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिए गए हैं यदि नहीं, तो क्या कमियां हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) **डाकघर** : पदों के सृजन पर लगी रोक के कारण आंध्र प्रदेश अथवा किसी अन्य डाक सर्किल में नए डाकघर खोलने का कार्यक्रम लागू नहीं किया जा सकता। तथापि विभाग अतिरिक्त विभागीय प्रणाली से संबद्ध जांच समिति की सिफारिशों तथा अन्य संबंधित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए डाकघर खोलने के मान-दंडों पर पुनः विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि वार्षिक योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीमित निधि में ही अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों के प्रस्ताव तैयार कर लिए जाएं और विशेष मामले के बतौर इनका वित्त मंत्रालय से अनुमोदन करा लिया जाए। ऐसा करते समय आन्ध्र प्रदेश सहित सभी सर्किलों की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा।

तारघर : सातवीं योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में लंबी दूरी के 200 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की योजना है। इसमें से, डाकघरों में खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन घरों में फोनोकॉम आधार पर तार सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

(ख) **डाकघर** : आंध्र प्रदेश सर्किल में इस समय 14,674 ग्रामीण डाकघरों के जरिए राज्य के 27,221 ग्रामों में डाक सेवाएं प्रदान की जा रही है। 1.4.1984 से यही स्थिति है।

तारघर : जिन ग्रामों में तार सुविधाएं प्रदान की गई हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	**संख्या**
1984-85	52
1985-86	44

अप्रैल, 86 से अक्तूबर 86, तक—शून्य

(ग) **डाकघर** : 1980-81, 1981-82, 1982-83 की वार्षिक योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। चूंकि पदों के सृजन पर रोक 1984 के शुरू में लगायी गई थी इसलिए इस

वर्ष में तीन डाकघर कम खोले गए। पदों पर लगी रोक के कारण, डाकघर खोलने का कोई कार्य-क्रम 1984-85 में लागू नहीं किया जा सका। तथापि, विशेष छूट प्राप्त करके एक डाकघर खोला गया था।

तारघर : जी, हां। आंध्र प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य 2190 था जबकि इसकी तुलना में लंबी दूरी के 2890 सार्वजनिक टेलीफोनघर खोले गए।

कपड़ा मशीन निर्माण उद्योग में सुधार करने में सहायता कर रहे विदेशी सहयोगकर्ता

4384. **श्रीमती डी०के० भण्डारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कपड़ा मशीन निर्माण उद्योग में सुधार करने में सहायता कर रहे विदेशी सहयोगकर्त्ताओं के नाम क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : विभिन्न प्रकार की टैक्सटाइल मशीनों के लिए वर्ष 1984, 1985 व 1986 (अगस्त, 86 तक) के दौरान अनुमोदित किये गये विदेशी सहयोगों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	संख्या
1984	4
1985	9
1986 (अगस्त, 86 तक)	4

सभी अनुमोदित विदेशी सहयोगों के बारे में भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, उत्पादन की वस्तु तथा सहयोग की प्रकृति सम्बन्धी ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लेटर" के पूरक के रूप में त्रैमासिक आधार पर छापे जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

[हिन्दी]

गिरीडीह (बिहार) में माइक्रोवेव टावर का निर्माण

4385. **श्री सरफराज अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरीडीह (बिहार) में इस समय टेलीफोन प्रणाली का संचालन हाथ से किया जा रहा है;

(ख) क्या डायल प्रणाली टेलीफोन केन्द्र के लिए भवन का निर्माण किया जा चुका है;

(ग) क्या सीधी ट्रंक डायल सेवा के लिए माइक्रोवेव टावर उपकरण भी वहां पड़ा हुआ है यदि हां, तो कब से और इसे अभी तक नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) माइक्रोवेव टावर को कब तक चालू किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां। गिरिडीह (बिहार) में 600 लाइनों वाला एक सेंट्रल बैटरी मल्टीपल (सी०बी०एम०, मैनुअल एक्सचेंज काम कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। गिरिडीह-आसनसोल प्रणाली के लिए प्राप्त उपस्कर दूसरी प्रणालियों में प्रयोग में लाए गए हैं। भूमि की व्यवस्था न होने के कारण इन उपस्करों का प्रयोग इस प्राणाली के लिए नहीं किया जा सका।

(घ) सातवीं योजना के अंतर्गत गिरिडीह-आसनसोल यू०एच०एफ० प्रणाली प्रयोगिक आधार पर चालू करने की योजना है बशर्ते कि दिसंबर 1987 तक भूमि उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

सलाल पन बिजली परियोजना के कार्य-निष्पादन की जांच

4386. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल
श्री विजय कुमार यादव
प्रो० नारायण चंद पराशर
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सलाल पन बिजली परियोजना के कार्यान्वियन के प्रबन्ध तथा समस्त प्रक्रिया के कार्य-निष्पादन के बारे में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी : (क) और (ख) कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय ने समय और लागत में वृद्धि के कारणों की जांच करने तथा भावी परियोजनाओं को इस सम्बन्ध में सावधान करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सलाल जल विद्युत परियोजना सहित कुछ प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाओं का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया था। अध्ययन की अन्तरिम रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर सलाल परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया है। अन्तिम रिपोर्ट में, जो कि अब प्राप्त हो गई है, व्यापक रूप से मिट्टी के अनुसंधानों, लागत और समय के वास्तविक अनुमान/कार्यक्रम तैयार करने, परियोजना के स्वरूप को अन्तिम रूप देने तथा उच्चतम प्रबन्ध व्यवस्था लगातार बनाए रखने की

अनिवार्य आवश्यकता जैसे पहलुओं के संबंध में सिफारिशें दी गई हैं। भावी परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में फास्फेट पर आधारित उद्योग स्थापित करना

4387. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में फास्फेट पर आधारित एक कारखाने की स्थापना करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में तेल गवेषणा

4388. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के नव गठित जिले सिडम्बरनार में एरल टाउन के निकट एक गांव में गैस मिलने के बारे में तमिलनाडु सरकार से कोई जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो पाये गए इस नये क्षेत्र से गैस निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने जांच आरम्भ कर दी है।

आंध्र प्रदेश में गन्ना आयकुट्ट के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता

4389. **श्री सी० सम्बु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में गन्ना आयकुट्ट का विस्तार करने तथा गन्ने का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध करने सम्बन्धी आंध्र प्रदेश के चीनी कारखानों के अभ्यावेदन पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया;

(ग) क्या सरकार "चीनी उपकर निधि" के लिए आंध्र प्रदेश में चीनी उद्योग के लिए दीर्घ अवधि की वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा राज सहायता के आधार पर किसानों को ऋण जारी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) चीनी प्रतिष्ठान मुख्यतया निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में गन्ने का विकास करने के लिए चीनी विकास निधि से सुगम शर्तों पर ऋण लेने के लिए पात्र होते हैं :—

1. हीट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए;

2. नर्सरियां लगाने के लिए;

3. कीट नियंत्रण उपायों के लिए;

4. गन्ने की उन्नत किस्मों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, और

5. सिंचाई योजनाओं के लिए।

गन्ने के विकास के लिये निधि से ऋण प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश के चीनी प्रतिष्ठानों से राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए 10 आवेदन पत्रों की 22.10.1986 को जांच समिति द्वारा जांच की गई थी और अधिक सहायक आंकड़े मांगे गए हैं जिनकी अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। अक्तूबर/नवम्बर, 198 के दौरान प्राप्त हुए 17 और आवेदन पत्रों की भी जांच की गई थी और आवेदक चीनी प्रतिष्ठानों को उनमें पायी गई कमियों के बारे में सूचित कर दिया गया है। उनसे अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के बाद इन आवेदन पत्रों को जांच समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

लेवी सीमेंट का मूल्य बढ़ाने की मांग

4390. **श्रीमती ऊषा ठक्कर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग सीमेंट का लेवी मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहा है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) भारत में और सीमेंट उत्पादक अन्य उन्नत देशों में सीमेंट के उत्पादन पर प्रति टन कितनी लागत आती है;

(ग) आयातित सीमेंट का लागत बीमा और भाड़ा सहित मूल्य कितना है और भारत में तैयार की गई लेवी तथा खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी की गई सीमेंट का बिक्री मूल्य कितना है;

(घ) सीमेंट के आयात, वितरण और मूल्य के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है; और

(ङ) क्या यह नीति सीमेंट की सभी किस्मों पर लागू होती है जैसा कि सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में स्पष्ट किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां । सीमेंट निर्माताओं के संघ से जनवरी, 1986 तक लेवी सीमेंट के निर्धारित मूल्य में 36.37 रु० प्रति मी० टन और फिर सितम्बर, 1986 में 11.18 रु० प्रति मी० टन वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । वृद्धि करने की मांग बिजली शुल्क, कोयले की कीमत, रेल से कोयला लाने ले जाने, मजदूरी आदि में वृद्धि से लागत बढ़ जाने के कारण की गई है । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा दिसम्बर, 1985 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार खुले सीमेंट के उत्पान की प्रत्यक्ष लागत (मूल्य ह्रास, ऋणों पर ब्याज और पूंजी पर आय को निकाल कर) मानकीय आधार पर लगभग 310 रुपये प्रति मी० टन होती है । अन्य प्रगतिशील सीमेंट उत्पादक देशों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि सीमेंट के उत्पादन की लागत संचालन की सीमा और कच्चे माल, ईंधन और बिजली जैसे विभिन्न निवेशों की लागत सहित विभिन्न घटकों का कार्य है । अन्तर्राष्ट्रीय लागत और कीमतों की तुलना तभी प्रासंगिक होगी यदि भारतीय संयंत्रों को प्रभावित करने वाले कारण विदेश में विद्यमान कारणों के समान हों ।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है ।

(ङ) सरकार की नीति सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में परिभाषित सीमेंट की सभी किस्मों पर लागू होती है ।

विवरण-1

आयातित सीमेंट का (लागत बीमा और भाड़ा सहित) मूल्य

हाल ही के महीनों में देश में सीमेंट का आयात करने के लिए कोई करार नहीं किया गया । इसलिए आयातित सीमेंट का वर्तमान मूल्य उपलब्ध नहीं है ।

लेवी सीमेंट

साधारण पोर्टलैंड सीमेंट और पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के सम्बन्ध में लेवी सीमेंट का बिक्री मूल्य क्रमशः 854 रु० प्रति मी० टन और 839 रु० प्रति मी० टन है जो उत्पाद शुल्क और पैकेजिंग प्रभार सहित है परन्तु इसमें केन्द्रीय बिक्री-कर, स्थानीय बिक्री-कर और अन्य स्थानीय लेवी शामिल नहीं है जो प्रत्येक स्थान पर भिन्न-भिन्न है ।

फ्री सेल सीमेंट

गैर-लेवी सीमेंट पर मूल्य नियंत्रण नहीं है। इसका वास्तविक बाजार मूल्य अलग-अलग स्थान पर दिन प्रति दिन घटता बढ़ता रहता है। फिर भी सीमेंट निर्माताओं के संघ ने फ्री सेल सीमेंट के लिए निम्नलिखित अधिकतम सीमा निश्चित की है :—

केरल, महाराष्ट्र, जम्मू व कश्मीर	69 रु० प्रति बोरी
असम और उत्तर-पूर्वी राज्य	
अन्य राज्य	64 रु० प्रति बोरी

उपर्युक्त कीमतें डीलरों के मार्जिन, केन्द्रीय बिक्री-कर और गन्तव्य के अन्तिम रेल शीर्ष से 20 कि० मी० तक माल-भाड़े सहित और स्थानीय बिक्री-कर और अन्य स्थानीय लेवी के बिना हैं।

विवरण-2

सीमेंट का आयात

वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत क्लिंकर सहित परन्तु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय तेल लि० द्वारा अपेक्षित तेल कुआं सीमेंट को छोड़कर सीमेंट का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सरकार द्वारा उसके नाम से जारी की गई विदेशी-मुद्रा के आधार पर किया जाएगा। आयात का वितरण और मूल्य निर्धारण राज्य व्यापार निगम द्वारा उद्योग मंत्रालय में सरकार की इससे सम्बन्धित नीति के अनुसार किया जाएगा।

देश में सीमेंट की बेहतर उपलब्धता को देखते हुए इस समय, सीमेंट-आयात करने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है।

सीमेंट का वितरण और मूल्य निर्धारण

28.2.82 से सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की स्कीम के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के लिए सीमेंट की दो श्रेणियां अर्थात लेवी सीमेंट और गैर-लेवी सीमेंट उपलब्ध हैं। लेवी सीमेंट मूल्य निर्धारण और वितरण नियंत्रण के अधीन है जबकि गैर-लेवी सीमेंट इस प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त है। सीमेंट के उत्पादकों को अपने उत्पादन का एक भाग लेवी सीमेंट के रूप में बिक्री के लिए देना होता है।

[हिन्दी]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को हुई आय

4391. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को अपना मुख्यालय बिलासपुर में स्थापित करने के पश्चात् 1985-86 में कुल कितनी आय हुई;

(ख) वहां पर नई कम्पनी स्थापित किए जाने के पश्चात् कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(ग) उनमें से स्थानीय लोगों की संख्या क्या है और उन्हें किन पदों पर नियुक्त किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 28.11.1985 को निगमन किया गया था और यह कोल इण्डिया लि० की एक नई सहायक कम्पनी है। खातों की दृष्टि से कम्पनी में 1.4.1986 से काम करना शुरू किया। इससे पहले अर्थात् 1-4-86 से पहले की अवधि के खाते उन दोनों कोयला कम्पनियों अर्थात् वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के खातों में शामिल थे जिनसे क्षेत्र लेकर यह कम्पनी बनाई गई है।

(ख) और (ग) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में 1-4-1986 से 31-10-1986 तक 1236 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। इनमें से 1134 लोग स्थानीय व्यक्ति थे जिन्हें मासिक दर आधारित, दैनिक दर आधारित, कार्य दर आधारित और बदली/आकस्मिक कामगार आदि की हैसियत से नियुक्त किया गया था।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में तंजावूर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र चालू करना

4392. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु में तंजावूर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र निर्धारित अवधि के भीतर चालू नहीं किया जा सका;

(ख) क्या इस भवन के निर्माण कार्य को पूरा होने में असाधारण बिलम्ब हुआ है;

(ग) क्या यह विलम्ब इस भवन के एक भाग के भूमि में धंस जाने के कारण हुआ और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है और इस चूक के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस एक्सचेंज को चालू करने का संशोधित लक्ष्य जनवरी, 87 था, लेकिन यह एक्सचेंज निर्धारित तिथि से पहले ही 12-10-1986 को चालू कर दिया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भवन का निरीक्षण मुख्य इन्जीनियर (सिविल), मद्रास द्वारा किया गया और उन्होंने सूचना दी है कि भारी वर्षा के कारण स्थल पर पानी भरने के कारण यह धंस रहा था। भवन पूरा हो चुका है अब वहां एक्सचेंज काम कर रहा है। अत: किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

केरल में अनिवासी भारतीय निवेशकर्ताओं के औद्योगिक प्रस्ताव

4393. **श्री के० मोहनदास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अनिवासी भारतीय निवेशकर्ताओं की ओर से कितने औद्योगिक प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है;

(ख) ये प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास कब से लम्बित है; और

(ग) उनको शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत केरल में औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिए किसी प्रवासी भारतीय से प्राप्त हुआ आवेदन भारत सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

लाइसेंसों के लिए आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त आवेदन

4394. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में बड़े/लघु उद्योग स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये कितने आवेदन 1983 से केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार को 1983 से वर्षवार कितने आशय-पत्र जारी किए गये ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 27-11-1986 को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अंतर्गत आशय-पत्रों की स्वीकृति हेतु आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के उपक्रमों से 4 औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदन विचारणा के विभिन्न चरणों में थे। इन सभी आवेदनों का सम्बन्ध वर्ष 1986 से है।

(ख) 1983 से राज्य औद्योगिक विकास निगमों सहित आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को 44 आशय-पत्र जारी किये गए थे। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—1983—13, 1984—13, 1985—13 (और 1986) 30-9-86 तक (—5)।

विकास परिषदें

4395. डा० कृपासिंधु भोई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ समय पहले विभिन्न विकास परिषदों के गठन की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनमें इन विकास परिषदों का गठन किया गया हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 6 के अन्तर्गत समय-समय पर निम्नलिखित उद्योगों के लिए विकास परिषदें गठित की गई हैं :—

1. इन्स्ट्रूमेंटेशन उद्योग
2. साइकिल तथा साइकिलों के पुर्जे
3. हैवी इलेक्ट्रीकल तथा सहायक सामान उद्योग
4. मशीनी औजार उद्योग
5. तेल एवं गैस का पता लगाने तथा उत्पादन करने के उद्योग हेतु उपकरण
6. मुद्रण उद्योग
7. कागज, लुग्दी तथा सहायक उत्पाद उद्योग
8. चमडा तथा चमड़े का सामान उद्योग
9. सीमेंट उद्योग
10. टायर एवं ट्यूबें
11. फूड प्रोसेसिंग उद्योग
12. साबुन तथा डिटर्जेन्ट
13. मोटरगाड़ी तथा सहायक सामान
14. वस्त्र मशीनें
15. लोहा एवं इस्पात (धातु) तथा विशेष इस्पात उद्योग
16. जलपोत-निर्माण जलपोत-मरम्मत तथा सहायक-सामान उद्योग
17. वस्त्र उद्योग

18. इलेक्ट्रानिक्स उद्योग

19. ऐल्युमिनियम उद्योग

20. अलोह धातु (ऐल्युमिनियम को छोड़कर)

21. रसायन उद्योग

22. चीनी उद्योग

23. फल तथा सब्जी प्रोसेसिंग उद्योग

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6(1) में निर्धारित श्रेणियों के व्यक्ति इन परिषदों में सम्मिलित थे। इन परिषदों को सौंपे गये कार्य उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में दिये गये हैं। इन परिषदों के सदस्यों की संख्या 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इन्हें 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

भटिंडा बिजली घर द्वारा तेल की खपत

4396. **श्री वाई०एस० महाजन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा बिजली घर ने चालू वर्ष के दौरान 6 करोड़ रुपये मूल्य के तेल की बचत की है;

(ख) यदि हां, तो इस बिजली घर ने तेल के उपयोग में बचत के लिए क्या तकनीक अपनाई है; और

(ग) सरकार का सभी बिजली घरों में तेल की बचत करने हेतु इस तकनीक को अन्य बिजली घरों में भी अपनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार भटिंडा में गुरु नामक देव ताप विद्युत केन्द्र में विशेष तेल की कम खपत के कारण 1985-85 के दौरान 6.7 करोड़ रुपए की बचत हुई थी।

(ख) ईंधन तेल की खपत को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं :—

(1) ट्रिपिंग की संख्या में कमी रखना और ट्रिपिंग के पश्चात यूनिटों की बंदी की अवधि को कम करना;

(2) समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना;

(3) विभिन्न आनुषंगिकों के लिए उपचारात्मक अनुरक्षण और प्रचालन एवं अनुरक्षण इन्जीनियरों के लिए समुचित प्रशिक्षण।

(ग) बंदी की अवधि को कम करने के लिए उपचारात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाने, संयंत्र सुधार कार्यक्रम, नवीकरण और आधुनिकीकरण, इन्जीनियरों के प्रशिक्षण आदि के लिए राज्य बिजली बोर्डों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

बम्बई में बम्बई हाई गैस की पाइपों द्वारा सप्लाई

4397. **श्री मुरली देवरा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई तेल के क्षेत्रों से "एसोसिएटड गैस" को अभी भी जलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस गैस को बम्बई में घरों में घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए पाइपों से सप्लाई करने हेतु यदि कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) बम्बई हाई फील्ड से एसोसिएटेड गैस का जलाया जाना प्राथमिक रूप से उत्पादन और दाब सुविधाओं में उपयुक्त मेल न होने के कारण है। बम्बई में प्राकृतिक गैस को घरेलू गैस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है।

सीमेंट उद्योगों में रुग्णता के कारणों का अध्ययन करने के लिए बैठक

4398. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में सीमेंट कारखानों में रुग्णता के कारणों का अध्ययन करने के लिए कोई बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विशेष रूप से सीमेंट उद्योग में रुग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। किन्तु सीमेंट सम्बन्धी निम्नलिखित विषयों पर बैठकों का आयोजन अभी हाल ही में हुआ था :—

(1) अलग-अलग सीमेंट एककों के उत्पादन कार्य की समीक्षा करने हेतु एक बैठक 13 अगस्त, 1986 को हुई थी जिसमें कुछ एककों ने कोयला और बिजली जैसे कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता के बारे में आशंकाएं व्यक्त की थीं। उत्पादकों ने आश्वासन दिया कि वे इस वर्ष के उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भरसक-प्रयत्न

करेंगे। ऊर्जा और रेल मंत्रालयों को उनकी समस्याओं के बारे में भी पहले ही सूचित कर दिया गया है।

(2) चूना पत्थर के वर्तमान पट्टों का नवीकरण न किये जाने और नए पट्टे न दिए जाने के बारे में तमिलनाडु स्थित सीमेंट एककों की समस्याओं पर विचार करने हेतु मद्रास में 4 अक्तूबर, 1986 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। राज्य सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला गया है कि जहां कहीं आवश्यक हो वहां सीमेंट उद्योग के लिए खनन के पट्टों का नवीकरण शीघ्रता से किया जाए।

कोकिंग कोयले का आयात

4399. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए वर्ष 1982 में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा कोई योजना और नीति प्रस्तुत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1982 में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने इस्पात संयंत्रों के लिए कोककर कोयले के आयात में कमी लाने की एक योजना प्रस्तुत की थी। विशेषज्ञ समितियों ने योजना की जांच की थी और इस पर विचार किया था। विशेषज्ञ समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जब तक विद्यमान वाशरियों का आधुनिकीकरण और नवीकरण पूरा नहीं हो जाता तब तक उच्च कोटि के कोयले का आयात आवश्यक है। विद्यमान वाशरियों के नवीकरण और समुन्नत धुलाई सर्किट से युक्त नए कोयला उत्पादक संयंत्र स्थापित हो जाने पर किस्म और मात्रा दोनों ही दृष्टि से कोककर कोयले की उपलब्धि में सुधार होगा।

कोयला खानों में बिजली की सप्लाई का बार-बार बन्द हो जाना

4401. **श्री अनिल बसु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खानों में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिदिन औसतन कितने घण्टे बिजली सप्लाई नहीं की गई;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कोयला खानों में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या अचानक और बार-बार बिजली की सप्लाई बन्द कर दिए जाने से खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा को खतरा हो जाता है;

(घ) क्या इससे कोयला खानों में वायु संचार उपकरणों के कार्य न कर सकने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है; और

(ङ) भूमिगत खानों में दुर्घटना के संभावित खतरे को रोकने और सुरक्षा के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में प्रति फीडर प्रतिदिन विद्युत की औसतन अनापूर्ति क्रमश: 2.4% और 2.55 घण्टे रही। भारत कोकिंग कोल लि० के मामले में वर्ष 1984-85 और 1985-86 में प्रति फीडर प्रतिदिन विद्युत की औसतन अनापूर्ति क्रमश: 1.55 और 1.88 घण्टा है।

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में वर्ष 1984-85 और 1985-86 में बिजली की कमी के कारण उत्पादन में क्रमश: 19.90 लाख टन और 24.57 लाख टन की कमी रही। इसी प्रकार भारत कोकिंग कोल लि० में वर्ष 1984-85 और 1985-86 में उत्पादन में क्रमश: 8.50 लाख टन और 12.15 लाख टन की कमी रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। इससे भूमिगत खानों में काम कर रहे कामगारों और संचालन कार्मिकों की सुरक्षा को खतरा होता है क्योंकि इसके कारण दीर्घकाल तक बिजली सप्लाई में व्यवधान रहने के दौरान गैस बनती रहती है और पानी जमा हो जाता है। संचालन उपकरणों के कार्य नहीं करने के कारण वह निसन्देह एक स्वास्थ्य संम्बन्धी खतरा है लेकिन दीर्घकालीन व्यवधान के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कामगारों को खान से वापस बुला लिया जाता है।

(ङ) दामोदर घाटी के निगम और अन्य स्रोतों से बिजली की सप्लाई में सुधार करने और महत्वपूर्ण फीडरों को अनावश्यक रुकावटों से मुक्त रखने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में लगभग 16.5 मेगावाट और भारत कोकिंग कोल लि० में 43 मेगावाट की सप्लाई करने के लिए ग्रहीत जनरेटिंग सेट तत्पर अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भी इन कम्पनियों में 2×10 मेगावाट के ग्रहीत बिजली घर स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है।

ऑयल रिग "सागर प्रगति" के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को हुई हानि

4402. **डा० बी०एल० शैलेश**
श्री के०एस० राव } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 नवम्बर, 1986 के इण्डियन एक्सप्रेस नई दिल्ली में "सागर प्रगति दुबई मिस-एडवेंचर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) ड्रिलिंग समय और विदेशी मुद्रा में हानि के रूप में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है;

(घ) मरम्मत किये जाने के पश्चात प्रयोग के लिए रिग मशीन के कब तक उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) विचाराधीन रिग मशीन के भारत में मरम्मत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) जी, हां। अप्रैल 1985 में ओ०एन०जी०सी० के रिग प्रगति सागर के पायों में दरार पाई गई थी। किन्तु भारत में ड्राई डाकिंग की पर्याप्त सुविधाओं की कमी और आने वाले मानसून के कारण ड्राई डाकिंग के लिए रिग को गल्फ तक ले जाने का निश्चय किया गया। यात्रा के दौरान रिग को कई चक्रवातपूर्ण दशाओं की वजह से और भी क्षति पहुंची। खींच कर ले जाने का कार्य बीमाकर्ता मैसर्स नोबल डाल्टन की अंडर गइटर्स की सलाह पर मैसर्स साल्को साल्वेज लिमिटेड सिंगापुर द्वारा 381,426 अमरीकी डालर की कीमत पर किया गया। रिग्स के दुबई पोर्ट के छिछले पानी में जाने के लिए रिग्स के पायों को 452,000 अमरीकी डालर की कीमत पर मैसर्स एम०आई०आई०, दुबई द्वारा काटा गया। ड्राई डाकिंग का ठेका मैसर्स दुबई ड्राई डाक्स दुबई को दिया गया। ड्राई डाकिंग के दौरान इस कार्य तथ' अन्य मरम्मत कार्य पर 2.452 मिलियन डालर खर्च हुआ। वर्तमान रिगों में नए पाये लगाए जाने के लिए जापान जा रहा है, जिसकी संविदा 1620 मिलियन येन पर मैसर्स हितेची जॉसन, जापान को दिया गया है। इस रिग के कार्य न करने पर रिग मास में आई कमी की पूर्ति ओ०एन०जी०सी० द्वारा रिगों के किराए-भाड़े द्वारा की गई। 1985-86 के दौरान रिगों का किराया औसतन 23400 अमरीकी डालर प्रतिदिन 1985-86 में और 1986-87 में 19900 अमरीकी डालर प्रतिदिन पड़ता है।

(घ) इस रिग का अप्रैल, 1987 के मध्य तक बम्बई पहुंचने का अनुमान है।

(ङ) ड्राई डाकिंग की पर्याप्त सुविधाएं भारत में उपलब्ध नहीं थीं।

अनिवासी भारतीयों के लिए उद्योग

4403. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक क्षेत्र में कौन-कौन से उद्योग क्षेत्रों को केवल अनिवासी भारतीयों के लिए ही निर्धारित किया गया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ख) अनिवासी भारतीय इन अधिमानताओं का कब से उपयोग कर रहे हैं;

(ग) अनिवासी भारतीयों को अतिरिक्त अधिमानताएं और सुविधाएं प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) कितने अनिवासी भारतीयों ने भारत में उद्योग लगाए हैं और उसी क्षेत्र में उनके विदेशों में भी उद्योग हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों को दी गई अधिमानताओं का स्थानीय निवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) भारत में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेन्स मांगने वाले प्रवासी भारतीयों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक नीति के अनुसार विचार किया जाता है। प्रवासी भारतीयों के प्रस्तावों को निवासी भारतीयों के प्रस्तावों के समान ही दर्जा दिया जाता है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में केवल प्रवासी भारतीयों के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया है। किन्तु समय-समय पर यथा-संशोधित आयात नीति के उपबन्धों के अनुसार, प्रवासियों भारतीयों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं पूंजीगत सामान के आयात हेतु उपलब्ध है।

(घ) यह सूचना भारत सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

प्रयोक्ताओं को सिलेन्डरों की सप्लाई

4404. श्री आर०एम० मोये : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि बेईमान व्यापारियों और तेल कम्पनियों के अधिकारियों के साथ साठ-गांठ करके खाना पकाने की गैस के स्क्रैप के रूप में बेचे गए सिलेन्डर पुन: बाजार में आ रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप हाल ही में कई अप्रिय दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कि प्रयोक्ताओं को केवल अच्छी किस्म के ही सिलेंडर सप्लाई किए जाएं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) निर्माण करते समय या बाटलिंग प्लांट पर पाए गए दोषपूर्ण/स्पूरिअस/अनसर्विसेबल सिलेंडर को स्क्रेप के रूप में बेचने से पूर्व दबाकर और विरुपित करके फ्लैट शीट में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि वे दुबारा से बाजार में आकर खतरा न बन जाएं।

(ख) तेल विपणन कम्पनियों के लिए एल०पी०जी० सिलेंडर आई०एस०आई० विनिर्देशों के अनुसार बनाए जाते हैं और उपयुक्त किस्म नियंत्रण संबंधी जांच पड़ताल के बाद ही कम्पनियों द्वारा खरीदे जाते हैं। एल०पी०जी० प्लांट पर सिलेंडरों को भरे जाने से पहले उनके दोषों को बाहरी तौर पर देखकर जांचे जाते हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से समय-समय पर सिलेंडरों का सांविधिक दाब परीक्षण भी किया जाता है।

वाइनाड, केरल में पेट्रोल/डीजल की डीलरशिप के लिए लाइसेंस

4405. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के वाइनाड जिले में कनपेटा में पेट्रोल/डीजल की डीलरशिप के लिए लाइसेंस जारी करने के बारे में कोई शिकायत की गई है अथवा आरोप लगाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वेल्डिंग उपकरणों और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का निर्माण

4406. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वेल्डिंग उपकरणों और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के विभिन्न प्रमुख पंजीकृत निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ख) वेल्डिंग उपकरणों और इलेक्ट्रोड का निर्माण करने वाले एककों की स्थापना के के सम्बन्ध में सरकार की लाइसेंस देने सम्बन्धी वर्तमान नीति क्या है;

(ग) वेल्डिंग उपस्कर और इलैक्ट्रोड की जो किस्में इस समय आयात की जा रही हैं, उनका स्वदेश में लाभप्रद स्तर पर निर्माण करने के लिए क्या कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वेल्डिंग उपकरण और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स बनाने वाले प्रमुख निर्माताओं के नाम नीचे दिये गये है :

1. वेल्डिंग उपकरण

1. मै० अडवानी ओवरलिकोन लि०, पूना

2. मै० इण्डियन आक्सीजन लि०, कलकत्ता।

3. मै० जय हिन्द सिआकी लि०, पूना।

4. मै० पीको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बम्बई।

II. वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स

1. मै० अडवानी ओवरलिकोन लि०, पूना ।

2. मै० डी० एण्ड एच० सेचेरोन इलेक्ट्रोड्स प्रा० लि०,

3. मै० ई०डब्ल्यू०ए०सी० अलॉय लि०, बम्बई

4. मै० इण्डियन ऑक्सीजन लि०, कलकत्ता ।

5. मै० मोदी आर्क इलेक्ट्रोड्स कं०, मोदीनगर ।

6. मै० पीको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स ।

7. मै० अपार प्रा० लि०, बड़ोदा ।

8. मै० वेल्डिंग रॉड्स मैन्युफैक्चरिंग कं०, सूरत ।

(ख) वेल्डिंग उपकरणों तथा विशेष किस्म के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स (माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड्स को छोड़कर) के उत्पादन हेतु अतिरिक्त क्षमता के सृजन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) वेल्डिंग उपकरणों और विशेष वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की मांग इसके अंतिम उपयोग के आधार पर विभिन्न उद्योगों में भिन्न-भिन्न होती है। इस समय आयात किये जाने वाले वेल्डिंग उपकरणों की मांग कम है और ये ग्राहक के आदेशानुसार बनाए जाते हैं अत: आर्थिक आधार पर देशी उत्पादन को बढ़ावा देना शायद संभव नहीं हो सकेगा। किन्तु वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के लिए देशी क्षमता उत्पादन की आर्थिक माप के आधार पर दी जा रही है।

दूरसंचार के क्षेत्र भारत तथा नीदरलैण्ड के बीच सहयोग

4407. डा० बी० एल० शैलेश:
श्री पीयूष तिरकी } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नीदरलैंण्ड ने नई परियोजनायें आरम्भ करके दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो नीदरलैण्ड सरकार द्वारा भारत सरकार के विचारार्थ कौन-कौन से विशिष्ट परियोजना/प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ;

(ग) दूरसंचार में अग्रणी किन अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार फर्मों ने नवीनतम दूरसंचार प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है; और

(घ) देश में संचार की नवीनतम प्रौद्योगिकी विकसित करनें हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) नीदरलैण्ड से दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सहयोग के लिए सुझाए गए विस्तृत क्षेत्र इस प्रकार हैं : नेटवर्क विकास और आयोजना; ग्रामीण दूरसंचार विकास, और अनुसंधान और विकास ।

(ग) मैसर्स अल्केटल आफ फ्रांस, एटी एण्ड टी० फिलिप्स आफ हालैण्ड, मैसर्स सी० इटोह आफ जापान, एन०ई०सी० आफ जापान, मैसर्स कोकुसाई इलेक्ट्रानिक्स आफ जापान, मैसर्स एल० एम० इरिक्सन आफ स्वीडन, मैसर्स निप्पोन इलैक्ट्रानिक्स जापान, मैसर्स इक्वीटोरियल, संयुक्त राज्य अमरीका, मैसर्स ग्रेन्जर एसोसिएट्स, संयुक्त राज्य अमरीका, मैसर्स अल्केटल थामसन और मैसर्स साजेम आफ फ्रांस ने मिले-जुले सौदों के प्रस्ताव भेजे हैं, इनमें से कुछ में उपस्करों की आपूर्ति और सामान्य दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए वाणिज्यिक ऋणों की भी व्यवस्था है ।

(घ) देश में ही प्रौद्योगिकी के विकास और दूरसंचार में प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए दूरसंचार विभाग के अधीन दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र और दूरसंचार विभाग के प्रशासन नियंत्रण के अधीन इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के अनुसंधान और विकास विभाग में सतत् प्रयास किए जा रहे हैं । टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी०डी०ओ० टी०) देश में ही स्विचिंग प्रौद्योगिकी के विकास में लगा हुआ है और उसने स्वदेशी डिजाइन का 128 लाइन का ई०पी०ए०बी०एक्स० सफलतापूर्वक तैयार किया है । आई०टी०आई० के अनुसंधान और विकास केन्द्र ने सफलतापूर्वक एक एकीकृत स्थानीय और ट्रंक एक्सचेंज का विकास किया है जो 2000 कनेक्शन देने में सक्षम है । इसकी, उपग्रह संचार परियोजनाओं, लाइन प्रणालियों, डिजिटल संचार परियोजनाओं, टेलीमीटरी परिपथों, सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी परियोजना, स्टेप्स डिविजन पी०ए०बी०एक्स०, एनालाग ई०पी०ए०बी० एक्स, डिजिटल निजी स्वचल शाखा एक्सचेंजों आदि का विकास करने की भी योजना है ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में तारघर, डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

4408. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में तारघर, डाकघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के संबंध में सरकार के प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : दो वर्ष के अस्थाई प्रस्ताव निम्न प्रकार है :

	1987-88	1988-89
1. तारघर (संयुक्त डाकतार घर)	20	20
2. टेलीफोन एक्सचेंज	9	9
3. डाकघर	शून्य	शून्य

तेल शोधक कारखानों में ऊर्जा की कम खपत वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना

4409. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सबसे पुराने तेल-शोधक कारखानों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन तेल शोधक कारखानों में उत्पादन वर्षानुवर्ष घटता जा रहा है;

(ग) क्या सरकारी उद्यम कार्यालय ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन तेल शोधक कारखानों में ऊर्जा की कम खपत वाली नवीनतम प्रौद्योगिकी और उन्नत उपस्करों का प्रयोग करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो इन कारखानों का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) इंडियन ऑयल कारपोरेशन की डिग्बोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) रिफाइनरियों की कुशल प्रौद्योगिकी एवं आधुनिकीकरण में ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए सरकार महत्व दे रही है। डिग्बोई रिफाइनरी के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव आया हुआ है।

लघु सीमेंट संयंत्रों हेतु आवेदन

4410. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए मार्च, 1986 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1986 तक प्रत्येक राज्य के लिए कितने आवेदन स्वीकृत किये गये;

(ग) 31 मार्च, 1986 तक कितने लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित किये गये;

(घ) देश में लघु सीमेंट संयंत्रों द्वारा सीमेंट का प्रति वर्ष कितना उत्पादन किया जाता है और वे देश में सीमेंट का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में कहां तक सहायक हैं; और

(ङ) ऐसे कितने लघु सीमेंट संयंत्र निर्माणाधीन हैं और वे कब तक कार्य करना आरम्भ करेंगे ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) 1 अप्रैल, 198५ से 31 मार्च, 1986 की अवधि के दौरान लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा :

राज्य/संघ शासित प्रदेश	औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	कुल योग
आन्ध्र प्रदेश	8	4	12
अरुणाचल प्रदेश	—	1	1
असम	3	8	11
बिहार	—	1	1
गुजरात	1	1	2
जम्मू और कश्मीर	—	1	1
कर्नाटक	—	11	11
मध्य प्रदेश	1	2	3
महाराष्ट्र	1	4	5
मेघालय	1	1	2
उड़ीसा	1	1	2
राजस्थान	1	4	5
तमिलनाडु	1	4	5
उत्तर प्रदेश	1	5	6
पाण्डिचेरी	—	1	1
	19	49	68

(ख) लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदान किए गये औद्योगिकी अनुमोदनों, जो कि 31 मार्च, 1986 को कार्यान्वयन के अन्तर्गत थे, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/संघ शासित प्रदेश	औद्योगिक लाइसेंस	आशयपत्र	तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरण	कुल योग
आन्ध्र प्रदेश	4	4	39	47
असम	—	6	13	19
बिहार	—	1	6	7
गुजरात	5	3	15	23
हिमाचल प्रदेश	1	1	16	18
जम्मू और कश्मीर	—	—	10	10
कर्नाटक	4	8	26	38
महाराष्ट्र	1	—	3	4
मध्य प्रदेश	1	1	37	39
मेघालय	—	2	3	5
उड़ीसा	1	2	5	8
राजस्थान	1	2	11	14
तमिलनाडु	—	—	11	11
उत्तर प्रदेश	—	2	4	6
पाण्डिचेरी	—	—	3	3
	18	32	202	252

(ग) बयालीस लघु सीमेंट एककों के 31 मार्च, 1986 से उत्पादन आरम्भ करने की सूचना मिली है।

(घ) चालू वर्ष (1986-87) के दौरान लघु सीमेंट संयंत्रों द्वारा वर्ष के लिए 365 लाख मी० टन उत्पादन के लक्ष्य के मुकाबले 11.5 लाख मी० टन अंशदान करने की सम्भावना है।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित किया गया है, लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए 252 औद्योगिक अनुमोदन 31 मार्च, 1986 को कार्यान्वयन के अन्तर्गत थे। इन संयंत्रों की सामान्य प्रारम्भिक अवधि 4 से 5 वर्ष है।

गुजरात में उप-डाक-घर खोलना

4411. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में विभिन्न स्थानों में और विशेष रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र में उप-डाकघर खोलने के बारे में वाणिज्य और उद्योग मण्डलों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में गुजरात के संसद सदस्यों ने भी कोई अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(1) **ग्रंलुग (तलजा)** : सैद्धांतिक रूप से डाकघर की मंजूरी दे दी गई है। अगली कार्यवाही पदों के सृजन पर लगी रोक हटने पर की जाएगी।

(2) **मकरपुरा डी० आई० डी० सी०** : पदों के सृजन पर लगी रोक हटाने पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(3) **मोटा बाजार (नवसारी)** : प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया था किन्तु उपयुक्त भवन के अभाव में डाकघर नहीं खोला जा सका। पदों के सृजन पर लगे रोक के हटने पर अगली कारंवाई की जाएगी बशर्ते कि उपयुक्त भवन सुलभ हो।

(4) **जसवाड़ा (सौराष्ट्र)** : सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई थी। अगली कारंवाई पदों के सृजन पर लगी रोक हटने पर की जाएगी।

(5) **मिराखेवा (सौराष्ट्र)** : विस्तृत जांच के लिए अभी कारंवाई शुरू नहीं की गयी।

(6) **और (7) काटवाड़ा और मोती मोनपुरी (सौराष्ट्र)** : जांच करने पर यह पाया गया कि ये प्रस्ताव डाकघर खोलने सम्बन्धी मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं।

"बेयरिंग" उद्योग प्रोत्साहन और रियायतें

4412. **श्री आर० एम० भोये :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा तैयार की गई एक सरकारी रिपोर्ट में

"बेयरिंग" उद्योग में नए निवेश विद्यमान संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु 'बेयरिंग' उद्योग में कार्यरत उपक्रमों को कतिपय आर्थिक रियायतें और प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो रोलर "बेयरिंग" की अनुमानित मांग कितनी है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने "रोलिंग बीयरिंग इंडस्ट्रीपरस्पैक्टिव" नामक एक दस्तावेज तैयार किया था। इससे पता चलता है कि सभी प्रकार के बीयरिंग की वर्तमान मांग 650 लाख है और वर्ष 1990 और 1995 में इनकी क्रमश: 950 लाख और 1400 लाख तक होने की आशा है। इसके अलावा, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उद्योग को कुछेक वित्तीय रियायतें और प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए जिनको विनिर्दिष्ट अथवा जिनकी मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। वास्तव में कराधान के कारण यह सुझाव दिया गया है कि बीयरिंग उद्योग से सम्बन्धित पेनल इसकी व्यापक रूप से जांच करे और इस सम्बन्ध में विशेष सुझाव दे।

विकास पेनल को यह दस्तावेज विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है ताकि यह प्रयोक्ता उद्योगों और अन्य प्राधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत कर सके और सरकार के विचारार्थ उपर्युक्त सिफारिशें तैयार कर सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के औषध एककों को हुआ लाभ-हानि

4413. **श्री आर० एम० भोये :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के 5 औषध एककों की गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार हुए लाभ अथवा हानि के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यदि घाटा हुआ था तो उस घाटे को कम करने के लिए बाजार में विद्यमान दरों से अधिक मूल्य अंकित किये गये थे।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की पांच औषध कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उठाए गये लाभ या हानियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(रु० करोड़ में)

	1983-84	1984-85	1985-86
आईडीपीएल	(—) 19.43	(—) 26.25	(—) 32.21
एचएएल	(—) 1.71	(—) 5.81	(—) 8.11

बीसीपीएल	(—) 4.85	(—) 4.84	(—) 5.90 (अनु०)
एसएसपीएल	(—) 0.12	(+) 0.02	(—) 1.35
बीआईएल	(—) 3.77	(—) 2.60	(—) 3.15 (अनु०)

(ख) इन कंपनियों द्वारा उत्पादित अधिकतर औषधों एवं सूत्रयोगों के मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत, विनियमित किये जाते हैं, अतः ऐसी औषधों के मूल्यों में वृद्धि, उक्त आदेश में निर्दिष्ट सीमा तक ही की जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी लागू करना

4414. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्य करने की गति बढ़ाने और मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी लागू करने के बारे में कोई विनिश्चय कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कथन अभिलिखित करने के लिए टेप का प्रयोग करने तथा अन्य यंत्रीकृत तरीकों, जैसे फोटो कापिंग, टेलेक्स सुविधाएं, माइक्रोफिल्मिंग, का प्रयोग करने और अनुसंधान, सूचना और विकास विभाग की स्थापना करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी लागू करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है और मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करते हुए अन्य औपचारिकताओं का पता लगाने संबंधी कार्य चल रहा है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों और उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में टेलेक्स मशीनें लगाई जा चुकी हैं। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उच्च न्यायालयों को आधुनिक कार्यालय उपस्कर देने की व्यवस्था करें।

ताप विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण और नवीकरण

4415. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कतिपय ताप विद्युत केन्द्रों के आधुनिकीकरण और नवीकरण

के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में उनके निर्णय के अनुसार उनमें किए गये सुधारों के सम्बन्ध में निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन यूनिटों के क्या नाम हैं, प्रत्येक में अब तक क्या सुधार किये गये हैं और इन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन चल रहा है और किसी भी केन्द्र में इसे पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है। स्कीम के पूरा होने पर ही परिणामों का पता चल सकेगा।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योग एककों द्वारा औषधियों का उत्पादन

4416. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान लघु उद्योग एककों को सप्लाई की गई सरणीबद्ध औषधि मदों की मात्रा बढ़ा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों द्वारा वर्ष 1983-84 की तुलना में वर्ष 1984-85 में औषधियों के उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि हुई थी।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि अंतर्ग्रस्त एककों और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की संख्या काफी बड़ी है अतः प्राप्त होने वाले परिणाम मांगे गये ब्यौरों के संकलन में अंतर्ग्रस्त समय एवं श्रम के अनुरूप नहीं होंगे।

सरकारी उद्यमों में निजी क्षेत्र के प्रबन्धक

4417. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी प्रबन्ध व्यवस्था का निजीकरण करने जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले दो महीनों में निजी क्षेत्र के अनेक प्रबन्धकों को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन प्रबन्धकों तथा सरकारी उद्यमों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि निजी क्षेत्र के अधिकांश प्रबन्धक विख्यात बड़े औद्योगिक घरानों से हैं ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इन निजी क्षेत्र के प्रबन्धकों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मौलिक उद्देश्यों की किस प्रकार सुरक्षा की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (च) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शीर्ष पदों पर अधिकारियों के चयन सम्बन्धी सरकार की नीति 1977 में तैयार की गई थी और अभी तक वही चल रही है। इस नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शीर्ष पदों से सम्बन्धित मार्ग-निर्देश इस प्रकार हैं :—

(क) जब तक बाहर से विशिष्टत: और योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, तब तक रिक्तियां सरकारी उद्यम अधिकारियों में से ही पदोन्नतियों द्वारा भरी जायेंगी। इस प्रयोजन के लिए सरकारी उद्यम चयन मण्डल, संगठनात्मक ढांचे अपनाने में सरकारी उद्यमों की सहायता करेगा जिससे ऐसी पदोन्नतियां संभवत: की जा सकें।

(ख) यदि आन्तरिक उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तो सरकारी क्षेत्र के अन्य किसी उद्यम में कार्यरत उम्मीदवारों को अधिमान्यता दी जायेगी ; ताकि ऐसे होनहार अधिकारियों, जिनकी पदोन्नति के अवसर उनके अपने उद्यमों में सुलभ न हों, को प्रगति के भरपूर अवसर प्राप्त हो सकें।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) से उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर, अन्य स्रोतों जैसे सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्र आदि से चयन किया जायेगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों के पदों पर नियुक्तिय प्रत्येक विशिष्ट पद की कार्यगत अपेक्षाओं के आधार पर की जाती हैं तथा चयन की मुख्य कसौटियां हैं—किसी विशेष कार्य के लिये उम्मीदवार की उपयुक्तता, उनकी अर्हताएं, एवं अनुभव, सेवा वृत्त, बहु-विषयक दल का नेतृत्व करने के गुण, पहल तथा अभियान आदि। गत छ: महीनों के दौरान सरकार ने 18 मुख्य कार्यपालक नियुक्त किए हैं जिनमें से केवल चार नियुक्तियां ऐसे व्यक्तियों की की गई हैं जो पहले गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यरत थे।

आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उनका निपटान

4418. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 30 सितम्बर, 1986 तक (वर्ष-वार) विभिन्न राज्यों से (राज्य-वार) नये उद्योगों की स्थापना के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने आशय-पत्र जारी किए गये तथा कितने लाइसेंस दिए गये ; और

(ख) कितने आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है और कब से ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) वर्ष 1980 से 1986 (27-11-86 तक) के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में उद्योग स्थापित करने के लिए 16074 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन प्राप्त हुए थे। इन 662 प्रस्तावों में से, 1983 के 3, 1984 के 18 और 1985 के 48 और शेष वर्ष 1986 के 593 विचारणाओं के विभिन्न चरणों में थे। आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। किसी विशेष वर्ष में जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का सम्बन्ध आवश्यक रूप से उसी वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों से नहीं होता।

विवरण

वर्ष 1980 से 1986 (सितम्बर, 1986 तक) के दौरान स्वीकृत आशय पत्रों (आ० प०)/औद्योगिक लाइसेंसों (औ० ला०) के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986 (सितम्बर, 86 तक)	
		आ० प०	औ० ला०	आ० प०	औ० ला०	आ० प०	औ० ला०	आ० प०	औ० ला०	आ० प०	औ० ला०	आ० प०	औ० ला०	आ० प०	औ० ला०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	78	42	68	39	66	26	79	63	92	45	127	70	76	30
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	—	1	—	7	2	2	3	1	6	1	1
4.	असम	2	5	7	4	5	1	3	22	14	8	12	12	17	3
5.	बिहार	19	4	17	10	22	9	30	29	21	26	22	20	13	4
6.	चण्डीगढ़	—	1	1	1	4	3	1	3	3	1	3	6	2	1
7.	दादर और नागर हवेली	--	—	—	—	4	—	3	—	—	1	5	2	6	1
8.	दिल्ली	2	5	9	2	9	7	8	18	6	19	23	7	16	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	गोआ, दमन और द्वीव	9	2	8	5	9	7	12	3	9	10	15	14	14	1
10.	गुजरात	148	85	131	79	121	69	116	115	107	82	151	69	81	69
11.	हरियाणा	59	20	59	21	66	21	68	59	53	46	97	46	42	26
12.	हिमाचलप्रदेश	11	2	15	1	15	6	20	5	18	5	29	12	13	8
13.	जम्मू और कश्मीर	12	1	8	3	8	3	17	10	9	8	18	6	5	4
14.	कर्नाटक	737	40	58	25	85	34	74	65	63	49	92	69	57	28
15.	केरल	22	11	25	[illegible]	29	9	35	22	7	21	25	24	13	11
16.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	मध्य प्रदेश	47	18	30	15	63	9	54	30	77	36	89	39	42	24
18.	महाराष्ट्र	175	107	144	114	148	95	155	171	194	140	211	134	133	68
19.	मणीपुर	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
20.	मेघालय	—	—	11	—	4	—	4	—	2	—	1	—	1	2
21.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.	नागालैण्ड	—	—	6	—	1	—	3	2	1	2	—	—	3	—
23.	उड़ीसा	14	8	32	5	43	10	25	14	20	15	39	25	16	8
24.	पाण्डिचेरि	1	—	3	1	2	1	10	3	11	3	13	12	7	2
25.	पंजाब	38	18	46	17	39	14	45	169	44	94	57	72	40	29
26.	राजस्थान	45	15	42	26	55	14	34	25	38	25	41	38	40	16
27.	सिक्किम	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—
28.	तमिलनाडु	52	37	69	30	66	41	68	76	89	85	110	177	73	48
29.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
30.	उत्तर प्रदेश	80	30	77	24	111	22	128	98	132	80	196	79	108	53
31.	प० बंगाल	55	23	43	34	37	27	45	71	35	93	66	51	34	14
32.	न दर्शाये गये राज्य/एक से अधिक राज्य	4	1	6	4	29	4	9	—	13	5	11	3	3	4
	योग	946	475	916	476	1043	432	1055	1075	1064	905	1457	985	857	464

कावेरी घाटी में तेल

44.9. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी घाटी में तेल प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यहां पर किस प्रकार के पेट्रोल तथा अन्य उत्पादों के प्राप्त होने की संभावना है ;

(ग) क्या इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है और उक्त क्षेत्र में कितने तेल भण्डार विद्यमान हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) जी, हां। इसको अच्छी क्वालिटी का माना जा सकता है।

(ग) कावेरी बेसिन में अन्वेषण कार्य चल रहा है।

(घ) वर्तमान में तेल का उत्पादन केवल नरिमानम–1 कुयें के विस्तृत उत्पादन परीक्षण से प्राप्त हो रहा है।

1-1-86 तक बेसिनों में जिऔलोजिकल रिजर्व 6.32 मिलियन टन तेल का है।

मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कमी

4420. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों, विशेषकर मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कमी महसूस किए जाने के बारे में समाचार प्राप्त हुए है ; और

(ख) क्या सरकार ने डीजल और पेट्रोल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध किए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सहित देश में आमतौर पर डीजल और पेट्रोल की कमी संबन्धी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में डीजल की कमी होने के बारे में खबर मिली थी, स्थिति को सुधारने के लिए तुरंत औपचारिक कारंवाई की गई।

राज्यों/संघी राज्य क्षेत्रों को पेट्रोल और डीजल का कोई आबंटन नहीं किया गया। ये उत्पाद "फ्री सेल" आधार पर उपलब्ध है और सेल कम्पनियों की मांग को यथासंभव पूरा करने के अनुदेश हैं।

मध्य प्रदेश में बस्तर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

4421. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रदेश में बस्तर जिले के आदिवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध न होने की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो बस्तर जिले के आदिवासियों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष राज-सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के कार्यकरण को देखने के लिए एक अन्तर-मन्त्रालय दल ने अभी हाल में मध्य प्रदेश के बस्तर जिले का दौरा किया था। इस दल की सिफारिशों तथा जांच-परिणाम राज्य के समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेज दिए गए हैं।

कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

4422. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची कब तक समाप्त हो जाएगी ; और

(ख) चालू वर्ष और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल के किन-किन स्थानों को कलकत्ता के साथ सीधी ट्रंक डायल सेवा से जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) सातवीं योजना के दौरान वर्तमान प्रतीक्षा-सूची को काफी हद तक निपटाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि चढ़ा हुआ योजना आवंटन व पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें।

(ख) पश्चिम बंगाल के उन स्थानों के नाम निम्नलिखित हैं, जिन्हें एस० टी० डी० द्वारा कलकत्ता के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है :—

(क) मौजूदा वर्ष के दौरान :

1986 के दौरान पुरुलिया को जोड़ दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के और स्थानों को जोड़ने की संभावना नहीं है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान :

(i) तामलुक

(ii) डायमंड हारवर।

(iii) वरहामपुर।

(iv) दुर्गा चौक।

(v) कल्याणी (कलकत्ता से आने वाली)।

(vi) नामची।

(vii) मोंगन।

(viii) जलपईगुड़ी।

(ix) वालुरघाट।

(x) गेजिंग।

(xi) कुरसियोंग।

तथापि, यह उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट में कर्मचारियों के ब्यौरे का प्रकाशन

4423. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग को इस बात की जानकारी है कि कुछ बड़े औद्योगिक घराने अपने कुछ कर्मचारियों द्वारा प्राप्त उच्च वेतन और भत्तों से शेयरधारी को गुमराह करने के स्पष्ट उद्देश्य से अपनी वार्षिक रिपोर्टों में कम्पनी अधिनियम में निर्धारित 36,000/- रुपये से अधिक वार्षिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों का विवरण मुद्रित करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्पूर्ण मामले को सुचारु बनाने और ऐसे महत्वपूर्ण विवरण को एक तालिका के रूप में मुद्रित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि 36000/- रु० से अधिक वार्षिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के विवरण का ध्यानपूर्वक मुद्रण केवल शेयरधारियों को भ्रमित करने की दृष्टि से किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां और कनेक्शन

4424. श्री पीयूष तिरकी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जिला-वार कितनी गैस एजेंसियां हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के जिला-वार और वर्ष-वार कितने कनेक्शन मंजूर किए गए ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को एजेंसियों के आबंटन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षण जारी है।

विवरण

क्र०सं०	जिलों के नाम	तारीख 1-10-86 को कार्य कर रही एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की कुल संख्या	जारी किये गये एल० पी० जी० कनेक्शनों की कुल संख्या 1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5	6
1.	कलकत्ता	21	12894	8408	10274
2.	हावड़ा	11	10217	5118	8108
3.	वर्दवान	17	10326	6626	7720
4.	मिदनापुरी	10	3478	925	4257
5.	24 परगना	59	40663	15869	41497
6.	हुगली	10	6343	2055	11003
7.	नाडिया	9	511	1962	6704

1	2	3	4	5	6
8.	दुर्गापुर	2	491.	347	226
9.	बोलपुर	1	245	170	10
10.	दार्जिलिंग	6	3327	446	2872
11.	कूचबेहर.	4	328	896	2425
12.	बांकुरा	1	281	438	224
13.	पुरुलिया	3	807	248	55
14.	बीरभूम	2	112	249	955
15.	जलपाईगुड़ी	3	409	479	2485
16.	माल्डा	1	516	326	708
17.	पश्चिमी दिनाजपुर	2	161	305	1045
18.	मुर्शिदाबाद	4	830	1637	1951
		166	91939	46504	102539

हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स का प्रबन्ध ग्रहण करना

4425. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में आसनसोल स्थित हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स का प्रबन्ध ग्रहण करने के बारे में कोई सर्वेक्षण समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस यूनिट का प्रबन्ध ग्रहण करने अथवा पुन: चालू करने में उसकी सहायता करने का विचार है ; और

(घ) इस यूनिट को बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप कितने कामगार बेरोजगार हो गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एकक के अधिग्रहण में रुचि लेने वाले विभिन्न गैर-सरकारी पार्टियों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम और ग्रिंडले बैंक के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई थी। जिस उद्यमी का प्रस्ताव उपयुक्त पाया गया था उससे बाद में कोई रुचि नहीं दिखाई।

(ग) कम्पनी के भविष्य का फैसला बैंकों, वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(घ) इस कम्पनी के बन्द होने के परिणामस्वरूप 1400 कर्मचारियों के बेरोजगार होने की सूचना है।

माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मनोरंजन पर किया गया व्यय

4426. श्री पूर्णचन्द्र मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मनोरंजन पर कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(ख) इस अवधि के दौरान सत्कार भत्ते पर कितना धन खर्च किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार ("मनोरंजन" शीर्ष के अन्तर्गत निगम द्वारा खर्च की गई राशि निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	राशि (लाख रु० में)
1983-84	1.95
1984-85	2.20
1985-86	2.25

(ख) उपर्युक्त अवधि में सत्कार भत्ते पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का आधुनिकीकरण

4427. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि में भारत आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) 1985-86 और 1986-87 के बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) बी० ओ० जी० एल० की आधुनिकीकरण और अन्य योजना स्कीमों के लिए सातवीं योजना अवधि में 14 करोड़ रु० की राशि शामिल की गई है।

(ख) 1985-86 में कम्पनी की योजना स्कीमों के लिए बजट में 1.85 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया था जिसे बाद में संशोधित करके 43.45 लाख रु० किया गया था। 196-87 के लिए योजना स्कीमों हेतु बजट में 3.50 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तेल की खोज

4428. **सैयद शाहबुद्दीन**
श्री प्रतीश चन्द्र सिन्हा } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तेल अथवा प्राकृतिक गैस के लिए कोई खोज कार्य चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो खोज कार्य कर रही एजेंसियों के नाम सहित, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कोई विदेशी सहयोग किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) जी, हां। ओ० एन० जी० सी० के पश्चिमी तट पर कच्छ, सौराष्ट्र, बम्बई और केरल-कोंकण बेसिनों के आर्थिक जोन (ई० ई० जैड) और पूर्वी तट पर कावेरी कृष्णा-गोदावरी, बंगाल और अंडमान के बेसिनों में हाइड्रो-कार्बन के अन्वेषण कार्य में लगी हुई है।

आयल इंडिया लिमिटेड अंडमान के ई० ई० जैड और महानदी (एन० ई० सी०) बेसिनों पर अन्वेषण कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय पन बिजली निगम द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजनाओं का पूरा किया जाना

4429. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पन बिजली निगम द्वारा प्रारम्भ की गई बड़ी परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) ठेकों पर किस-किस वर्ष हस्ताक्षर किए गये थे और उस समय उनकी अनुमानित राशि कितनी थी और परियोजनाओं को कितने समय में पूरा करना तय हुआ था ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की सम्भावित तारीखों और अनुमानित लागत के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	निवेश संबंधी स्वीकृति का वर्ष		परियोजना की लागत (निवल) (करोड़ रुपये)	अयतन अनुमानित लागत	पूरा होने का मूल कार्यक्रम	प्रत्याशित/वास्तविक पूरा होने का कार्यक्रम
1	2	3		4	5	6	7
	प्रचालनाधीन परियोजनाएं						
1.	बैरा स्यूल (3×60 मेगावाट)	मूल अयतन (अनुमोदित)	1970 1981	20.49 130.05* 17.50 आई.डी.सी.*	134.47* 13.87 आई.डी.सी.*	मार्च, 1974 दिसम्बर, 1981	दिसम्बर, 81
2.	लोकतक (3×35 मेगावाट)	मूल अयतन (अनुमोदित)	1970 1984	10.90 110.22* 19.76 आई.डी.सी.*	123.44* 10.86 आई.डी.सी*	मार्च, 1974 मार्च, 1984	जून, 1983
	निर्माणाधीन परियोजनाएँ						
1.	सलाल (3×115 मेगावाट)	मूल अयतन (अनुमोदित)	1970 1983	55.15 490.45	567.35	जून, 1979 अक्तूबर, 1986	मार्च, 1987

1	2	3		4	5	6	7
2.	दुलहस्ती (3 × 130 मेगावाट)	मूल	1982	161.72* 21.73 आई.डी.सी.* (पारेषण प्रणाली को छोड़कर)	213.00 द्विपक्षीय सहायता से (आई० डी० सी०* की सहायता को सामिल न करते हुए 150 करोड़ रुपये की पारेषण प्रणाली इसमें शामिल हैं) (अद्यतन किया जा रहा है)	जनवरी, 1991	परियोजना को विदेशी सहायता से क्रियान्वित किया जाना है जिसे ठेके की तारीख से 57 महीने की अवधि में पूरा किया जायेगा।
3.	चमेरा चरण 1 (3 × 180 मेगावाट)	मूल	1984	719.40* आई.डी.सी. 89.89* आई.डी.सी.	726.76* आई. डी. सी. 100.47	मार्च, 1990	मार्च, 1990
4.	कोयल कारो (4 × 172.5* 1 × 20 मेगावाट)	मूल	1982	391.83* आई.डी.सी. 48.08 आई.डी.सी.	वृद्धि के कारण परियोजना की लागत में बढ़ोतरी की संभावना है।	भूमि उपलब्ध होने की तारीख से 8 वर्ष में	भूमि उपलब्ध होने की तारीख से 7 वर्ष और 3 महीने में
5.	चूखा पारेषण प्रणाली (भारतीय हिस्सा)	मूल	1981	68.62* आई.डी.सी. 6.21* आई.डी.सी.*	118.65* आई. डी. सी. 11.16 (प्रत्याशित)	जून, 1985	जून, 1987

1	2	3	4	5	6	7
		अद्यतन 1984	118.65* आई.डी.सी. 5.29* आई.डी.सी.		जून, 1987	
6.	टनकपुर (3 × 40 मेगावाट)	मूल 1984	178.75* आई.डी.सी. समेत* 7.10	178.75 आ.डी.सी.* समेत 7.10	जून, 1989	मार्च, 1990

* आई. डी. सी. निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज

चीनी का उत्पादन, खपत और आयात

4430. सैयद शाहबुद्दीन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में समाप्त हुए चीनी वर्ष के दौरान चीनी का कितना अनुमानित उत्पादन हुआ है ;

(ख) हाल ही में समाप्त हुए चीनी वर्ष के दौरान कितनी चीनी का आयात किया गया है;

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी चीनी की खपत हुई है ; और

(घ) गत चीनी वर्ष के अन्त में कितनी चीनी का भंडार था ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) 1985-86 मौसम (पहली अक्तूबर से 30 सितम्बर) के दौरान चीनी के उत्पादन, आयात आन्तरिक खपत और 1985-86 मौसम के अन्त में अर्थात् 30-9-86 को स्टाक का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

		(लाख मीटरी टन में) (अनन्तिम)
1.	चीनी का उत्पादन	70.03
2.	चीनी का आयात	16.28
3.	आन्तरिक खपत	83.32
4.	30-9-86 को स्टाक	19.09

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

4431. सैयद शाहबुद्दीन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने से संबंधित, राज्य-वार, कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) कितने प्रस्ताव तीन मास से अधिक समय से विचाराधीन हैं ; और

(ग) अतिरिक्त पदों का सृजन करने के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) किसी उच्च न्यायालय के लिए उपेक्षित न्यायाधीशों की संख्या, मूल मामलों के संस्थित किए जाने और लंबित रहने तथा प्रति न्यायाधीश औसत वार्षिक निपटारे के सामान्य मानदण्ड के प्रति निर्देश से परिकलित की जाती है। मामलों के निपटारे की दृष्टि से अपनाया गया कार्य-मानदण्ड प्रति न्यायाधीश प्रति वर्ष 650 मूल मामले या पूर्ववर्ती 3 वर्षों में प्रति न्यायाधीश प्रतिवर्ष किए गए वास्तविक निपटारे का औसत, दोनों में से जो भी अधिक हो, है। स्थायी न्यायाधीशों की अपेक्षित संख्या निपटारे के इस मानदण्ड और पूर्ववर्ती तीन वर्ष में संस्थित मूल मामलों की औसत संख्या को ध्यान में रख कर परिकलित की जाती है। बकाया मामलों के निपटारे के लिए यथास्थिति, 2, 3 या 4 वर्ष की अवधि में निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की अपेक्षित सख्या की गणना करने में, निपटारे के उसी मानदण्ड को और पिछले 2 वर्ष में लंबित मूल मामलों को, ध्यान में रख कर की जाती है। यद्यपि गणितीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर अपेक्षित पदों की संख्या का पता लगता है तथापि न्यायालयों के लिए स्थान की उपलब्धता, न्यायाधीशों के लिए चैंबर और निवास स्थान, वित्तीय दबाव आदि जैसे सुसंगत पक्षों को भी ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

28-11-1986 को विद्यमान स्थिति के अनुसार

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	तीन मास से अधिक समय से लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	5	—
2.	आंध्र प्रदेश	2	2
3.	मुम्बई	—	—
4.	कलकत्ता	7	5*
5.	दिल्ली	2	2
6.	गुवाहाटी	—	—
7.	गुजरात	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	3	—

1	2	3	4
9.	जम्मू-कश्मीर	—	—
10.	कर्नाटक	4	—
11.	केरल	—	—
12.	मध्य प्रदेश	2	2
13.	मद्रास	3	2
14.	उड़ीसा	—	—
15.	पटना	4	—
16.	पंजाब और हरियाणा	4	1
17.	राजस्थान	2	—
18.	सिक्किम	—	—
	योग	38	14

* ये 5 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं और शीघ्र ही अधिसूचित कर दिए जाएँगे ।

विद्युत उत्पादन उपस्करों की कमी

4432. श्री अमर सिंह राठवा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन उपस्करों की कमी है ;

(ख) उन यूनिटों के नाम क्या हैं जो विद्युत उत्पादन उपस्करों की सप्लाई कर रही है ;

(ग) विद्युत उत्पादन उपस्करों की कमी के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार के उपस्करों का आयात करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो विद्युत यूनिटों की मांग को पूरा करने के लिए देश में ही विद्युत उत्पादन उपस्करों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ) देश में मुख्य विद्युत उत्पादन उपस्कर की कोई कमी नहीं है । वृहत जल-विद्युत तथा ताप विद्युत

यूनिटों के लिए मुख्य विद्युत उत्पादन उपस्कर का निर्माण भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ताप विद्युत यूनिटों के लिए बायलरों का निर्माण मैसर्स ए० सी० सी० बाबकाक लिमिटेड द्वारा भी किया जा रहा था। मैसर्स ए० बी० एल० द्वारा परिसमापन के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

मुख्य विद्युत उत्पादन उपस्कर प्राप्त करने के लिए स्वदेशी निर्माताओं को प्राथमिकता देना जारी रखा गया है। परिस्थितियों की समग्रता के आधार पर केवल चुने हुए तथा गुणवत्ता-दोष के आधार पर मामलों के संबंध में आयात किया जाता है।

भारतीय साइकिल निगम

4433. **डा० सुधीर राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय साइकिल निगम का गैर-सरकारीकरण करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या इस उद्योग को बेचने के लिए गैर-सरकारी उद्योगों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया था ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) भारतीय साइकिल निगम के गैर-सरकारीकरण के एक प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रायवेट उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

ढुलाई और भंडारण में खाद्यानों की हानि

4434. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और निगम पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ढुलाई के दौरान खाद्यानों की भारी हानि को रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या गत पांच वर्षों के दौरान वास्तविक हानि की राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(घ) इन वर्षों के दौरान हुई हानि, कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है ; और

(ङ) वर्ष 1981-82 से अब तक प्रतिवर्ष ढुलाई के दौरान और भण्डारण में खाद्यान्न की कितनी मात्रा का नुकशान हुआ ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) इनमें खुले वैगनों में संचालन से बचना, प्रत्येक बोरी में भराई की मात्रा कम करना, सुरक्षा को कड़ा करना और अचानक छापे मारना शामिल है ।

(ग) से (ङ) धनराशि प्रतिशतता और मात्रा के हिसाब से हानियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

मात्रा लाख मीटरी टन में

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल हानियां (मार्गस्थ तथा भंडारण)			
	खरीद जमा बिक्री	हानियां		खरीद जमा बिक्री पर मात्रा के हिसाब से हानियों की प्रतिशतता
		मात्रा	मूल्य	
1981-82	285.82	6.51	115.91	2.28
1982-83	312.78	7.40	143.66	2.37
1983-84	319.00	6.74	140.70	2 11
1984-85	295.14	5.72	122.76	1.94
1985-86	368.40	5.95	136.12	1.62

आन्ध्र प्रदेश में परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना

4435. श्री वी० तुलसीराम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्ररम्परागत ग्रामोद्योग के मामले में देश में आंध्र प्रदेश का स्थान सभी राज्यों से ऊपर है ;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश द्वारा परम्परागत उद्योग के स्तर को बनाये रखे जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने राज्य में परम्परागत उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिये उसका वित्तपोषण करने का निर्माण किया है ;

(ग) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनका वित्तपोषण किया जायेगा और इस केन्द्रीय सहायता से कितने परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में ऐसे परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये गये और आगामी तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) योजना आयोग के वर्गीकरण के अनुसार परम्परागत उद्योगों में खादी और ग्रामोद्योग, हथकरघा, रेशम उद्योग, दस्तकारी और कायर उद्योग शामिल है। इनमें से प्रत्येक उद्योग में एककों, रोजगारी की संख्या तथा उत्पादन और निर्यात (मात्रा और मूल्य) के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सहित राज्यों की स्थिति भिन्न-भिन्न हैं। उदाहरण के लिए देश में हथकरघों की अनुमानित संख्या के अनुसार राज्यों में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है।

(ख) से (घ) इन उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का होता है फिर भी कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, निर्यात संवर्धन आदि जैसी अखिल भारयीय प्रकार की संवर्धनात्मक स्कीमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हथकरघा, दस्तकारी, लघु उद्योग के विकास आयुक्तों के कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड और कायर बोर्ड जैसे केन्द्रीय संवर्धनात्मक अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परम्परागत उद्योगों के संवर्धन हेतु इन अखिल भारतीय स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में, केन्द्रीय क्षेत्र में, 855.84 करोड़ का परिव्यय रखा गया है। राज्यवार परिव्यय नहीं किया जाता। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश की सातवीं योजना (1985-90) में इन परम्परागतग उद्योगों के विकास के लिए 66.50 करोड़ रु० का अलग प्रावधान भी शामिल है। सातवीं योजना में इन स्कीमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में 2.25 लाख कारीगरों के लाभान्वित होने की संभावना है।

राज्य सराकर और अखिल भारतीय संगठनों द्वारा इन उद्योगों के संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जाने वाली उपर्युक्त प्रकार की स्कीमों में कारीगरों का प्रशिक्षण, सहकारी व्यवस्था का विस्तार करना, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के उपाय, उत्पादकता में सुधार और प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास उन्नत औजारों और उपकरणों की सप्लाई, इन उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के संवर्धन सहित विपणन सहायता आदि शामिल है।

मारुति कारों के निर्यात के लिए हंगरी के साथ समझौता

4436. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल
श्री शांताराम नायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कारों के निर्यात के लिए हंगरी के साथ कोई समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे कितनी आय होने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) हिस्से पुर्जों की लागत सहित लगभग 2 मिलियन अमेरिकी डालर के कुल मूल्य में 1987 में 500 मारुति कारों की बिक्री करने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड ने हंगरी के मेसर्स मागरूट के साथ एक बिक्री करार किया है। करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की आशा है।

बम्बई हाई में "आफशोर" प्लेटफार्मों से चोरी

4437. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बम्बई हाई में "आफशोर" प्लेटफार्मों से कुछ निवेशों की चोरी के बारे में 1 नवम्बर, 1986 के बम्बई साप्ताहिक "ब्लिट्ज" में "बाम्बे" हाई इन डेंजर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) किन परिस्थितियों में ये चोरियां हुई; और

(ग) विद्यमान सुरक्षा प्रणाली की विभिन्न खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) जी, हां। दिसम्बर 1985 में, असुरक्षित प्लेटफार्म पर मात्र एक ही बार चोरी हुई है।

(ग) तेल प्रतिष्ठानों की पेरीफेरी में पेट्रोलिंग को तीव्र करने का प्रस्ताव है।

उद्योगों को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाना

4438. **श्री भट्टम श्री राम मूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 से और विशेष रूप से वर्ष 1982 से उद्योगों का विभिन्न क्षेत्रों में फैलाने के जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ख) वर्ष 1984 से अब तक औद्योगिक लाइसेंसों के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितने आवेदनपत्र-प्राप्त हुये, कितने मंजूर किए गये, कितने नामंजूर किये अथवा वापस लिये गये और कितने लंबित पड़े हुये हैं ; और

(ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योगों के क्षेत्रीय छितराव पर सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के पैरा 15 में बल दिया गया था। तदुपरांत 27-7-1980 के औद्योगिक नीति संकल्प में क्षेत्रीय संतुलन को ठीक

करने पर पुनः वत्र दिया गया। "उद्योगों के लिए मार्गदर्शन" (गाइडलाइन्स फार इण्डस्ट्रीज)—भाग-1 नामक प्रकाश, जिसमें ये प्रलेख सम्मिलित हैं, की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) औद्योगिक लाइसेंस तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए 1984 से प्राप्त हुए तथा निपटाए गए आवेदनों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है विभिन्न आवेदकों को दिए गये सभी औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों/तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरणों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा निकाले जाने वाले "मंथली न्यूजलेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विवरण

वर्ष 1984 से 1986 (30-9-1986) तक की अवधि में औद्योगिक लाइसेंस तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरण सम्बन्धी आवेदनों के ब्यौरे

I वर्ष	औद्योगिक लाइसेंसों हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	अनुमोदित	अस्वीकृत	विचाराधीन
1984	2825	1146	1661	18
1985	2660	977	1635	48
1986 (27-11-1986 तक)	2487	542	1352	593

II वर्ष	तकनीकी विकास महानिदेशालय में प्राप्त आवेदन	पंजीकरण स्वीकृत	आवेदन अस्वीकृति किये/वापिस लिए गये
1984	3306	1915	1391
1985	3689	1961	1728
1986 (सितम्बर तक)	1980	898	1082

नालगोंडा जिला आन्ध्र प्रदेश के भारतीय खाद्य निगम द्वारा छंटनी किये गये कर्मचारियों का प्रन्तर्लंयन

4439. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालगोंडा जिले में भारतीय खाद्य निगम में चौकीदारों के कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) क्या सरकार इन रिक्त स्थानों को भरते समय भारतीय खाद्य निगम के छंटनी किए गये कर्मचारियों को प्राथमिकता देगी ; और

(ग) यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 57।

(ख) जब कभी भर्ती की जाएगी तब भारतीय खाद्य निगम द्वारा निकाले गए कर्मचारियों को अन्य शर्तें पूरी करने पर पुन: रोजगार देने के लिए तरजीह दी जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

रंगीन फोटो फिल्म के निर्माण के लिये आशय पत्र जारी करना

4440. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम को रंगीन फोटो फिल्मों का निर्माण करने सम्बन्धी एक परियोजना शुरू करने के लिये आशय पत्र जारी किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह आशय पत्र किस तारीख को जारी किया गया था ; और

(ग) इस परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) मे० प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० (पी० आई० सी० यू० पी०) को फोटो सेन्सिटाइड वस्तुओं के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में एक नए उपक्रम की स्थापना के लिए 14-3-1986 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

(ग) अगस्त, 1986 में प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश पी० आई० सी० यू० पी० ने सूचित किया कि उन्होंने भावी उद्यमियों/औद्योगिक समूहों को परियोजना में उनके साथ सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हुए प्रेस में एक विज्ञापन दिया था तथा उन्हें कई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पिस्टन पिन परियोजना के लिए आशय पत्र

4441. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में पिस्टन पिन परियोजना स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव काफी समय से सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो आशयपत्र देने में देरी के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या उक्त प्रस्ताव के इस वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले की तहसील रायरंगपुर में स्थापित किये जाने वाले एक एकक में पिस्टन, पिस्टन पिनें और पिस्टन रिंग बनाने के वास्ते जुलाई 1984 में एक आशय पत्र में इण्डष्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि० को दिया गया था। मै० मोण्डिआल पिस्टन्स, एस० पी० ए० इटली के विदेशी सहयोग के लिये भी उन्हें मई 1985 में मंजूरी दी गई थी। बाद में यह आशय पत्र मे० एसोसिएटिड पिस्टन्स लि० के नाम में हस्तांतरित कर दिया गया जो कि मै० इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि० द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र की एक कम्पनी। कम्पनी ने स्थापना स्थल जिला मयूरभंज से बदल कर जिला भुवनेश्वर करने तथा आशय पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। अब चूंकि आटोमोबील सहायक उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है अतः कम्पनी को सलाह दी गई है कि लाइसेंस मुक्तकरण योजना के अनुसार वे अपना पंजीकरण औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में करायें। आशा है कि स्थापना स्थल बदलने के बारे में अपनी प्रस्तावित योजना के अनुसार परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन में कम्पनी अभी और अधिक समय लेगी।

भारत में बायोगैस संयंत्र

4442. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन धीमी गति से चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) राज्यों में अधिकाधिक बायोगैस संयंत्र लगाने के कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) बायोगैस विकास की एक राष्ट्रीय परियोजना जो पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों का निर्माण करती है सन् 1981-82 से चल रही है। 1986-87 के लिए 1.5 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने पिछले दो वर्षों में प्रौद्योगिकीय सुधार, उपभोक्ताओं और राजगीरों का प्रशिक्षण, स्थापना के बाद संयंत्रों की मरम्मत, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए किटों की व्यवस्था करना, क्षेत्रीय बायोगैस प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्रों की स्थापना, मानिटरिंग एवं मूल्यांकन आदि सहित कई उपाय-समूह प्रारंभ किए हैं जिससे परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन में सहायता मिली है। तदनुसार 1984-85 और 1985-86 की उपलब्धियां लक्ष्यों से काफी अधिक थी। टर्न-की जाब शुल्क, प्रोन्नतीय नकद प्रोत्साहन, मरम्मत एवं रख-रखाव प्रभारों, आदि केन्द्रीय राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है। 1986-87 के दौरान, सफाई शौचालयों से जुड़े हुए बायोगैस संयंत्रों की उन्नति, बायोगैस खाद की उपयोगिता पर क्षेत्रीय प्रदर्शनों का आयोजन तथा पिछले दो वर्षों में विभाग द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास के प्रयत्नों के फलस्वरूप विकसित किए गए पांच नए एवं सस्ते माडलों की वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। यदि इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त वित्तीय आबंटन किया जाए तो शीघ्रता से और अधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

धलेश्वरी नदी पर पन बिजली परियोजनाएं

4443. **श्री सुदर्शन दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और मिजोरम की सीमावर्ती धलेश्वरी नदी पर बिजली परियोजना के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसमें विद्युत उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) किए गए अन्वेषणों के आधार पर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने प्रस्तावित धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जांच करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) निवेश सम्बन्धी निर्णय ले लिए जाने के बाद प्रस्तावित परियोजना को पूरा होने के लिए सात वर्ष का समय लगने की उम्मीद है।

कपिलीपन बिजली परियोजना की सुरंग का क्षतिग्रस्त होना

4444. **श्री सुदर्शन दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम के अधीन कपिलि पन बिजली परियोजना की एक सुरंग हाल की भारी वर्षा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई है ; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्तपरियोजना का निर्माण कार्य किस चरण में है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) उत्तरपूर्वी विद्युत शक्ति निगम की कोपिली जल विद्युत परियोजना की उमरांग सुरंग की सितम्बर 1986 में प्रारम्भिक भराई के दौरान सुरंग का एक भाग गिर गया था। सुरंग के क्षतिग्रस्त होने के कारणों और उसकी मात्रा के सम्बन्ध में जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। परियोजना प्रबन्ध प्राधिकारियों के अन्तिम मूल्यांकन के अनुसार कोपिली बिजली-घर को अगस्त 1987 में चालू किया जा सकेगा।

नारियल के तेल में भावी व्यापार के लिए अनुमति

4445. **डा० के० जी० अदियोडी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा बाजार आयोग ने नारियल के तेल के भावी व्यापार के लिए अनुमति देने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) उसको कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) वायदा बाजार आयोग ने नारियल के तेल के भावी सौदा-व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए अप्रैल, 1986 में सिफारिश की थी। इस मामले की जांच की गई थी परन्तु खाद्य तेलों के मूल्यों, जिनमें नारियल का तेल भी शामिल है, में वृद्धि के रुख को देखते हुए सरकार द्वारा नारियल के तेल के भावी सौदा-व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए अनुमति देना उपयुक्त नहीं समझा गया। नारियल के तेल के मूल्य इस समय भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं और इसलिए सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

बंगलौर में डिजिटल इलेक्ट्रानिकी स्विचिंग उपकरण कारखाने की स्थापना

4446. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलौर में वर्तमान इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज परिसर के सन्निकट डिजिटल इलेक्ट्रानिकी स्विचिंग उपकरण कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) सरकार ने, वर्तमान स्थान पर मौजूदा क्रासबार और स्ट्रोजर कारखानों के बदले में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के अधीन बंगलौर में दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया है।

इस निर्णय को कार्यान्वित करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार हो रहा है।

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

4447. **(श्री पी० एम० सईद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बायोगैस विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान कितने बायोगैस संयंत्र लगाये जाने थे ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितने संयंत्र लगाए गए और कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इनमें से कितने संयंत्र कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या बायोगैस संयंत्रों की यह परियोजना ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सफल रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना का भविष्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना 1981-82 में प्रारम्भ की गई थी परियोजना से सम्बन्धित उसके लक्ष्यों की सूचना, उपलब्धियां एवं उस पर आया खर्च निम्नलिखित है :—

वर्ष	संयंत्रों की संख्या		(रुपये करोड़ में)
	लक्ष्य	उपलब्धियां	आया हुआ खर्च
1981-82	35000	21404	3.38
1982-83	75000	60095	9.98
1983-84	75000	89300	20.16
1984-85	150000	172773	47.50
1985-86	150000	195069	67.00

कई स्वैच्छिक एजेंसियों सहित, बायोगैस संयंत्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययनों से ज्ञात होता है कि एक राष्ट्रीय अनुपात पर एन० पी० बी० डी० के अन्तर्गत स्थापित किए गए संयंत्रों में से 85 प्रतिशत से भी अधिक संयंत्र दिए गए समय के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गन्ने का समर्थन मूल्य

4448. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री त्रिलोचन सिंह तुर
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन ने सरकार से वर्ष 1989-90 तक गन्ने का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां। भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन ने 1989-90 तक गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में 50 पैसे प्रति क्विंटल की एक-समान वार्षिक वृद्धि करने का सुझाव दिया है।

(ख) गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में कई परिवर्तनीय तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है और इसलिए यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है। तथापि, सरकार ने बुवाई मौसम के पेशतर ही 1986-87 और 1987-88 के मौसमों के लिए मूल्यों की पहले ही घोषणा कर दी है।

[अनुवाद]

कागज मिल, चीनी मिलों और मद्य निर्माणशालाओं के लिए एकीकृत काम्पलैक्स

4449. डा० टी० कल्पना देवी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज मिलों, चीनी मिलों और मद्य-निर्माणशाला के लिए स्वीकृत काम्पलैक्स की स्थापना के कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कागज मिलों, चीनी मिलों और मद्य-निर्माणशालाओं के लिए स्वीकृत कम्पलैक्स स्थापित करने हेतु लाइसेंस लेने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खोई से अखबारी कागज बनाना

4450. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोई से अखबारी कागज बनाने का काम शुरू करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य के त्रिची जिले में पुगालूर में तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि० के नाम से 50,000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली खोई पर आधारित एक अखबारी कागज परियोजना स्थापित की गई है । एकक ने 1985 में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था ।

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम को प्रमुख कच्चे माल के रूप में खोई पर आधारित 50,000 मी० टन प्रति वर्ष अखबारी कागज और 50,000 मी० टन प्रति वर्ष लिखाई तथा छपाई के कागज उत्पादन के लिए महाराष्ट्र के परभनी जिले में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए 21 जुलाई, 1983 को एक आशय-पत्र स्वीकृत किया गया है ।

केन्द्र सरकार के एक उद्यम नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड ने भी उत्तर प्रदेश राज्य के नैनीताल जिले में खोई पर आधारित अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने के लिए एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

उड़ीसा में चीनी मिलों की स्थापना

4451. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जहां गन्ने का अच्छा उत्पादन होता है चीनी मिल स्थापित करने के लिए नये लाइसेंस जारी किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार चीनी मिलें स्थापित करने के लिए किन्हीं क्षेत्रों अथवा राज्यों का प्रस्ताव नहीं

करती है। राज्य सरकारों के माध्यम से और उनकी सिफारिशों से उद्यमियों द्वारा लाइसेंस प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाता है बशर्ते कि कृषि-मौसमी स्थितियां अनुकूल हों और वे तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

गुणवत्ता में कमी के कारण दावा

4452. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा गुणवत्ता में कमी के लिए पंजाब खाद्य और पूर्ति विभाग के 40 करोड़ रुपये से अधिक के दावे को अस्वीकार कर दिया था, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों के कितनी राशि के दावे अस्वीकार किए गये थे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य की एजेन्सियों से खाद्यान्न लेते समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार गुणवत्ता सम्बन्धी कटौतियां की जाती हैं। ऐसी कटौतियों की राशि, कटौतियों की मात्रा पर निर्भर करते हुए प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होती है और पंजाब के मामले में कई वर्षों के लिए यह लगभग 40 करोड़ रुपये हो सकती है।

(ख) अन्य राज्यों के मामले में गुणवत्ता सम्बन्धी कटौतियों के दावों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

सीमेंट, कोयला आदि के उत्पादन में कमी

4453. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सीमेंट, कोयला उर्वरक, इंजीनियरी सामान आदि कई महत्वपूर्ण मदों के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण क्या हैं ;

(घ) वर्ष की शेष अवधि के दौरान उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, जनवरी-अगस्त-1985 की तुलना में 1986 की इसी अवधि के दौरान, प्रश्न में उल्लिखित महत्वपूर्ण वस्तुओं की उत्पादन विकास दर निम्नलिखित रही है :—

उद्योग समूह/वस्तु	जनवरी-अगस्त, 1985 की तुलना में जनवरी-अगस्त, 1986 में प्रतिशत विकास दर
सीमेंट (हाइड्रालिक)	8.8
उर्वरक	12.6
कोयला	8.4
मूल धातु उद्योग	3.5
धातु उत्पादन उद्योग	6.5
मशीन उद्योग	2.2
वैद्युतिक मशीनें	0.8
परिवहन उपकरण	6.0

(ग) अवस्थापना और कच्चे माल सम्बन्धी अड़चन, कुछ उद्योगों में क्षमता के कम उपयोग, खराब औद्योगिक सम्बन्धों, अपर्याप्त क्रयादेश मिलने आदि के कारण विकास की दर अधिक नहीं हो सकी।

(घ) सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसीकरण तथा अभ्यात नीतियों में परिवर्तनों के माध्यम से और मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों तथा अवस्थापनाओं में सुधार के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने के लिए अनेक उपाय किये हैं।

फोटो फिल्मों का उत्पादन और निर्यात

4454. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फोटो फिल्मों की खपत/उत्पादन कितना है ;

(ख) फोटो फिल्मों का किन-किन देशों को और कितनी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है ;

(ग) क्या नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड उटकमण्ड का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या देश में एक नई फोटो फिल्म निर्माता कम्पनी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मे० हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि० (एच० पी० एफ०) ऊटाकमंड फोटो सेंसीटाइज्ड वस्तुओं के विनिर्माण में लगे एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का वर्ष 1985-86 में कुल 1 .27 मि० वर्ग मी० था जिसका मूल्य 10,885 लाख रु० है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) मेसर्स एच० पी० एफ० को पालिएस्टर बेस एक्सरे और ग्राफिक आर्ट फिल्मों के विनिर्माण हेतु नीचे दी गई निर्धारित क्षमताओं के लिए 27-3-1986 को एक आशय पत्र जारी किया गया था :—

विनिर्माण की वस्तु	वार्षिक क्षमता
एक्सरे फिल्म	10 मि० वर्ग मी०
ग्राफिक आर्ट्स फिल्म	2 मि० वर्ग मी०

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स से एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट्स फिल्मों के एकीकृत विनिर्माण के लिए अमरीका के मे० ड्युपोंट के साथ विदेशी सहयोग किया है।

(ङ) और (च) मे० प्रादेशीय इंडस्ट्रियल एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि० (पिकप) को फोटो सेंसीटाइज्ड वस्तुओं का निम्नलिखित क्षमताओं तक विनिर्माण करने के लिए अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में एक नए उपक्रम की स्थापना करने हेतु 14-3-1986 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था :—

विनिर्माण की वस्तु	वार्षिक क्षमता
1. सिने फिल्म	4 मि० वर्ग मी०
2. इंडस्ट्रियल तथा मेडिकल एक्स-रे	6 मि० वर्ग मी०
3. फोटोग्राफिक पेपर	2 मि० वर्ग मी०
4. ग्राफिक और अन्य फिल्में	1 मि० वर्ग मी०
	13 मि० वर्ग मी०

विवरण

1981–82 से 1983–84 के दौरान फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट्स और पेपर, एक्सपोज्ड और डेवलप्ड प्लेट्स अथवा नहीं तथा फिल्मों (सिनेमेटो ग्राफिक फिल्म के अलावा) का निर्यात

मूल्य लाखों में

क्रमांक	वस्तुओं का विवरण	मात्रा की इकाई	1981–82 मात्रा	1981–82 मूल्य	1982–83 मात्रा	1982–83 मूल्य	1983–84 मात्रा	1983–84 मूल्य	उन प्रमुख देशों के नाम जिनको निर्यात की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	किसी वस्तु की (पेपर, पेपरबोर्ड या क्लाथ के अलावा (प्लैट सेंसीटाइज्ड एक्सपोज्ड फोटोग्राफिक प्लैट्स तथा फिल्में								
	एक्स-रे फिल्में और प्लेट्स अनएक्सपोज्ड	हजार वर्ग मीटर	54	46.12	27	4.32	—	—	नेपाल, यू० के०, यू० एस०ए०, अफगानिस्तान, बंगलादेश
	एक्स-रे फिल्में और प्लेट्स मेडीकल के अलावा	हजार वर्ग मीटर	—	—	—	—	2	0.24	डेनमार्क
	अन्य प्लेट्स तथा फिल्मस	हजार वर्ग मीटर	85	4.25	15	1.9	234	18.26	फ्रांस, नीदरलैण्डस, यू० के०, कत्तार, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यू० के०

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	रोलों में फिल्म सेंसीटाइज्ड, एक्सपोज्ड परफोरेटेड या नहीं								
	सिनेमेटोग्राफिक ब्लैक एण्ड ह्वाइट	हजार वर्ग मीटर	225	3.49	113	1.98	9	1.07	बंगलादेश, फिलिपिन्स, मलेशिया
	सिनेमेटोग्राफिक कलर्ड	—	—	—	—	—	—	—	—
	सिनेमेटोग्राफिक के अलावा फिल्म	हजार वर्ग मीटर	3	3.18	39	16.78	328	339.36	कुवैत, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, बंगलादेश, यू० के०, यू० एस० ए०, आस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इंडोनेशिया
	पेपर, पेपरबोर्ड तथा क्लाथ सेंसीटाइज्ड डेवेलप्ड नहीं	हजार वर्ग मीटर	41	22.90	57	34.15	66	42.08	हांगकांग, मलेशिया, यू० एस०ए० सिंगापुर, श्री लंका, थाइलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात्स
4.	प्लेट्स तथा फिल्म सेंसीटाइज्ड, एक्सपोज्ड परन्तु डेवेलप्ड नहीं निगेटिव अथवा पाजिटिव								
	1. सिनेमेटोग्राफिक	हजार वर्ग मीटर	—	--	1	0.10	55	1.90	जर्मन, एफ. आर. पी., ग्रीस, यू. के., यू. एस. ए.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. सिनेमेटोग्राफिक के अलावा	हजार वर्ग मीटर	73	6.25	7	0.56	4	0.49	आयरलैंड, नीदरलैंड, बंगलादेश, जर्मन, एफ. आर.पी., यू. के. सिंगापुर
5.	सिनेमेटोग्राफिक के अलावा प्लेट्स, फिल्मस एक्सपोज्ड तथा डेवेलप्ड	हजार वर्ग मीटर	2	0.19	4	0.50	52	4.68	यू० के०, ईराक, यूनाइटेड, अरब अमीराट्स, इंडोनेशिया, सिंगापुर।

नोट :—उपर्युक्त आंकड़ों में सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, एक्सपोज्ड और डेवेलप्ड, साउंड ट्रेक सहित अथवा रहित या केवल साउंड ट्रेक सहित, निगेटिव या पाजिटिव का निर्यात शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

गैर परम्परागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन की तकनीक

4455. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सौर तथा पवन जैसे गैर परम्परागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन की तकनीक विकसित की गई है ;

(ख) क्या गुजरात, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में सौर तथा पवन शक्ति से ऊर्जा का उत्पादन किया गया है और किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर तथा बीकानेर क्षेत्रों में पवन आर सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने का विचार है क्योंकि वहां इन स्रोतों की बहुतायत है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और ऐसा किस प्रकार किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी हां । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने आंध्र प्रदेश के सालोजिपल्ली गांव में 22 किलोवाट क्षमता का सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। देश में 300 से अधिक गांवों में सड़क रोशनी, सामुदायिक टेलीविजन, जल पम्पन आदि के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं । 3.3 मेगावाट क्षमता वाली 5 पवन फार्म गुजरात में मांडवी ओखा, तमिलनाडु में तूतीकोरिन, उड़ीसा में पुरी तथा महाराष्ट्र में देवगढ़ में क्रियाशील है ।

(घ) और (ङ) राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र सौर एवं पवन विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए सम्भावित आकर्षित क्षेत्रों में से हैं । इन क्षेत्रों के कुछ गांवों में सौर ऊर्जा से रोशनी के लिए लघु विद्युत प्रणालियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं । बड़े सौर एककों के साथ-साथ इस प्रकार की अधिक प्रणालियों की स्थापना के लिए अध्ययन चल रहे हैं । इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निधि की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

रामगढ़, राजस्थान में गैस पर आधारित ताप-बिजली संयंत्र

4456. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगढ़ (जैसलमर) में गैस पर आधारित ताप बिजली संयंत्र को स्थापित करने के लिए योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही अनुमति दे दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र को स्थापित करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार रियायती दर पर गैस उपलब्ध कराने के लिये सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) रामगढ़ में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना (3 मेगावाट) को प्रतिष्ठापित करने के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के प्रस्ताव को राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उपस्कर के लिए आर्डर दिए जाने के पश्चात ही परियोजना के पूरा होने की समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है।

(ग और (घ) गैस के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मामले पर राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच बातचीत चल रही है।

[अनुवाद]

केरल में विद्युत मीटरों का उत्पादन और मांग

4457. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केरल राज्य में विद्युत मीटरों का उत्पादन उस राज्य की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान केरल राज्य में विद्युत मीटरों की कुल मांग और इसी वर्ष के दौरान उनका कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य में अब विद्युत मीटर उत्पादक कितनी यूनिट है और उनके अवस्थापन तथा उनकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का केरल में विद्युत मीटर बनाने के लिये कुछ और यूनिट स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो वे कहां-कहां अवस्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) संभाव्यतः माननीय सदस्य का इरादा घरेलू प्रयोग के मीटरों (सिंगल फेज और पालि फेज) से सम्बन्धित जानकारी लेने का है। इस वस्तु के लिए आवश्यकता का राज्यवार वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाता। विनिर्माणकारी एकक केवल किसी विशेष राज्य की नहीं बल्कि देश की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाते हैं। संगठित क्षेत्र में, 62.90 लाख संख्या की क्षमता वाले लगभग 14 एकक हैं और 1985-86 की अवधि में उत्पादन लगभग 38.9 लाख संख्या था। घरेलू प्रयोग के मीटरों का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त

है और कमी से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। संगठित क्षेत्र में 3.24 लाख संख्या की क्षमता वाला केवल एकए कक कियलोन (केरल) में स्थित है। इस उद्योग को अब लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र में, बिजली के मीटरों का उत्पादन करने के लिए केरल में एकक की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अल्कोहल से चलने वाले वाहनों का निर्माण तथा शीरे से अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाना

4458. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्राजील की तरह शत प्रतिशत ऐल्कोहल पर चलने वाले वाहनों का निर्माण करने पर विचार कर रही है और क्या सरकार ने शीरे तथा टेजिओका आदि जैसे अन्य कच्चे माल से जिनसे ऐल्कोहल बनाने की प्रक्रिया विकसित की गई है अथवा ऐसा दावा किया गया है। ऐल्कोहल का आयात बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागपुर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

4459. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्यमान नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता का इस हद तक उपयोग किया जा चुका है कि चिकित्सीय कारणों के आधार पर भी कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जा सकता ;

(ख) क्या नागपुर में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) क्या नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज में अब तक आवश्यक उपकरण लगा दिए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो आवश्यक उपकरण कब तक लगा दिए जायेंगे और इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस समय नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रहा है

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) भारतीय टेलीफोन उद्योग की मनकापुर फैक्ट्री द्वारा सितम्बर 1987 के अंत तक 10,000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई किए जाने की संभावना है। ऐसी संभावना है कि नागपुर में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज दो वर्ष के भीतर काम करना शुरू कर देगा।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा मशीनों और उपस्करों का आयात

4460. श्री बनवारीलाल पुरोहित
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
डा० वी० वेंकटेश
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय के महानिदेशक तकनीकी विकास को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली तमिलनाडु से इस वर्ष के दौरान मशीनों और उपकरणों के आयात के सम्बन्ध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) अनुमति देने से पूर्व अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरणों के आयात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) : महानिदेशक तकनीकी विकास अथवा औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा अभी तक नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड से वर्ष 1986 के दौरान मशीनों और उपकरणों के आयात के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

महाराष्ट्र में लोक अदालतें

4461. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में कितनी लोक अदालतें कार्य कर रही हैं;

(ख) इन न्यायालयों द्वारा सौहार्दपूर्ण रूप में कितने मामले निपटाए गए;

(ग) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में ऐसी और लोक अदालतें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(क) और (ख) लोक अदालतें नियमित रूप से गठित कोई विधि न्यायालय नहीं हैं। वे ऐसे स्वैच्छिक अभिकरण हैं, जिनका निरीक्षण और मानीटर राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में वित्तीय वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान 247 लोक अदालतें आयोजित की गई और 4809 मामले निपटाए गए।

(ग) और (घ) लोक अदालतें ग्रामीण निर्धनों में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं और देश के विभिन्न भागों में ऐसी लोक अदालतें बार-बार आयोजित किए जाने की मांग की जा रही है।

वनस्पति निर्माताओं के लिए आयातित खाद्य तेलों का आवंटन

4462. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति निर्माताओं के आयातित खाद्य तेलों के आवंटन में कटौती करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वनस्पति तेलों के बाजार मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) तिलहनों/तेलों की उपलभ्यता के मामले में, प्रचुरता का मौसम होने के कारण सरकार ने अनुमति प्राप्त देशीय तेलों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से आयातित खाद्य तेलों के आवंटन को 80 प्रतिशत से घटाकर 55% कर दिया है, ताकि भारतीय किसानों को लाभ हो सके। इससे खाद्य-तेलों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य में सहायता मिलेगी।

(ग) मूल्यों में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है।

उपभोक्ता के द्वार पर खाना पकाने का गैस सप्लाई करना

4463. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल
श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री जी० एस० बसवराजू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम का विचार खाना पकाने की गैस को उपभोक्ता के द्वार पर सप्लाई करने की एक नई प्रणाली शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वितरक, एजेंटों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या अन्य कम्पनियां भी इस प्रणाणी को अपनायेंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) जबकि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन सिलेण्डर भरने की व्यवहार्यता का परीक्षण कर रही है, एल० पी० जी० को उपभोक्ताओं के पास शीघ्र पहुंचाने के लिए सिलेण्डरों के भरने की व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की व्यवहार्यता का परीक्षण कर रही है फिर भी कानूनी तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

[हिन्दी]

कुटीर और लघु उद्योगों में प्रौद्योगिकी की कमी

4464. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुटीर और लघु उद्योगों में बेहतर किस्म की प्रौद्योगिकी का अभाव है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को समुचित प्रौद्योगिकी और विपणन सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कुटीर तथा लघु उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन, जो कि एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, की आवश्यकता के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) आधुनिकीकरण प्रयोजनों हेतु सरकार ने पहले ही अखिल भारतीय आधार पर उद्योगों के कुछ विशिष्ट समूहों और बाहुल्यता के आधार पर राज्यवार भी कुछेक का पता लगाया है। लघु उद्योग विकास संगठन ने भी औजार कक्ष, उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास केन्द्र, क्षेत्रीय परीक्षण

केन्द्र तथा क्षेत्र परीक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं जिससे छोटे उद्यमियों को गुणवत्ता वाली वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान की जा सके। सरकार द्वारा नियुक्त की गई पाटिल समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है जिसमें लघु उद्योग विकास संगठन में एक प्रौद्योगिकी विकास प्रकोष्ठ (सेल) का खोला जाना भी सम्मिलित है। खा० ग्रा० आ० क्षेत्र में भी काऊंसिल फार एडवांसमेंट आफ रूरल टेक्नोलेजी (सी० ए० आर० टी०), केन्द्रीय रेशम बोर्ड, कयर बोर्ड, जमुनालाल बजाज, ग्रामोद्योग संस्थान इत्यादि जैसे संगठनों द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ विकसित की जा रही है।

गुणवत्ता वाली वस्तुओं के विपणन के लिये सरकार ने सम्भरण एवं निपटान के महानिदेशालय द्वारा जहाँ तक संभव हो, आई० एस० आई० मार्किंग वाली वस्तुएं खरीदने का निर्णय कर लिया है। गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाले लघु उद्योग एककों में से कुछ विशिष्ट उत्पाद समूहों के लिये इस वर्ष से राष्ट्रीय पुरुस्कार देने की एक योजना प्रारम्भ करने का भी निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्धियां

4465. **श्री आर० एस० माने**
श्री सोमनाथ रथ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हुई है ; और

(ग) इन स्रोतों के उपयोग का, जो इस समय विदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, भारतीयकरण करने के लिये क्या उपाय किए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में वर्ष 1986-87 के लिए मूलतः 100 करोड़ रुपये का परिव्यय उदिष्ट था। अनुपूरक अनुदानों द्वारा 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गयी है, जिसमें चालू वर्ष के लिए कुल परिव्यय 115 करोड़ रुपये हो गया है।

(ख) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत, देश भर में अब तक 6.92 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। 198 सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किए गये हैं। सुधरे चूल्हों के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी परिवारों में 21.40 लाख सुधरे चूल्हे स्थापित किए गये हैं। घरेलू तथा

औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में 1000 से अधिक सौर तापीय साधन जैसे जल तापन प्रणाली आदि भी स्थापित की गई हैं। सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी के द्वारा 300 से भी अधिक गांवों में सौर सड़क रोशनी और सामुदायिक रोशनी एवं अन्य प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं। ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत, गांवों की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों द्वारा की जा रही है। अभी तक, देश के विभिन्न भागों में ऐसी 21 ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। नगर के कूड़े-करकट से 3.75 मेगावाट विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिल्ली का एक भस्मीकरण संयंत्र पूर्ण होने के अग्रिम चरण में है। ओखा (गुजरात), मांडवी (गुजरात), तूतीकोरिन (तमिलनाडु), पुरी (उड़ीसा) और देवगढ़ (महाराष्ट्र) में 3.3 मेगावाट की कुल क्षमता के पांच पवन फार्म शुरू किए गए हैं। विद्युत उत्पन्न करने के उद्देश्य से बायोमास के उपयोग के लिए ऊर्जा बागवानी तथा गैसीकरण कार्यक्रम भी चलाए गये हैं। चालू किए गये कार्यक्रमों में (बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना तथा सुधरे चूल्हों के राष्ट्रीय कार्यक्रम) वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति सन् 1984-85 से प्रति वर्ष अधिक ही रही है।

देश में अनुसंधान तथा विकास की गतिविधियों को भी तेज किया गया है तथा उन्हें उत्साहजनक ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इन गतिविधियों के फलस्वरूप विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कि विभिन्न निवेशों से बायोगैस का उत्पादन निम्न ग्रेड सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियों द्वारा सौर ऊर्जा का प्राप्त करना, छोटे विद्युत कार्यों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय, सुधरे चूल्हों के द्वारा जलाने की लकड़ी का अपेक्षाकृत अच्छा उपयोग, चुने हुए उद्देश्यों के लिए पवन शक्ति के उपयोग आदि के लिए देशी प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रणालियों में तकनीकी सुधार किए गए हैं और नये माडल बनाए गये हैं।

(ग) यह कहना उचित नहीं है कि ये साधन आजकल विदेशी तकनीकियों पर आधारित हैं। वास्तव में, भारत में प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम लगभग पूरी तरह देशीय विकसित प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं। इनमें, बायोगैस, सुधरे चूल्हे, सौर तापीय, सौर प्रकाशवोल्टीय तथा बायोमास कार्यक्रम शामिल हैं जहां कहीं बहुत सीमित तथा विशिष्ट मामलों में, विदेशी निवेशों को प्रयोग में लाया गया है वहां इसके देशीयकरण/क्षेत्रीय उत्पादन का एक स्पष्ट कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

टी० वी० और स्कूटर निर्माताओं के विरुद्ध काधिकार और अवरोधक व्यारिक व्यवहार के अन्तर्गत कार्यवाही

4466. डा० वी० एल० शैलेश
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक
श्री चित्त महाता
} : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनेक प्रमुख टेलिविजन और स्कूटर निर्माताओं के विरुद्ध

प्राप्त अत्यधिक शिकायतों को देखते हुए संशोधित एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अधीन उनके विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो इन निर्माताओं के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने तथा बाजार में व्याप्त अनाचार को समाप्त करने के लिए प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) 1-1-84 से 31-10-86 की अवधि के दौरान, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने टेलिविजन और स्कूटर निर्माता/व्यापारियों के विरुद्ध उनके अवरोधक/अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने के आरोपों के संबंध में 152 शिकायतें/आवेदन/संदर्भ प्राप्त किये थे। शिकायतों में सामान्यतः बन्धनयुक्त, अधिक प्रभार लेना, देरी से माल पहुंचाना, जमाओं की वापिसी आदि शामिल थे। 152 मामलों के ब्यौरों को संकलित करने का प्रयास, सम्भवतः प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। आयोग इस प्रकार के सभी मामलों में अनुचित/अवरोधक व्यापार प्रथाओं के सम्बन्ध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उचित कार्यवाही करता है।

स्वदेशी औषध उद्योग

4467. **श्री रेणुपद दास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के स्वदेशी औषध उद्योग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या सरकार की आयात को उदार बनाने की वर्तमान नीति देश के सरकारी क्षेत्र में औषध उद्योग की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों के मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन विनियमित किए जाते हैं और उक्त आदेश के अन्तर्गत औषध उद्योग के लिए उचित लाभ सुनिश्चित किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक समझा गया, टैरिफ तथा आयात प्रतिबन्धों के माध्यम से भी संरक्षण प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग) केवल उन्हीं औषधों के आयात की अनुमति गुणदोष के आधार पर दी जाती है। जिनकी देश में उपलब्धि पर्याप्त नहीं होती।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपने जल पोतों की बिक्री करना

4469. डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री बाला साहेब विखे पाटिल
श्री सोमनाथ रथ
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अपने जलपोतों को उनकी ओर से कार्य संचालन करने के लिए कुछ गैर-सरकारी कंपनियों को बेच रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर सरकारी नौवहन कंपनियां इन जल पोतों के संचालन का कार्य न करें, क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दुपहिये मोटर वाहनों और कारों की अधिष्ठापित क्षमता और उनका उत्पादन

4470. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विभिन्न ब्रांड नामों के दुपहिये मोटर वाहनों और चार पहियों वाली कार की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ; और

(ख) वर्ष 1985-86 में और 30 सितम्बर, 1986 तक प्रत्येक कंपनी इनका अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में किए गए निर्माण का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एकक का नाम		3-12-85 को अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन आँकड़े संख्या में	
			1985-86 अप्रैल-मार्च	अप्रैल-सितम्बर, 86
1	2	3	4	5
(1) **यात्री कार :**				
	1. हिन्दुस्तान मोटर्स लि०	30,000	23,297	11144
	2. प्रिमियर आटो लि०	35,000	29,304	15443
	3. मारुति उद्योग लि०	60,000	33,306	20797
	4. स्टैंडर्ड मोटर्स	3,000	88	1139
	5. सिपानी आटोमोबील्स	3,000	383	56
	कुल जोड़	1,31,000	86,378	48579
(2) **मोटर साइकिलें :**				
	1. एन्फील्ड इंडिया लि०	30,000	21,274	11764
	2. आइडियल जावा लि०	42,000	26,072	10071
	3. हीरो होंडा लि०	40,000	28,133	32057
	4. एस्कार्ट्स लि०	83,000	83,227	47878
	5. इंड सुजुकी लि०	70,000	50,2436	40151
	6. बजाज आटो लि०	*	40,446	21152
	जोड़	2,65,000	2,50,395	1,62,073
(3) **स्कूटर्स :**				
	1. ए० पी० आई लि०	48,000	6,142	3,452

1	2	3	4	5
	2. बजाज आटो लि०	*2,50,000	2,87,554	1,84,942
	3. महाराष्ट्र स्कूटर्स	80,000	69,209	46,055
	4. स्कूटर्स इंडिया लि०	1,00,000	23,981	3,329
	5. लोहिया मशीन्स	70,000	54,111	48,400
	6. ए० पी० स्कूटर्स	40,000	20,852	5,642
	7. कायनेटिक होंडा लि०	37,000	—	5,991
	8. कैलविनेटर इंडिया	24,000	1,042	—
	जोड़	6,49,000	,462,891	2,97,811
(4) मोपेडें :				
	1. मोपेड इण्डिया लि०	30,000	—	536
	2. काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड	1,85,000	1,84,352	1,05,446
	3. के० जी० पाटिल आटो	24,000	1,839	672
	4. एटलस आटो० लि०	30,000	—	556
	5. मैजिस्टिक आटो लि०	1,10,000	90,[illegible]83	30,617
	6. सुन्दरम क्लेटन	1,04,000	1,36,204	73,240
	7. एनफील्ड इण्डिया	60,000	38,957	9,341
	8. कर्णवती आटो	12,000	803	269
	9. ब्रुक बांड	24,000	—	318
	10. केलविनेटर आफ इण्डिया	40,000	11,160	8,007
	11. श्री चामुण्डी मोपेड्स	40,000	11,046	1,109
	योग	6,59,000	4,74,944	2,30,171
	सभी दुपहियों का कुल योग	15,37,000	11,88,230	6,91,055

* स्कूटरों तथा मोटर साइकलों दोनों की अधिष्ठापित क्षमता को दर्शाया गया है।

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र में नई प्रशुल्क दर

4471. श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री जी० एस० बसवराजू
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपने सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र में उत्पादित विद्युत की प्रशुल्क दर में कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तरी राज्यों, जो सिंगरौली से विद्युत प्राप्त करते हैं ; के साथ इस सम्बन्ध में कोई करार हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो प्रति यूनिट किस नयी प्रशुल्क दर पर सहमति हुई है ;

(घ) क्या इस बारे में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड के साथ पृथक-पृथक करार किया जाता था किन्तु अब यह सभी उत्तरी राज्यों के साथ एक बहुपक्षीय करार करने में सफल हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस करार से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को किस सीमा तक लाभ हुआ है और क्या सभी उत्तरी राज्यों ने इस करार का स्वागत किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) उत्तरी क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों को सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना से बिजली की बिक्री के लिए टैरिफ नीचे दिए गये अनुसार है, जो कि 1 अप्रैल 1985 से लागू है।

(i) विद्युत उत्पादन टैरिफ—34.5 पैसे प्रति यूनिट ; जो कि नये मासिक ईंधन के मूल्य के समायोजन की व्यवस्था के अध्याधीन हैं।

(ii) पारेषण टैरिफ— 1.61 पैसे प्रति यूनिट, जिसमें अतिरिक्त पारेषण लाईनों के चालू हो जाने पर 7.43 पैसे प्रति यूनिट तक की उत्तरोत्तर की वृद्धि की जायेगी।

(घ) और (ङ) 1 अप्रैल, 1985 से पूर्व राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक राज्य के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। सिंगरौली की विद्युत के सम्बन्ध में लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों के साथ अब संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गये बहुपक्षीय समझौते में सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आम तौर से सहमती की व्यवस्था है। लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों ने इस समझौते का स्वागत किया है।

केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान को कोल इंडिया लिमिटेड से अलग करना

4472. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चारी समिति ने केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान को नियंत्रक कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड से अलग करने की सिफारिशें की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) चारी समिति की स्थापना ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के क्रियाकलाप की गहराई से जांच करने के लिए की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारशें की थी कि केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० को मैकोन की भांति ही एक स्वतंत्र कम्पनी बना देना उचित रहेगा। समिति के अनुसार ऐसा करने पर इस कम्पनी का कार्य-निष्पादन बेहतर हो जाएगा और विकल्पों के प्रति इसकी सजगता भी बढ़ सकती है क्योंकि तब इसे नई तकनालाजी का पूरा-पूरा ज्ञान रखने के लिए बाध्य रहना पड़ेगा।

केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० को कोल इण्डिया लि० की सहायक कं० ही रहने दिया जाए और इसीलिए उपर्युक्त सिफारिशें मंजूर नहीं की गईं।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन रानीपुर खान को बन्द किया जाना

4473. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन सोडेपुर क्षेत्र में स्थित रानीपुर खान को बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादक परियोजना

4474. **श्री पी० एम० सईद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र में तीन विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उन पर कितनी लागत आएगी ;

(ग) उन औद्योगिक घरानों के क्या नाम हैं जिनसे इन परियोजनाओं के लिए उपकरण खरीदे जायेंगे ; और

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) वर्ष, 1984 से लेकर मैसर्स टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को चार सौ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 500 मेगावाट की एक यूनिट स्थापित करने तथा मैसर्स कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को 211 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 2 × 67.5 मेगावाट की यूनिटें स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है । सैद्धान्तिक रूप में मैसर्स बम्बई सबर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० द्वारा 471 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर 500 मेगावाट की एक यूनिट स्थापित करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है । टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी के यू० नट के लिए मुख्य संयंत्र और उपस्कर को सप्लाई का स्रोत मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० है, अन्य दो परियोजनाओं के लिए सप्लाई का स्रोत मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० होने की सम्भावना है ।

(घ) मोटे तौर पर प्राप्त जिन प्रस्तावों में विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने में रुचि दिखाई गई है उनमें उतर प्रदेश में 600 मेगावाट का एक केन्द्र तथा राजस्थान में 2 × 60 मेगावाट और 2 × 210 मेगावाट के केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव शामिल हैं ।

भुवनगिरि के निकट दक्षिण अरकाट जिले में तेल की प्राप्ति के लिए गवेषण कार्य

4475. **डा० पी० वल्लभ पेरुमान :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी दल ने दक्षिण अरकाट जिले में भुवनगिरि के निकट तेल प्राप्ति के लिए गहन और समेकित गवेषण कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) तेल खुदाई का कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) वर्तमान में कावेरी बेसिन के अरियालुर पांडिचेरी डिप्रेशन क्षेत्र में सोवियत सेस्मिक पार्टी सेस्मिक

सर्वे का कार्य कर रही है। इस कार्य के परिणाम का पता आंकड़ों के तैयार होने और उनकी व्याख्या के बाद चल सकेगा।

(ग) सोवियत एजेंसी द्वारा पहले कुएं की खुदाई का कार्य मार्च 1987 तक आरम्भ किए जाने का अनुमान है।

देश में विभिन्न भागों में बिजली की एक समान दरें

4476. **डा० पी० वल्लभ पेरुमान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के उन विभिन्न क्षेत्रों में, जहां तक बिजली केन्द्रों में पैदा की जाती है, बिजली की एक समान दरें वसूल करने की नीति है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन जैसे अन्य ताप-विद्युत उत्पादन निगमों, जिनकी विद्युत उत्पादन लागत हाल ही में बढ़ गई, है के हितों के विरुद्ध नहीं होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) इस समय ऐसी कोई नीति नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय साइकिल निगम की साइकिलों का विपणन

4477. **डा० पी० वल्लभ पेरुमान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 30 मार्च 1986 को भारतीय साइकिल निगम के भण्डार में पड़ी 30,000 साइकिलों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में सफल हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भण्डारण में कमी करने के लिए साइकिलों के निर्यात का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) इस समय भारतीय साइकिल निगम के स्टाक में केवल 20,000 साइकिलें हैं।

(ख) साइकिलों के स्टाक में जमा होने का मुख्य कारण मांग का न होना है।

(ग) साइकिलों का निर्यात करने के लिए कम्पनी प्रयास कर रही है।

मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड में पी० टी० ए० का निर्माण करने की योजना

4478. **डा० पी० वल्लभ पेरुमान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड में गैर सरकारी क्षत्र की सहायता से अभिमानी व्यापार क्षेत्र का निर्माण करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मद्रास रिफाइनरीज, लिमिटेड में आरोमेटिक्स कम्पलैक्स में विस्तार कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है ; और

(ग) उस गैर सरकारी संगठन का विवरण क्या है जिसे सरकार मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड से संबद्ध करने पर विचार कर रही है ।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) मद्रास रिफाईनरीज लि० जो एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी है, ने तहसील मनाली जिला चिंगलपुर (तमिलनाडू) में पी० टी० ए० के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है । औद्योगिक लाइसेंस के लिए इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है ।

महत्वपूर्ण उद्योगों की प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाना

4479. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग का समय से आधुनिकीकरण न किये जाने के कारण विकसित देशों के उद्योगों की तुलना में भारतीय उद्योगों में उत्पादकता के सम्बन्ध में व्यापक अन्तर पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का सीमेंट, इस्पात, उर्वरकों, कोयला, कपड़ा, पटसन आदि जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाकर उस अंतर को किस प्रकार कम करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उद्योग में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करने और भारतीय उद्योग और विकसित देशों में उद्योगों के बीच की दूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से, तकनीकी विकास योजना के अन्तर्गत उपकरण, प्रौद्योगिकी, विदेशी परामर्श, रेखाचित्रों और डिजाइनों के शीघ्र आयात की अनुमति दी जाती है । आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापन/नवीनीकरण के लिए, बिना किसी स्थापनास सम्बन्धी बाधाओं के लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 49% तक लाइसेंस प्राप्त क्षमता में वृद्धि को मान्यता देने के लिए एक सरलीकृत पद्धति प्रारम्भ की गई है ?

उद्योगों को रियायतें

4480. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अनेक उद्योगों को बहुत सी रियायतें दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कौन-कौन सी रियायतें दी गई हैं और उनका उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन रियायतों के परिणामस्वरूप उत्पादन में विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कोई सुधार पाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के विचार से, औद्योगिक नीति एवं प्रणालियों को उदार बनाने के लिये अनेक उपाय किए गये हैं। इनमें उद्योगों के 30 विशिष्ट समूहों की ब्रांड-बैंडिंग करना, उद्योगों की 27 व्यापक श्रेणियों तथा 82 बल्क ड्रग्स एवं सम्बन्धित फार्मुलेशनों का लायसेंसमुक्त किया जाना, एम० आर० टी० पी० कम्पनियों की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रु० से 100 करोड़ रु० करना, क्षमता पुनः पृष्ठांकित करने की एवं उदार योजना लागू करना, संयंत्र एवं मशीनों के आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापन/नवीकरण की स्वीकृति की प्रणाली का सरलीकरण करना, उद्योगों की परिशिष्ट-1 की सूची का संशोधन, केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के सम्बन्ध में निर्यात उत्तरदायित्व मे कमी, क्षमता के न्यूनतम आर्थिक मान के सम्बन्ध में क्षमता का पुनः पृष्ठांकन निर्यात हेतु उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये लायसेंसस प्राप्त क्षमता से अधिक स्थापित की गई क्षमताओं को लायसेंस से छूट देना इत्यादि शामिल है।

(ग) और (घ) औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचनांक में अप्रैल-जुलाई, 1986 में, 1985 की इसी अवधि के मुकाबले 5.4% की वृद्धि हुई है। उपर्युक्त अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में 2.6% की वृद्धि हुई है।

औषधियों का मूल्य सम्बन्धी ढांचा

4481. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि औषधियों के वर्तमान मूल्य ढांचे के कारण अधिक आवश्यक औषधियों के स्थान पर कम महत्वपूर्ण औधियों में पूंजीनिवेश किया जाने लगा है, जैसा कि 9 नवम्बर,1986 के इकानामिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को बदलने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) औषधों के मूल्य निर्धारण तथा संबद्ध मामलों की संपूर्ण योजना सरकार के विचाराधीन है।

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

4482. **श्री एन० डेनिस**
श्री एस० सिंगरावडीवेल } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक ताप-विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला) रोहतगी : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में उद्योगों के लिए लाइसेंस

4483. **श्री एच० बी० पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक में नये उद्योग स्थापित करने के लिए कोई नये लाइसेंस जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र को अलग-अलग कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-अक्तूबर, 1986) के दौरान कर्नाटक राज्य में "नए उपक्रमों" की स्थापना हेतु 12 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त 12 औद्योगिक लाइसेंसों में से, 11 लाइसेंस गैर-सरकारी उपक्रमों को दिए गए हैं और 1 संयुक्त क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने के लिए दिया गया है।

जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में उपक्रम का नाम एवं पता, उत्पादन की वस्तु (एं) और क्षमता, आदि जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उसके "मन्थली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद

4484. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री काली प्रसाद पाण्डेय } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू मौसम के दौरान पंजाब और हरियाणा की मंडियों में भारी मात्रा में धान पहुंच रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब और हरियाणा की मंडियों में अनुमानतः कुल कितना धान पहुंचा है ; और

(ग) समर्थन मूल्य पर धान की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, चालू विपणन मौसम के दौरान 27-11-1986 तक पंजाब और हरियाणा की मंडियों में 87.89 लाख मीटरी टन धान की आमद हुई थी जबकि पिछले वर्ष तदनुरूपी अवधि के दौरान 84.78 लाख मीटरी टन की आमद हुई थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों ने किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बिक्री करने के लिए पेश की गई धान को खरीदने के लिए दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में क्रय केन्द्र खोले हैं। मूल्य समर्थन पर खरीदारी करने के बारे में दूरदर्शन, आकाशवाणी, स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों और इश्तिहारों के माध्यम से भी प्रचार किया गया है।

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विभिन्न एककों को हुआ घाटा

4485. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न स्थानों पर स्थित माडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड के अधिकांश एककों में घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रत्येक एकक का पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वित्तीय निष्पादन क्या रहा ; और

(ग) घाटे के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के 18 यूनिटों में से 10 यूनिटों को 1985-86 के दौरान हानियां हुई हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान हुए लाभ-हानि का यूनिट-वार ब्यौरा दिया गया है।

(ग) हानियों के मुख्य कारण कम कारोबार और लागतों में वृद्धि होना है। कम्पनी द्वारा आरम्भ किए गए मुख्य उपचारी उपाय ये हैं—वितरण नेटवर्क को कारगर बनाना तथा उसका विस्तार करना, बिक्री बढ़ाने के उपाय अपनाना तथा मानव-शक्ति का रिडिप्लायमेंट ;

विवरण

1983-84 से 1985-86 तक के तीन वर्षों के दौरान यूनिटवार लाभ/हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	यूनिट का नाम	1983-84	1984-85	1985-86
1	2	3	4	5
	कं० ब्रेड	(रुपये/लाख)		
1.	अहमदाबाद	(—) 0.42	(—) 2.83	(—) 4.51
2.	बंगलौर	(+) 39.83	(+) 28.51	(+) 24.27
3.	बम्बई	(+) 71.61	(+) 82.75	(+) 68.60
4.	कलकत्ता	(—) 14.45	(—) 29.55	(—) 26.33
5.	चण्डीगढ़	(—) 15.50	(—) 6.30	(+) 7.34
6.	कोचीन	(+) 73.48	(+) 71.43	(+) 67.93
7.	दिल्ली	(+) 111.23	(+) 99.62	(+) 103.38
8.	हैदराबाद	(+) 11.27	(—) 3.31	(—) 18.27
9.	इन्दौर	(—) 6.05	(—) 4.70	(+) 1.27
10.	जयपुर	(+) 1.18	(—) 7.23	(+) 5.89
11.	कानपुर	(—) 6.26	(—) 15.46	(—) 23.23
12.	मद्रास	(+) 40.01	(+) 34.33	(+) 40.29
13.	रांची	(—) 8.53	(—) 11.51	(—) 11.17

1	2	3	4	5
	ख० अन्य	(रुपये/लाख)		
14.	पेय यूनिट (मीठे वातित जल के लिए सांद्रण), फरीदाबाद	(—) 19.88	(—) 22.58	(—) 16.86
15.	फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट, दिल्ली	(—) 22.25	(—) 18.81	(—) 7.44
16.	खाद्य तेल यूनिट, उज्जैन	(—) 29.78	(—) 52.59	(—) 41.56
17.	मक्का मिल, फरीदाबाद	(—) 2.20	(—) 2.41	(—) 4.00
18.	फ्रूट पल्पिंग यूनिट, भागलपुर	स्थापित नहीं हुआ	स्थापित नहीं हुआ	(—) 112.46

उड़ीसा में बिजली की कमी

4486. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए उसे फरक्का और दामोदर घाटी परियोजना से उत्पन्न बिजली से हिस्सा मिलना तय हुआ था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं से बिजली सप्लाई की ट्रांसमीशन लाइनें अपर्याप्त हैं और बिजली की सप्लाई के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिजली सप्लाई की कौन-कौन सी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, इसके लिऐ केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है तथा इन परियोजनाओं के पूरा होने की कौन-सी तारीखें निर्धारित की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना के चरण-1 में उड़ीसा का हिस्सा 75 मेगावाट है। दामोदर घाटी निगम के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्य को विद्युत का कोई हिस्सा आबंटित नहीं किया गया है।

(ख) फरक्का परियोजना के चरण-1 से उड़ीसा के हिस्से की विद्युत के पारेषण के लिए उड़ीसा और अन्य निकटवर्ती विद्युत प्रणालियों के बीच विद्यमान अन्तर्राज्जीय पारेषण लाईनें पर्याप्त हैं। संथालडीह-चांदील अन्तर्राज्यीय लाइन के पूरा हो जाने के साथ उड़ीसा की पारेषण क्षमता में सुधार होगा; फरक्का परियोजना के चरण-2 के साथ उड़ीसा के विद्युत के हिस्से को पारेषित करने के लिए 400 के०वी० की एक सीधी पारेषण प्रणाली की परिकल्पना की गई है।

(ग) 220 के० वी० की सिंगल सर्किट संथालडीह-चांदील अन्तर्राज्यीय लाइन और 400 के०वी० की सिंगल सर्किट रेंगाली-कोलाघाट लाइन का निर्माण केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के रूप में किया जा रहा है। इन लाइनों को क्रमशः मार्च, 1987 और 1989-90 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

सरकारी कम्पनियों को गैर-सरकारी कम्पनियों में बदलना

4487. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 से अब तक कितनी सरकारी कम्पनियों को गैर-सरकारी कम्पनियों में बदल दिया गया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित है, जिसको कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अनुसरण में प्रत्येक वर्ष सदन के पटल पर रखी जा रही है। जब कभी भी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से या एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से या सरकारी कम्पनी की सहायक आदि द्वारा धारित प्रदत्त पूंजी किसी कम्पनी में 51% से कम घटती है तो उस कम्पनी को अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत गैर-सरकारी कम्पनी में परिवर्तित कर दिया जाता है।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

4188. श्री टी० बशीर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, इस समय टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में राज्यवार कितने व्यक्ति है;

(ख) टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने तथा सूची में समुचित कमी करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान टेलीफोन का स्वरूप बदल कर इसे पतला एवं हल्का बनाने

का प्रस्ताव है जिससे कि इस समय एक उपकरण बनाने में प्रयोग की जाने वाले सामान से कम से कम दो उपकरण बनाये जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 30-9-1986 तक टेलीफोन कनेक्शनों की राज्यवार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस समय आई०टी०आई० अपनी बेंगलूर और नैनी यूनिटों में प्रतिवर्ष 5 लाख टेलीफोन उपस्कर की विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए एक परियोजना पर कार्य कर रहा है। बेंगलूर यूनिट में रोटरी डायल किस्म के 2.5 लाख उपकरण तथा पुशबटन डायल पल्स की पैड किस्म के 2.5 लाख उपकरण निर्मित किए जाएंगे। आई०टी०आई० की नैनी यूनिट की कुल उत्पादन क्षमता 2.5 लाख टेलीफोन उपकरण पुश बटन डायल टाइप पल्स की पैड तथा 2.5 पुश बटन डायल टोन मल्टी फ्रीकवेंसी टेलीफोन उपकरणों की होगी।

(ग) जी हां,। आई०टी०आई० ने नवीनतम तकनालॉजी का प्रयोग करते हुए एक स्लिम लाइन टेलीफीन का डिजाइन तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। शीघ्र ही इस टेलीफोन उपकरण का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरु किया जाएगा। इस डिजाइन में केवल एक हैंड सैट है और पूरी बॉडी न होने के कारण सामान में काफी बचत हुई है।

(घ) स्लिम लाइन टेलीफोन एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन है जिसमें पुश बटन डायलिंग तकनालॉजी का प्रयोग किया गया है। यह टेलीफोन हाथ में ही रखा जाता है जिसे मेज पर भी रखा जा सकता है या ब्रैकेट के सहारे दीवार पर लटकाया जा सकता है। इस उपकरण को स्लिम बनाने के लिए छोटे आकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	दूरसंचार सर्किलों का नाम (राज्य एवं संघ क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाला)	30-9-1986 को प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	60,959
2.	बिहार	10,752
3.	गुजरात (दमन दीव, दादर और नागर हवेली सहित)	1,05,223
4.	जम्मू और कश्मीर	9,155

1	2	3
5.	कर्नाटक	57,400
6.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	81,906
7.	मध्य प्रदेश	34,173
8.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	2,85,547
9.	उत्तर पूर्व (इसके अन्तर्गत) असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और मेघालय भी आते हैं)	9,310
10.	उत्तर पश्चिम (इसके अन्तर्गत पंजाब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और संघीय क्षेत्र चण्डीगढ़ भी आते हैं)	71,574
11.	उड़ीसा	5,404
12.	राजस्थान	35,869
13.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	77,133
14.	उत्तर प्रदेश	46,754
15.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं)	37,351
16.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	1,65,000
	योग अखिल भारतीय	10,93,529

केरल में डाकघर खोलना और उसका दर्जा बढ़ाना

4489. श्री टी० बशीर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वर्ष 1986-87 में नए डाकघर खोलने और वर्तमान डाकघरों का दर्जा बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो केरल में कितने डाकघर खोले जायेंगे; और

(ग) केरल में नए डाकघर किन-किन स्थान पर खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) पदों के सृजन पर चल रही पाबंदी के कारण, डाकघर खोलने का फिलहाल कोई कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। तथापि, विभाग अतिरिक्त विभागीय प्रणाली से सम्बद्ध जांच समिति की सिफारिशों तथा अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए डाकघर खोलने के मानदण्डों पर फिर से विचार करने की सोच रहा है। प्रस्ताव है कि उपलब्ध समिति संसाधनों, संशोधित मानदण्डों के आधार पर जिन स्थानों पर डाकघर खोलने का औचित्य पाया जाए, वहां वित्त मन्त्रालय से अनुमति प्राप्त करके डाकघर की सुविधा प्रदान की जाए। अन्य डाक सर्किलों की भांति केरल सर्किल में भी 1986-87 और 1987-88 की स्थिति ठीक है।

जहां तक मौजूदा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का सम्बन्ध है, कोई भी कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं कियां जा रहा है क्योंकि डाकघरों का दर्जा बढ़ाना गैर-योजना कार्य है और नए पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के अन्तर्गत आता है।

रामगुडंम-सेलम के बीच सीधे ट्रांसमिशन के लिए लाइन पर कार्य

4490. **श्री टी० बशीर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 400 किलोवाट रामगुडंम-सेलम के बीच सीधे ट्रांसमिशन लाइन पर कार्य की नवीनतम प्रगति क्या है;

(ख) कुल आबंटित धनराशि से ये गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) सेलम-उदुमेलपेट-त्रिचूर क्षेत्र में लाइन पर कार्य शुरू हो गया है यदि नहीं, तो इसके कब तक शुरू होने की सम्भावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 865 सर्किट किलोमीटर की लम्बाई में लाइन का रामगुंडम-बंगलौर भाग पूरा हो चुका है लाइन के बंगलौर-सलेम भाग पर कार्य चल रहा है तथा इसको जून, 1988 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ख) वर्ष 1983-84 में 2918 लाख रुपये, वर्ष 1984-85 में 4939 लाख रुपए तथा वर्ष वर्ष 1985-86 में 4639 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी। चालू वर्ष (1986-87) में अक्तूबर, 1986 तक 1370 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

(ग) और (घ) सलेम-उदमलपेट तथा उदमलपेट-त्रिचूर लाइनों पर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए हैं।

नए दूर संचार भू-केन्द्र स्थापित करना

4491. **श्री पी० नामग्याल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 1986-87 के दौरान देश में कितने नए दूरसंचार भू-केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) वे केन्द्र कहां पर स्थापित किये जायेंगे और उनके कब तक चालू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) प्रस्तावित जम्मू तवी दूरसंचार भू-केन्द्र को कब तक चालू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 18 अल्प लागत वाले भू-केन्द्रों का कार्य प्रगति पर है।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर भू-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

1.	डोडा	)
2.	राजौरी	)
3.	पुंछ	) जम्मू और कश्मीर राज्य
4.	कारगिल	)
5.	फूल बनी	) उड़ीसा राज्य
6.	केलांग	) हिमाचल प्रदेश राज्य
7.	कालपा	)
8.	जीरो	)
9.	देपरेजो	)
10.	सेप्पा	) अरुणाचल प्रदेश
11.	अनीनी	)
12.	जैसलमेर	) राजस्थान
13.	श्रीनगर	)
14.	जोशीमठ	) उत्तर प्रदेश
15.	उत्तरकाशी	)
16.	कैम्पबैल बे	)
17.	डिगलीपोरे	) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
18.	माया बन्दर	)

उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण इन भू-केन्द्रों के 1987-88 में ही चालू होने की सम्भावना है।

(ग) इस समय जम्मू तवी में भू-केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

मैसूर पेपर मिल्स द्वारा अखबारी कागज का उत्पादन

4492. श्री श्रीकांत वत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर पेपर मिल्स ने अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु सरकार से आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज के उत्पादन के सम्बन्ध में मिल की निर्माण क्षमता क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) मैसूर पेपर मिल्स लि० को भद्रावती (कर्नाटक) में 75,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता के अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए दिनांक 13-9-1977 को एक औद्योगिक लाइसेन्स प्रदान किया गया। एकक ने 1982 में उत्पादन आरम्भ कर दिया था।

मिथाइल आइसोसाइनेट यूनिट

4493. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मिथाइल आइसोसाइनेट यूनिट हैं;

(ख) क्या कारखाना अधिनियम के अंतर्गत इन यूनिटों के लाइसेन्सों का नवीकरण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत समय में इनके लाइसेन्सों का कब नवीकरण किया गया था और इनका पुनः कब नवीकरण करने का विचार है।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) इस समय देश में मिथाइल आइसोसिनेट का उत्पादन करने वाला कोई एकक नहीं है। तथापि, पहले मैसर्स यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि० को भोपाल में मिथाइल आइसोसिनेट पर आधारित कीटनाशी का उत्पादन करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेन्स जारी किया गया था, परन्तु इस एकक से गैस के रिसाव के पश्चात, 31 दिसम्बर, 1984 के पश्चात कारखाना अधिनियम के अधीन एकक के लाइसेन्स का नवीकरण नहीं किया गया था।

विधि आयोग की 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन

4494. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री 25 फरवरी, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्यांक 441 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक खंड बनाने के प्रस्ताव के बारे में विधि आयोग की 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का सार क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) विधि आयोग की 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय का पुनर्गठन करना होगा जिसके लिए संविधान और विधियों का संशोधन आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने, दो भागों में अपने विभाजन के विरुद्ध विचार व्यक्त किए हैं। सरकार भी यह सुझाव स्वीकार करने में असमर्थ है।

(ख) विधि आयोग की 95वीं रिपोर्ट की सिफारिशों का सार निम्नलिखित है :—

भारत के उच्चतम न्यायालय के दो खण्ड होने चाहिए (क) संवैधानिक खंड और (ख) विधि-खंड। संवैधानिक खंड, संविधान या संविधान के अधीन जारी किए गए आदेश या नियम के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न वाले मामलों पर ही कार्यवाही करेगा। संवैधानिक खंड में कम से कम 7 न्यायाधीश होने चाहिए। रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि दोनों खंडों को मामलों के आबंटन के लिए कोई सुनिश्चित गणितीय सूत्र अपनाना सम्भव नहीं है।

दूरसंचार कारखानों की प्रबन्ध व्यवस्था

4495. **श्री अजय मुशरान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार नेटवर्क के लिए अपेक्षित उपकरण/सामान का निर्माण आधार व्यापक बनाने का कार्यक्रम क्या है;

(ख) क्या सरकार का दूरसंचार कारखानों के प्रबन्ध के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से विशेषज्ञ लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इन कारखानों में प्रबन्ध और निर्माण की भावी योजनाएं क्या हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कारखानों में सामान्य रूप में और विशेष रूप से दूरसंचार कारखाना, जबलपुर के लिए कितने मूल्य के सामान और कितनी मात्रा के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान दूरसंचार फैक्ट्रियों में अनुमानतः 240 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। इसी अवधि के दौरान, जबलपुर दूरसंचार फैक्ट्री में 100 करोड़ रुपए का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

दूरसंचार कारखाना, जबलपुर का आधुनिकीकरण

4496. **श्री अजय मुशरान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या परम्परागत और गैर-परम्परागत दूरसंचार उपकरणों का कम लागत पर निर्माण जारी रखने की दृष्टि से दूरसंचार कारखाना, जबलपुर के 3000 श्रमिकों को नए औजार देने और उन्हें पुनः प्रशिक्षण देने की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) अधिकांश मौजूदा कार्मिकों को पुनः प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

(ख) रिचाई, जबलपुर में क्रमशः 5.05 करोड़ रुपये और 7.24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आधुनिक गैल्वानाइजिंग संयंत्र तथा ट्यूब निर्माण संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु औद्योगिक विकास संघ द्वारा विदेशों में नवीनतम ताला टैक्नालोजी का अध्ययन करने के लिए लघु उद्योग पतियों के शिष्टमंडल को भेजना

4497. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औद्योगिक विकास संघ ने जर्मन संघीय गणराज्य, अमरीका, ब्रिटेन आदि जैसे विकसित देशों में ताला उद्योग में अपनाई गई नवीनतम टैक्नालोजी का अध्ययन करने के लिए लघु उद्योगपतियों का एक दल/शिष्टमण्डल हाल ही में विदेश भेजा था;

(ख) उक्त शिष्टमण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनके अध्ययन से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) लघु औद्योगिक विकास संघ ने निर्यात में वृद्धि के लिए विकसित देशों की नवीनतम टैक्नोलोजी का अध्ययन करने के लिए लघु ताला उत्पादकों के एक दल को प्रायोजित किया है।

दल में उद्योग मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी और तीन प्रमुख लघु ताला उत्पादक शामिल हैं। रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और लघु ताला उत्पादकों को वितरित कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों द्वारा श्रेणी "क" के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना

4498. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने गत डेढ़ वर्ष के दौरान श्रेणी "क" के पिछड़े जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित किए हैं अथवा स्थापित करने के लिए आवेदन किया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत वर्ष 1985 और1986 (सितम्बर, 86 तक) के दौरान विशेष रूप से देश के केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े जिलों के वर्ग "क" में उद्योग स्थापित करने के लिए एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों को 34 आशय-पत्र और 7 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे।

जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में उपक्रम का नाम एवम् पता, उत्पादन की वस्तु (एं) और क्षमता, आदि जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उसके "मंथली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद-पुतस्कालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

स्वीडन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में आरम्भ की गई विद्युत परियोजनायें

4499. **श्री हरीश रावत** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्वीडन के सहयोग से आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) स्वीडन के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं के अलावा, स्वीडन की वित्तीय सहायता के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की विद्युत प्रणाली के लिए स्टेटिक वार कम्पनसेटर प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम की चावल मिलों का बन्द होना

4500. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भारतीय खाद्य गिगम की कुछ नई और आधुनिक चावल मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों को चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि उत्पादन प्रयोजन के लिए पहले ही किए गये निवेश का उपयोग किया जा सके और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी' हां।

(ख) रा—मिलिंग के लिए उपयुक्त धान की कमी होने और निरन्तर श्रम समस्याएं होवे के कारण मिलें कार्य नहीं कर रही हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने उनकी आर्थिक असक्षमता के कारण मिलों को बेचने का निर्णय किया है।

जांच और पंजीकरण महानिदेशक के पास जांच के लम्बित मामले

4501. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक
श्री कमला प्रसाद सिंह
: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच और पंजीकरण महानिदेशक के पास जांच के कितने मामले लम्बित पड़े हैं और वे कब से लम्बित हैं, और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) जांच कार्य में होने वाले विलम्ब को कम करने और अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों को शीघ्र सजा देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या जांच और पंजीकरण महानिदेशक द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् ही रोका-देश जारी किए जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या रोकादेश दिए जाने के बारे में प्रक्रिया को सरल बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) 30-9-1986 तक, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा आदेश की गई 83 जांचें, जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक के पास अनर्णीत थी। इनमें से 16 मामले छः माह की अवधि से अनिर्णीत थे। सभी प्रयास यथासम्भव जाचों को तुरन्त पूरा करने के लिए किए जाते हैं।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा पवन चालित जेनरेटर का विकास

4502. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ने पवन से बिजली तैयार करने के लिए पवन चालित जेनरेटर विकसित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस उपकरण का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। बी० एच० ई० एल० ने 1.5 किलोवाट क्षमता के विन्ड जेनरेटर का विकास किया है।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की द्वितीय खान विस्तार परियोजना के लिए आशय पत्र हेतु पश्चिम जर्मनी की डब्ल्यू० एम० आई० और मै० एम० ए० एन० को दिया गया अग्रिम धन

4503. **श्री मुकुल वासनिक**
डा० वी० वेंकटेश
श्री एच० जी० रामुलू
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
} क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु ने वर्ष के दौरान द्वितीय खान विस्तार परियोजना के लिए आशय-पत्र हेतु पश्चिम जर्मनी की डब्ल्यू० एम० आई० और इसकी सहयोगी मैसर्स एम० ए० एन० फर्म को विशाल धनराशि अग्रिम रूप से दे दी है;

(ख) क्या दूसरी और उक्त फर्मों पर नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का लगभग 1.18 करोड़ रुपये का दावा स्वीकार और मंजूर नहीं किया गया था;

(ग) उक्त 1.18 करोड़ रुपये की धन-राशि के दावे की गणना किस आधार पर की गई थी;

(घ) क्या सरकार को पता है कि धन के अभाव के कारण पश्चिम जर्मनी की एम० ए० एन० फर्म वहां "ओपेनकास्ट माइनिंग निर्माण एकक" के कर्मचारियों की छंटनी कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का कार्य पुन: उपरोक्त नाम की फर्मों को देने के क्या कारण हैं; और

(च) अग्रिम धनराशि को वापिस लेने तथा दावे की धनराशि को तत्काल वसूलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० ने डब्ल्यू० एम० आई० को "आशय पत्र" की शर्तों के अनुसार आशय पत्र के स्वदेश भाग के मूल्य का तथा समन्वय प्रभार का केवल 10% अंश ही भुगतान किया है। पश्चिम जर्मनी के मैसर्स एम० ए० एन० को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) फर्म के खिलाफ रु० 1.18 करोड़ का दावा तो अनन्तिम ही था। वारंटी के आधार पर दावे को संशोधित करके रु० 1.59 करोड़ का कर दिया गया है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एम० ए० एन० का पुनर्गठन हो गया है और इसका नाम एम० ए० एन० —जी० एच० एच० हो गया है। किन्तु इस पुनर्गठन से नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को सप्लाई के लिए स्प्रेडरों के निर्माण पर अथवा ने०लि०का० के साथ व्यापारिक सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एम० ए० एन० ने अभी हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि उनका ओपन्कास्ट खनन उपकरण निर्माण यूनिट काम कर रहा है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

औषधि निर्यात के लिए लाइसेंस जारी किए जाने में विलम्ब

4504. **डा० जी० विजय रामाराव**
श्री मानिक रेड्डी } क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध निर्यात के लिये लाइसेंस जारी किये जाने में विलम्ब होने के बारे में शिकायतें की गई हैं और यदि हां, तो इस बिलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्यातकों द्वारा अन्य निर्यात सुविधाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से जिन वस्तुओं की देश में कमी है उनका कम मूल्यों पर निर्यात करने के सम्बन्ध में विभिन्न नकद प्रतिपूरक तथा अन्य निर्यात प्रोत्साहनों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है।

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के जयचन्द्र सिंह) : (क) बिलम्ब का कोई विशिष्ट मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) इस समय निर्यात की जा रही औषधों के सम्बन्ध में कमी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कम्पनियों और विदेशी सहयोगकर्ताओं के बीच विवाद

4505. **श्री विजय एम० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनियों के विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ करारों और प्रोद्योगिकी अन्तरण सम्बन्धी कितने विवाद लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन विवादों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी गई है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों के विदेशी सहयोग करारों और प्रौद्योगिकी अन्तरण संबंधी विवादों को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के मॉडल मध्यस्थता कानून की जांच की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या है; और

(ङ) इन विवादों को हल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भोपाल स्थित एकक में संकट

4506. **श्री नारायण चौबे**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1986 के "पेट्रिआट" में "भेल भोपाल यूनिट

इन डीप क्राइसेस" (भेल के भोपाल स्थित एकक में गम्भीर संकट) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राज्य बिजली बोर्डों की विद्युत उपकरणों के आयात के लिए उत्सुकता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के एकक में यह संकट पैदा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बी० एच० ई० एल० में क्रियादेश कम होने का प्रमुख कारण नये पावर प्लांटों को स्थापित करने में संसाधनों की कमी का होना है।

सरकार की यह नीति है कि स्वदेशी क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाये। परिस्थितियों की समग्रता पर आधारित चयनात्मक रूप से आयात का सहारा लिया जाता है।

सोवियत संघ को गेहूं का निर्यात

4508. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा**
श्री जी० एस० बसवराजू } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ 5 लाख टन गेहूं खरीदने के अपने वचन का पालन करने को सहमत है;

(ख) क्या सोवियत संघ अन्य देशों को गेहूं सप्लाई करेगा;

(ग) क्या इस समझौते को अब तक पूर्णतः क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां,।

(ख) जी, हां। सोवियत रूस, भारत से अन्य देशों को गेहूं की आपूर्ति कर सकता है।

(ग) यह करार कार्यान्वियनाधीन है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पत्तनों पर आयातित उर्वरकों का लदान और उतारना

4509. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पत्तनों पर आयातित उर्वरकों के लदान और उतारने का काम भारतीय खाद्य निगम से लेकर भारत सरकार के खाद्य विभाग को कब सौंपा गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम के दक्षिण जोन के 2500 स्थायी कर्मचारी फालतू हो गये हैं; और

(ग) विभिन्न पत्तनों पर भारतीय खाद्य निगम के कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और आयातित उर्वरकों के लदान और उतारने का कार्य खाद्य विभाग द्वारा किए जाने से कितने कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया, कितने कर्मचारियों की पदावनति की गई अथवा छंटनी की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय खाद्य निगम यह कार्य कृषि विभाग की ओर से उनकी एक एजेन्सी के रूप में मार्च, 1986 तक करता रहा था। उसके बाद, भारतीय खाद्य निगम ने इस कार्य को न करने का फैसला किया था। इस कार्य को किसी भी समय खाद्य विभाग को सौंपने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

(ख) और (ग) बन्दरगाहों के अधिकांश विभागीय श्रमिकों ने स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति लेने का वैकल्प दिया था। अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का निगम की अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल किया जायेगा।

तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास

4510. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की जांच और आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तिरुचिरापल्ली जिले को छोड़कर, जो औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित है, तमिलनाडु के वर्गीकृत पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिक संवृद्धि का पता लगाने और जायजा लेने के लिए उद्योग और वाणिज्य के राज्य निदेशालय के साथ लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से पिछड़े क्षेत्रों

में आरम्भ किए जाने वाले उद्योगों का पता लगाया गया है तथा उद्यमियों और जिला उद्योग केन्द्रों को प्रसार के लिए पुस्तिकाएं वितरित की जा चुकी हैं। राज्य में आठ खण्ड (ब्लाक) केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने के पात्र नहीं रह गये हैं क्योंकि इनके निवेश 30 करोड़ रुपये से अधिक हो गये हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिए रानीपेट, होसुर, मनमदुरै, पुडुकोटै, कुड्डालोर, गुमिदीपूंडी और तूतीकोरिन में सात विकास केन्द्र विकसित किये गये हैं। वर्ष 1986 के लिये पिछड़े क्षेत्रों में 42 एककों को सावधिक ऋण के रूप में कुल 25.60 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत 1983-84 से 1986-87 (31 अक्तूबर, 1986 तक) के वर्षों के दौरान तमिलनाडु में औद्योगिक एककों को निम्नलिखित राशि की प्रतिपूर्ति की गई है:—

वर्ष	रुपये करोड़ में
1983-84	7.29
1984-85	9.26
1985-86	10.69
1986-87 [31-10-86 तक]	3.46

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड

4511. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या ऊर्जा मंत्री भाखड़ा ब्यास काम्पलेक्स में हिमाचल प्रदेश के हिस्से के बारे में 9 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5850 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में हिमाचल प्रदेश को मान्यता दिये जाने से इसे पंजाब और हरियाणा की भांति लाभ, अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : 16 अगस्त, 1983 को भारत सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड से हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के समान व्यवहार करने के लिए कहा है। इस मामले के सम्बन्ध में निर्णय ले लिये जाने तक के लिये हिमाचल प्रदेश को राजस्थान और सांझा संवर्ग के उपभोक्ताओं के हिस्से को निकालने के बाद भाखड़ा की विद्युत का 2.5% आबंटित किया गया है। सांझा संवर्ग के उपभोक्ता के रूप में इसको भाखड़ा से 6 मेगावाट (1.2 लाख यूनिट प्रतिदिन) तथा देहर में ब्यास परियोजना की यूनिट एक से 15 मेगावाट विद्युत मिल रही है।

पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर कार्यवाही करने सम्बन्धी समिति

4512. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात सम्बन्धी आवेदन पत्रों की जांच और उन पर कार्यवाही करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पूंजी वस्तुओं के आयात को किस सीमा तक अनुमति दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय म औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) पूंजीगत वस्तुओं के आयात सम्बन्धी आवेदन पत्रों की जांच और उन पर कार्यवाही करने में अपनाई जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया की पुनरीक्षा करने के लिए श्री मन्तोष सोंधी की अध्यक्षता में 20-10-86 को एक समिति का गठन किया गया। चूंकि समिति की रिपोर्ट दिसम्बर, 1986 तक ही पेश की जायेगी, इस अवस्था में कोई भी यथा वांछित ब्यौरे निर्दिष्ट नहीं किए जा सकते हैं।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा बिना जोड़ की ट्यूबों का उत्पादन

4512-क. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : :

(क) क्या सरकार को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा बिना जोड़ की ट्यूबों का निर्माण करने के लिए एक एकक की स्थापना के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या बिना जोड़ की ट्यूबों के निर्माण की वर्तमान क्षमता इस उत्पादन की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अनुरूप, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिस के जवाब में कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) सीमलेस ट्यूबों को वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2.0 मि० मी० ओडी से अधिक की सीमलेस ट्यूबों सम्बन्ध में, तेल क्षेत्र की अधिकांश आवश्यकताओं तथा बाल-बियरिंग एवं बायलर उद्योग की आंशिक आवश्यकताओं को आयात के जरिए पूरा किया जा रहा है। लेकिन 1989-90 तक मांग को पूरा करने के लिए

अतिरिक्त क्षमता हेतु अनेक आशय-पत्र जारी किए गए हैं। तेल क्षेत्र की जरूरतों के लिये कुछ किस्मों के लिये विदेशीसहयोग की भी अनुमति दी गई है।

12.00 मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इण्डिया के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इण्डिया के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3403/86]

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ऑयल इण्डिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा गैस आथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के लिए सरकार द्वारा की गई समीक्षा, तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3404/86]

[श्री एम० अरुणाचलम]

(ङ) (एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3413/86]

(2) उपर्युक्त (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3411/86 और 3412/86]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1985 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग 2-सरकारी कंपनियों लेखाओं के सम्बन्ध में कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों और टिप्पणियों का सारांश—की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3414/86]

(4) (क) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3415/86]

(5) (ख) (एक) केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, देहरादून का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, देहरादून के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 3416/86]

इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984 तथा इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के लिए की गई समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

उद्योग मन्त्रालय के रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

अतिरिक्त क्षमता हेतु अनेक आशय-पत्र जारी किए गए हैं। तेल क्षेत्र की जरूरतों के लिये कुछ किस्मों के लिये विदेशीसहयोग की भी अनुमति दी गई है।

12.00 मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इण्डिया के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इण्डिया के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3403/86]

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ऑयल इण्डिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के लिए सरकार द्वारा की गई समीक्षा, तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3404/86]

[श्री एम० अरुणाचलम]

(ङ) (एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3413/86]

(2) उपर्युक्त (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3411/86 और 3412/86]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1985 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग 2-सरकारी कंपनियों लेखाओं के सम्बन्ध में कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों और टिप्पणियों का सारांश—की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3414/86]

(4) (क) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3415/86]

(5) (ख) (एक) केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, देहरादून का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, देहरादून के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 3416/86]

इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984 तथा इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के लिए की गई समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

उद्योग मन्त्रालय के रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3417/86]

(2) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल०टी० 3418/86]

(3) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 3419/86]

(4) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टूल्स के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टूल्स के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 3420/86]

भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ ईस्टर्न ईलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:—

(1) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1986, जो 20 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 772 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3422-ए/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3422-बी/86]

(ख) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3422-सी/86]

(ग) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सीमित के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सीमित का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3422-डी/86]

---

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3417/86]

(2) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल०टी० 3418/86]

(3) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 3419/86]

(4) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टूल्स के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टूल्स के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 3420/86]

भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ ईस्टर्न ईलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1986, जो 20 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 772 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3422-ए/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3422-बी/86]

(ख) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3422-सी/86]

(ग) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सीमित के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सीमित का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3422-डी/86]

12.00 म०प०

राज्य-सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1986 को, जिसे लोक-सभा द्वारा अपनी 24 नवम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

प्राक्कलन समिति

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी (चन्दौली) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं :

(एक) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के संबंध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 89वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उक्त समिति (आठवीं लोक सभा) का 2[illegible]वां प्रतिवेदन।

(दो) कृषि मंत्रालय—उर्वरकों के वितरण के संबंध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा के 74वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उक्त समिति (आठवीं लोक सभा) का 26वां प्रतिवेदन।

12.03 म०प०

लोक लेखा समिति

59वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : मैं सूखे की सम्भावना वाला क्षेत्र कार्यक्रम से संबंधित 175वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति (आठवीं लोक सभा) का 59वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

रेल अभिसमय समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुभाष यादव (खारगोन) : मैं "संसाधन जुटाना—रेल योजना वित्त में वृद्धि करने के लिए जनता से ऋण लेना" के संबंध में रेल अभिसमय समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.04 म०प०

लेवी चीनी के संबंध में प्राधिकृत राशन की दुकानों के मुनाफे को मात्रा वृद्धि के बारे में याचिका

[अनुवाद]

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : महोदय, मैं लेवी चीनी के सम्बन्ध में प्राधिकृत राशन की दुकानों के मुनाफे के बारे में खुदरा अनाज व्यापारी महा संघ, बम्बई के अवैतनिक सचिव, श्री चिमनलाल डामजी गाला तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री संगमा ।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, मैं सभा-पटल पर मद संख्या-16...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्री संगमा जी आ गये हैं ।

(व्यवधान)

कारखाना (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं क्षमा चाहता हूं श्रीमान, मैं दरअसल राज्य-सभा में था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखाना अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० ए० संगमा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

12.05 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) पश्चिम बंगाल में बरहामपुर दूरदर्शन रिले केन्द्र में माइक्रोवेव लाइन स्थापित करने की मांग

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर स्थान में एक टी० वी० रिले केन्द्र है, लेकिन स्थानीय लोग केवल दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रमों को ही देख पाते हैं और कलकत्ता से प्रसारित कार्यक्रम वहां नहीं आते हैं जबकि कलकत्ता वहां से मात्र 200 कि० मी० दूर है । इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्रार्थना की जाती है कि वे इस

*दिनांक 2-12-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

[डा० फूलरेणु गुहा]

बात को सुनिश्चित करें कि स्थानीय लोगों को दिल्ली के साथ-साथ कलकत्ता के प्रसारण भी देखने को मिल सकें। इस उद्देश्य हेतु आवश्यक माइक्रोवेव लाइन को शीघ्रातिशीघ्र लगाया जाए।

(दो) गुंटाकल और सिकन्दराबाद के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : कर्नाटक एक्सप्रेस ही ऐसी एक सुपर-फास्ट रेलगाड़ी है जो बंगलौर से दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलती है। बंगलौर से सिकन्दराबाद तक का रास्ता अपवाद रूप से लम्बा और घुमावदार है। यह वाडी होकर जाती है जो बहुत ही पुराना मार्ग है तथा जिसे तय करने में अधिक समय लगता है। यह मार्ग ब्रिटिश-काल के आरम्भ में बनाया गया था। अगर सिकन्दराबाद में गुंटकल के बीच में बड़ी लाइन बदलने का कार्य पूरा हो जाता है तो यह दूरी लगभग 200 कि० मी० कम हो जाएगी। बंगलौर से गुंटकल तक की रेलवे लाइन को पहले ही बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा चुका है। इसलिए गुंटकल से सिंकन्दराबाद के बीच की लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र ही बदला जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह न केवल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि दिल्ली में रहने वालों के लिए भी लाभदायक होगा जो आंध्र और कर्नाटक प्रदेशों की यात्रा करना चाहते हैं।

इसलिए मैं, माननीय रेल मंत्री का इस मामले में ध्यान आकृष्ट करते हुए चाहता हूं कि वे शीघ्र ही गुंटकल से सिकन्दराबाद तक रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के आदेश शीघ्र ही जारी करें।

[हिन्दी]

(तीन) प्रतिभोजन के बारे में लोगों को शिक्षित करने और उन्हें प्रतिभोजन करने से रोकने के लिए आवश्यक कानून बनाने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आवश्यकता से अधिक खाने वालों की संख्या करोड़ों में है। उनसे बीमार होने पर अरबों रुपयों की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। वे दिन-रात ऐसी अनावश्यक दवाइयों का उपयोग करते हैं जो उनके द्वारा अधिक खाए हुए को पचा सकें। यह भोजन पचाने का तरीका प्राकृतिक नहीं है और प्राकृतिक तरीके से जो भोजन पचाते हैं, उससे उनके स्वास्थ्य को भारी हानि होती है। इसके विपरीत देश में भारी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भरपेट भोजन ही नहीं मिलता। उन्हें जितना पोषक भोजन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलने के कारण वे विकलांग हो जाते हैं। अपने नेत्र की रोशनी खो देते हैं। असमय मृत्यु का शिकार होते हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार नशीली दवाइयों का सेवन न करने के लिए लोगों को वे दण्डित करते हैं, नशीली दवाइयों का सेवन न करने के लिए बराबर हर माध्यम द्वारा कई प्रकार का प्रचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका प्रचार हर प्रसार के प्रचार माध्यम से करें। ऐसे

होटल, रेस्टोरेंट व खोमचों, जिनमें केवल जीभ स्वाद के लिए अस्वास्थ्यकर वस्तुएं बनायी जाती हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और यदि ऐसा करते हुए वे पाये जाते हैं तो उनके होटल आदि के लाइसेंस रद्द कर दिये जायें। जो व्यक्ति भी अपनी जबान पर संयम न करके अधिक भोजन करते हैं, उनके लिए एक आचार संहिता ही नहीं वरन् एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके अन्तर्गत उन्हें दंडित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : और मोटे आदमियों पर टैक्स लगाया जाये।

श्री बालकवि बैरागी : इस साल डागा जी को 377 के लिए पद्मश्री देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उसका मापदण्ड क्या होगा डागा जी ? मोटापा या लम्बा होना।

(चार) उत्तर प्रदेश में पिथौरा गढ़ में उच्च ताप सह-संयत्र परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के देवलथल नामक स्थान में, जहां मैग्नेसाईट का विशाल भण्डार है, स्टील एवं माइन्स मंत्रालय द्वारा भारत रिफ्रेक्ट्रीज के नाम से एक मैग्नेसाईट ब्रिक निर्माण की यूनिट स्थापित करने व माइनिंग करने की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार तत्कालीन उद्योग एवं स्टील मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा सन् 1982 में इस योजना के कार्य का शिलान्यास किया गया।

राज्य सरकार द्वारा शीघ्रतापूर्वक भूमि का अधिग्रहण व विद्युत उपलब्ध करवाने की कार्यवाही भी सन् 1983 में पूर्ण कर ली गई। परन्तु इस परियोजना के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।

भूमि अधिग्रहण के कारण किसान परेशान हैं। परियोजना के प्रबन्धक मण्डल द्वारा यहां चिकित्सालय व आई० टी० आई० खोलने का वायदा किया गया था किन्तु उसे भी पूरा नहीं किया जा रहा है।

शिलान्यास के लगभग साढ़े चार वर्ष के बाद स्टील मंत्रालय इस समस्त परियोजना के पुर्नमूल्यांकन की बात कर रहा है।

मेरा इस्पात एवं खान मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस समस्त प्रकरण की जांच कर इस परियोजना में फैक्ट्री-क्लीन आदि का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करवाएं।

[अनुवाद]

(पांच) कर्नाटक में विजय नगर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : (मैसूर) : भारत सरकार ने विशाखापत्तनम, सलेन और विजय नगर में इस्पात संयत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी, विजय नगर इस्पात

[श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर]

योजना का उद्घाटन स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 14.10-71 को किया गया था, कर्नाटक सरकार ने इस्पात संयंत्र के लिए पहले ही स्थान का निर्धारण कर लिया है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने तेजी से कार्य किया और अब तक लगभग 1200 करोड़ रु० इस पर खर्च किये जा चुके हैं तथा लगभग 130 करोड़ रु० सलेम के स्टेनलेस स्टील रौलिंग मिल पर खर्च किये जा चुके हैं लेकिन इन सबके बावजूद विजय नगर स्टील योजना में धन लगाने के लिये अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। यह अत्यन्त दु:ख का विषय है कि विशाखापत्तनम और सलेम दोनों ही जगह में न तो कच्चा लोहा है और न कोयला लेकिन फिर भी उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है जबकि दूसरी ओर विजय नगर में 1200 मिलियन टन उच्च श्रेणी का कच्चा लोहा विद्यमान है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विजय नगर में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में देर किए जाने से स्थानीय लोगों में बहुत असंतोष की भावना पनप रही है। अगर विजय नगर में इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाता है तो यह राज्य की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि विजय नगर में इस्पात संयंत्रों को जल्दी ही स्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

(छ:) सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में लोगों में पैदा हो रही गलत फहमियों को दूर करने की आवश्यकता

श्री गंगाराम (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन यह महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं।

देश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच में केवल जातिवाद पर आधारित कुछ संगठन तथा विघटनकारी तत्व यह भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ तथा स्वार्थ-सिद्धि की प्रेरणा से वशीभूत होकर यह प्रचार कर रहे हैं कि शीघ्र ही भारत सरकार इन वर्गों के लिए संविधान की धारा 335 के अन्तर्गत प्रदत्त सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था तथा धारा 330 एवं 332 के अन्तर्गत राजनीतिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आरक्षण धारा 334 के अन्तर्गत समाप्त करने जा रही है तथा संविधान की धारा 341 तथा 342 के अन्तर्गत निर्धारित इन जातियों तथा जनजातियों की सूचियों में परिवर्तन कर कुछ जातियों/जनजातियों को निकालने जा रही है। इस भ्रमात्मक स्थिति के कारण उक्त वर्ग की जनता में बेचैनी तथा असंतोष व्याप्त है और अवांछित तत्व इसका अनुचित लाभ उठाकर इस वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने की अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं और देश के एक भारी बहुमत को भड़काकर जाति संघर्ष तथा वर्ग-संघर्ष की आग को सुलगाने में व्यस्त हैं। वे इस वर्ग के सरकारी

कर्मचारियों तथा अधिकारियों में भी वर्ग भेद की भावना उत्पन्न करने में प्रयत्नशील हैं, जिसके फलस्वरूप उनका उत्पीड़न भी भिन्न-भिन्न रूपों में हो रहा है।

अतः देश की एकता, अखण्डता तथा सुरक्षा के हित में भारत सरकार को स्पष्ट नीति की तुरन्त घोषणा करनी चाहिए ताकि उक्त वर्ग में फैले हुए भ्रम का निवारण यथाशीघ्र हो सके और सामाजिक सुरक्षा को भी व्याघात न पहुंचने पाए तथा विघटनकारी और अलगाववादी तत्व भी अपने घृणात्मक उद्देश्य की पूर्ति में सफल न हो सकें।

[अनुवाद]

(सात) **उत्तर प्रदेश के एटा जिले में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बड़ी संख्या में जंगल कटने से इंधन के लिए लकड़ी मिलने में कठिनाई होती है तथा ईंधन के अभाव में दुकानदारों से खाना बनाने के लिए राशन में मिलने वाले मिट्टी के तेल को छोड़कर अन्य प्रकार से मिट्टी का तेल प्राप्त करने में लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा, एटा एक पिछड़ा हुआ जिला है।

एक कुकिंग गैस एजेंसी, जो एटा में है, सारे जिले की मांग को पूरा नहीं कर सकती है, इस जिले के अन्तर्गत तीस-तीस हजार की आवदी वाले अलीगंज, पटियाली, रजक रामपुर, गंज-डुडवारा, सकीत, मारगेन, सहावर, सिधपुरा और अमापुर आदि कई कस्बे आते है। ईंधन की इस कमी से निपटने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में एक गैस एजेंसी देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इसलिये मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों का कुकिंग गैस एजेंसी स्थापित किए जाने की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाये तथा उसके बाद चुने हुए क्षेत्रों में डीलरों को नियुक्त किये जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(आठ) **कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की आवश्यकता**

श्री कादम्बुर जनार्दन (तिरुनेलवली) : वर्ष 1986-87 में गुजरात, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में कपास की पैदावार बहुत कम हुई है। कपास उगाने वालों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कपास के समर्थन मूल्य पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए और इसमें कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि यार्न मन्त्री की निष्क्रियता को देखते हुए सट्टे की रुचि वाले कपास व्यापारी गरीब किसानों का शोषण न कर सकें।

———

12.15 म०प०

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव महामहिम श्री मिखाइल गोर्बाचोव की भारत यात्रा के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय समिति के महासचिव श्री मिखाइल गोर्बाचोव मेरे निमंत्रण पर 25 से 28 नवम्बर तक भारत की यात्रा पर आए। उनकी यह यात्रा भारत और सोवियत संघ के बीच उच्चतम स्तर पर आदान प्रदान की सुस्थापित परम्परा के अनुरूप थी। यह यात्रा हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। इससे क्षेत्रीय स्थायित्व और विश्व शांति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

मैंने महासचिव गोर्वाचोव से द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विविध विषयों पर व्यापक और गहन चर्चा की। वरिष्ठ मंत्री स्तर पर भी साथ ही साथ बातचीत चली। हमारी यह बातचीत अत्यन्त हार्दिक और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई तथा पारस्परिक विश्वास और भरोसा इसकी विशेषता थी।

हमने दीर्घकालिक आधार पर अपने भावी सहयोग की रूप-रेखा पर बातचीत की। अतीत के अपने सहयोग के समृद्ध अनुभव की वजह से हम अपने द्विपक्षीय सहयोग को एक गुणात्मक उच्चतर स्तर पर उठाने के लिये नये अवसरों का पता लगाने में समर्थ हो सके। कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये। विवरण सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। टेहरी-पन-बिजली परियोजना, बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण, नई कोकिंग कोयला खानों की स्थापना तथा पश्चिम बंगाल में तेल निकालने से सम्बद्ध परियोजनाएं आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से सम्बन्ध समझौते की परिधि में आती हैं। इस समझौते की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सोवियत संघ ने इसके लिए स्थानीय लागत वित्त-विनियोजन की व्यवस्था की है। ये समझौते आर्थिक, वाणिज्यक, कोंसली और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारे सम्बन्धों की बढ़ती हुई शक्ति तथा सक्रियता को प्रतिबिंबित करते हैं।

महासचिव गोर्वाचोव और मैंने इस बात पर सहमत हुए कि आर्थिक सहयोग की विशाल अछूती क्षमता से काम लेने के लिए हमारे वाणिज्यक और आर्थिक आदान-प्रदानों की प्रक्रिया के ढांचे को नया रूप देने की जरूरत है। हमारे वित्त-मंत्री और उप प्रधान मंत्री कोमेन्तसेव इनके ब्यौरों पर काम कर रहे हैं। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने सहयोग को भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। विकसित प्रौद्योगिकीयों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर

अनुसंधान और विकास की परियोजनाएं तय की जा रही हैं। सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष शिक्षाशास्त्री मार्चुक के नेतृत्व में एक सोवियत दल शीघ्र ही भारत की यात्रा पर आएगा और उस समय उन विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में हमारे वैज्ञानिक के साथ बातचीत करेगा जिन पर काम किया जाएगा।

अपने क्षेत्र के सुरक्षा पर्यावरण के सम्बन्ध में मैं श्री गोर्बाचोव से बहुत लाभदायक विचार-विमर्श किया। हमने शान्ति, मैत्री और सहयोग की अपनी संधि की सतत वैधता की पुन: पुष्टि की इस यात्रा की समाप्ति पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर दोनों देशों के दृष्टि-कोण की निकट समानता का पता चलता है। सबसे बढ़कर तो इस यात्रा से हमारे दोनों देशों के लोगों की विश्व शान्ति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई है।

भारत हमेशा अहिंसा का पक्षधर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में तथा 5 महाद्वीपों के 6 राष्ट्रों की पहल के माध्यम से भी निरस्त्रीकरण और शान्ति के लिए निरन्तर काम किया है। श्री गोर्बाचौव की यात्रा के दौरान सोवियत संघ ने नाभिकीय शस्त्रों से मुक्त और एक अहिंसक संसार के समान दृष्टिकोण में भारत का साथ दिया। दिल्ली घोषणा में गांधी जी और लेनिन के आदर्शों को अभिव्यक्ति मिली है। दिल्ली घोषणा पर एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण पहल है। इसमें ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं कि अगर एक शान्तिपूर्ण भविष्य हमें चाहिए तो इन सिद्धांतों को विश्व व्यापीस्वीकृति मिलनी ही चाहिए। दिल्ली घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक दस्तावेज के रूप में की जा रही है। हम विश्व समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह इस घोषणा को स्वीकार करें।

महासचिव गोर्बाचोव की भारत यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा थी। भारत सोवियत संबंधों के के भावी विकास और एशिया तथा विश्व की शान्ति और स्थायित्व की दिशा में दोनों देशों के योगदान में यह एक स्थायी महत्व की चीज होगी।

————

12.19 म०प०

पंजाब की स्थिति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मंत्री महोदय ने कहा था कि वह कल शाम 5.30 बजे तक एक विस्तृत वक्तव्य देंगे। कम से कम अब तो उन्हें वह वक्तव्य दे देना चाहिए, अन्यथा क्या हम शून्य में वाद-विवाद करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : चूंकि अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है, इसलिए मैंने सोचा था कि वाद-विवाद के अंत में मैं अपना वक्तव्य दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपका वक्तव्य सहायक होगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप फिर अन्त में क्या कहेंगे ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री महोदय अभी तक वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें कुछ कहने दें फिर···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्यों ?

सरदार बूटा सिंह : मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देता हूं कि पंजाब में कारंवाई जारी है। चूंकि कारंवाई अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए मुझे वक्तव्य देने में कुछ समय लगेगा। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आपको कितना समय चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : चर्चा के अन्त तक। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : हम आपको समय देंगे।

श्री आर०एस० स्पैरो (जालन्धर) : सभापति महोदय, अगर हमें किसी जटिल समस्या का सामना करना हो, चाहे वह युद्ध-क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में, तो हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। उत्तेजना से सही योजना और कार्यवाही असंतुलित हो सकती है।

हम पंजाब में बाहरी तथा भीतरी हर प्रकार के उग्रवादी तथा धर्मांध देश विरोधी तत्वों का सामना कर रहे हैं। यह एक नये प्रकार का युद्ध है, जिसमें आधुनिकनम् हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, और जिसमें हथियार, धन और प्रशिक्षण के तरीकों की सहायता संयोजित तरीकों से दी जा रही है।

पहली बात यह है कि, ऐसी स्थिति में सारे देशवासियों को इस शत्रु का पूरा मुकाबला करने और हराने के लिए दृढ़ संकल्प होना है। हमने पहले भी यह काम एक राष्ट्र के रूप में उन

सभी युद्धों में किया है जो हम पर स्वाधीनता प्राप्ति के बाद थोपे गए, चाहे वह 1947-48 में कच्छ की खाड़ी का युद्ध हो, फिर गोवा का युद्ध । 1962 में चीन के साथ युद्ध, और 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध हो। और हम ये सब लड़ाइयां एक राष्ट्र होकर लड़े थे और हर बार 'भारत वर्ष' की ही जीत हुई ।

इसलिए, मैं दोबारा इस सदन में सभी दलों के सदस्यों से यही प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रीय महत्व की इस खतरनाक समस्या का मुकाबला करने के लिए आगे आएं और जो कि पंजाब में और भी भयावह स्थिति होती जा रही है और यह काम विभिन्न विचारधाराओं, वर्गों, जातियों, धर्मों या क्षेत्रों के बावजूद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी राजनीतिक सुझाव के बिना तथा किसी द्वेष या संदेह के बिना किया जाना चाहिए ।

माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इस अवांछनीय परिस्थिति के उन प्रमुख तत्वों को स्पष्ट किया है जो संवेदनशील सीमावर्ती पंजाब प्रदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तथा जिनके अलग-अलग क्षेत्रों में राजनैतिक, सामरिक और सैन्य परिणाम निकल सकते हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री के सभी प्रयास राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन के अनुसार, उनके स्वदेश प्रेम और निष्ठा और राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में निष्ठा और उत्साह को स्पष्ट करने वाले हैं। उन्होंने राजनीतिक और आंतरिक और दोनों प्रकार की कुछ जटिल समस्याओं को अर्थपूर्ण तथा दक्षता से हल करने में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है ।

इन सबको देखते हुए मैं इस माननीय सदन के हर माननीय सदस्य से यह आग्रह करूंगा कि वे इस नई किस्म की घृणास्पत् लड़ाई का मुकाबला करने में प्रधान मंत्री के हाथों को मजबूत करें ताकि हमारी पूरी तरह से जीत हो। हमें विश्व में पहला ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए, जहां से उग्रवाद जड़ से उखाड़ दिया जाए ।

यदि मेरे इस तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो मैं विनम्रतापूर्वक किन्तु दृढ़ता से प्रधानमंत्री से यह सिफारिश करता हूं कि वह एक विशेषसंसदीय सलाहकार समिति के गठन पर विचार करें, ताकि पूरे राष्ट्र को प्रभावित करने वाली जो इस दुःखद समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय सर्वसम्मत हल निकाला जाए ।

महोदय, यदि एक बार यह काम हो जाए । तब समग्र सहमति के आधार पर, पंजाब को उग्रवादी राष्ट्र-विरोधी तत्वों के हाथों से मुक्त कराने के लिए, इसे विभिन्न चरणों में लागू किया जाए । उनकी वर्तमान गतिविधियों और प्रवृत्तियों पर गौर कीजिए : अब मैं 21 दिसम्बर, 1986, के 'ट्रीब्यून' समाचार-पत्र से एक-दो वाक्य उद्धृत करता हूं जो इस प्रकार हैं—

"अमृतसर, 30 नवम्बर—सात भूमिगत उग्रवादी संस्थाओं ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्सेज के झंडेतले काम करने का निर्णय लिया है ।"

उसके पश्चात् लिखा है :

[श्री ग्रार०एस० स्पैरो]

"इन वक्तव्यों पर जिन उग्रवादी संस्थाओं के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किये हैं। उनमें शार्दुल सिंह, (दशमेश रेजीमेंट), मंजीत सिंह (खालिस्तान आर्म्ड पोलिस), अवतार सिंह (टाट खालसा), शेर सिंह (खालिस्तान आर्म्ड फोर्सेज), पीपल सिंह (यूनाइटेड सिख आर्मी), भाग कौर (मार्टू भागो रेजीमेंट), तथा बाघेल सिंह (सिख लिबरेशन टाट खासला) शामिल हैं।"

इसमें नेताओं के नाम दिये गये हैं, तथा उन्होंने अपने तरीकों के अपने पैडों पर हस्ताक्षर करके समाचार-पत्रों को यह जारी किये हैं। इसी प्रवृत्ति का मैं स्पष्टीकरण कर रहा था।

फिर भी, किसी भी तरीके से हम पंजाब को जाने नहीं देंगे, जितनी जल्दी यह बात इन राष्ट्र-विरोधी और संभावित राष्ट्र-विरोधी तत्वों की समझ में आ जाए, उनके और उनके बच्चों के लिए उतना ही बेहतर होगा। यह बात साधारण रूप से सब पर लागू है।

पंजाब आनुवंशिक, ऐतिहासिक और नैतिक तौर से भारत माता का एक प्रमुख अंग है।

हम अपनी ही मां से अपनी ही जन्म भूमि से कैसे दूर भाग सकते हैं ? अगर हमारी आत्मा जीवित हैं, तब हमें ऐसी बात नहीं होने देना चाहिए। मैं इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कवि की कुछ पंक्तियां उद्वत करता हूं :

"उस व्यक्ति की आत्मा मर चुकी है, जिसने कभी स्वयं से यह नहीं कहा, कि यह है मेरी मातृभूमि"

हमें ऐसे ही उत्साह और विचारधारा को लेकर इस दारूण स्थिति का सामना करना चाहिए। यह मेरे अपने विचार हैं जिसे मैंने पूरे सदन के सामने रखने की कोशिश की है। इसी उत्साह के साथ हम अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करेंगे। हम एक होकर रहेंगे। हम अपनी जन्म-भूमि में एक साथ मिलकर रहेंगे; हम सब पंजाबी—हिन्दू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन और बाकी लोग, अपने देश का नाम और ऊंचा उठाएंगे क्योंकि हमारे इतिहास और हमारी भाषा की जड़े एक हैं।

12.29 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री के भी यही विचार हैं, और मैं इस माननीय सदन से दोबारा जोरदार अपील करता हूं कि हम बिना किसी स्वार्थ, राजनीतिक पक्षपात या संकीर्णता के उन्हें पूरा समर्थन दें।

मैं पंजाब के बारे में और बहुत कुछ कह सकता हूं, और पूरे विस्तार से वर्णन कर सकता हूं, क्योंकि मैं बचपन से ही इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूं ! मैं उस प्रवृत्ति को जानता हूं, और

मैं अपने लोगों को अच्छी तरह से समझता हूं और मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। परन्तु महोदय, आपने जो समय में कटौती की है उसे भी देखना पड़ेगा। मैंने संक्षेप में यह बता दिया है कि एक सदन के रूप में और भारत के वरिष्ठ लोगों के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए ? अब आप किसी ना किसी बहाने या यह कहकर कि मैं अमुक पार्टी का हूं, इसलिए मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि भारतवर्ष एक है और हम सबका है। हम जब रण में जाते हैं, तब 'भारतीय' या गैर-भारतीय का कोई प्रश्न नहीं होता। हिमालय से केरल तक के लोगों ने मेरी कमान के अधीन लड़ाइयां लड़ी है। हर प्रकार का व्यक्ति उसमें शामिल था और सब देश के लिए लड़े थे। पर यह जो वर्तमान मुद्दा है। यह तो पिछली लड़ाइयों से भी अधिक खतरनाक है और मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यह स्थिति पिछली लड़ाइयों से भी ज्यादा बुरी है।

इसलिए जैसा मैने पहले कहा था इसको दृढ़ता से सामना करने के लिए आपको आगे आना चाहिए।

महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए, मै आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लेने के लिए अनुरोध किया है। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि वे संक्षेप में कहें जिससे कि हम शेष माननीय सदस्यों को भी मौका दे सकें। श्री मोहम्मद महफूज अली खां।

मैं हर सदस्य को 8 मिनिट का समय दे रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय बाद में जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहेब, पंजाब के मसले पर दो-तीन मर्तबा इस हाउस में बहस हो चुकी है, मगर ये सिर्फ बातें ही बातें हैं और कुछ नहीं है। छब्बीस आदमियों को बस में से उतारकर, लाइन लगाकर मार दिया जाए और आज हम यहां इस हाउस में बैठे हुए हैं, क्या हालत है इस देश की ? ये तो 26 आदमी पंजाब के है। मेरा तो कहना यह है कि हजूर इसका जिक्र यहां क्यों है ? यह तो स्टेट का मसला है, फिर यहां पर यह जिक्र क्यों हो रहा है ? जब हम स्टेट का मैंटर लेकर आते हैं, तो फौरन कह दिया जाता है कि यह तो स्टेट का मैटर यहां नहीं उठ सकता है, वहां की असेंबली में उठाओ। फिर यहां पंजाब की जरूरत क्या है, जो यहां पर इस मसले को उठाया गया। जब हमें सूबों के बारे में यहां कुछ कहने की इजाजत ही नहीं है, तो फिर पंजाब के बारे में यहां चर्चा ही क्यों की जा रही है।

ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। गवर्नमेंट बिलकुल फेल हो चुकी है, कहीं इसके बस का कुछ है ही नहीं, यह कहीं कुछ नहीं कर सकती। यह टोटली फेल हो चुकी है। जिस रीजन को आप चाहें, उठाकर देख लीजिए, ला एण्ड आर्डर है ही नहीं। आप मेरे यहां जाकर देखिए, डिस्ट्रिक्ट एटा में एक ही रात के अंदर 28 आदमी मार

[श्री मोहम्मद महफूज अली खां]

दिए, लेकिन उनके लिए यहां कोई नहीं चीखता है। आज पंजाब के बारे में हम सब चीख रहे हैं। क्या फायदा है, क्या हो रहा है? इस मुलक की सालमियत का सवाल है। मैं हिन्दी नहीं जानता हूं, इसलिए उर्दू बोल रहा हूं। यहां पर तकसीम का सवाल नहीं है। हम सब लोग एक हैं। यह कहना कि सरदार साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे क्या होगा। सरदार साहेब क्या करेगें वहां जाकर? रिबेरो के ऊपर हमला हुआ, यानी हैडक्वार्टर पर हमला हो रहा है, उनकी पुलिस के अंदर खुद हमला हो रहा है, इनके स्तीफा देने से क्या नतीजा निकलेगा? इनके इस्तीफा देने से क्या होगा, मैं तो कहता हूं कि पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, बिलकुल हम लोग इसके लिए तैयार हैं, दुबारा इलेक्शन करा लें। आज आप यहां खड़े हैं, बाहर देखिए क्या हो रहा है? क्या तप्सरे हो रहे हैं होटलों में, सड़कों पर, मोहल्लों में? यह सरकार फेल हो चुकी है हर मसले पर, पंजाब का मसला हो, आसाम का मसला हो। मुझे बड़ा अफसोस है, आज इतनी तकलीफ हमको हो रही है। इतने लोगों को मार दिया गया और कह रहे हैं कि सेंटर इसमें कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर हम यहां क्यों हैं? हम लोग सूबों से आए हैं, हम क्या जवाब देगें वहां जाकर। लोग वोट देते हैं, हमने उनका वोट लिया है, हम उनको क्या जवाब देंगे? यहां कहा जाता है कि यह स्टेट मैटर है। क्या यह कानून नहीं है? टैररिस्ट एक्ट आपने बनाया, उसके अंदर प्राविजन है। सेंटर दखल दे सकती है। यह ख्याल बिलकुल गलत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दखल नहीं दे सकती है। आप कह देते हैं सूबे का मसला है और यहां आसाम की और पंजाब की डिस्कशन करवा दीजिए, आप बार-बार कह देते है और सुबूत भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनकी ट्रेनिंग हो रही है, पाकिस्तान असला देता है, बकायदा ट्रेनिंग होती है, क्या एक्शन लिया आपने? प्राइम मिनिस्टर साहेब जाते हैं, जुनेजो साहब से मुलाकात होती है, उम्दा-उम्दा खाना खाते हैं, हंसी और गप्पें लड़ती हैं। कभी आपने उनसे कहा? आपने कभी उनसे कहा? आपने जो भी इलजाम लगाये, उन्होने उसको डिनाई किया। आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जायें। जब आप को सबूत मिल रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं और टैररिस्ट की वहां ट्रेनिंग होती है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर आप इस बारे में सख्ती नहीं बरतेंगे तो आप सोच लीजिए कि इस मुल्क का क्या होगा? हमारे नेताओं ने पार्टिशियन तो करा ही दिया है। हमें फिर डर है कि कहीं फिर पार्टिशियन न हो जाये। इसमें हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को दखल देना चाहिए। इसके साथ ही इसमें हम सब को मिल कर एक जुट होकर, सर से सर मिला कर उनका मुकाबला करना चाहिए।

आज पंजाब में पोलिटिकल लड़ाई है। वहां पर बादल और तोहड़ा उधम मचाये हुए हैं। एक संत और नेक आदमी श्री बरनाला जी को यह लोग परेशान कर रहे हैं। यह हमारी कमी है, हमारी सेंटर की कमी है कि वह इसमें दखल नहीं दे रही है। आप यह कह कर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते हैं कि हमने वहां पर मिलिट्री फोर्स, बी०एस०एफ०, आदि भेज दी हैं। आपको इस मामले में अवश्य ही दखल देना चाहिए।

आज जिन घरों के परिवार के सदस्य मरे हैं उन सब के दिलों में क्या बीत रही होगी? हमें यह सोच कर संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि हमने उस मसले पर डिसक्सन करके मसला

हल कर लिया। आपसे आज तक पंजाब और असम का मसला हल नहीं हो सका। मैं एक शेर पढ़ कर सुनाना चाहूंगा—

"न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिन्दोस्तां वालो,
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तांनों में।"

(व्यवधान)

यह भी मेरा क्रेडिट है कि मैं अकेला जीत कर आया हूं। आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ी बईमानी करने में। (व्यवधान)

आप पहले कहां थे और अब कहां है यह कभी सोचा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस मामले में सख्ती से कदम उठाइए। अगर आप सख्ती से कदम नहीं उठायेंगे तो पूरे मुल्क के अन्दर यह आग भड़केगी और उसको बुझाना मुश्किल हो जायेगा। यह कह कर कि आप इस्तीफा दे दो, प्राबलम साल्व नहीं होगी।

आज एक बहुत ही सीधे संत चीफ मिनिस्टर साहब को परेशान किया जा रहा है। आप मदद करने की जितनी भी कोशिश कर सकते हो करो।

अंत में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस देश की हालत सुधारिए।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस पंजाब के मसले को लेकर हम लोग कल से बहुत ही दुख के वातावरण में चर्चा कर रहे हैं। वह इस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। कल इस सदन में यह नहीं पता चल रहा था कि कोई अपोजिशन है और कोई सत्तारूढ़ पार्टी है ? कल समवेत रूप से ऐसा दृश्य था कि रमानी सम्पूर्ण भारत के लिए 75 करोड़ की वेदना साकार होकर इस हाऊस में एकमात्र प्रदर्शित हो गई हों। हमें ऐसा दृश्य दिखायी पड़ा था। उसके बाद से मैं जो भाषण सुन रहा हूं और अभी मेरे लायक दोस्त ने जो भाषण किया उससे मुझे लगा कि हम पंजाब की उस दुःखद चर्चा के सन्दर्भ में जो सही प्रासंगिक चर्चा होनी चाहिए उसके बजाये अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की बात, राजनीतिक स्वार्थों की बात उसमें आगे बढ़ा रहे हैं और असली चीजों को पीछे छोड़ते जाते हैं। अभी मेरे लायक दोस्त ने कहा कहीं ला एंड आर्डर नहीं है और जब कोई ऐसा मसला उठाया जाता है तो राज्य का मसला कहकर हमें चर्चा करने नहीं दी जाती है। वे भूल गए वह चर्चा नहीं करने दी जाएगी और न करने दी जानी चाहिए क्योंकि हमारे यहां ला एण्ड आर्डर का सवाल प्रदेश सरकारों का सवाल है। लेकिन पंजाब में जो घटना घटी है वह ला एंड आर्डर का अकेला सवाल नहीं है वह सवाल सम्पूर्ण देश से, सम्पूर्ण देश की सद्भावना और सम्पूर्ण देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और यही कारण था कि कल रूलिंग पार्टी और अपोजीशन में कोई फर्क नहीं था।

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं उन व्यक्तियों में से रहा हूं जिसने लगातार पंजाब की चर्चा में, होम कंसल्टेटिव कमेटी में भी लगातार एक वर्ष से कई बार इस प्रश्न को उठाया और बड़ी तीव्रता से उठाया और यह कहने की कोशिश की है कि पंजाब की समस्या इस तरह हल नहीं होगी। मैंने बार-बार कहा है कि पंजाब की अकाली सरकार, जिसके मुख्य मन्त्री बरनाला साहब हैं, वह सरकार बड़ी नाकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, बरनाला साहब चाहे जितने अच्छे क्यों न हों, उनका चाहे जितना अच्छा स्वभाव क्यों न हों लेकिन एक मुख्यमन्त्री के रूप में, एक प्रशासनिक के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। उनको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के साथ जोड़कर, जो लोग सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पर हमला करते हैं वे अपने राजनीतिक स्वार्थ की भले पूर्ति करते हों, सच्चाई का वर्णन नहीं करते हैं। कल प्रधान मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में जिस तरफ इंगित किया था उसमें सार्थकता है। केन्द्रीय सरकार को इसमें पड़ना पड़ेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन केन्द्रीय सरकार नियमों और कानूनों के साथ ही चलेगी। ऐ· ा तो नहीं हो सकता कि लोकतन्त्र और संविधान को भुला दिया जाये। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि पंजाब की जनता की जान व माल की रक्षा की जानी चाहिए, पंजाब की इस सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिए जोकि पंजाब की आम जनता की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। अगर लोकतन्त्र के माध्यम से चुनाव कराने के बाद भी पंजाब के मामले का हल नहीं हो पाया तो हमारे देश की मिलिटरी को शासन व्यवस्था सम्भालनी चाहिए और जब तक पंजाब में शांति स्थापित न हो जाये, जब तक एक-एक व्यक्ति की जान व माल की सुरक्षा न हो जाये तब तक इस प्रकार की सरकार का भरोसा नहीं करना चाहिए।

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पंजाब में जो कड़े कदम उठाये थे उसके पीछे कौन से कारण थे। वह हमको अच्छी तरह से मालूम हैं। हमारी पूज्य नेता ने ब्लू-स्टार आपरेशन का कदम साधारण परिस्थितियों में नहीं उठाया था, अत्यन्त दुख के साथ बहुत ही परेशानी में उन्होंने यह निर्णय लिया था। उसके बाद हमने देखा अकाली सरकार बन जाने के बाद भी उस अकाली सरकार में भी एक डिवीजन हो गया, पहले बादल गए फिर टोहरा का मामला आ गया उसके बाद उनकी सरकार में भी यह हुआ कि अमरेन्दर सिंह चले गए फिर अभी दो मिनिस्टरों को और निकाल दिया है, इससे मालूम होता है कि बरनाला सरकार डूबता हुआ जहाज है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बरनाला चलने वाले नहीं हैं, टोहरा की विजय इस बात का द्योतक है कि पंजाब में आतंकवादियों को अभी तक समर्थन मिल रहा है। शायद इस बात का द्योतक है कि टोहरा की विजय ही नहीं, टोहरा की जीत के बाद उन्होंने यह दिखाया है कि शिरोमणि गुरूद्वारा कमेटी की जीत के बाद हम उन कामों की ओर बढ़ेंगे, कल जिसकी उन्होंने रिहरसल करके दिखलाई है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस संबंध में कदम उठाना पड़ेगा। अगर हमारे राज्यपाल महोदय ने अभी तक रिपोर्ट दी है या नहीं दी है, और यदि दी है, तो क्या दी है, यह तो हमारे आदरणीय गृहमंत्री जी जब उत्तर देंगे, तो बतायेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमको कल आश्वासन दिया है कि वे आज और कल के बीच में कोई-न-कोई रास्ता पंजाब की सरकार से,

पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से चर्चा करके निकालेंगे, जिससे कि इस प्रकार की घटनायें दोबारा न घटें।

यहां पर कल मैंने देखा कि कुछ सदस्य माग कर रहे थे कि गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मैं उनकी इस बात को समझ नहीं सका। मैं उन लोगों में से हूं, जो यह कहते हैं कि अगर आवश्यकता हो तो किसी भी आदमी को इस्तीफा ही क्या बड़े-से-बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, अगर उसमें देश का हित होता है। यह काम तो हमारा देश करता है। लेकिन आज हमारे गृह मंत्री इस कार्य के लिए इस्तीफा दें, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहाता हूं कि गृह मंत्री का इस्तीफा इस बात का इलाज नहीं है। गृह मंत्री जी को इस्तीफा देने की मांग अगर थोड़े से विरोधी दल के लोग राजनीतिक कारणों से करते हैं, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं ... (व्यवधान)... मैंने तथा हमारी पार्टी के कुछ मित्रों ने कल भी कहा है कि बरनाला सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि वह काम करने में असमर्थ है। मैं दूसरी बात यह भी कहता हू, अगर विरोधी दल के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, बरनाला सरकार का समर्थन करते हैं और कहते है कि पंजाब की रक्षा करने की शक्ति नहीं है, तो वहां मिलिटरी को शासन संभाल लेना चाहिए। तब तक संभालना चाहिए, जब तक कि वहां चुनाव होकर पंजाब की आम जनता की सुरक्षा होने की गारन्टी न हो जाए। यह बात मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं। जो बात कल प्रधानमंत्री जी ने कही कि अगर किसी प्रदेश की सरकार काम करने में असमर्थ है, यदि उसमें वहां की जनता की जान-माल की सुरक्षा करने की शक्ति नहीं है, तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट को और भी शक्ति देनी चाहिए, और भी अधिकार देने चाहिए। इस तरह कोई अमेंडमेंट यदि सरकार द्वारा लाया जाता है, तो उतने ही जोर से इस सदन को समर्थन देना चाहिए। लॉ-एंड-आर्डर केवल प्रदेश का ही मामला नहीं है, सम्पूर्ण देश का सवाल है और उसी तरह से समर्थन करके सैन्ट्रल गवर्नमेंट को वे अधिकार देने चाहिए। ताकि इस देश की सुरक्षा को कायम रखा जा सके। इस देश की सुरक्षा, इस देश की शान्ति; इस देश की सद्भावना, इस देश की एकता और इस देश की अखण्डता, तथा इस देश में साम्प्रदायिक सामनस्य, जिसके लिए महात्मा गांधी और इन्दिरा गांधी जैसे महान नेताओं ने बलिदान दिए है। अगर यह बात हमारे ध्यान में नहीं रहेगी तो अपने देश की एकता को हम नहीं बचा सकेंगे। केवल थोड़े-से निहित-स्वार्थ को लेकर यदि हम अपने स्वार्थों की चर्चा करेंगे तो हम अपने देश के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और गृहमंत्री जी से निवेदन है कि वे इस संबंध में तत्काल अविलम्ब जितनी जल्दी हो सके, ऐसे कदम उठायेंगे, ऐसे प्रभावी कदम उठायेंगें, जिससे भविष्य में इस प्रकार की चर्चा का भी अवसर न मिलने पाए और उस प्रकार की घटना न घटे।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बगल में जो माननीय सदस्य ने बड़े जोर से तकरीर की है, उनकी हिन्दी जुबान से मुझ पर बड़ा गहरा असर हुआ है। लेकिन मैं चाहता था कि इस सदन में पंजाब पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं कल ही श्रीनगर से

(श्री सैफुद्दीन सोज)

आया और मैंने देखा कि जम्मू-काश्मीर के लोग पूरे मुल्क के साथ इस मातम में शरीक हैं। इस दु:ख को बड़े गहरे जजबे से हमारे लीडर श्री फारुख अब्दुल्ला ने कहा है। जब मैं कल पालम एयरपोर्ट से सीधे पार्लियामेंट हाउस आया, तो मैंने पाया कि जब भी एक ग्रुप में लोग करते हैं, तो यहां एडजार्नमेंट मोशन या कालिंग एटेंशन दिया जाता है।

जब इक्का-दुक्का वारदात होती है, उस वक्त कोई चर्चा नहीं। चाहे दो मरें, तीन मरें, रोज मरें लेकिन चर्चा नहीं होनी। लेकिन जब 14 लोग मरे तो उसके लिए बहस हो रही है। अब 26 लोग एक साथ मरे हैं तो जोरदार चर्चा की है। कल मेरा ख्याल था कि आप दो मिनट मुझे बोलने के लिए देते तो मैं यह कहता कि वक्त आ गया है कि नो डिस्कशन, जस्ट ओनली एक्शन। इसके पीछे मेरी दलीलें हैं, मेरे जज्बे हैं।

मैंने सुना है कि यू०पी० में कोई जागीरदाराना घर था जो दौलत में इतना गुम हो गया कि अगर उसके यहां कोई मौत होती तो वह एक खास पेशेवराना ग्रुप को जो कि गुरबत में था रोने के लिए बुलाता था कि वह आए और मौत पर रोए। मुझे लगता है कि कहीं हम पर तो वह तोहमत नहीं आ जाएगी कि हम क्रोकोडाईल टीयर्स, बहाने के आंसू बहा रहे हैं। क्योंकि पूरे मुल्क में इस पार्लियामेंट की तरफ देखा जाता है। यह पार्लियामेंट तीन वर्ष से पंजाब पर बहस करती आई है। इस पार्लियामेंट के जो वोटर हैं, वे करोड़ों वोटर पूछते हैं कि आपने इस मसले का क्या हल निकाला। आपके कालिंग अटेंशन का क्या फायदा, आपके एडजोर्नमेंट मोशन का क्या फायदा ? मैं पूछना चाहता हूं कि जो जागीरदाराना घर के लोग पेशेवराना लोग बुलाकर लाते थे, क्या यहां करोड़ों लोग हमसे यह नहीं पूछ सकते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबरों के ये पेशेवराना आंसू तो नहीं हैं, या ये पेशेवराना लोग तो नहीं हैं जिनके दिल में चोट नहीं है और हमदर्दी के लफ्ज बयान कर रहे हैं ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि, हो सकता है कि कोई और मौका आ जाए पंजाब पर बोलने,का, इस मोहतरम शख्सियत के जरिये से होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, पूरी गवर्नमेंट से और रूलिंग पार्टी से क्या यह इस सदन की तौहीन नहीं है कि हम रोज यहां बहस करने के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन इस मुल्क को चैन नसीब नहीं होता ? यह पंजाब का मसला ही नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। आज केरल में दु:ख है, हरियाणा में दु:ख है, महाराष्ट्र में दु:ख है, जम्मू कश्मीर में दु:ख है। मुल्क के कोने-कोने में दु:ख है। मैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से सवाल करता हूं कि क्या इस मसले का कोई हल नहीं है ?

प्राइम मिनिस्टर की जात के लिए मेरे दिल में बड़ी कद्र है। उन्होंने अपने जज्बे का इजहार किया है और मेरा ख्याल है कि वे नेकनीयती से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और पंजाब के मसले का हल ढूंढ़ना चाहते हैं। मैं उनकी नीयत पर हमला नहीं करूंगा। लेकिन अगर वे यहां तशरीफ रखते तो मैं उनसे पूछता कि जब पंजाब डिस्टर्बड एरिया का बिल लाया गया था, जब चण्डीगढ़ डिस्टर्बड एरिया का बिल लाया गया था तो इन्द्रजीत गुप्त और मधु जी ने, उन लोगों में मैं भी था, कहा कि आपके पास कानून पहले से मौजूद हैं।

[अनुवाद]

"पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम को भूल जाओ, आतंकवाद-विरोधी अधिनियम को भूल जाओ, क्या आप समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह छूट है कि वह देश में किसी को भी मार डाले। भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों को देखिए कि मानव जीवन को बचाने के लिए तथा गैर-सरकारी या सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए उनमें क्या व्यवस्था है। इस बारे में पर्याप्त कानून विद्यमान हैं। लेकिन जरूरत राजनीतिक इच्छा की है।"

[हिन्दी]

मैं बिना कानूनी बहस में जाए बगैर यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कानून की बातें आप छोड़ दीजिए। वैसे दो मंत्री हैं, उन्हें ज्यादा दिलचस्पी से प्राइम मिनिस्टर को असिसटेंश देनी चाहिए। हमारे पास एक सवाल है जो इस सदन में मधु दण्डवते जी ने, इन्द्रजीत गुप्त ने उठाया था। वह यह सवाल है कि क्या आप यह कह सकते हैं कि पंजाब में आतंकवादियों को खुली छूट है कि जिस को चाहे मारे? क्या यही आप कहना चाहते हैं?

आपने बरनाला गवर्नमेंट से यह नहीं पूछा कि क्या उसने रूल्स बनाए। जब पंजाब डिस्टर्बंड एरिया एक्ट मौजूद है तो उसके तहत रूल्स क्यों नहीं बनाये गये? क्या इसमें बरनाला गवर्नमेंट का कुसूर नहीं है। क्या इसमें होम मिनिस्टर का कुसूर नहीं हो सकता है कि वह इतना कमजोर हो कि वह किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं पूछ सके कि वहां की हालत क्या है? सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास जो एडवायजरी कैपेसिटी है उसको आपने एक्सरसाईज क्यों नहीं किया? प्राइम मिनिस्टर के जो बेहतरीन ख्याल हैं, जो बेहतरीन नीतियां हैं, जो बेहतरीन दिलचस्पी है, उसको भी कमजोर किया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि किसी भी तरह से डेलीब्रेटली उनको कमजोर किया जा रहा है।

इसलिए मैंने भी कहा है कि यहां बहस नहीं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। पंजाब में क्या होना चाहिए, इस सिलसिले में एक-दो तजवीजें हैं। पहली बात तो यह है कि यह पोलिटिकल मसला है और इसको पोलीटिकल सतह पर हल किया जाना चाहिए। श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने एक-दो बातें यहां तजवीज की थीं, उनमें से एक थी कि श्री बूटासिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बात पहले भी कही गई थी जब 14 लोग मारे गए थे, उस वक्त अगर श्री बूटासिंह जी ने इस्तीफा दे दिया होता तो आज हम नये होम मिनिस्टर को कहते कि आप इस्तीफा दे दो।

इस तरह से हर महीने में हिन्दुस्तान का होम मिनिस्टर नहीं बदल सकता। असल मसला यह है कि पंजाब सियासी में सतह पर मसले को समझा जाए। एक जमाने में मैंने कहा था कि अगर चण्डीगढ़ ट्रांस्फर हो जाए तो शायद मसला हल हो जाए, लेकिन आज मैं इस पोजीशन में नहीं हूं। आज पंजाब मे सबसे पहले अमन होना चाहिए और उस अमन की जमानत बरनाला को भी देनी होगी, प्रकाश सिंह बादल और तोहड़ा को भी देनी होगी। आपने जिस वजह से उनको

(प्रो० सैफुद्दीन सोज)

गिरफ्तार किया है, उस सिलसिले में मुझे कुछ नहीं कहना है, यह पंजाब सरकार का मसला है और वे जानते हैं कि किस शख्स को जेल में रखना चाहिए, उसमें मुझे कोई राय नहीं देनी है, बरनाला चीफ मिनिस्टर हैं और यह उनका हक है, लेकिन जहां तक बातचीत का ताल्लुक है, जेल में भी बादल से पूछ सकते हैं तोहड़ा से पूछ सकते हैं कि आखिर आपके पास इस मसले का क्या हल है। चण्डीगढ़ पंजाब को मिल सकता है, पानी का फैसला हो सकता है, लेकिन क्या यह कत्ल-ए-गारद, बेगुनाहों और मासूम शहरियों को बसों में गिरफ्तार करके वहां उनको मासूमियत में बिना किसी सामान के, बिना किसी डिफेंस के कत्ल करना, क्या यही इस मसले का हल है।

इसलिए जहां मैं यह कहता हूं कि होम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगना गलत तजवीज है, इस सिलसिले में मैं इन्द्रजीत गुप्त जी से शदीद इख्तलाफात रखता हूं वहीं मैं इस मोअजिज साथी से दरख्वास्त करूंगा कि वे बरनाला को कह सकते हैं कि वह कमजोर है, उसकी कमजोरी के पीछे दास्तान है, आरिफ साहब ने और दूसरे लोगों ने जो तकरीर की, उसका लिबो-लबाब यह था और मैं ताईद करता हूं, हिन्दुस्तान की आईन साज रखी है, यह कौन-सी बहादुरी है कि आप सदर राज कायम करेंगे पंजाब में, आप कर सकते हैं, नुक्ताचीनी का आपको जवाब देना होगा, गुंजाइश न हो तब भी आप सदरराज कर सकते हैं, यह आपकी तिजोरी में हथियार है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहादुरी तो यह है कि वोटों से जो सरकार बनी है, उसका ख्याल किया जाए।

मुझे इसका बड़ा दुख है कि उस बस में शायद वे लोग भी हिन्दू बैठे होंगे, जिन्होंने अकालियों को वोट दिया, ये वोटों की सरकार है, इसको इतनी जल्दी बरखास्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं जहां बरनाला सरकार को गिराने के खिलाफ हूं वहीं सदर राज के खिलाफ हूं और होम मिनिस्टर के इस्तीफे के भी खिलाफ हूं। हां यह सियासी मसला है, सब मिलकर इसका हल निकालिये और मुझे यकीन है कि जिस वक्त मरकजी सरकार इसको प्रायरिटी देगी, सियासी हल आपको मिल जाएगा।

अन्त में एक-दो तजवीजें हैं जो मैं देना चाहता हूं, जिससे कत्ल-ए-गारद खत्म हो जाये। (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मधु जी ने भी कहा कि बसों में आर्म्ड गार्ड रखिए और होम मिनिस्टर जी को अपने जवाब में यह तजवीज फौरन मान लेनी चाहिए, हालांकि इससे समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो सकती, लेकिन यह सुझाव बहुत सोच-समझ कर दिया गया है। दूसरी तजवीज यह है कि क्या पंजाब में ऐसा माहौल कायम किया जा सकता है जिसमें मिक्स्ड पुलिस कायम हो। यह अशोक सेन जी का काम है कि वे प्राइम मिनिस्टर साहब को मशविरा दें और सोचें कि क्या जम्मू-कश्मीर, बिहार, राजस्थान, केरल, मद्रास आदि राज्यों की एक मिली-जुली पुलिस को कायम करके पंजाब में तैनात किया जा सकता है। ये शार्ट रन की कुछ तजवीजें हैं, लेकिन आखिरी फैसला सियासी होगा जो इस सरकार को करना होगा और इस सरकार की जिम्मेदारी है, शुक्रिया।

[پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولا) ادھیکش مہودے

میرے بغل میں جو مانیہ سدسیہ نے بڑے زور سے تقریر کی ہے ان کی جذباتی زبان سے مجھ پر بڑا گہرا اثر ہوا ہے۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ اس سدن میں پنجاب پہ کوئی بحث نہیں ہونی چاہیئے۔ میں کل ہی سری نگر سے آیا اور میں نے دیکھا کہ جموں، وکشمیر کے لوگ پورے ملک کے ساتھ اس ماتم میں شریک ہیں۔ اس دکھ کو بڑے گہرے جذبے سے ہمارے لیڈر شری فاروق عبداللہ نے کہا ہے۔ جب میں کل پالم ایئرپورٹ سے سیدھے پارلیمنٹ ہاؤس آیا تو میں نے پایا کہ جب کبھی ایک گروپ میں لوگ مرتے ہیں تو یہاں ایڈجارنمنٹ موشن یا کالنگ اٹینشن دیا جاتا ہے۔ جب اکا دکا واردات ہوتی ہے اس وقت کوئی چرچا نہیں۔ چاہے دو مریں تین مریں روز لیکن چرچا نہیں ہوتی۔ لیکن جب ۱۴ لوگ مریں تو اس کے لیے بحث ہو رہی ہے۔ اب ۲۶ لوگ ایک ساتھ مرے ہیں تو زوردار چرچا کی ہے۔ کل میرا خیال تھا کہ آپ دو منٹ مجھے بولنے کیلئے دیتے تو میں یہ کہتا کہ وقت آگیا ہے کہ نو ڈسکشن، جسٹ اونلی ایکشن اس کے پیچھے میری دلیلیں ہیں یا میرے جذبے ہیں۔

میں نے سنا ہے کہ یو پی میں کوئی جاگیردارانہ گھر تھا جو [illegible] میں اتنا گم ہو گیا کہ اگر اس کے یہاں کوئی موت ہوتی تو وہ ایک خاص پیشہ ورانہ گروپ کو جو غربت میں تھا رونے کے لیے بلاتا تھا کہ وہ آئے اور موت پر روئے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہم پر تو وہ تہمت نہیں آ جائے گی کہ ہم کروکوڈائل ٹیئرس بہانے کے آنسو بہا رہے ہیں۔ کیونکہ پورے ملک میں اس پارلیمنٹ کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ تین ورشوں سے پنجاب پر بحث کرتی آئی ہے۔ اس پارلیمنٹ کے جو ووٹر ہیں وہ کروڑوں ووٹر پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا۔ آپ کے کالنگ اٹینشن کا کیا فائدہ آپ کے ایڈجارنمنٹ موشن کا کیا فائدہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جاگیردارانہ گھر کے لوگ پیشہ ورانہ لوگ بلا کر لاتے تھے کیا یہاں کے کروڑوں لوگ ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ممبروں کے پیشہ ورانہ آنسو تو نہیں ہیں یا یہ پیشہ ورانہ لوگ تو نہیں ہیں جن کے دل میں یہ چوٹ نہیں ہے اور ہمدردی کے لفظ بیان کر رہے ہیں

اسلیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور موقع آجائے پنجاب پر بولنے کا اس محترم شخصیت کے ذریعے سے ہوم منسٹر سے پرائم منسٹر سے پوری گورنمنٹ سے اور رولنگ پارٹی سے کیا یہ اس سدن کی توہین نہیں ہے کہ ہم روز یہاں بحث کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس ملک کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ یہ پنجاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ آج کیرل میں دکھ ہے ہریانہ میں دکھ ہے مہاراشٹر میں دکھ ہے جموں وکشمیر میں دکھ ہے ملک کے کونے کونے میں دکھ ہے۔ میں ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔

پرائم منسٹر کی ذات کے لیے میرے دل میں بڑی قدر ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ نیک نیتی سے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور پنجاب کے مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ میں انکی نیت پر حملہ نہیں کرونگا۔ لیکن اگر وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سے پوچھتا کہ جب پنجاب ڈسٹربڈ ایریا کا بل لایا گیا تھا۔ جب چنڈی گڑھ ڈسٹربڈ ایریا کا بل لایا گیا تھا تو اندرجیت گپت اور مدھو جی نے ان لوگوں میں میں بھی تھا کہا تھا کہ آپ کے پاس قانون پہلے سے موجود ہے۔

"Forget about Punjab Disturbed Area Ac, forget about the Anti Terrerists Act. Do you think that there is licence for every body to kill any body in this country ? Take a copy of the Indian Penal Code in your hand and see what are the provisions for the protection of human lifes for the protection of property—private or Government. There is enough law. There is need of politicall will."

میں بنا قانونی بحث میں جائے بغیر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کی باتیں آپ چھوڑ دیجیے ویسے وہ منتری ہیں۔ انہیں زیادہ دلچسپی ہے پرائم منسٹر کو اسٹیٹمنٹ دینی چاہیئے۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں آتنک وادیوں کو کھلی چھوٹ ہے کہ جسکو چاہے مار دیں کیا یہی آپ کہنا چاہتے ہیں۔

آپ نے ہریانہ گورنمنٹ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا اس نے رولس بنائے۔ جب پنجاب ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ موجود ہے تو اس کے تحت رولس کیوں نہیں بنائے گئے۔ کیا اسمیں ہریانہ گورنمنٹ کا قصور

نہیں ہے۔ کیا انہیں ہوم منسٹر کا قصور نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا کمزور ہو کہ وہ کسی اسسٹنٹ گورنمنٹ سے نہیں پوچھ سکے کہ وہاں کی حالت کیا ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس جو ایڈوائزری کیپیسٹی ہے اسکو آپ نے ایکسرسائز کیوں نہیں کیا۔ پرائم منسٹر کے جو بہترین خیال نیتیاں ہیں جو بہترین دلچسپی ہے، اسکو بھی کمزور کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی طرح سے ڈیلی برٹیلی کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اسلیے میں نے بھی کہا ہے کہ یہاں بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ایکشن ہونا چاہیے۔ پنجاب میں کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں ایک دو تجویزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پولیٹکل مسئلہ ہے اور اسکو پولیٹکل سطح پر حل کیا جانا چاہیے۔ شری اندر جیت گپتا جی نے ایک دو باتیں یہاں تجویز کی تھیں ان میں سے ایک تھی کہ شری بوٹا سنگھ جی کو استعفیٰ دیدینا چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی جب ۲۴ لوگ مارے گئے تھے۔ اس وقت اگر شری بوٹا سنگھ جی نے استعفیٰ دیدیا ہوتا تو ہم آج ہم نئے ہوم منسٹر کو کہتے کہ آپ استعفیٰ دیدو۔ اس طرح سے ہر مہینے میں ہندوستان کا ہوم منسٹر نہیں بدلا جا سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں سیاسی سطح پر مسئلے کو سمجھا جائے۔ ایک زمانہ میں میں نے کہا تھا کہ اگر چنڈی گڑھ ٹرانسفر ہو جائے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے لیکن آج میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آج پنجاب میں سب سے پہلے امن ہونا چاہیے اور اس امن کی ضمانت برنالا کو بھی دینی ہوگی۔ پرکاش سنگھ بادل اور ٹوہرہ کو بھی دینی ہوگی۔ آپ نے جس وجہ سے بھی انکو گرفتار کیا ہے اس سلسلے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ پنجاب سرکار کا مسئلہ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کسی شخص کو جیل میں رکھنا چاہیے انہیں مجھے کوئی رائے نہیں دینی ہے۔ برنالا چیف منسٹر ہیں اور یہ ان کا حق ہے لیکن جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے جیل میں بھی بادل سے پوچھ سکتے ہیں ٹوہرا سے پوچھ سکتے ہیں کہ آخر آپ کے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ چنڈی گڑھ پنجاب کو مل سکتا ہے پانی کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن کیا قتل و غارت بے گناہوں اور معصوم شہریوں کو بسوں میں گرفتار کرکے وہاں ان کو معصومیت میں یا کسی دشمن کے نام کی ڈیفنس کے تحت قتل کرنا کیا یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اسلیے یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ہوم منسٹر سے استعفیٰ مانگنا غلط تجویز ہے۔ اور اس سلسلے میں اندر جیت گپتا جی سے شدید اختلافات رکھتا ہوں وہیں میں اس معزز ساتھی سے درخواست کرونگا کہ وہ برنالا کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمزور ہے اسکی کمزوری کے پیچھے داستان ہے۔ عارف صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے جو تقریر کی اس کا لب ولباب یہ تھا اور میں تائید کرتا ہوں ہندوستان کی آئین لازم رکھنگی ہے پر کونسی بہادری ہے کہ آپ صدر راج قائم کریں کیا پنجاب میں آپ کر سکتے ہیں

نکتہ چینی کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ گنجائش نہ ہو تب بھی آپ صدر راج کر سکتے ہیں یہ آپ کی تجوری میں ہتھیار ہے جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نکتہ چینی کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ گنجائش نہ ہو تب بھی آپ صدر راج کر سکتے ہیں یہ آپ کی تجوری میں ہتھیار ہے جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہادری تو یہ ہے کہ دو نوں سے جو سرکار بنی ہے اسکا خیال کیا جائے۔ مجھے اس کا بڑا دکھ ہے کہ اس لیے یہ تھا شاید وہ لوگ بھی ہندو بیٹھے ہیں جنہوں نے اکالیوں کو ووٹ دیا۔ یہ ووٹوں کی سرکار ہے اسکو اتنی جلدی برداشت نہیں کر سکتے اس لیے میں جہاں برنالا سرکار کو گرانے کے خلاف ہوں وہاں صدر راج کے خلاف ہوں اور ہوم منسٹر کے استعفی کے بھی خلاف ہوں وہیں صدر راج کے خلاف ہوں اور ہوم منسٹر کے استعفی کے بھی خلاف ہوں گا۔ ہاں یہ سیاسی مسئلہ ہے سب مل کر اس کا حل نکال لیے اور مجھے یقین ہے کہ جس وقت مرکزی سرکار اسکو بہادر کریگی ویسی سیاسی حل آپ کو مل جائیگا۔

انت میں ایک دو تجویزیں ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں جس سے قتل و غارت ختم ہو جائے

(انٹرپشنز)

میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مدھو جی نے بھی کہا کہ بسوں میں آرمڈ گارڈ رکھیے اور ہوم منسٹر جی کو اپنے جواب میں یہ تجویز فوراً مان لینی چاہیئے حالانکہ اس سے سمسیا پوری طرح سے حل نہیں ہو سکتی لیکن یہ سجھاؤ بہت سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے، دوسری تجویز یہ ہے کہ کیا پنجاب میں ایسا ماحول قائم کیا جا سکتا ہے جس میں وار زون سسٹم قائم ہو۔ یہ اشوک سین جی کا کام ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ دیں اور سوچیں کہ کیا جموں و کشمیر، بہار، راجستھان، کیرل، مدراس آدی راجیوں کی ایک ملی جلی پولیس کو قائم کر کے پنجاب میں تعینات کیا جا سکتا۔ یہ شارٹ رن کچھ تجویزیں ہیں لیکن آخری فیصلہ سیاسی ہوگا جو اس سرکار کو کرنا ہوگا اور اسی سرکار کی ذمہ داری ہے۔ [شکریہ]

1.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : उपाध्यक्ष जी, पंजाब ने हिन्दुस्तान को कई बार महत्वपूर्ण मोड़ दिया है और अब फिर एक ऐसा समय आ गया है कि पंजाब के लोगों को यह सोचना है कि जैसे प्रकृति ने उन्हें सिरमौर बनाकर नक्शे में सबसे ऊपर रखा है, उसी तरह की अगुवाई फिर से आज पूरा देश उनसे चाहता है। इससे पहले कि किसी और मुद्दे पर बात करूं, मैं सबसे पहले इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि मैं कल से बहस सुन रहा हूं चाहेइन्द्र जीत गुप्त हों या सैफुद्दीन चौधरी हों, सबने एक बात बड़े जोर-शोर से कही कि शायद इस पूरी समस्या का हल हमारे गृह मंत्री के इस्तीफे से हो जाएगा। मैं उसके बारे में बड़ा ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। इस्तीफे के बारे में हमारे कांग्रेस के मंत्रियों को डरवाने का आपको कोई अधिकार नहीं है इस्तीफे देने का साहस और इसका संस्कार कभी रहा है तो कांग्रेस पार्टी में ही रहा है चाहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का मामला रहा हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप जी का मामला रहा हो, शायद ही किसी ने आपकी तरफ विचारों के उन्माद में इस्तीफा दिया होगा। अब सदन की एक कैजुअल्टी श्री आरिफ हैं जिन्होंने भी उन विचारों के कारण इस्तीफा दिया है इसका कोई उदाहरण आपके पास नहीं है। अगर हमारे प्रति आपकी यह धारणा है कि शायद इस पद को छोड़ने से यह समस्या हल की जा सकती है तो इससे कितनी ही बड़ी कुर्बानी हमारी पार्टी देने के लिए तैयार है और यह संस्कार हमारा है।······(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम नहीं चाहते।

श्री रणवीर सिंह : नहीं चाहते तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बड़ा क्षुब्ध हूं और आज अपने गृह मंत्री जी से कुछ जानना चाहता हूं।

उन्होंने भारत के लिए बड़ा त्याग किया है। वे अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में अपने ही धर्म से तनखैया घोषित किए गए हैं। एक बड़ा अपमान हुआ है। राष्ट्र की एकता के लिए उन्होंने यह पाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी पंजाब के उन उग्रवादियों को उन सिरफिरे लोगों को अभी कितने खून की आवश्यकता है, जब हम शांति की रेखा खींच सकें और हमारी शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। किस दल के खून की आवश्यकता है। कितने कांग्रेस जन, कितने कामरेड, कितने पत्रकार, कितने मंत्री, कितने अटवाल और कितने कैप्टन के इकलौते पुत्र, वे चाहते हैं। कितनी सीमा तक उन्हें इस खून की आवश्यकता है। इस बात का उत्तर मैं चाहता हूं। आज यह तय होना चाहिए कि कितना खून बहाकर हम इस बात को शुरू करेंगे कि कब शान्ति व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। आज इसकी सीमा रेखा हमें खींचनी है।······(व्यवधान)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : कम से कम दस हजार।

श्री रणवीर सिंह : यह तो आपने कहा। जैसे विचार खां साहब ने व्यक्त किए हैं, इसको मैं बुजदिली का विचार समझता हूं। हिन्दुस्तान हमेशा ही शांति प्रिय देश रहा है। कितनी भी बड़ी कुर्बानी हो चाहे दस लाख की भी कुर्बानी करनी हो तो करेंगे।······(व्यवधान)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : यह तो गवर्नमेंट की बुझदिली है।······(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह : मैं यह नहीं कहता। मैं हमेशा ही यह समझता हूं कि जो लोग हमारे विचारों का हनन अपनी बुलेट के द्वारा करना चाहते हैं, वह बुझदिल है। वह चाहते हैं कि शायद इस बुलेट को चलाकर हम इन विचारों को बंद करेंगे। उन्होंने इंदिरा जी की हत्या की और यह सोचा कि शायद इससे क्रांतिकारी विचारधारा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने संत लोंगोवाल की हत्या की और यह सोचा कि संत की वाणी बंद हो जाएगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि कितनी ही गोलियां चलाएं, ये विचार बंद होने वाले नहीं हैं। इन क्रान्तियों को बंद नहीं होना है। हम आगे बढ़ते रहेंगे, इन विचारों के साथ। हर बार तर्क को तर्क से दबाने की कोशिश की गई है। तर्क अगर छोटा हो जाता है, कमजोर हो जाता है तो बुझदिल लोग बुलेट का प्रयोग करते हैं। जब बुलेट का प्रयोग होता है तो शायद प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है कि इनके तर्कों में कमजोरी आ गई है। कल हमारी पार्टी के एक सांसद बोल रहे थे। उन्होंने लोंगोवाल जी के साथ हुए समझौते का जिक्र किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां से एक नए स्वर्णिम इतिहास की शुरूआत होनी थी। उन्होंने सरदार खुशवंत सिंह की किताब से कोटेशन दी थी। वह व्यक्ति ऐसा है जो रोज विचार बदलते हैं। इस तरह की बातों का उदाहरण नहीं देना चाहिए था। हमारे प्रति उन्होंने युधिष्ठिर और दुर्योधन का एक नमूना पेश किया। मैं अपने माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि मैं दुर्योधन हूं और वे युधिष्ठिर हैं। आज हमें आधुनिक युधिष्ठिर से खतरा हो गया है। ईमानदारी और सत्यता के आवरण में अश्वत्थामा मरो, नरो व कुंजरो का धोखा देकर कोई कहर ढा सकते हैं। किंतु, दुर्योधन के कृत्य पहले से ही ज्ञात होते हैं। इसलिए उससे धोखा होने की गुंजाईश कम है। हमें पता नहीं चलता कि वे पाप के भागी हैं या पुण्य के। आज हम दुर्योधन को अच्छी तरह से समझते हैं। हमें नागरिकों और राक्षसों के बीच में एक रेखा खींचनी होगी कि कहां नागरिक हैं और कहां राक्षस हैं, तभी इस समस्या से निपट सकेंगे।

अभी तो हमने शुरू किया है, बीच में महफूज साहब कूद पड़े थे। उपाध्यक्ष जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। पंजाब के निवासी हमारे भाई हैं। उनका व्यापार पूरे भारत में फैला है। उत्तर प्रदेश में बादल साहब का एक फार्म है जहां तमाम ट्रेक्टर चलते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं पूरे हिन्दुस्तान का व्यक्ति आज एक पंक्ति बनकर खड़ा है पंजाब को छोड़कर कि हम अपने सिख भाइयों पर किसी तरह का कोई प्रहार नहीं होने देंगे और रामूवालिया जी की तरफ से मैं एक इनके द्वारा वहां अपील करना चाहता हूं कि प्रत्येक सिख पंथ को मानने वाले को आज एक दीवार बनकर खड़ा होना पड़ेगा हिन्दुओं की रक्षा के लिए। इनको यह दिखाना होगा कि हम तुम्हारे रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। हिन्दुस्तान के इस पूरे व्यापारिक समाज से, बढ़ती हुई कृषि से अगर संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे खयाल से बुद्धि की कमी है जो सिमटकर पंजाब में रहना चाहते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि पूरा भारत है, वह तुम्हारा है, इस पूरे भारत की धरती को तुम स्वीकार करो, इसकी रक्षा करो और इसकी प्रगति के लिए कार्य करो और निहत्थे लोगों की हत्या करना बन्द कर दो।

उपाध्यक्ष जी, बार-बार विरोधी दल कहा करता है कि गृह मंत्री को बदल दो, बरनाला जी को बदल दो। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आज पंजाब में मुझे लगता है कि कम से कम तीन सरकारें तो हैं ही। एक सरकार बरनाला साहब की है, दूसरी सरकार शिरोमणि प्रबन्धक कमेटी की है। प्रबंधक कमेटी के चुनाव के नतीजे श्री बरनाला के खिलाफ होने से लगने लगा कि बरनाला सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। जब धार्मिक संस्था इतनी शक्तिशाली हो जाये और सरकार के समानान्तर चल सकती है और बार-बार बरनाला साहब की सरकार के ऊपर प्रहार करे तो उस संस्था पर भी प्रहार होना चाहिए जहां पर गलत लोग छिप सकते हैं और जहां से लोग प्रहार कर सकते हैं। तीसरी सरकार मुझे वह लगती है जो उग्रवादियों की है। जहां कोई छुप सकते हैं और छिप जाते हैं। इन तीन सरकारों के बीच में चौथी सरकार आप बूटासिंह जी की बनाने की बात करते हो, पर उन तीन सरकारों का क्या होने वाला है। वह तीन सरकारें उठकर यह कह दें कि हम अपने काम को नहीं सम्भाल सकते। हमारे पास वह शक्ति बुद्धि और वह कुशलता नहीं है कि हम पंजाब का काम संभालें। हम तभी सम्भालेंगे जब प्रजातांत्रिक ढंग से हमसे कहा जायेगा कि आओ सम्भालो इसके लिए हम अयोग्य हैं और अक्षम हैं। यह भी कहा जाता है कि पंजाब में उग्रवादी इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनको रोजगार की कमी है, उनकी कृषि की अच्छी तरह से देखरेख नहीं की जाती। हमने एक कोच फैक्टरी पंजाब को दी है, बिहार या यू०पी० को नहीं दी है। वहां रा-मेटिरियल नहीं है उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने उनको कोच फैक्टरी दी कि शायद उन लोगों को काम मिल सके। पंजाब कृषि में उन्नतिशील है, वहां नहरें सबसे अच्छी और अधिक हैं। उनको राजधानी की जरूरत हुई हमने कहा जो चाहो वह ले लो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक सोच समझ चुका है कि प्रत्येक बार जब हम आपकी बात मानते हैं तो वह ज्यादा उग्र होते हैं इसलिए कृपा करके हमारी दी हुई सुविधाओं का आप पूरी तरह से सदुपयोग करें और भारत के सामने यह दृष्टान्त न रखें कि हर मांग मान लेने के बाद आप शायद राष्ट्र को कमजोर समझते हैं और उग्रवाद को और बढ़ाते हैं। हर काण्ड के बाद राष्ट्र का क्रोध बढ़ता है और मनोबल गिरता है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कार्यवाही में अगर धीमी गति से काम किया जाता है तो यह कभी क्रान्ति का कारण बन जाता है। इसलिए आज उपदेश और बड़े भाषणों की जरूरत नहीं है, ठोस कार्यवाही की जरूरत है। आप कहा करते है कि इस एक्ट में कोई मुझ अधिकार नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास वह शक्ति है जो भारत की कोटि-कोटि जनता ने आपको दी है। अगर आप कहें कि थोड़े से लिखे हुए कानून से आप निपटेंगे तो यह नहीं होगा। भारत के प्रत्येक व्यक्ति में एक असीमित प्यार की बात और आपके प्रति विश्वास है। वह सबसे बड़ी शक्ति होती है सरकार की आप इसका उपयोग करें ताकि उन थोड़े से हैण्डफुल टेररिस्ट्स का मनोबल गिरे और वह हमेशा के लिए झुक जायें। जो भी शक्ति आप को लेनी है आप लें। राष्ट्र आपकी तरफ देख रहा है, आप उसकी आशा की आखिरी किरण हो।

मैं चाहूंगा कि हमारे देश में जो अशान्ति के छोटे-छोटे द्वीपसमूह उभर रहे हैं, उनको उभरने न दिया जाए। यदि इन छोटे-छोटे द्वीपसमूहों को उभरने दिया गया तो उनके कारण हमारे महान भारत राष्ट्र में एक जबर्दस्त ज्वारभाटा आयेगा। इससे पहले कि कुछ हो, हमें अपनी

[श्री रणवीर सिंह]

पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कुरबानी क्यों न देनी पड़े। हिन्दू और सिक्ख इस देश में भाई-भाई हैं, उनको जुदा करने वाला हमारे बीच कोई शैतान पैदा न होने पाये, इसकी आज पूरे राष्ट्र को शपथ लेनी है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, आज इस सदन में एक बार फिर पंजाब पर बहस हो रही है। हम सबके मन बहुत भारी हैं और मैं भी दुखी दिल से इसमें हिस्सा ले रहा हूं। जब हम इस विषय को चर्चा के लिए यहां लाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और अपने ही दोस्तो से, मुकम्मल अध्ययन न होने की वजह से, जानबूझ कर कुछ ऐसे इल्जाम सुनने पड़ते हैं जो भगवाने जाने, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे। कोई भी आदमी अकाली या सच्चा सिक्ख अपने आपको नहीं कह सकता जो किसी निर्दोष भाई के कत्ल को ठीक ठहराएगा, कत्ल की निन्दा नहीं करेगा, और किसी निर्दोष के दुख को अपना दुख नहीं मानेगा। यदि वह ऐसा करता है तो वह कातिल है, वह नर्क में जाएगा और उसको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। मै पूरे जोर से कहता हूं कि जिन 22-25 भाइयों की हत्या हुई है, उसके लिए जितने कड़े से कड़े शब्द कहे जा सकें, वह कम हैं। इस देश के 75 करोड़ लोगों के साथ अपना दिल मिलाकर, अपनी जमीर मिलाकर, मैं उस दुख में शरीक हूं, और कुकृत्य की घोर निन्दा करता हूं, बुराई करता हूं और कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं।

मैं आपके सामने दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। यहां पर बार-बार कहा गया कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनावों में लोग जीत गए परन्तु अगर थोड़ा-सा ध्यान देकर सोचा जाए तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम किन स्थितियों में लड़ रहे हैं। इतनी तेज आंधी में भी हम भारतवर्ष की इज्जत और आबरू का दीपक जलाए हुए हैं, चारों ओर इतनी विषम परिस्थितियां विद्यमान हैं। इस वक्त शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के 133 मैम्बर्स हैं और उन सबको 1979 में टिकट दिए गए, जब कि न तो बरनाला साहब लीडर थे और न सन्त हरचन्द सिंह लौंगोवाल हमारे नेता थे। उस वक्त तीन ही आदमियों का एक ग्रुप था : टोहरा, बादल और तलवंडी और इन्होंने ही सारे टिकट बांटे, टटोल-टटोल कर अपने वफादारों को टिकट दिए। तो क्या यह देश के लिए कुछ अच्छी घड़ी नहीं, क्या देश के लिए कुछ औप्टीमिज्म नहीं कि बादल, टोहरा जी, तलवंडी जी और बाबा जोगिन्दर सिंह जब पांच एक्सट्रीमिस्टस शक्तियां इकट्ठी हो गयीं फिर भी 133 में से 58 सूरमे निकले जो देश की एकता, अखण्डता और गुरुनानक जी की फिलोसफी के पक्ष में, उनके खिलाफ खड़े हो गए। यह कोई छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद यहां एक ही बात कही जा रही है कि वे जीत गए, उसमें एक भी आदमी हमारा नहीं था, जिसको हम अपना कह सकें। परन्तु यह कहते हुए आप भूल जाते हैं कि टिकट देने वाले भी वही थे, पैसा देने वाले भी वही थे, उस वक्त सन्त भिण्डरांवाले भी उनके साथ थे, जो जीते थे, इनमें सिर्फ एक आदमी हमारा था, उमरानंगल, जो भिण्डरांवाले के खिलाफ लड़ा और उस एक से शुरू करके हमने 58 किए हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के सीने पर बहुत जख्म हुए हैं।

इस देश का सीना बहुत बड़ा हैं, मजबूरी से जख्म होते हैं, अब भी एक जख्म हुआ है, मगर मैं यह कहूं, आने वाले वक्त में भगवान जाने और कितने जख्म हमको देश के सीने पर झेलने हैं। मगर दो बातें हैं—हमें गुस्से पर काबू रखना है और धीरज से काम लेना है, फिर महात्मा गांधी ने और हमारे पूर्वजों ने इस देश को बचाया था, इसी तरह से अब हम बचा पाएंगे। मगर किसी के एक्शन का आधार मानकर हम इल्जामों की बौछार लगा देंगे, तो इससे सबसे ज्यादा खुशी उन खूनी कातिलों को होगी, जो यह चाहते हैं। आज इल्जाम लगा लीजिए सरदार बूटा सिंह पर, क्या बूटा सिंह पर इल्जाम लगाने से काम बन जाएगा, क्या बरनाला पर इल्जाम लगाने से या मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से काम बन जाएगा या किसी और मित्र के ऊपर इल्जाम लगाने से काम बन जाएगा ? इल्जामों की दुनियां देखनी है, तो फिर एक बहस करा लीजिए, छत्तीस घंटे बहस करा लीजिए इल्जामों में से कुछ नहीं निकलेगा, केवल बरबादी निकलेगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गुस्से पर काबू रखकर हमें चलना चाहिए।

बहुत से मित्र यहां पर कह देते हैं कि फलाने को डिसमिस कर दो। दीपावली गुजर गई, सो दीपावलियों जैसी एक दीपावली आतंकवादियों के घर में उस दिन होगी जिस दिन बरनाला डिसमिस होगा।

यह प्रभाष जोशी ने लिखा है जनसत्ता में "सेना और लोगों में, लोगों से सिखों को मरवाना चाहते हैं, ताकि पूरे सिक्ख समाज को खालिस्तानी बनाया जा सके। बीच से बरनाला सरकार हट जाए, दिल्ली की हिन्दू सरकार के खिलाफ मुहीम छेड़ना आसान होगा" यह मैं नहीं कहता हूं यह जनसत्ता अखबार ने कहा है। वे तो चाहते हैं दिल्ली की हिन्दू सरकार और जो गुरु नानक देव के गद्दार हैं, वे अपने आपको सिक्ख बनाकर, बीच में से सरकार के रोड़े को हटाकर अपनी कामयाबी करना चाहते हैं, इस साजिश को हमें फेल करना है।

सर, हिन्दू और सिक्ख दोनों ही मर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहूं—आतंकवाद दाढ़ी रखकर ऊपर कृपाण डालकर हो रहा है, लेकिन शिव सेना वाले नकली दाढ़ियां लगाकर पंजाब में आतंकवाद कर रहे हैं। दोनों तरफ से बदमाश लोग जुट गए हैं, जटिल समस्या हो गई है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हिन्दू और सिक्ख दोनों मर रहे हैं, ठीक है, एक दिन किसी ने ज्यादा गिनती कर दी, दूसरे दिन दूसरे ज्यादा गिनती कर देते हैं। एक बहुत गम्भीर और अच्छी बात है कि आज तक पंजाब में किसी क्राउड ने, दो हजार, एक हजार, पांच सौ या चार सौ आदमियों ने इकट्ठे होकर किसी धार्मिक स्थान को जलाया या किसी को मारा काटा नहीं है, जरा इस बात को भी देखना चाहिए।

मैं एक बात कहना चाहता हूं—अभी भी पंजाब के लोगों की भगवान कृष्ण और गुरु नानक देव के सिद्धान्तों में आस्था है। अभी भी पंजाब की पालिटिकल पार्टियां, यह नहीं है कि मैं इंद्रजीत जी के पास बैठा हूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं, और मैं सिर झुकाकर लैफ्टिस्ट पार्टियों को पंजाब में सैल्यूट करती हैं। कितनी आग मची, कितने आदमी मरे, इसका एक ही इलाज है, बसत

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

काम मत कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं आज भी पंजाब में पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हैं। उन पर अभी भी गुरवाणी और पवित्र संत पूर्वजों की जो शिक्षाएं हैं, उनका असर है। उनको और आगे बढ़ाना चाहिए।

यहां जब बहस होती है, अभी आपने कहा किसी को डिसमिस कर दो, मैं वाहे गुरू को मानने वाला हूं, इस पवित्र स्थान पर खड़ा होकर कहता हूं मेरे मान्यवर साथियों, बरनाला को हटाना हो, तो आपको एक मिनट लगेगा, बरनाला को हटाना आपके एक मिनट का काम है, उसको आपने एक मिनट में तोड़ देना है, मैं उसके लिए कोई भीख नहीं मांगूंगा, तोड़ दो, आपकी मरजी है, मगर एक बात देख लेना, हिस्ट्री से सीख लेना, इतिहास से पूछ लेना डिप्टी स्पीकर सर, सात आदमी मरे बस में, तो सरदार दरबारा सिंह की गवर्नमेंट चली गई। मैंने इन कानों से सुना है— मैं गुरु नानक देव को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, मैं उस वक्त गोल्डन टैम्पल में अकाली दल का सेक्ट्री था, मैंने इन कानों से एक बड़े आतंकवादी को जो कि मारा गया, उसको यह कहते सुना कि अरे मुर्खों, 7 आदमियों को मारा तो दरबारा सिंह की छुट्टी हो गई, अगर 107 को दिल्ली में मार देंगे तो इन्दिरा जी की छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद आपने 11 एडवाइजर बदले, 4 आई०जी० पुलिस बदले और इस हाऊस में 5 बरस से बहस की। मगर मर्ज बढ़ता गया। मैं विनती करना चाहता हूं कि तोड़ने की जब बात करते हैं तो सभी मैसेज देते हैं कि देखिए, जरा और चलिए, अब तोड़ने के नजदीक आ गये हैं, अब इसी को करना है, उसकी मंजिल को हम पूरा करें, उनके हाथों में हम खेलें तो देख लेना एक अन्जाम अच्छा नहीं होगा।

हमारे दोस्त ने कहा कि हम कल गैर-हाजिर थे। इस पर बहुत शोर मचा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस के घर में आग लगती है, उसको मालूम होता है कि उसका क्या-क्या जल रहा है? जैसे ही यह दुखदायी खबर अमृतसर में मिली, उस समय हमें कुदरती तौर पर गम था? कि आतंकवाद को रुपया, पैसा, शक्ति, ताकत, पोलिटिकल कवर देने वालों की जीत हो गई। उसी समय खबर आई कि होशियारपुर में टांडा के नजदीक आदमियों को कत्ल कर दिया। हमें बरनाला जी ने कहा कि सभी एम०पी०, एम०एल०ए० चले जाओ। हमने संगरूर के पांचों कस्बों में घर-घर जाकर देखा कि कहीं दूसरा झगड़ा न हो जाये। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं कि कल बहुत जरूरी दिन था। इस कारण हम गैर-हाजिर थे। हम अपनी जिम्मेदारी फील्ड में पूरी कर रहे थे। हमें भरोसा था कि हमारे लायक और लनंड दोस्त पालियामेंट में ठीक फैसला कर रहे होंगे। हमने आपके हाथों से और आपके सहयोग से इस देश को महफूज रखना है।

अभी मेरे मित्र ने कहा कि पूरे हिन्दू समाज और पूरे सिख समाज का फर्ज है। मैं उनको इसके लिए बहुत ही धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं बहुत जोर से कहता हूं कि हमें इसी को गले लगाना है। आज पूरा सिख समाज हिन्दू भाइयों की मदद करने के लिए पूरी मजबूती से इस हाऊस को जमानत देता है कि हमारी छातियों की तरफ गोलियां लगी हुई हैं, उसके लिए हमारा पूरा सिख समाज चाहे उसमें बरनाला हों, बलवन्त सिंह हों, या मैं हूं, हम सब मिलकर हिन्दुओं का साथ देंगे। हम उन पर लगने वाली गोलियों को अपनी छाती पर खा कर अपने भाइयों का

का साथ देंगे। अगर हमने अपने गुरु ग्रंथ साहब के सामने सच्चा होना है, अगर हम गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविन्द सिंह और गुरु ग्रंथ साहब के सिख हैं तो हमें इन हिन्दुओं का साथ देना है। अपने हिन्दू भाइयों के लिए, जिन्होंने चार बेटे कुर्बान किए, जिसके लिए मां कुर्बान की, जिस गुरु गोविन्द सिंह से इस देश के लिए पूछा था कि आपके चार बेटे कहां हैं तो उन्होंने कहा कि देश, कौम और धर्म के लिए कुर्बान कर दिए। देश भारत, कौम भारत, धर्म इन्सानियत। इस पर गुरु तेग बहादुर के लिए कहा गया कि "जन्जू तिलक राखा पर्भ ताका।

अगर मैं इसमें कुछ गलती कर रहा हूं तो सरदार बूटा सिंह मुझे माफ करें। हमने इसी मिशन को आगे बढ़ाना है। ये एजेंट बूचड़, कातिल और अगर मैं कहूं कि सांप खाए हुए बुरे लोग यह गलत बातें कर रहे हैं। उनका हम सबको विरोध करना है।

जब गुरु तेग बहादुर की मौत के बाद गुरु गोविन्द सिंह जी से 9 साल की उम्र में पूछा गया कि आपके पिता मर कर शहीद हो गये हैं तो उन्होंने कहा कि—

जन्जू तिलक राखा पर्भ ताका, कीनी बड़ी कलू महि साका
धर्म हेतु इन्ती जिल करी, सीस दीआ पर सी ना ऊवरी।"

उन्होंने कहा कि मुझे तो फख्र है कि मेरे पिता गुरु तेग बहादुर जजू तिलक की रक्षा के लिए शहीद हो गये हैं। इसलिए मैं कहता हूं प्रिय ब्रदर, हम इसके लिए आगे आयेंगे और आगे आना चाहिए। एक बात जरूर है बरनाला जा खाली हाथ लड़ रहे हैं, बिल्कुल हाथ खाली हैं। मैं दोष नहीं देता, मैंने पहले कहा यह दोष देने का समय नहीं है, अगर दोष देंगे तो वे कहेंगे हमने एक टक्कर दी और ये लड़ने लगे। आइऐ धीरज से आगे बढ़ें। पंजाब में कुछ कमी है। अभी राज्य सभा में जो बहस हुई उसमें उप-राष्ट्रपति जी ने चार लफ्ज प्रयोग किए—पोलिटीकल, एकोनामिक, ह्यूमन और सिख साइकी। इन चारो बातों को इकट्ठा लेकर हमें कोई एप्रोच बनानी चाहिए। आप तो बड़े लोग हैं। जिनकी गिनती अधिक हो वह तो वैसे ही मजबूत होता है। आप तादाद में बड़े हैं, एरिया में बड़े हैं, पार्टी में बड़े हैं लेकिन जिम्मेवारी में हम भी आपके साथ हैं। मान लीजिए हम छोटे हैं लेकिन आपके साथ हैं। इसलिए आप देख लें अगर इस तरीके से कर सकें तो करें।

फिर मैं कहता हूं अगर आपने जल्दबाजी में किसी तरह का फैसला कर लिया तो ठीक नहीं होगा। मैंने बरनाला जी को फोन किया था, तीन चार बातें जो हैं मैं समझता हूं वह मैं नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहता आप ही कहेंगे बूटा सिंह जी।

आखिर में मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, उम्मीद है आप गुस्सा नहीं करेंगे, कभी-कभी हमारे दिल में आता है जैसे हम कंफ्यूजन में हों। हम कंफ्यूज्ड क्यों होते हैं? मुसीबत जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी पीर होती है। हमारा भारत वर्ष सदियों से जिन्दा रहा है। यहां बहुतेरे गजनी और दूसरे आए कत्ल करने के लिए और चले गये लेकिन इस देश की गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, इस देश का मान, गीता गीतांजलि यहां जिन्दा रहे हैं। अब भी मैं कहता हूं हम क्यों

(श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया)

कंफ्यूजड होते हैं ? वे बदमांश लोग जो हैं उनको सिखों का समर्थन प्राप्त नहीं है, उनको बिल्कुल समर्थन नहीं है। अभी उस दिन मैंने इन्स्टांसेज दे देकर बताया कि गांवों की औरतों ने मरदों ने बदमाशों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। आज कितने ही लोग मर रहे हैं सिखों में मर रहे हैं, हिन्दुओं में मर रहे हैं, उनके साथ झगड़ते-झगड़ते लेकिन कंफ्यूजन से बचिए और किसी को स्केप-गोट मत बनाइए बल्कि इसको नेशनल प्राब्लम बनाइये। मैं नहीं कहता कि बरनाला जी बहुत मजबूत हैं लेकिन मैं इस बात को जोर से कहता हूं कि बरनाला जी देश की सेवा में ईमानदार हैं, बेईमान नहीं हैं। पूरी तरह से वे लगे हुए हैं और पूरी वफादारी के साथ सारी भारत की लड़ाई वे आपके साथ लड़ रहे हैं।

श्री रणवीर सिंह (कैसरगंज) : हम भी चाहते हैं वे ईमानदारी के साथ मजबूत हो जायें।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : शुक्रिया। मैं यह कह रहा था कि किसी को आप स्केप-गोट मत बनाइये। सन्त लौंगोवाल जी की शहादत हुई, श्रीमती इन्दिरा गांधी की शहादत हुई। जिस पवित्र काज के लिए हमने इतनी बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं उस पवित्र काज को कायम रखने के लिए हम जरा मुस्तैदी से चलें। हम जब यहां पर बोलते हैं तो यह बात दिमाग में रहती है कि अगर यह बात कह दी तो अखबार में यह छपेगा और उसका यह रिजल्ट होगा इसलिए कहीं दस घन्टे के लिये अन्दर मिल बैठकर फैसला कर लें। हमने पहले भी बहुत कुछ कर लिया—आपने आपरेशन ब्लू-स्टार किया, आपने आपरेशन वुडरोज किया। अभी भी एस० एफ० ने आंकड़े दिए हैं परसों कि इतनी प्राप्तियां की हैं बार्डर पर, उसमें पंजाब भी था मैंने बहुत गौर से सुना है। इसलिए मैं बहुत जोर से कहता हूं (1) घबराइये मत, (2) गुस्से के नीचे मत होइए, (3) धीरज रखें और (4) जहां बड़ी जिम्मेदारी सिर पर आये तो उसको पूरी तरह से उतारने के लिए अपना दिल, गुर्दा, जान हौसला ठीक रखें तथा (5) ऐसी कोई बात न करें जिससे यह लगे कि हम टैरोरिस्ट्स का गेम खेल रहे हैं, हम उनके इशारे पर नाच गए, उनका मकसद पूरा कर गए।

अन्त में मैं अपने रोम-रोम से सभी सिख भाइयों से सभी पंजाबियों से, अकाली दल और सभी हिन्दुओं से कहता हूं क्योंकि अगर मां हिन्दू है तो बेटा सिख है, चचा सिख है तो भतीजा हिन्दू है, रिश्ते आपस में इतने नाजुक हैं। चाहे दिवाली का मौका हो, लोढ़ी का मौका हो या गुरुपुरब का मौका हो, सब लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक है। सिक्खों में 30 प्रतिशत से ज्यादा लोग जब उनके यहां किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फूल चुनकर हरिद्वार में डालने जाते हैं। इतना ज्यादा वहां एक पारिवारिक-पन है। इसलिये इतना कह कर मैं अपने आपको देश की एकता और इस पवित्र जंग के लिए पूरे सदन के हवाले करता हूं।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है। कल जब मैं उठा तो इतने लोगों के टेलीफोन आए और वे एक ही बात पूछ रहे थे कि आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं। इस

पर मुझे लगा कि भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, वे इस घटना से कितने प्रभावित हुए हैं। जब मैं सदन में आया, यहां लोगों ने चिन्ता क्रोध को प्रकट किया, तो मुझे लगा कि इस पर हम लोगों को कुछ न कुछ काम करना चाहिए। जितने भी कल उत्तेजित थे, वे एक ही बात कह रहे थे कि डिसकशन बन्द और एक्शन होना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि सत्ता पक्ष के सदस्य और विरोधी पक्ष के सदस्य कभी इतने उत्तेजित हुये, तो उन्होंने कहा कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी की। उसी से पता चलता है कि राष्ट्र के लोगों के साथ-साथ सांसद लोग भी कितने इस घटना से उत्तेजित हैं। उसी उत्तेजना में कुछ लोगों ने गृह मंत्री जी से त्याग-पत्र की भी माग की। उस उत्तेजना के पीछे जो भावना थी, क्या उस समस्या का समाधान गृह मंत्री जी के त्याग-पत्र दे देने से हो सकता है।

1.32 म०प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

यह लड़ाई कोई एक दिन में तो समाप्त हो नहीं जाएगी और एक गृह मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा कि चूंकि उसी सम्प्रदाय से हमारे गृह मंत्री आते हैं, उस को ध्यान में रखते हुए उनको त्याग-पत्र देना चाहिए। लेकिन उस सम्प्रदाय के कितने लोगों ने, जिन्होंने ब्लू-स्टार आपरेशन में काम किया, कल से आज तक इन सिक्ख लोगों ने इस घटना की निन्दा की है इस पर हम लोगों को फख्र होना चाहिए कि उसी सिक्ख सम्प्रदाय के गृह मंत्री उसी मजबूती के साथ इन राष्ट्र विरोधियों का मुकाबला कर रहे हैं।

अभी कुछ देर पहले सांसद, श्री स्पैरो, ने कहा कि युद्ध जारी है। यह हर व्यक्ति को मानना चाहिए कि अभी जो कुछ पंजाब में हो रहा है, वह युद्ध की ही तरह से होना चाहिए और सारा काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए। जब युद्ध शुरू होता है, यदि उसमें संतुलन खो दिया जाता, तो उसकी जीत नहीं होती है। यदि आप युद्ध का इतिहास देखें, तो आप ऐसा ही पायेंगे। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। नेपोलियन एक बार चारों तरफ से तुर्किशआर्मी में घिर गये। वे सुबह घुड़सवारी करते थे और जब वे लौट कर आये तो उनको यह सूचना उनके कमान्डेंट ने दी और चिन्ता प्रकट की, जैसे कि संसद के लोग चिन्तित हैं, और कहा कि अब हम लोग हार जायेंगे। नेपोलियन ने कहा कि आप लोग अपना धैर्य कायम रखें। उन लोगों को जमीन पर आने दो, हम उनको हरा देंगे। मुझे आशा है कि जिस धैर्य के साथ कल हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने काम किया है, इस सदन में सबको शान्त किया है, इसी से जाहिर हो जाता है कि हमारी जीत होगी और हम राष्ट्र विरोधी तत्वों को अवश्य समाप्त कर देंगे।

कल यहां पर रामायण और महाभारत की भी चर्चा हुई थी। रामायण और महाभारत में भी ऐसे ही हुआ था। शुरू में लगता था कि रावण जीत जाएगा, उसकी विजय होगी, लेकिन विजय राम की हुई। जो सत्य पर आधारित होता है, उसकी अन्त में विजय होती है। महाभारत में भी लगता था कि शुरू में विजय दुर्योधन की हो जाएगी लेकिन श्रीकृष्ण के चातुर्य से उनकी विजय हुई।

[श्री सी०पी० ठाकुर]

मुझे यह कहना है कि अगर हम धैर्य से और संतुलन से काम करें तो यह जो राष्ट्र-विरोधियों का मामला अभी पंजाब में है, वह समाप्त होगा। मैं जान-बूझ कर उनके लिए टेरोरिस्ट्स शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि टेरोरिस्ट्स कुछ और लोगों को भी कहते हैं, कभी-कभी भगतसिंह को भी टेरोरिस्ट्स कहा गया था। अगर इन लोगों को भी टेरोरिस्ट्स न कह करके राष्ट्र-विरोधी कहा जाये तो ज्यादा माकूल होगा बनिस्पत टेरोरिस्ट कहने के।

इस सबको कहते हुए मुझे गृह विभाग के प्रति भी कुछ कहना है। इन्दिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी की हत्या का प्रयास किया गया। सन्त लौंगोवाल की हत्या हुई, रिबैरो की हत्या का प्रयास हुआ और जनरल वैद्य की हत्या की गई। दो अक्टूबर को महात्मा जी की समाधि राजघाट पर मैं भी था। उस घटना के बाद मुझे लगा कि यह जो हमारी इन्टेलीजेन्स सर्विस है उसको और री-एन्फोर्स करना पड़ेगा। चाहे इसको पंजाब में री-एन्फोर्स करें या और कहीं करें, लेकिन इसको करना पड़ेगा। हमारा जो इसका इन्तजाम है उसको और मजबूत करना पडेगा मुझे ऐसा लगा। मैं इस पर विशेष चर्चा नहीं करूंगा।

दूसरी, बात जिस तरह से अभी रामूवालिया जी ने कहा कि ये जो टेरोरिस्ट्स हैं ये बहुत सुनियोजित ढंग से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि अभी एम० जी० पी० सी० का चुनाव हुआ। चुनाव के साथ-साथ उन्होंने यह किया। इस तरह की जो घटना घटती है, वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में घटती है। यहां पर वियतनाम पर बहस चल रही थी तो लीबिया पर अटैक हुआ। हरारे में हम लोग बहस कर रहे थे तो उसके बाद हाईजैकिंग हुआ। एस० जी० पी० सी०, प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ, उसके बाद यह घटना घटी। आखिर वे लोग चाहते क्या हैं ? वे राष्ट्र-विरोधी यह चाहते हैं कि वे वहां हिन्दुओं को मारेंगे तो दूसरी जगह हिन्दू सिखों को मारेंगे। फिर वहां से सारे सिख मांगेंगे और यहां से सारे हिन्दु मांगेंगे। इस तरह से उनके जो डिजाइन्स है उनमें वे सफल हो जायेंगे। इसलिए सारे देश के लोगों को सतर्क रहना है। उनका जो प्लान है उसमें हम लोगों को नहीं आना है, हम लोगों को सतर्क रहना है।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि बरनाला को हटा देने से इस का या इस समस्या का समाधान हो जाएगा जो यहां कहा गया मैं इससे शायद व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं बरनाला जी आज भी बहुत ईमानदारी के साथ इसको फेस कर रहे हैं। इसलिए बरनाला जी को हटा देने से देश को नुकसान ही होगा, देश का फायदा नहीं होगा।

एक पचड़ा और है जिस पर कल बहुत बहस हो रही थी कि हमारे पास कोई संवैधानिक हथियार नहीं है जिसके अन्तर्गत हम पंजाब के अन्दर इसको फेस कर सकें। इस प्रकार की चर्चा कल हुई। अभी जो सरकारिया कमीशन बैठा हुआ है, उसमें इसी तरह का एक प्रश्न उठा था। उसके समाधान के लिए मैंने श्री लाल नारायण सिंह जी से जो कि बड़े नामी वकील हैं और पहले एटार्नी जनरल भी रह चुके हैं, पूछा था कि उस प्रश्न के बारे में जिसको कि आजकल हम यहां डिस्कस कर रहे है, उनका क्या सुझाव है ? वह प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :—

[अनुवाद]

क्या इस संशोधन से पहले,संघ (अनुच्छेद 355 के प्रयोजन के अन्तर्गत किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ के समान न हो) अपनी सशस्त्र सेनाओं या किसी अन्य सेना को अपने नियंत्रण के अधीन किसी राज्य में नागरिक प्रसाशन की सहायता के लिए, स्वतः बिना राज्य सरकार की सहमति के बिना इस आधार पर भेजने में समर्थ था कि यह शक्ति सूची में दी गई प्रविष्टि 3 में निहित विषयों की आवश्यकता रूप से सहगामी या अनुषंगी थी । संख्या (ii) इस संशोधन की सूची 2 की प्रविष्टि 1 के विस्तार क्षेत्र में संगत संक्षेपण के साथ क्या संघ को अनुच्छेद 73 के साथ पठित सूची I, की प्रविष्टि 2क के द्वारा इसके नियंत्रण के अधीन राज्य में नागरिक प्रसाशन की सहायता के लिए सशस्त्र सेना का कोई अन्य सेना तैनात करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

[हिन्दी]

उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकारिया कमीशन को सुझाव दिया है और शायद सरकार को भी उनके सुझाव की प्रति आ गई होगी । सरकार जब चाहे तब इन्टरवीन कर सकती है । कैसे इन्टरवीन कर सकती है ? हमारा जो आर्टिकल 355 है, जिसको कि मैं आपकी इजाजत से आपके सामने रखना चाहता हूं । उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना टेरोरिस्ट्स एक्ट के भी सेन्टर को इतनी पावर्स हैं ।

[अनुवाद]

"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की किसी बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक गड़बड़ी की स्थिति में, रक्षा करें ।"

[हिन्दी]

इससे स्पष्ट कोई आर्टिकल नहीं हो सकता है कि सेंटर जब चाहे पंजाब में इन्टरवीन कर सकता है । इस पर अमरीका, इंगलैंड के जो कोर्ट हैं, उन लोगों ने जजमेंट दिया है, जब किसी को पावर मिलती है तो उस पावर का व्यवहार भी होना चाहिए और इस पर एक एक्सपर्ट ने कहा है :—

[अनुवाद]

मैक्सवैल कहता है :—

जहां एक अधिनियम एक ऐसा क्षेत्राधिकार प्रदान करता हो जो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्य करने की शक्ति प्रदत्त करे या ऐसे साधनों का उपयोग करे जो कि इस प्रकार की कारंवाई के लिए आवश्यक हों ।"

क्रेकर्ड ढ़ेर किए अमरीकी निर्णयों को उद्धृत करता हुआ कहता है कि :—

"शक्ति विशेषाधिकार या संपति की सांविधिक मंजूरी में इसके प्रयोग के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु परोक्ष रूप में शामिल होती है ।"

[श्री सी०पी० ठाकुर]

[हिन्दी]

मेरे कहने का यही मतलब है कि हमारा जो संविधान है, टेररिस्ट एक्ट अगर हम नहीं अमल में लाते हैं तो संविधान की एंट्री वन, एंट्री टू जो लिस्ट है, इसमें दिया हुआ है कि जब चाहे सेंटर पंजाब में इन्टरवीन कर सकती है, बरनाला गवर्नमेंट के रहते हुए इन्टरवीन कर सकती है, फोर्स भेज सकती है, यह सेंटर के अधिकार में है और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने पहले से ही संविधान में यह प्रावधान कर दिया था क्योंकि वे जानते थे कि हिन्दुस्तान में विघटन प्रवृत्ति के लोग इस तरह के काम कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से अमरीका में जब विघटनकारी शक्तियां बहुत सक्रिय हो गई थीं, उस समय अब्राहिम लिंकन ने जिस दृढ़ता से उनको शान्त किया, समाप्त किया, उसी दृढ़ता से मैं चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री इसको युद्धस्तर पर मानकर करें।

यह मानकर चला जाए कि यह युद्ध की तैयारी है और अगर हम अभी तैयार नहीं होते हैं तो जो बाहरी शक्ति इसमें लगी हुई है, वह समझ जाएगी कि भारतवर्ष इसके लिए तैयार नहीं है, कमजोर पड़ रहा है। अगर हम मुस्तैदी से, तैयारी से इसका सामना करते हैं तो फिर जितने भी उकसाने वाले लोग हैं, सब हट जाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कल जो लोगों की भावना थी, राष्ट्रीय भावना थी, उस पर काम करने की आवश्यकता है सिर्फ बहस से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

श्री वीर सेन (खुर्जा) : श्रीमान्, कल सारा राष्ट्र 28 आदमियों की हत्या की खबर सुन कर स्तब्ध रह गया। इसके अलावा, आज सुबह भी हमने अखबार में पढ़ा कि आतंकवादियों ने दस और व्यक्तियों की हत्या कर दी है।

शायद अब तक हम कई नरसंहार की घटनाओं और अन्य कई दुखःद घटनाओं से वाबस्ता हो चुके हैं परंतु कल की दुखःद घटना तो बहुत अधिक बर्बरतापूर्ण घटनाओं से भी अधिक बर्बर थी। मैं समझता हूं कि अब हमारे सब्र का घड़ा भर गया है। इसीलिए कल सारे राष्ट्र और पूरे सदन ने इस बात की ओर इशारा किया कि इस बारे में शीघ्र ही कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए।

कल की घटना से दो-तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि आतंकवादी स्टेनगनों से लैस होकर बस में चढ़े तथा वहां उनकी जांच करने वाला कोई नहीं था। ऐसा भी लगता है कि बस के चालक की उनके साथ सहानुभूति थी और अगर पुलिस कुछ सावधान रहती और अगर वे इन आतंकवादियों को बस में न चढ़ने देते तो इस दुखःद घटना को टाला जा सकता था। इसके साथ-साथ एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि आतंकवादियों ने अपनी योजना को खूब सोच समझकर बनाया था परन्तु दूसरी ओर राज्य सरकार के पास राज्य से आतंकवाद को समाप्त करने की

दिशा में न तो कोई कार्यक्रम है और न ही कोई सुगठित योजना। कभी-कभी मुझे एक रोमन इतिहास से संबंधित लोकोक्ति याद आती है, शायद आपको भी याद हो कि जब रोम जल रहा था तो नीरो वाद्य बजा रहा था, आज आप देखें तो पाएंगे कि सारा पंजाब जल रहा है बल्कि मैं तो कहूंगा कि सारा पंजाब नहीं बल्कि सारा भारत जल रहा है। नीरो अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ है और सुरक्षा के हर वायदे के साथ बाहर नरसंहार बढ़ता जा रहा है आतंकवाद हर बार अपनी ताकत को दो गुना करके आक्रमण कर रहा है।

श्रीमान जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आप चार चीजें देखते हैं। पहली चीज एक दुःखद दुर्घटना के बारे में कि इतने आदमियों की हत्या कर दी गई। इसके बाद दूसरी यह कि आतंकवादी बच के भाग निकले। तीसरी बात यह कि उनको पकड़ने की कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है और यह कि सुरक्षा प्रबंधों को कड़ा कर दिया गया है। यही वे बातें है जिन्हें हम रोज सुनते हैं। परन्तु फिर भी हर रोज हत्याएं की जा रही हैं और इनमें कोई कमी नहीं आई है। इससे हमें क्या समझना चाहिए ? मेरे मित्र श्री रामूवालिया जी ने बहुत अच्छा कहा जो बहुत प्रभावी तथा विश्वास दिलाने वाला था परन्तु अभी भी हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या बरनाला सरकार राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में सफल रही है; जो व्यक्ति आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं या उन्हें मदद देते हैं, उन्हीं के माध्यम से आतंकवाद को समाप्त करने का हमारा प्रयोग क्या सफल रहा है। अगर आप वर्ष 1983 के अखबार पढ़ें तो आप पाएंगे कि ये ही वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों को बढ़ावा और संरक्षण दिया, और जिन्होंने भाषण दिए कि अगर आनंदपुर साहब प्रस्ताव को पूरा का पूरा स्वीकार नहीं किया गया तो सारा देश इस अग्निकांड की लपेट में आ जाएगा।

मैं, माननीय गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या ये लोग जो आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं ? मैं समझता हूं कि यह आशा करना व्यर्थ है, मैं समझता हूं कि कल सारे सदन ने एक स्वर में इस बात को कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता किसी भी पार्टी के महत्व से ज्यादा है, परन्तु इसके साथ-साथ बरनाला सरकार के बने रहने पर सदस्यों में मतभेद रहा। सामान्यतः इस तरफ के सदस्यों ने बरनाला सरकार को हटाने पर जोर दिया और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने बरनाला सरकार के बने रहने पर जोर दिया। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम अभी भी आशा है कि यह सरकार कार्य कर सकती है। यह एक प्रयोग ही लगता है, केन्द्र बगैर कोई जिम्मेदारी लिए हुए चाहता है कि राज्य सरकार इस बारे में कार्यवाही करे और आतंकवाद को समाप्त करे। प्रश्न यह है कि जब से बरनाला ने सत्ता संभाली है कितने आदमी मारे गये हैं; कितने निरीह आदमियों की हत्या कर दी गई है। सरकार के पिछले छः महीनों के आंकड़ों के अनुसार लगभग 350 आदमी मारे गए हैं। मैं समझता हूं कि 1000 से भी ज्यादा आदमी मारे गए हैं। मैं, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह प्रयोग कब तक चलेगा; कितने आदमी अभी और मारे जाएंगे तथा हमें इस प्रयोग के सफल या असफल होने की कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब हमें दृढ़ता के साथ इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए।

जहां तक बरनाला सरकार का संबंध है, मैं समझता हूं कि यह धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है। अक्सर आप सुनते हैं कि वे पंथ की एकता की बात करते हैं। यह सरकार हमारे

[श्री वीरसेन]

राष्ट्र तथा निवासियों की इच्छा के अनुरूप नहीं है। यह सरकार पंथ वालों तथा आतंकवादियों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करती है, वे मात्र आतंकवादियों को खुश करने में लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने फौज के भगोड़ों को पुनः बहाल कर लिया है और हर रोज जैसा कि आप सुनते हैं कि वे चिल्ला-चिल्ला कर जोधपुर जेल में बंद कैदियों को छोड़ने की मांग करते रहते है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी अन्य देश ने कभी अपनी सेना के भगोड़ों के प्रति ऐसी लापरवाही नहीं बरती है। मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट उनके प्रति सहानुभूति है। जब सीमा पर दस आदमी मारे गए तो उन्होंने एक जांच दल को तुरन्त भेज दिया। परन्तु दूसरी ओर जहां हजारों आदमी रोज मारे जा रहे हैं वहां उनके प्रति सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं सुना जाता है। इस सदन में भी, पिछली बार अकाली दल के दो सदस्यों ने कहा था और उन्होंने उनका समर्थन किया था और उनमें से एक सदस्य ने नकली मुठभेड़ों के आरोपों के सिवा और कुछ नहीं कहा। जबकि वास्तव में आतंकवादी निरीह मनुष्यों को मार रहे हैं और इन सदस्यों ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। मुझे इस बारे में अत्यंत दुख है कि···

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री बीर सेन : मैं कुछ मिनटों का समय और लूंगा, लोग राजनीतिक कार्रवाई और समाधान की बात करते हैं, मैं नहीं समझता कि इसका क्या राजनीतिक समाधान हो सकता है। संघ में पंजाब राज्य एक पूर्ण राज्य है और इसको किसी भी अन्य राज्य के समान अधिकार प्राप्त है। अब किस प्रकार का समाधान वे चाहते हैं? वे मात्र एक ही समाधान चाहते हैं और वह है आनंदपुर साहब प्रस्ताव को लागू किया जाये तथा देश से अलग होना। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में पूर्ण सदन एक मत है और उन्होंने एक आवाज में किसी भी तरह के विभाजन का विरोध किया है।

यह भी कहा गया है कि चंडीगढ़ के हस्तांरण में होने वाली देरी ही आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार है। मेरी समझ से इन दोनों में ऐसा कोई संबंध नहीं है, अगर आप पंजाब का विभाजन कर उसे स्वतत्र भी कर दें तब भी वे इस प्रकार की आतंकवादी कार्रवाइयों से तौबा नहीं करेंगे। इसलिए चंडीगढ़ के हस्तांतरण तथा आतंकवादी कार्रवाई के बीच में कोई सम्बन्ध नहीं है। वे तब तक जारी रहेंगी जब तक आनंदपुर साहब प्रस्ताव को लागू नहीं कर दिया जाता।

माननीय सदस्यों ने, इस बारे में क्या कार्रवाई की जाए, के बारे में विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि संविधान में इस सम्बन्ध में दो अनुच्छेद, 352 और 356 दिए गए हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य के राज्यपाल से राज्य में सांवैधानिक प्रक्रिया के असफल होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार राज्य प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले सकती है। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त होने के अलावा कुछ अन्य कारणों से भी ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद के अनुसार :

"राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा···"

यहां 'अन्यथा' शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही केन्द्रीय सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि केन्द्रीय सरकार स्वत: भी कार्रवाई कर सकती है। अनुच्छेद 352, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदत्तकरता है। माननीय गृह मंत्री महोदय जानते हैं कि स्वर्ण मन्दिर में गृह युद्ध, घुसपैठ तथा सशस्त्र युद्ध के लिए पूरी तैयारियां की गई थीं। आज भी राज्य में गुरिल्ला युद्ध चल रहा है, इसलिए मैं सोचता हूं कि उपरोक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार कार्रवाई कर सकती है···

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री वीर सेन : कृपया दो मिनट का समय और दें।

सभापति महोदय : आप पहले ही ज्यादा समय ले चुके हैं।

श्री वीर सेन : केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि हमेशा से स्वर्ण मंदिर में पुलिस के प्रवेश पर शोर मचाया गया है···

महोदय, मंदिर एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य भगवान से नाता जोड़ने के लिए जाता है। ऐसी जगहों में कोई बुरा काम करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। पर आतंकवादियों ने तो भगवान को ही स्वर्ण मंदिर से बाहर निकाल दिया है, और शैतान ने वहां अधिकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में तो किसी पूजास्थल को अलंघनीय नहीं माना जा सकता। इस स्थिति में किसी भी जगह की कोई पवित्रता नहीं रह जाती। जब भगवान ही वहां से निकल गये हैं या उनको निकाल दिया गया है, तब मैं सोचता हूं कि सरकार को आगे आना चाहिए, और मैं गृहमंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह स्पष्ट रूप से यह कहें कि जहां किसी मंदिर की पवित्रता भंग की गई हो वहां सरकार को यह अधिकार है वह ऐसे स्थानों की पवित्रता को फिर से कायम करने के लिए आगे आएं। मैं सोचता हूं कि यह स्पष्ट कर देना चाहिए। ताकि सब सिख लोग या गुरुद्वारे के प्रबन्धक को यह मालूम हो कि अगर वे इस प्रकार के तत्वों को मंदिरों में जगह देंगे, और उन्हें बुरे काम करने देंगे तो पुलिस को यह अधिकार होगा कि वे मंदिरों के अन्दर जाकर उनकी पवित्रता को बहाल करें।

सभापति महोदय : अपनी बात को समाप्त करें।

श्री वीर सेन : मैं सोचता हूं कि माननीय सभापति महोदय, मुझे बार-बार बैठने के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैं केवल एक बात कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मुझे महाकाव्य "पैराडाइज लास्ट" की एक पंक्ति याद आती है, जो कि संसार के चार महाकाव्यों में से एक है। महाकवि मिल्टन कहते हैं :

> "जो शत्रु को बलपूर्वक पराजित करता है। उसकी केवल आधी ही जीत होती है।"

महोदय, वे बेशक आतंकवादियों को केवल बल के द्वारा पराजित करने की कोशिश करें, पर वे केवल आधे लोगों को ही हरा सकेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उनको नये सिरे से

[श्री वीर सेन]

सिखाया जाए। पिछले पचास वर्षों से जो लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, वे युवकों को यही सिखा रहे हैं कि वे केवल पंथ और पंथ की एकता के बारे में बोले। वे कहते हैं "राज करेगा खालसा" और वे पिछले पचास वर्षों से यही शिक्षा दे रहे हैं। इन सभी युवाओं को एक नये सिरे से सिखाया जाये ताकि उनके विचार साफ हो जाएं और वे पूरे राष्ट्र और लोगों के प्रति निष्ठा के बारे में सोचना आरम्भ करें।

———

2.00 म०प०

केन्द्रीय योजना 1987-88 के लिए संसाधनों के अनुमानों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : आदरणीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष मैंने वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति के सदस्यों को बजटपूर्व चर्चाओं में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी। वह प्रयोग काफी सफल रहा और इससे मुझे यह प्रेरणा मिली कि मैं अगले वर्ष के लिए बजट के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में पूरे सदन का विश्वास प्राप्त करूं।

अगले वर्ष की वार्षिक आयोजना के लिए उपलब्ध संसाधनों का जायजा लेने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श से, वर्तमान वित्त वर्ष में खर्च और राजस्व की सम्भावित प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में एक विस्तृत अध्ययन किया है। इन अध्ययनों के आधार पर हमने अगले वर्ष के लिए राजस्व और खर्च के अस्थाई अनुमान तैयार किए हैं। अब तक उपलब्ध सूचना के आधार पर इन अनुमानों को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है। सम्भव है कि फरवरी 1987 में अनुमानों को अन्तिम रूप देने से पहले उपलब्ध होने वाली और सूचना के आधार पर इन आंकड़ों में कुछ संशोधन हो जाएं। तथापि, विवरण से उन प्रवृत्तियों का पता चलता है जिनसे अगले वर्ष के बजट पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

जैसा कि सदन को ज्ञात है अभी तक कर राजस्व की प्रवृत्ति अत्यन्त उत्साहवर्धक रही है। वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर वर्ष 1987-88 में करों का केन्द्रीय भाग 25,250 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। विभिन्न अन्य शीर्षों, यथा, कर-भिन्न राजस्व, विदेशी सहायता बाजार उधार, लघु बचतें व अन्य पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत अनुमानित प्राप्तियों को मिलाकर केन्द्र की कुल प्राप्तियां 55,150 करोड़ रुपए होने का अनुमान हैं। अनुमान लगाने के प्रयोजन से हमने 5,000 करोड़ रुपए के घाटे की वित्त व्यवस्था का अन्दाजा लगाया है। इस प्रकार, कुल प्राप्तियां 60.150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

जहां तक खर्च का सम्बन्ध है, ब्याज की अदायगी और रक्षा पर व्यय में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है। अनुमान है कि इनमें वृद्धि सम्भवत: क्रमश: 10,150 करोड़ रुपए व 11,900 करोड़ रुपए होगी। मुझे शायद उन भू-राजनीतिक स्थिति की बाध्यताओं को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जिनके कारण रक्षा व्यय में वृद्धि अपरिहार्य हो गई है। खर्च की एक और प्रमुख मद आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसकी राशि 1987-88 में 4,680 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है कि अनाज, उर्वरक और निर्यात प्रोत्साहन पर आर्थिक सहायता, आयोजना के पहले तीन वर्षों में 13,240 करोड़ रुपए होगी, जबकि छठी आयोजना की पूरी अवधि में यह राशि 10,788 करोड़ रुपए थी। अन्य आयोजना-भिन्न व्यय लगभग 1986-87 के बजट में हुए व्यय के बराबर ही होने का अनुमान है। खर्च की एक अन्य महत्वपूर्ण मद, मजदूरी और वेतनों में वृद्धि है, जो वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के कारण हुई है और यह राशि 1,500 करोड़ रुपए (रेलवे और दूर संचार को छोड़कर) होने का अनुमान है। इन सभी मदों को मिलाकर कुल आयोजना-भिन्न व्यय 38,450 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

इस आधार पर, आयोजना के लिए केन्द्रीय बजट में संसाधनों की राशि 21,700 करोड़ रुपए होगी जबकि वर्तमान वर्ष का बजट 21.095 करोड़ रुपए का है। यद्यपि आयोजना के लिए बजटीय संसाधन अधिक होने का अनुमान है, तथापि राज्यों व संघीय क्षेत्रों को उनकी आयोजनाओं के लिए अधिक सहायता के कारण, केन्द्रीय आयोजना के लिए उपलब्ध संसाधन कुछ कम होंगे। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 7,900 करोड़ रुपए होने का अनुमान है तथा प्राकृतिक आपदाओं के वास्ते दी जाने वाली सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इस प्रकार केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय समर्थन 13,300 करोड़ रुपए का होगा। सातवीं आयोजना के लिए अनुमानित संसाधनों में यह परिकल्पना है कि बजट से वित्त-पोषित किए जाने वाले वार्षिक आयोजना परिव्यय का अनुपात, वर्ष 1985-86 में 60 प्रतिशत से धीरे-धीरे कम होकर आयोजना के अन्तिम वर्ष में 38 प्रतिशत रह जाएगा तथा सरकारी उद्यमों के योगदान में भी तदनुरूप वृद्धि होगी। वर्ष 1987-88 के लिए, सातवीं आयोजना के अनुसार बजट से अनुमानित समर्थन कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का 46 प्रतिशत था। वर्तमान अनुमान के आधार पर यह अनुपात 55 प्रतिशत होगा।

अगले वर्ष सरकारी उद्यमों के आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन 10,700 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस प्रकार, अगले वर्ष के लिए केन्द्रीय आयोजना की राशि 24,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है जबकि वर्तमान वर्ष में यह राशि 22,300 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से 1987-88 के लिए वार्षिक आयोजना की राशि सातवीं आयोजना के 95,534 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का (1984-85 की कीमत स्तरों पर) लगभग 22 प्रतिशत होने का अनुमान है। जैसाकि सदन को ज्ञात है आयोजना के प्रथम दो वर्षों में 1984-85 की कीमतों के अनुसार हमने वास्तविक दृष्टि से सातवीं आयोजना के परिव्यय के 41 प्रतिशत की पूर्ति कर दी थी। इस प्रकार,

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

पहले तीन वर्षों में वास्तविक दृष्टि से हम सातवीं आयोजना के परिव्यय के 63 प्रतिशत की पूर्ति कर सकेंगे। सातवीं आयोजना को अंतिम रूप देने के बाद अनेक मदों में यथा, रक्षा, आर्थिक सहायता, प्राकृतिक आपदाओं और वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण केन्द्र की प्रतिबद्धताओं में वृद्धि होने के बावजूद यह एक संतोषप्रद स्थिति है।

जैसा कि वर्ष 1986-87 का बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने अपने भाषण में कहा था, हम संसाधन जुटाने और विभिन्न व्यय कार्यक्रमों के लिए उनके आवंटन से संबंधित सरकार की राजकोषीय नीति पर एक खुली चर्चा करना चाहेंगे। मैं सदस्यों के विचारों की प्रतीक्षा में हूं।

1987-88 की वार्षिक योजना के लिए संसाधनों का अनुमानित ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

	1985-86 संशोधित अनुमान	1986-87 बजट अनुमान	1987-88 का अनुमानित ब्यौरा
	1	2	3
प्राप्तियां			
1. कर-राजस्व (राज्यों के हिस्से को घटाकर)	20940	22696	25250
2. कर-भिन्न राजस्व	6231	6846	7900
3. विदेशी सहायता	2500	2950	3200
4. बाजार ऋण	5100	5300	5800
5. लघु बचतें (राज्यों के हिस्से को घटाकर)	1900	2100	2200
6. अन्य पूंजी प्राप्तियां	9346	9320	10800
7. घाटे की वित्त व्यवस्था	4490	3650	5000
8. कुल प्राप्तियां (1 से 7)	**50507**	**52862**	**60150**
आयोजना-भिन्न व्यय			
9. ब्याज अदायगियां	7400	8750	10150

	1	2	3
10. रक्षा	7862	8728	11900
11. मुख्य आर्थिक सहायता	4305	4255	4680
12. वेतन आयोग	0	0	1500
13. पेंशनें	715	769	880
14. अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	9409	9265	9340
15. कुल आयोजना-भिन्न व्यय (9 से 14)	**29691**	**31767**	**38450**
16. आयोजना के लिए शेष संसाधन (8-15)	**20816**	**21095**	**21700**
17. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	6863	7328	7900
18. प्राकृतिक आपदाएं (बाढ़ सहित)	722	150	500
19. केन्द्रीय आयोजना को बजट समर्थन (16-17-18)	**13231**	**13617**	**13300**
20. सरकारी उद्यमों के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधन	6863	8683	10700
21. केन्द्रीय आयोजना (19+20)	**20094**	**22300**	**24000**
22. केन्द्रीय आयोजना (1984-85 की कीमतों के अनुमानों के अनुसार)	**19317**	**20227**	**20732**
23. वास्तविक दृष्टि से कुल सातवीं आयोजना का प्रतिशत	**20%**	**21%**	**22%**

2.05 म०प०

पंजाब की स्थिति के बारे में चर्चा

[—जारी]

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया ।

पंजाब में आतंकवाद की समस्या नई नहीं है। यह काफी अर्से से चल रही है । हम कई बार इस सदन में, इस समस्या पर विचार कर चुके हैं, और इसका मुकाबला करने के लिए हमने कई कदम भी उठाये हैं परन्तु यह समस्या जल्दी समाप्त नहीं होगी और हमें आतंकवाद से एक लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ेगी । मुझे डर है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की कोशिशों से हम इस समस्या के परिमाण को शायद कम कर सकें। पर इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए और समय चाहिए । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि वे पंजाब के लोगों की तरह एक लम्बी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें ।

2.06 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

इसको देखते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्रोध या बेचैनी से यह काम नहीं होगा । मेरे कुछ साथियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बरनाला जी और गृह मंत्री महोदय के इस्तीफे की मांग की है, और मैं इस बारे में अपने आप से यह प्रश्न पूछ रहा था कि क्या उनके त्यागपत्र से शांति मिल सकेगी अथवा क्या आतंकवादी और मजबूत होंगे ? मुझे हर बार अपने आप से यही उत्तर मिल रहा था कि ऐसा करने से हम आतंकवादियों की सहायता करेंगे, और उनको अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, जैसा पहले भी हुआ है । जब भी हमने ऐसे कदम उठाने की कोशिश की है तब ऐसा ही हुआ है । अतः क्रोध या दु:ख से अगर हमें कुछ कहना भी पड़े, तो हमें उसे शांत ढंग से और सोच समझकर कहना चाहिए, नहीं तो हम गुमराह हो सकते हैं या आतंकवादियों के हाथों का खिलौना बन सकते हैं ।

मेरा पालन-पोषण पंजाब में हुआ और पंजाब में ही मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। अतः मैं पंजाब को अच्छी तरह से जानता हूं । मैं उनकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि अभी तक वहां के साधारण लोग आतंकवादियों की बर्बरता से प्रभावित नहीं हुए हैं। वे गांवों में रहते हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां केवल थोड़े से हिन्दू लोग रहते हैं, और ऐसे गांव भी हैं, जहां सिखों की संख्या बहुत कम है। फिर भी वे सब प्रेम और भाईचारे से रहते हैं । परन्तु कुछ युवा लोग ऐसे हैं, जिनकी संख्या भी कोई कम नहीं है, जो इन सम्प्रदायों के बीच नफरत और शत्रुता पैदा कर रहे हैं। पर अभी तक वे सफल नहीं हुए हैं। अधिकतर युवक इसमें शामिल हैं। इसलिए यह जरूरी है कि

राज्य सरकार इस पर विचार करें, और कोई ऐसे कदम उठाएं जिससे कि इस तरह के शरारती तत्वों का दमन किया जा सके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ आतंकवादियों ने सीमा पार से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनके पास कुछ विदेशों में निर्मित हथियार पाए गए हैं। उनके कार्य-योजना भी विदेशों के विशेषज्ञ तैयार करते हैं। मैं इसे पूरी तरह से विश्वास करता हूं। अतः वे लोगों को बसों में, कारखानों में मारकर और सोये हुए लोगों की हत्याएं करके नफरत और शत्रुता का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मासूम लोगों हिन्दू और सिख दोनों को उनके घर जाकर, उनको उनके घरों में ही गोली से मारकर आते हैं।

अत:, इनका मुकाबला करने के लिए हमें कुछ नये तरीके सोचने पड़ेगे। महोदया, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। यह असमान युद्ध है, क्योंकि आतंकवादियों के पास विदेशी हथियार हैं, और आम लोग बिल्कुल निरस्त्र हैं। मैं यह नहीं समझ पाता कि ये लोग हथियार लेकर बसों में कैसे बैठ जाते हैं। पुलिस उनके हथियारों का पता क्यों नहीं लगा सकती। सरकार यह महसूस क्यों नहीं कर रही कि बस के यात्रियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। वे ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते ताकि बस केवल पूर्वनिर्धारित स्टापों पर ही रुके? जब यात्री उतरते हैं, तब उनकी तलाशी भी ली जानी चाहिए। इन बातों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इन विषयों पर राज्य सरकारों को सलाह देनी चाहिए। बहुत ही ध्यानपूर्वक कदम उठाने की जरूरत है।

एक दूसरे पर चिल्लाने से और कुछ लोगों के त्याग-पत्र की मांग करने से यह समस्या हल नहीं होगी। श्री बरनाला जी और उनके साथी अपनी पार्टी के उन अवांछनीय तत्वों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आतंकवादियों की सहायता करते हैं। क्योंकि इन तत्वों को बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए मैं सोचता हूं कि स्थिति में कुछ सुधार होगा, इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल बहुत ही सच्चे और दक्ष व्यक्ति हैं। पुलिस निर्देशक भी बहुत ही योग्य और दक्ष व्यक्ति हैं। इन सभी लोगों की सहायता और परामर्श से वे अपनी सब कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे।

जब भी कोई नये तरीके अपनाये गये हैं, तभी स्थिति काबू में आई है। पर ये आतंकवादी, वातावरण को बिगाड़ने के लिए दोबारा नये तरीके निकाल लेते हैं। कल जो घटना घटी थी, जिसमें 26 बस यात्रियों को आतंकवादियों ने मारा था, उनकी ऐसी करतूतों की एक मिसाल है। यह दोनों पक्षों की ओर से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आतंकवादी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि इस शांत वातावरण को कैसे बिगाड़ा जाए। पर हमें हमेशा शांत वातावरण बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें आतंकवाद को खत्म करने की तैयारी करनी चाहिए। कुछ लोगों का यह विचार है कि राष्ट्रपति शासन से यह समस्या का हल हो जाएगी। पर मेरे विचार से इसका उल्टा असर होगा। मेरे मन में यह स्पष्ट है। मैं सोचता हूं कि पंजाब सरकार को हर प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए। हमें उनको सलाह देनी चाहिए। हमें उनको साथ करके एक विश्वास, शांति तथा मैत्री का वातावरण पैदा करना चाहिए। केवल एक दूसरे पर चिल्लाने से हमें इच्छित फल नहीं मिलेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस संघर्ष को समान

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

बनाने के लिए या तो हमें बिना लाइसेन्स के हथियार लेने चाहिए क्योंकि इन्हीं हथियारों के द्वारा मासूम लोगों की हत्या की जाती है, या सभी को हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि हथियार का मुकाबला हथियार से हो। मगर इससे बहुत बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा, और जो सही हल नहीं हो सकता। हमें बिना लाइसेन्स के हथियार किसी भी तरह जब्त कर लेने चाहिएं। यही ठीक रास्ता है। आतंकवादी हमेशा स्टेनगनों से मासूम लोगों की हत्या करते हैं। अत: इन बन्दूकों के लिए लाइसेन्स नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि पुलिस इन शस्त्रों का पता क्यों नहीं लगा सकती जबकि आतंकवादी इनको लेकर हर समय घूमते रहते हैं। जिन लोगों को इन अपराधों के लिए पकड़ा गया, उनको अभी तक न्यायपालिका ने डर के मारे कोई सजा नहीं दी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनावों में तो मतदाताओं को भी डराया-धमकाया जा रहा है। इन सब चीजों को जैसे भी हो सके, खत्म करना चाहिए। इस बारे में उचित तथा कड़े कदम उठाने चाहिए।

पहले भी इस दिशा में सख्त कदम उठाये गये हैं, पर जब भी वे अपर्याप्त पाये गये हैं तो नये उपाय किए गए हैं।

जब कभी नए कदम उठाए गए तो हमें कुछ सफलता मिली, और वातावरण शांत हुआ। पर जो विशेषज्ञ बाहर से उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और योजनाएं बना रहे हैं, उनके कारण वातावरण दोबारा अशान्त हो जाता है। और वे यह कहते हैं कि जब तक उनको उचित फल प्राप्त नहीं होगा, तब तक वे संघर्ष करते रहेंगे और आप बरनाला सरकार को जवाब देह ठहराते हैं क्योंकि आप समझते हैं यह कि उनकी सरकार आतंकवादियों की सहायता कर रही है। कोई भी अच्छी सरकार किसी भी समय अधिकतम बल का प्रयोग नहीं करेगी उसे करना भी नहीं चाहिए। इसलिए वे इतना ही बल का प्रयोग करते हैं जिससे कि उस बुराई से लड़ा जा सके, और इस मामले में शायद प्राधिकारी बस में होने वाले विनाश का पूर्वानुमान नहीं लगा सके थे। इसलिए हम इस हादसे से बच नहीं सके। जैसे भी हो, हम इसमें असफल रहे हैं, पर भविष्य में हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और आपको यह देखना चाहिए कि लोग बसों में और सड़कों पर बिना पर्याप्त सुरक्षा के नहीं चलें। उनके घर, उनकी जिन्दगी और माल की सुरक्षा होनी चाहिए। अत: मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से कड़े कदम उठाने के लिए सिफारिश करूंगा।

मुझे नहीं लगता कि लड़ने-झगड़ने का कोई फायदा होगा। मुझे मालूम है कि माननीय गृह मंत्री महोदय उस समय पंजाब की समस्या में कूद पड़े थे जब सभी इससे बाहर थे। वे अकेले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर में जाकर काम किया। वे उन सभी जगहों पर गये थे जहां ऐसी बर्बर घटनायें घटी थीं। आप कुछ विशेषज्ञों से परामर्श क्यों नहीं लेते यह जानने के लिए कि पंजाब सरकार आपकी सहायता से या उसके बिना भी उपयुक्त कदम उठा रही है, और क्या लोगों को बसों में, अपने वाहनों में और बाकी जगहों पर पूरी सुरक्षा मिल रही है।

अतः मैं यह कहूंगा कि जहां तक हो सके किसी के पास बिना लाइसेंस के हथियार नहीं होने चाहिए और राष्ट्रपति शासन भी लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अलाभप्रद होगा।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : सभापति महोदय, आज देश बहुत दुःखी है। कल 25 निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई, और जब हम कड़े कदम उठाने की बात कर रहे थे तब और 10 व्यक्तियों की हत्या की खबर हमें आज समाचार-पत्रों में मिली। ऐसा लगता है जैसे कि सरकार अपनी शक्ति और अपनी कमजोरियों के बारे में बेखबर है। माननीय प्रधान मंत्री ने कल वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि केन्द्रीय सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। इन मामलों में पूरी शक्ति राज्य सरकार के पास है। वह कुछ अधिनियमों में संशोधन लाना चाहते थे। शक्ति दी जा सकती है उनको यह मालूम होना चाहिए कि उनके पास कितनी शक्ति है। लेकिन अगर किसी को अपनी शक्ति के बारे में मालूम न हो तो उसको अतिरिक्त शक्तियां देना मुश्किल है। क्योंकि कल उनके दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।

महोदया मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि 1985 में (व्यवधान) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1985 में पारित किया गया था। मैं उद्देश्यों और कारणों का कथन' से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं—मैं कुछ अंश छोड़ूंगा :—

"यह आतंकवाद की नई और प्रकट स्थिति है जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाना है तथा जिससे प्रभावी तौर पर और शीघ्रता से निपटना है। विध्वंसकारी क्रियाकलापों में हुई अत्यधिक वृद्धि भी चिन्ता का विषय है।"

और यह विधेयक पारित हो गया। उपरोक्त कथन में यह भी है :—

"विधेयक आतंकवादियों और विध्वंसकारियों के खतरे को रोकने के लिए उपबन्ध करने के लिये है। इसमें अन्य बातों के साथ —

(क) आतंकवादी कार्यों और विध्वंसकारी क्रियाकलापों में भयोपरतकारी दण्ड का उपबन्ध है;

(ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसे नियम बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है जो आतंकवादी कार्यों और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए आवश्यक या समीचीन हों···" (व्यवधान) मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री महोदय इसे कृपा करके सुनेंगे। आपको शक्तियां चाहिए थीं। शक्तियां मिल गई थी पर प्रश्न यह है : "क्या आपने कोई नियम बनाए हैं?" मैं ग्रन्थालय में गया था; और वहां से यह सूचना मिली कि ग्रन्थालय में ऐसे कोई नियम उपलब्ध नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम पर कोई नियम सभा-पटल पर रखे गए हैं या नहीं?

प्रो० मधु दण्डवते : मगर प्रधान मंत्री महोदय ने तो कहा है : "नियम बनाये गए हैं।"

श्री दिनेश गोस्वामी : माननीय चिदम्बरम महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो यही कहा है 'नियम बना दिए गए हैं।' परन्तु इन नियमों की कोई प्रतिलिपि ग्रंथालय में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह संकेत मिलता है कि यदि नियम बनाये गए हैं तो इन नियमों की कोई प्रतिलिपि सभा-पटल पर नहीं रखी गई है। और अगर नियम नहीं बनाए गए हैं, तो यह स्पष्टतया आपका दोष है। आपने शक्ति प्राप्त की है। संसद ने आपको यह शक्ति दी है और इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने इन नियमों को बनाया है। अगर आपने यह नियम नहीं बनाये हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपने नियम बनाये हैं, तो आपको वे शक्तियां प्राप्त हैं; क्योंकि जैसा मैंने कल उल्लेख किया था, धारा 5(1), (2) और (3) के अन्तर्गत आपके पास नियम बनाने की ऐसी अत्याधिक शक्तियां है। धारा 5(2) में इसका प्रावधान किया गया है और यह निम्नलिखित है :

"(ढ) निम्नलिखित के कब्जे, उपयोग का व्ययन का प्रतिषेध या विनियमन—

(एक) विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, संक्षारक और खतरनाक वस्तुएं..."

माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कल जो बात हस्तक्षेप करते हुए कही उसका मुझे अफसोस है क्योंकि उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी और नजरबन्दी की शक्तियां उनके पास नहीं हैं। मैं धारा 5(3) से उद्धृत करता हूं जिसमें कहा गया है :

"उपधारा (1) के अधीन बनाये गए नियमों में,—

(क) किसी नियम के या उसके अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी और विचारण के लिए भी उपबन्ध किया जा सकेगा; "

इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय को कौन सलाह दे रहा है। ऐसे गम्भीर वाद-विवाद पर पता नहीं उनको कौन सलाह दे रहे हैं, गृह मंत्रालय महोदय या शायद न्याय मंत्री महोदय यह काम कर रहे होंगे, परन्तु उन्हें अपनी शक्तियों से अवगत नहीं करवाया जा रहा है। यहां मैं एक बहुत ही असंगत स्थिति देख रहा हूं।

हमने राष्ट्रीय गार्ड अधिनियम पारित किया है। वास्तव में श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है।

प्रो० एन० जी० रंगा : व्यवधान डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने यह कहा था कि इन शक्तियों का प्रयोग स्थानीय सरकार के माध्यम से होना है।

श्री दिनेश गोस्वामी : कल माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था कि ये नियम गिरफ्तारी और नजरबन्दी की शक्तियां नहीं देते। (व्यवधान) प्रो० रंगा, मैं संविधान के अनुच्छेद 73 का हवाला देना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के पास कानून बनाने

की शक्ति है तो केन्द्रीय सरकार के पास कार्यकारी आदेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 73 के अनुसार :

"···संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार—

(क) जिन विषयों के सम्बन्ध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक···"

इसलिए, क्या उन्हें यह कानून बनाने के लिए शक्तियां दी गई हैं ? अगर उनके पास यह शक्ति नहीं है तो गृह मंत्री ने यह कानून लाकर संविधान के साथ धोखा किया है। अगर संसद के पास यह कानून लाने का अधिकार है तो केन्द्रीय सरकार के पास कार्यकारी आदेश जारी करने की शक्ति है। अब यह आधार नहीं लिया जा सकता कि हम कानून बनाने की शक्ति तो रखते हैं पर हमारे पास कार्यकारी आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है।

यह एक बहुत ही असंगत स्थिति है। यह दिखाई देता है कि पूरे विधि मंत्रालय ने प्रधान मंत्री महोदय को गलत सलाह दी है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था "आप इस बारे में कृपया विधि मंत्री से विचार-विमर्श करें। हमारे लिए विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं है। मेरे विचार से प्रधान मंत्री महोदय को विधि मंत्री महोदय से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए ताकि वह अपनी सही स्थिति को जान सकें। हम यह जिम्मेदारी नहीं लेंगे।

डा० के० जी० अदियोडी (कालीकट) : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि इसे राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन कहा जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसी उद्देश्य से ही तो यह कानून बनाया गया है और वह पारित हो गया है। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैं अपनी बात पर अडिग हूं लेकिन प्रधान मंत्री ने यह कहा है, "मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। आप मुझे और शक्ति दीजिए।" मैं यह उल्लेख कर रहा हूं :

"आपके पास शक्ति है।"

इस शक्ति के प्रयोग पर मेरी आपत्ति हो सकती है। पर सरकार यह नहीं कह सकती। 'उनके पास शक्ति नहीं है।' आपके पास शक्ति है और आप इसका प्रयोग करिए। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते तो हम अपना निर्णय देंगे। वास्तव में, हम राज्य सरकारों के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ हैं। परन्तु हमारे विरोध के बावजूद राज्य सभा में अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत संकल्प पारित करके, पहली बार पंजाब के बारे में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच की एकता को भंग किया गया। हमने इसे स्वीकार नहीं किया। सरकार ने संकल्प पारित कर दिया। राज्यों के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार ने अपने पास रख ली। अब आप यह कहते हैं कि कानून बनाना मुश्किल है क्योंकि हमें यह नहीं पता कि राज्य सरकार कौन सी

[श्री दिनेश गोस्वामी]

शक्तियों का प्रयोग करेगी। अनुच्छेद 249 का प्रयोग करने से पहले सरकार को कानून के बारे में सोचना चाहिए था। इसके बारे में बिना कुछ जानकारी लिए सरकार ने शक्ति प्राप्त की है और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार के पास सभी आवश्यक अधिकार हैं। मैं विश्वास करता हूं कि सरकार को अपनी शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं एक खतरनाक प्रवृत्ति देख रहा हूं कि इस स्थिति का फायदा उठाया जा रहा है। सरकार अधिक से अधिक शक्तियां अपने हाथ में ले रही है। यह पंजाब के प्रयोजन से नहीं, बल्कि राज्यों को उसके वैध अधिकारों और शक्तियों से वंचित करने के लिए किया जा रहा है।

सभापति महोदया, कई मुद्दे उठाए गए हैं। यह वाद-विवाद भी चल रहा है कि क्या श्री बरनाला को बर्खास्त किया जाए या उन्हें अपने पद पर बने रहने दिया जाये। मैं बरनाला को सलाह नहीं दे रहा हूं। पर मैं यह विश्वास करता हूं कि हमें इस पर अधिक शान्ति से विचार-विमर्श करना चाहिए। बरनाला सरकार को बर्खास्त करने से तीन समस्यायें पैदा होंगी। पहला, यह उग्रवादियों के लिए पहली मुख्य राजनीतिक जीत होगी, क्योंकि वे शुरू से ही पंजाब के चुनावों को धोखा बताते रहे हैं, और जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली जिसके माध्यम से बरनाला सत्ता में आये हैं, वह भी धोखा है। जिस समय बरनाला सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, और लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा तभी उग्रवादियों की राजनीतिक विजय होगी।

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह आतंकवादियों का कहना है, उनका नहीं।

श्री दिनेश गोस्वामी : दूसरी बात, बरनाला सरकार को बर्खास्त करने का आशय होगा पंजाब समझौते की महत्ता को कम करना।

तीसरी बात, श्री बादल पहले ही दूसरे गुट में जा चुके हैं। क्या बरनाला सरकार को बर्खास्त करने से जो लोग आज सरकार के साथ हैं वे भी उग्रवादियों के साथ नहीं मिल जायेंगे? इस बारे में भी राजनीतिक निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा। मैं बरनाला जी को सलाह नहीं दे रहा हूं। यह सरकार के ऊपर है कि वे राज्यपाल की रिपोर्ट और जो भी सामग्री उनके पास है, उन पर विचार करके निर्णय लें।

मैं यह नहीं कह रहा कि श्री बरनाला जी को रखिए—मैं ऐसा कहने के लिए समर्थ नहीं हूं, क्योंकि बरनाला सरकार को रखना या राष्ट्रपति शासन लागू करना, राज्यपाल की रिपोर्ट तथा सामग्री पर विचार करने के बाद, सरकार को ही यह निर्णय लेना है और अगर इन सब सामग्री के बावजूद सरकार यह महसूस करती है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तब भी यह निर्णय सरकार को ही लेना है। परन्तु मैं केवल यह उल्लेख कर रहा था कि इसकी तीन कठिनाइयां हो सकती हैं। बरनाला सरकार के बर्खास्त करने का पहला अर्थ यह होगा कि उग्रवादियों को राजनीतिक विजय मिल जाएगी; दूसरा अर्थ यह होगा कि पंजाब समझौता और

पीछे चला जाएगा, और तीसरी बात यह होगी कि जो लोग आज राष्ट्रीय मुख्य धारा में हैं, वे लोग और अलग हो जायेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि सरकार इन तीनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस पहलू पर विचार करेगी।

आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के चुनावों से एक बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई है। और स्थिति यह है कि आज आतंकवादियों और उग्रवादियों को काफी बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त है। और इस समर्थन के बिना श्री तोहड़ा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति का चुनाव नहीं जीत सकते थे। वास्तव में आज मैं जब समाचार-पत्र पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि कुछ आतंकवादी ट्रैक्टरों से भाग जाते हैं। एक आतंकवादी ट्रैक्टर पर सवार होकर कैसे भाग सकता है ? वह बहुत दूर तक तो नहीं जा सकता। अतः उन्हें जरूर कुछ आस-पास के लोग पनाह देते होंगे। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। आप आतंकवादियों का सीधे मुकाबले कर सकते हैं तथा उन पर गोलियां चला सकते हो लेकिन वास्तव में आप उन लोगों पर गोलियां चला सकोगे जो इन्हें शरण देते हैं। मैं पिछले वाद-विवाद में माननीय सरदार बूटा सिंह द्वारा दिए गए उत्तर से बहुत असंतुष्ट था। आज अगर हम पंजाब समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक है कानून और व्यवस्था का दृष्टिकोण, जिसमें आतंकवादियों को हथियारों से नियंत्रित करना पड़ेगा, और दूसरा है राजनीतिक दृष्टिकोण जिसमें आतंकवादियों को दूसरे से अलग-थलग करना पड़ेगा। महोदया, इन आतंकवादियों को समर्थन मिलने से क्या होगा। मैं निष्कर्ष बता सकता हूं, पर अभी मैं यह बताना नहीं चाहता। मैंने असम में युवकों के पागलपन को 6 साल देखा है। और मैंने यह भी देखा है कि इस पागलपन से क्या खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। आज हमें इन उग्रवादियों को अलग-थलग ही करना चाहिए। क्योंकि जब दस उग्रवादी मारे जाते हैं तो ऐसी कार्यवाही में निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं।

अगर कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है तो लोग उस बारे में सोचने लगते हैं। लोग दस आतंकवादियों के मारे जाने की बात भूल जाते हैं और उनका मस्तिष्क मुख्य धारा से हट जाता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये आतंकवादी अलग-थलग पड़ जाएं। मैं, श्री बूटा सिंह द्वारा दिये गये वक्तव्य से नाखुश हूं जिसमें उन्होंने इन आतंकवादियों और अन्य मनुष्यों को प्रायः एक ही श्रेणी में रखा है। मैं समझता हूं कि इस बारे में आज कोई राजनीतिक समाधान खोजा जाए जिससे आतंकवादियों और उग्रवादियों को अलग-थलग किया जा सके। और इस बारे में हमें पंजाब की जनता का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि पंजाब के लोग देशभक्त नहीं हैं। वास्तव में, एक बात जो श्री रामूवालिया बराबर कहते रहे हैं कि हमें प्रत्येक सिख की उग्रवादी तथा राष्ट्रीय मुख्य धारा के विरोधी के रूप में पहचान नहीं करनी चाहिए इससे सिखों की चेतना को चोट पहुंचाती है। पंजाब की अधिकांश जनसंख्या आज राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ जुड़ी हुई है। हमें उनकी भावनाओं का ध्यान रखना होगा तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

दूसरे हम श्री बरनाला को हथियार और गोला-बारूद तो देते ही हैं पर उन्हें हमें राजनीतिक स्थिरता भी देनी चाहिए। राजनीतिक स्थिरता उन्हें नहीं दी गई है। कुछ बाधाएं भी हैं। बरनाला सरकार ने जोधपुर जेल के बन्दियों के बारे में भी बातचीत की है। मुझे बताया गया है

[श्री दिनेश गोस्वामी]

कि सिख युवकों को दो साल से अधिक जोधपुर जेल में कैदी बना कर रखा गया है। हम पंजाब के बारे में कानून के शासन की बात करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा कानून है जो किसी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई के दो साल से अधिक अवधि तक जेल में बंदी बनाये रखने की अनुमति देता है ? वास्तव में यह कानून में सबसे बड़ा दोष है, इसलिए अगर ये व्यक्ति दोषी हैं तो इनसे कानून प्रक्रिया के अनुसार निपटना चाहिए और अगर हमें लगता है कि वर्तमान कानून प्रक्रिया के अन्तर्गत इनसे नहीं निपटा जा सकता तो हमें एक विशेष अधिनियम बनाना चाहिए। अगर हम उन्हें सालों-साल बिना सुनवाई के जेल में रखते हैं तो उनके माता-पिता तथा बहिनें, संबंधी, पड़ोसी आदि पराये बन जाते हैं। इसलिए ये कुछ बाधाएं हैं जिन्हें हमको अवश्य हटाना चाहिए, मैं समझता हूं कि इस बारे में श्री बरनाला बराबर शिकायत करते रहे हैं, अगर मैं श्री रामूवालिया जी के भाषण को समझ सका हूं तो अब तक वह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें हथियारों की सहायता दी जा रही है लेकिन उन्हें राजनीतिक स्थिरता नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। सदन में इस बारे में की जाने वाली बहस वस्तुतः असंगत हो जाती है क्योंकि वहां पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न के बारे में सरकार को अब अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहिए। मुझे इस बात की आशंका है कि इस संबंध में कुछ और संशोधन लाए जाएंगे और भारत सरकार कुछ और शक्तियों को अपने अधिकार में लेने जा रही है। परन्तु मैं सरकार द्वारा और अधिक शक्तियां अपने अधिकार में लेने के विरुद्ध हूं। आप कृपया अपनी वर्तमान शक्तियों का बखुशी प्रयोग करे हैं परन्तु इसके साथ-साथ यह ध्यान रखें कि पंजाब समस्या को मात्र कानून एवं व्यवस्था की समस्या मान कर ही उसका समाधान नहीं किया जाना चाहिए, अगर आप पंजाब को स्थिर रखना चाहते हैं तो इसे कानून एवं व्यवस्था के स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर सुलझाना चाहिए। जो अब तक मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। इसलिए, मैं समझता हूं कि इन कुछ मुद्दों पर माननीय गृह मंत्री महोदय वाद-विवाद का जवाब देते हुए अवश्य विचार करेंगे।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि राष्ट्र दुखी है क्योंकि हम उनकी वेदना को अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने निरपराध अपनी जानें गंवाई हैं। वे लोग न तो पंजाब की राजनीति के पक्ष में थे और न ही विपक्ष में, वे लोग केवल अपने सिर पर एक आसरा और आजीविका का एक साधन चाहते थे। शायद हो सकता है कि वे अपने सम्बन्धियों से मिलने एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे या फिर आजीविका कमाने जा रहे थे, वे इस बात को नहीं जानते थे कि वे अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इन दोनों मुद्दों पर कुछ कदम उठाना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इन दोनों मुद्दों पर अब तक तदर्थ उपाय किए गये हैं, इस बारे में न तो राजनीतिक स्तर पर और न ही कानून और व्यवस्था के स्तर पर कोई ठोस कदम उठाए गये हैं। वास्तव में विरोधी दल के सदस्यों तथा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का 249 पर विभाजन कराया गया। मैं समझता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज सारा देश और संसद पंजाब के बारे में एक मत है।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय सभापति महोदया, पंजाब की समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उस पर इस देश के सभी सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है। लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उसकी प्रक्रिया सारे देश में हो रही है। देश के दूसरे भागों में भी एक ज्वालामुखी जन्म ले रहा है। यह ज्वालामुखी कब फूटेगा, कहा नहीं जा सकता है। निरीह, बेगुनाह लोगों को कभी इकट्ठे, कभी एक-एक करके मारना उग्रवादियों की कायरता का तो सबूत है ही, साथ ही साथ देश की एक बड़ी आबादी को आग में झोंकने का भी एक प्रयत्न है। इसे विफल करना चाहिए। उग्रवादियों की इस साजिश को विफल करना चाहिए। न केवल पंजाब में ही, बल्कि देश के दूसरे भागों में भी आग लग जाए, इस साजिश को हम सब को मिल कर विफल करना चाहिए। यह कैसे होगा, किस तरह से हम इस पर काबू पायेंगे, यह एक गंभीर चुनौती सारे राष्ट्र के सामने है, इस सरकार के सामने है, इस माननीय सदन के सामने है।

सभापति महोदया, पंजाब में शांति के लिए, इस सदन के गठन के थोड़े दिनों के बाद हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोंगोंवाल के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते की बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया हुई, पंजाब में भी और देश के दूसरे भागों में भी। पंजाब में चुनाव हुए और जिस उत्साह के साथ पंजाब के लोगों ने चुनाव में भाग लिया बताया जाता है वह भी एक अच्छा चिह्न था। पंजाब में उतने प्रतिशत वोट पहले कभी नहीं पड़े जितने प्रतिशत वोट इस बार पंजाब में पड़े।

देश के दूसरे भागों में उस समझौते की सराहना की जाने लगी और यह आशा प्रकट की जाने लगी कि अब स्थायी शांति पा ली गयी है। उस समय भी समझौते के कुछ आलोचक थे लेकिन उस समझौते की जितनी घोर और तीव्र प्रशंसा हो रही थी उसको देखते हुए आलोचक बहुत धीमी गति से उसकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन इतने दिनों बाद उस समझौते के बारे में यह कहते हुए सुना जा रहा है कि पंजाब का वह समझौता राष्ट्र हित में नहीं था, वह समझौता देश की विघटनकारी ताकतों के साथ हुआ था और वह समझौता देश के टुकड़े-टुकड़े कर सकता है। इस प्रकार की बातें इस सदन में भी कुछ सुनायी दीं।

पंजाब समझौता हुआ और उस समझौते के अलावा और दूसरा क्या हो सकता था? ब्लु स्टार आप्रेशन के बाद पंजाब की जो स्थिति थी, हमारी प्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद पंजाब और देश में जो स्थिति थी उसमें और क्या किया जा सकता था? यहां एक जनतांत्रिक सरकार है। वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाने के लिए और क्या कर सकती थी?

उस समय हमारे सामने दो ही विकल्प थे। एक तो जनतांत्रिक तरीके से शांति की खोज की जाए और दूसरा रास्ता था कि जो उग्रवादी कदम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में उठाया था या श्रीलंका ने अपनी तमिल आबादी के खिलाफ उठाया था। ये दो रास्ते ही खुले थे। शांति के लिए

[श्री जैनुल बशर]

या तो समझौता किया जाए, कोई हल खोजा जाए, देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए पंजाब में शांति कायम की जाए या दूसरा वह उग्रवादी रास्ता था जो पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनाया या श्रीलंका ने अपनी तमिल आबादी के खिलाफ उठाया। प्रश्न यही था कि इन रास्तों में से कौन-सा रास्ता चुना जाए। हमने समझौते का रास्ता चुना और अकाली दल के नेताओं को भी ठीक से अकल आई। श्री राजीव गांधी ने संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ समझौता किया। यही वह रास्ता था जो हम अपना सकते थे, हमारी सरकार चुन सकती थी। एक जनतांत्रिक सरकार और कांग्रेसी सरकार की जो परम्पराएं रही हैं उनके अनुसार हमें उसी रास्ते को अपनाना था।

(व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : अकाली का मतलब है आधी अक्ल।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अकाली का मतलब अक्ल से नहीं अकाल से है, जो काल में नहीं जाता, अमर है।

श्री जैनुल बशर : मैं थोड़ी देर बाद उस पर आऊंगा।

सरदार बूटा सिंह : जो अकाल को पूजता है, जो उस ईश्वर को पुजता है, जो टाइमलैस है।

श्री जैनुल बशर : सरदार साहब ने बहुत अच्छी व्याख्या की, मुझे आशा है कि आपकी बात पंजाब में सब लोग सुनेंगे। टाइम लैस तो ठीक है लेकिन वहां तो लाइफलैस हो रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० साहब, मेरे टाइम का भी सवाल है, मैं टाइमलैस नहीं बोल सकता।

सभापति महोदया, यह समझौता अमल में आया, लेकिन जब समझौता किया गया था उस वक्त प्रधानमंत्री ने, सरकार ने यह जरूर कहा था कि इस समझौते से सब कुछ तय नहीं हो जाएगा, अभी इसके आगे चुनौतियां आने वाली हैं, उन चुनौतियों का सामना करना होगा। पंजाब में जो उग्रवादी थे, जो चाहते थे कि पंजाब में शांति खराब हो, जिनके दिमाग में खालिस्तान का कीड़ा पल रहा था, जो किसी भी तरह अपनी इस आइडियालाजी से, बिलगाव की आइडियालाजी से समझौता नहीं कर सकते थे, उस समय ये सारी चीजें मालूम थीं कि ये लोग इस तरह की हरकतें करेंगे और आज वे कर भी रहे हैं। आज दस लोगों को मार दिया, 25 परसों मार दिए कल पता नहीं कितनों की खबर आएगी अखबारों में, लेकिन सवाल यह है कि क्या किया जाए। क्या वही रास्ता अपनाया जाए जो पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ अपनाया था, या जो श्रीलंका में तमिल आबादी के साथ अपनाया जा रहा है, यह रास्ता हमको खतरनाक राहों की तरफ ले जाएगा, यह रास्ता अंधेरी गलियों की तरफ ले जाएगा, कहां हम निकलेंगे हम नहीं जानते। जो

रास्ता हमारे प्रधान मंत्री जी ने समझौते का अख्तियार किया है, उस समय भी यही रास्ता ठीक था और आज भी, यही रास्ता ठीक है। श्री श्रीपति मिश्र ने कल बहुत अच्छी बात कही कि उग्रवादी तीन तरह के हैं। एक तो वे हैं जिनके पीछे विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं, एक वो हैं जो स्मगलर्स और एंटी सोशल एलीमेंट्स हैं और तीसरे वे हैं जो एक आइडियालाजी से प्रभावित हैं, एक सिद्धांत वे समझते हैं कि देश का बंटवारा करेंगे, खालिस्तान बनाएंगे, तो जहां इन दोनों के साथ हमको सख्ती के साथ निपटना होगा, उनको चुनना होगा, उनको ठिकाने लगाना होगा, वही जो सिद्धांतरूप में कहते हैं कि हम तो मर जाएंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, उनको जान से मारकर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, हम यह कर सकते हैं कि बकिया आबादी को उनसे प्रभावित होने से बचाएं और दूसरे हम लोग यह कर सकते हैं कि उनके दिमाग को हम बदलें, उनको समझाएं उनको ठीक करें और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि पंजाब के सिक्ख बहुत बड़े बहुमत में आतंकवादियों की बात को पसंद नहीं करते। आज यह बात सामने आई है कि जहां पंजाब में हिन्दू मारा गया है, वहीं पंजाब में आतंकवादियों का विरोध करने वाले सिक्ख भी मारे गए हैं, कम नहीं मारे गए हैं, बड़ी संख्या में मारे गए हैं। सिक्ख एक बहादुर कौम है, कोई भी सिक्ख इस बात को पसंद नहीं कर सकता कि बेगुनाह लोगों को, निरीह लोगों को मार दिया जाए, जो हमसे लड़ने को तैयार नहीं हैं, जिसने हमारे सामने हथियार नहीं उठाया है, जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसको कोई भी बहादुर सिक्ख, कोई भी बहादुर इन्सान मारने के लिए तैयार नहीं होगा। आज भी जो यह काम कर रहे हैं वह सिक्खों की बहादुरी पर बट्टा लगा रहे हैं, इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते।

इसलिए पंजाब की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना होगा, उत्तेजना में आकर बह जाने वाली बात नहीं है और मैं जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उत्तेजना में आकर कोई काम करने वाली नहीं है।

गृह मंत्री के इस्तीफे की बात उठाई गई, गृह मंत्री क्यों इस्तीफा दें। अपोजीशन वालों का तो काम है सरकार से इस्तीफा मांगना। गृह मंत्री से इस्तीफा मांगने का उनका एक रिचुअल है जो वह निभाते हैं। मुझे माधव रेड्डी जी और इन्द्रजीत गुप्त जी के भाषणों को सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं दोनों की बड़ी इज्जत करता हूं। इतने भले लोगों ने ऐसी बात कही। अगर उनके भाषणों को बिटविन दी लाइन्स पढ़ा जाए तो उसका यही अर्थ निकलता है कि सरदार बूटा सिंह को होम मिनिस्टर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वह एक सिख है। ऐसी बात उनके मुंह से सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसका यही अर्थ था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अर्थ तो अब निकाला गया है।

श्री जैनुल बशर : अगर यह सच हो जायेगा कि कोई सिख, कोई मुसलमान या कोई ईसाई गृह मंत्री न हो तो यह देश की धर्म निरपेक्षता के लिए बहुत खराब दिन होगा और ऐसी बात कहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बूटा सिंह जी ने राष्ट्र की बड़ी सेवा की। अपने राष्ट्रीय कार्यों के लिए, धर्म निरपेक्षता के लिए, देश की एकता के लिए और अखण्डता के लिए, उन्होंने अपमान सहे, उनको

[श्री जैनुल बशर]

प्रताड़ित किया गया, उनको तनखैया घोषित किया गया। पंजाब के उग्रवादी आज भी उनको अपने निशाने पर खोज रहे हैं कि बूटा सिंह जी कब मिल जाएं और कब हम उनको खत्म कर दें। वफादार, देश-भक्त, और देश की एकता तथा अखंडता में पूरी तरह से विश्वास रखने वाले आदमी के लिए अगर यह बात कही जाती है तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको पसंद नहीं किया जाना चाहिए।······(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपकी पार्टी के मेम्बर्स कल खड़े होकर यह मांग कर रहे थे कि होम मिनिस्टर साहब को चले जाना चाहिए।

श्री जैनुल बशर : ऐसा किसी ने नहीं कहा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कुमारी ममता जी ने इसकी मांग की थी।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : जी, नहीं।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : जी, नहीं। हम कार्यवाही चाहते थे, (व्यवधान) आप सब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

सभापति महोदया : कृपया आप इस समय अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कल के रिकार्ड से यह निकाल लिया गया है क्या।

[अनुवाद]

आप इसकी पुष्टि करें। आपने फिर इसकी मांग क्यों की थी। प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया के बाद आप सबने अपनी मांग वापस ले ली है।

श्री जैनुल बशर : हम गृह मंत्री जी से इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे थे। हम मांग नहीं कर रहे थे ······(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप अनावश्यक व्यवधान डाल रहे हैं वह अपनी बात पर अडिग हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उठकर व्यवधान डालें। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें आप अनावश्यक व्यवधान डाल रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : वे ठीक कह रहे हैं। सोमवार को उन्होंने मांग की थी और मंगलवार को वापस ले ली।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : अभी समय नहीं आया है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पंजाब में बरनाला जी और उनकी सरकार ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता लेकिन बिल्कुल खराब काम कर रहे हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो बरनाला जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। हमारी सरकार को उनके कामों की ठीक प्रकार से समीक्षा करनी चाहिए। मैं बरनाला जी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अभी उनको और अधिक समय दिया जाना चाहिए। अगर वे थोड़ा समय देने के बाद भी कारगर साबित नहीं होते हैं तो उनकी सरकार को भी रहने का कोई हक नहीं होगा।

2.50 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पंजाब में पुलिस के लोगों पर भी हमले हुए हैं उनके परिवार के लोगों को भी मारा गया है। इससे पुलिस वालों का मनोबल नहीं टूटा, पुलिस वाले धैर्य के साथ काम करते रहे। इस बात को भी देखना होगा और दूसरी तरफ यह बात भी निश्चित करनी होगी कि बेगुनाह लोग पंजाब में न पकड़े जायें, आतंकवादियों के नाम पर अगर एक भी बेगुनाह आदमी आबादी में पकड़ा जाता है तो वह आबादी उत्तेजित होती है और उनको पीड़ा होती है। इसलिए बहुत सोच-समझकर और गम्भीरता के साथ कदम उठाना पड़ेगा। यह बात तो निश्चित है कि जिस प्रकार से यह तय है कि कल सूरज निकलेगा उसी तरह से यह भी तय है कि पंजाब भारत से अलग नहीं हो सकता। पंजाब भारत से अलग होने भी नहीं दिया जायेगा। अभी भारत के पास, उसकी जनता के पास और उसकी सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वह पंजाब को अलग करने के किसी भी षड़यन्त्र को किसी भी समय समाप्त कर सकती है, असफल कर सकती है। इसलिए जो लोग यह आशा रखते हों कि पंजाब भारत से अलग हो जायेगा उनको मुंह की देखनी पड़ेगी और उनके मंसूबे कभी भी सफल नहीं हो सकते।

श्री श्यामलाल यादव (वाराणसी) : माननीय अध्यक्ष जी, पंजाब में जो नृशंस हत्यायें हो रही हैं इन दिनों, वह असाधारण हैं। उनका क्या कारण है, उन पर बहुत चर्चा हुई। मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो विवाद शुरू हुआ वह राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए शुरू हुआ। उसमें हथियार बनाया गया धर्म को। अकाली दल जिस प्रकार से गुरुद्वारों से बढ़ा और सिखों और गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के माध्यम से गुरुद्वारों में बैठकर उसने राजनीति को सिंचित किया सत्ता हासिल करने के लिए उसने प्रयास किये उसका यह दुष्परिणाम है कि जो हम देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने को या देश को यह कहकर सन्तुष्ट नहीं कर सकता कि गुरुद्वारों में बैठकर देश की राजनीति चलाई जा सकती है और इस तरह का

[श्री श्यामलाल यादव]

कठमुल्लापन, अन्धविश्वास और आतंकवाद न फैले। यह बुनियादी गलती है और अकाली दल में शुरू से लेकर आज तक, मास्टर तारासिंह से लेकर आज तक दो गुट रहे हैं। एक से समझौता होना है और दूसरा गुट पैदा होता है और वह आतंकवादियों से समझौता करता है फिर दूसरा गुट पैदा हो जाता है। यह उसकी परम्परा और इतिहास है। आज भी वही इतिहास दुहराया जा रहा है। यह बात साफ करनी चाहिए कि गुरुद्वारों से राजनीति अलग रहनी चाहिए। बरनाला साहब धर्म को मानें, वहां जाकर सिर झुकायें, लेकिन शासन कोई फैसला करे, उसका कुछ परिणाम हो और उसके लिए गुरुद्वारे में माफी मांगे यह नहीं हो सकता। उसने बरनाला साहब को और पंजाब को कमजोर किया। आज सारा देश यह जानता है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को क्षमा नहीं कर सकता। प्रधान मंत्री जी ने बड़ी हिम्मत के साथ समझौता किया, मुल्क इसके लिए तैयार न था। उन्होंने सोचा शायद अकाली दल को रास्ता मिल जाये और स्थिति सम्भल जाये। लेकिन जब बरनाला साहब मुख्य मंत्री हुए तब बादल अलग हो गये, क्योंकि बादल को मुख्य मंत्री होना चाहिए था। आज अगर बादल को मुख्य मंत्री बना दिया जाये तो जोगिन्दर सिंह खड़ा हो जायेगा। अकाली दल (बादल) से बात करें, सिख छात्र संघ से बात करें, खालिस्तान ग्रुप से बातें करें, जोगिन्दर सिंह के ग्रुप से बात करें वह भी कहते हैं···उनसे बातचीत करिए। कोई समझौता करिए, तो फिर एक नया दल पैदा हो जाएगा। गुरुद्वारों में लोगों की धर्मान्धता का और धर्म के विश्वास का नजायज फायदा उठाकर वहां से धन-संग्रह करके आतंकवादियों को सिंचित किया जा रहा है। वे धर्म के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये उस बात को नहीं समझते हैं। वे तो यह समझते हैं, जैसा कि रामूवालिया जी ने कहा। सिक्ख धार्मिक है, ये सब परम्परायें इतिहास की हैं। लेकिन आतंकवादी यह समझते हैं कि इसके जरिए हम शहीद हुए हैं। पंजाब की धरती पर हमारे इतिहास को नकारा गया है। जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की, उनको शहीद बताया जाता है। गुरुद्वारों में हत्यारों की पूजा की जाती है और उसमें बादल व तोहरा शरीक होते हैं और वही बादल व तोहरा बाद में चुनाव में कामयाब होते हैं। ये कैसे कामयाब हो गए, यह तो बरनाला जी को सोचना चाहिए, वे सत्ता में हैं। उनको केन्द्रीय सरकार का समर्थन है फिर किस प्रकार के आतंकवादी गुरुद्वारों में जाकर बैठ गए। आतंकवादियों को गुरुद्वारों में शरण नहीं देनी है। प्रबन्धक कमेटी आए और जाए। लेकिन इस सरकार को, देश की सरकार का, जो देश की भावना है, इस पर चाहे आप देश का मत-संग्रह करा लीजिए, सारे देश की यही राय है कि गुरुद्वारों में राजनीति नहीं चलनी चाहिए। अकाली दल को अमान्य करना पड़ेगा। संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो भी राजनीतिक दल धर्म के बल पर प्रशासन चाहता है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को उभार करके गुरुद्वारों में बैठकर यह शिक्षा दें कि लोग हिंसा पर उतर आयें, हत्या करें और बाद में फिर हत्या करने वालों की पूजा करें, यह वीरता का द्योतक है, यह शर्म की बात है और इतिहास इसको क्षमा नहीं कर सकता है। जो भी धर्म स्थान है, यदि इन धर्म स्थानों पर बैठकर हथियारों के भोग में ये नेता लोग शरीक होते हैं, इंदिरा गांधी के हत्यारे को पूजा जाता है, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात को हमारे सिक्ख आतंकवादी भाई नहीं समझते हैं। हमारे मित्र, श्री जैनुल बशर, ने ठीक कहा है, लेकिन

रास्ता बहुत लम्बा है। दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है, अकेले भारत में ही नहीं है। इंग्लैण्ड में भी है, अमरीका में भी प्रेजीडेंट रैगन को बुलेट लगी, जर्मनी में भी है, लेकिन इस आतंकवाद का मुकाबला इससे तो किया जा सकता है कि उनके नैतिक बल को कम से कम घटाया जाए। उसके दिमाग का शुद्धिकरण कीजिए, यह दूसरी बात है, लेकिन आतंकवाद के हाथ से हथियार छीन लीजिए। आतंकवाद के हाथ में शस्त्र न जाने पाये, इसके लिए बरनाला सरकार क्या कर रही है। मैं समझता हूं कि पंजाब की सीमा के अन्दर हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चल सकता है, चाहे लाइसेंस हो या गैर लाइसेंस हो। जिसके पास हथियार मिलें, उसको शूट-एट-साइट का आदेश दे देना चाहिए। हथियार जब्त करिए। जिस व्यक्ति के पास हथियार मिलें, उसके खिलाफ कानून के माध्यम से यह अधिकार हमारी पुलिस बल को दें कि वे उसके खिलाफ मुकद्दमा चलायें। कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मुकद्दमा चलाइए, तो कहेंगे कि जेलों में क्यों बन्द करके रखा हुआ है। अभी गोस्वामी जी कह रहे थे कि अकाली दल की यह गलती है, और जो चाहे करते। जो फौज के भगोड़े हैं, जिनके ऊपर अपराध के आरोप हैं, आतंकवाद में शरीक हैं, उनको फिर नौकरी मत दीजिए। पुलिस में मत भरिए, चाहे उनको पेंशन दे दीजिए या रोजगार के और कोई साधन दे दें, लेकिन उन्हें पुलिस में फिर भर्ती न करें। आखिर सारे हिन्दुस्तान में करीब दो हजार आदमियों ने विद्रोह किया था, जो धर्म के धर्मान्ध थे, यह साबित हो गया है कि उनका मस्तिष्क धर्म से अन्धा हो गया था। वे समझते हैं कि उसी रास्ते पर चलकर वे स्वर्ग को जायेंगे। उसी रास्ते से गुरु की सेवा करेंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों को फिर नौकरी में मत रखिए। ऐसे लोगों की पैरवी करेंगे तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा। लोग समझेंगे कि वोट की खातिर मुख्य मंत्री होने के लिए यह सब काम कर रहे हैं। इसलिए मैं रामूवालिया जी की इस बात से सहमत हूं कि बरनाला की सरकार रहे और वह उसका मुकाबला करे। उसको केन्द्रीय सरकार समर्थन दे और सारे देश को समर्थन देना चाहिए, वह दे भी रहा है। वे चाहते हैं कि वे कामयाब हों, लेकिन वह कामयाबी आप मजबूती के साथ करें। आप कोशिश करें कि धर्म से राजनीति अलग नहीं है, आप धार्मिक रहिए, लेकिन राजनीति को अलग करने की कोशिश करें और सख्त कदम उठायें।

मैं समझता हूं कि पंजाब में सोफ्ट-ऑपशन नहीं रह गया है। कोई ऐसी मुलायम बात करके हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। आतंकवाद से सख्ती से निपटना पड़ेगा। पता लगायें कि उनको कहां पनाह मिलती है।

3.00 म० प०

उन्हें पनाह कोई देता नहीं है। धौंस-पट्टी देकर वे पनाह लेते हैं। मजबूरन कोई बताता नहीं है क्योंकि डरता है कि हमको मार देंगे। वे कैसे पता दे कि पुलिस कहां-कहां होगी, फौज कहां-कहां होगी? सरकार का एक नैतिक बल होता है। लेकिन जब इतने व्यापक पैमाने पर आतंकवाद सफल हो रहा है। उसको दबाने के लिए आपको सख्त फैसले लेने होंगे। जैसे आज हमने समाचारों में सुना कि उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। ये तो पहले ही उनको करनी चाहिए थीं जिस समय तोहड़ा ने उग्रवादियों का साथ देना शुरू किया था।

[श्री श्यामलाल यादव]

चुनाव में तोहड़ा के आ जाने से गुरुद्वारे वापस आतंकवादियों के हाथ में चले जाएंगे। गुरुद्वारों को आतंकवादियों के हाथों में नहीं जाने देना है। तोहड़ा गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष रहें लेकिन गुरुद्वारों में प्रबन्ध समिति का राज नहीं चलना चाहिए। यह सिद्धांत सिखों के लिए ही क्यों हो? इस सिद्धांत को हिन्दुस्तान में किसी ने नहीं माना है, अकेले सिख कैसे मानेंगे।

देश में जो सरकार है वह सरकार एक जनतंत्रीय सरकार है। भारत सरकार या देश की सरकार गुरुद्वारों में हिंसा को कैसे भड़कने दे सकती है, कैसे गुरुद्वारों को अपराधियों का अड्डा बनने दे सकती है। कोई कारण नहीं है कि गुरुद्वारों को अपराधियों का हम अड्डा बनने दें। जहां भी अपराधी होंगे, वहां पुलिस जाएगी, फौज जाएगी। वहां पुलिस और फौज को रहने का अधिकार है। पुलिस हमारे मन्दिरों में जा सकती है, मस्जिदों में जा सकती है और दूसरे धर्म स्थलों में जा सकती है तो गुरुद्वारों में क्यों नहीं जा सकती है? यह दलील नहीं चल सकती है। अब यह फैसला करना पड़ेगा। आज पार्लियामेंट के चारों तरफ पुलिस देखी जाती है। किस लिए, आतंकवाद के खतरे से, डर से यह सब हो रहा है।

मान्यवर, मुझे पूरा विश्वास है कि सरदार बूटा सिंह हिम्मत के साथ इसका मुकाबला करेंगे। हमारे साथी जैनुल बशर जी ने जो कहा, मैं अपने को उससे पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं। जिस तरह से हमारे बूटा सिंह जी काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वे उसी हिम्मत के साथ काम करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : असल बात जो आपने कही है, उसको ये नोट कर लें तो ठीक हो जाएगा।

श्री श्यामलाल यादव : मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक दल है जिसका एक ही मेम्बर इस सदन में है। जो बात की है उससे और सारे दल सहमत हैं लेकिन उस दल ने दिल्ली में बन्द का आह्वान किया है। मुझे पता चला है कि दिल्ली में इस दल के लोगों ने उपद्रव भड़काने में मदद की, साम्प्रदायिक भावनाएं दिल्ली शहर में भड़काने की कोशिश की तो मुझे बहुत दुःख हुआ। यह महान् राष्ट्र-विरोधी, राजनीति के विपरीत कार्य है। यह राष्ट्रघाती और आत्मघाती कार्य है। इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैं उस दल से भी निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं और दिल्ली में इस तरह के उपद्रव कराने की कोशिश करते हैं। इससे बढ़कर राष्ट्र विरोधी कार्य और क्या हो सकता है?

मान्यवर, मैं अन्तिम बात कहता हूं कि जो गुरुद्वारों में आतंकवादी या आतंकवादियों का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग उनको ताकत दे रहे हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। ऐसे लोगों के लिए कानून की दृष्टि से और वैसे भी भारत सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वहां फिर से

अपराधियों को शरण न मिले। हमारे देश की जनता सरकार से यह उम्मीद करती है कि वह इस मामले में पहल करेगी।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, पंजाब के मसले को लेकर जो मानव समाज को खतरा है उसको लेकर देश का हर नागरिक सशंकित है और देश का हर नागरिक यह चाहता है कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो।

अध्यक्ष जी, मुझे उस दिन बोलने का मौका नहीं मिला जिस दिन इसी सदन में दो अक्टूबर को राजघाट पर प्रधान मंत्री जी के ऊपर गोली चलाने की चर्चा हो रही थी और लोगों ने इस सदन में गला फाड़-फाड़ करके कहा कि हम भगवान के शुक्रगुजार हैं कि प्रधान मंत्री जी इतने बड़े हादसे से बच गये। लेकिन मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान का इतिहास आप पढ़िये। हिन्दुस्तान में सबसे पहले महात्मा गांधी को गोली लगी, उन्हें गोलियों से भून डाला गया। उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी को गोलियों से भून डाला गया। तीसरी बार राजीव गांधी जी पर गोली चलायी गयी। सवाल यह पैदा होता है कि हिंन्दुस्तान में और देहाती इलाकों में सभी यह बात कहते हैं कि अपराधी अपराध कराने में दो बार सफलीभूत हो सकता है लेकिन वह तीसरी बार असफल हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि सदन में पंजाब की समस्या के बारे में लोगों ने बहुत जोरों से अपने विचार व्यक्त किये।

लेकिन गांधी जी शांति के पुजारी थे और वह शांति स्थली थी जहां राजीव गांधी गए। अगर राजीव जी के साथ कोई अनिष्ट होता तो वह शांति स्थली थी और गांधी जी शांति के पुजारी कहे जाते थे, उन पर यह कलंक होता। कवि ने कहा है—

प्रेम नहीं कर्तव्य मार्ग से नर को कभी डिगाता है,
प्रेम सुधा पीकर ही मानव शीष दान दे जाता है।

लाठी, गोली, बन्दूक और भाले के बल पर चाहे आतंकवाद कितना ढिंढोरा पंजाब में पीटे, लेकिन वह क्षणिक होगा। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिससे किसी को भी डिगा सकते हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं, 22 लोगों की जानें गई। जनसत्ता में हमने देखा कि हत्याओं के समय यह पूछा जाता है कि कौन-कौन मुसलमान है, आज हम किस तरह के प्रजातंत्र में जी रहे हैं यह सवाल पैदा होता है। गोलियां चल रही थीं। पति चाहता था कि पत्नी मेरे करीब रहे। लेकिन इतनी मार्मिक घटनाएं हुई कि एक तरफ पति को गोलियों से भूना जा रहा था और दूसरी तरफ औरत बिलखती हुई बच्चों को लेकर खड़ी थी। दो साल से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और अवाम का विश्वास खत्म होता जा रहा है। यहां पर सभी सदस्यों ने बहुत जोरों से मांग की कि किसी तरह आतंकवादियों पर काबू पाया जाए, लेकिन हालत वही है, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी। वह अब भी है "दो लफा में ओ पसीबा, इन आतंकवादियों का एक ही कहना है, जम जाए तो खून समझो, बह जाए तो पानी है।"

[श्री काली प्रसाद पांडेय]

स्थिति यह है कि आज इस सदन में बहुत जोरों से चिल्ला-चिल्ला कर कहा जाता है कि हम समाधान ढूंढ़ रहे हैं, लेकिन आज हिन्दुस्तान के अवाम का विश्वास धीरे-धीरे मिटता जा रहा है। मैं आपसे चन्द सवाल करना चाहूंगा कि उस परिधि में चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न आता हो, उसको सजा दी जानी चाहिए। एक बार नेपोलियन की फौज में विद्रोह हुआ, मांग थी कि सेनापति को बदलो। सेनापति वफादार था, उसने कहा कि हुजूर मेरी वजह से फौज को क्यों बरबाद कर रहे हैं, नेपोलियन ने हंस करके कहा कि मैं बीस हजार गीदड़ फौज जब चाहे तैयार कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसा सेनापति कहां से ला सकता हूं। इसलिए मान्यवर ऐसे व्यक्ति चाहे किसी सरकार में हों, चाहे सत्ता के करीब ऐसे व्यक्ति हों जो आतंकवादियों का नेतृत्व करते हैं, जब तक उन व्यक्तियों को नहीं ढूढ़ेंगे, जब तक उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, तब तक आतंकवादी जो हिन्दुस्तान में विद्यमान हैं, वे मजबूत होते जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी जी आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन ट्रेन में जब हम लोग सफर करते हैं तो रास्ते में हर व्यक्ति की जुबान पर यह बात होती है कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी आज जिंदा रहतीं तो आतंकवाद इतना नहीं पनपता। आखिर क्यों हम देश की महान-आत्माओं को याद करते हैं, बापू, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके जीवन में त्याग का एक पहलू था, जिसने जनमानस के अन्दर इतना आदर जगाया। महान आत्माओं का नाम हर जगह लिया जाता है।

आपने देखा कि बीच में होशियारपुर की घटना हुई, दस लोग मारे गए। स्थिति यह थी कि उस पर हम काबू पाएं, लेकिन फिर 20 लोग मारे गए, फिर दस लोगों की हत्याओं की खबर आई। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप समाधान कड़ाई से करें। उस परिधि में ऐसा कोई भी व्यक्ति आता हो, चाहे किसी भी पक्ष का हो, उसे अवश्य सजा दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : स्पीकर साहब, हकीकत आशना हूं, वाकफे इसरारे हस्ती हूं, समझता हूं, मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। इत्तिफाक की बात है कि जब भी मैं कभी बोलने के लिए अपना नाम देता हूं तो आखिर में मेरा नम्बर आता है और फिर आपकी घंटी का ख्याल सामने रहता है। वक्त कोता किस्सा तुलानी, दरया को कूजे में समाने की कोशिश करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सयाने आदमी यही करते हैं।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : स्पीकर साहब, मैं आपकी उसातत से इस सदन का ध्यान आज के हिन्दुस्तान टाइम्स के पहले पेज पर एक्सट्रीम राइट पर जो खबर है, उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"पुलिस को योजना का पता था—होशियारपुर, दिसम्बर 1—पंजाब पुलिस ने आज स्वीकार किया कि वह रविवार को खुड्डा गांव में हुए नरसंहार को रोकने में असफल रही थी जिसके बारे में उसे अग्रिम सूचना मिल चुकी थी।

तीन दिन पहले, डी०आई० जी० (जालंधर रेंज) श्री पी० सी० डोगरा ने एक बेतार संदेश होशियारपुर भेजा था जिसमें उन्होंने जिले में आतंकवादियों की कोशिशों को नाकाम करने के लिए एहतियाती कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे।

एस० एस० पी० ने पर्याप्त व्यवस्था की थी तथा अनुदेश जारी किए थे कि बसें केवल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही चलेंगी ताकि उउग्रवादियों द्वारा बस अपहरण के प्रयास को निष्फल किया जा सके।

फिर भी, उस क्षेत्र में स्थित पुलिस तथा अर्द्ध सैनिक बलों से बच निकलते हुए उग्रवादियों ने प्रतिशोध रूप में 24 बस यात्रियों की शाम 5.30 बजे हत्या कर दी। इसके नीचे यू० एन० आई० की एक खबर है :—जालंधर, दिसम्बर 1 (यू० एन० आई०) हाल में गठित "खालिस्तान लिबरेशन फोर्स" (के० एल० एफ०) ने आज पंजाब के होशियारपुर जिले में की गई 24 बस यात्रियों की हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। यहां प्राप्त एक 'के० एल० एफ०' संदेश के अनुसार यह चेतावनी दी गई है कि यह तो मात्र शुरुआत थी और असली खेल (हत्याएं) तो अब शुरू होगा।"

[हिन्दी]

स्पीकर साहब, दो अक्तूबर को जो नाखुशगंवार वाक्यादेश में होने जा रहा था, तो उस वक्त परम पिता परमात्मा ने हमारी मदद की और राजीव जी की जिन्दगी बची। उस वक्त भी यह खबर अखबारों में आई थी कि पुलिस को इसकी इत्तिला पहले ही दे दी गई थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर होशियारपुर की इस खबर में जरा सी भी सदाकत है, सच्चाई है और कैटेगोरिकली लिखा है कि "पुलिस हैज एडमिटेड" तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह रिस्पान्सबिलिटी पिन डाउन करना, फिक्स करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उनको इत्तिला है और वे अपने फर्ज की अदायगी में कोताही करते रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे अफसरान, ऐसे हलकारान को पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है जो वहां की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर कलंक है, बदनुमा दाग है। एक बार, दो बार, चार बार, नहीं बल्कि पिछले चार-पांच सालों से हम पंजाब को डिसकस करते आ रहे हैं। पंजाब का इतना गंभीर मामला है जिस पर इस सदन के अपोजिशन और ट्रेजरी बेन्चेज इस पर इत्तिफाक राय रखते हैं कि पंजाब के मसले का समाधान हो, किस तरह समाधान हो, इसके सुझाव दिए जाते हैं, डिसकशन होते हैं। सोज साहब ने अपनी तकरीर के वक्त कहा था कि "नो मोर डिसकशन।" इन डिसकशन से क्या हासिल होता है, हम अपने दिलों के गुबार निकाल लेते हैं। एक तरह से जो मजरूह हैं, उनके जख्मों पर मरहम का

[श्री चिरंजीलाल शर्मा]

काम कर देते हैं। हम उनके साथ हमदर्दी कर देते हैं वरना नतीजा क्या निकलता है, यह सोचने की बात है। इन इन्सानतुमा दरिन्दों को टैरोरीस्ट कहिए, इन्तहा पसंद कहिए, उग्रवादी कहिए, उनको नींद उस वक्त आती है जब गरीब मासूम और बेकसूर इन्सानों की हड्डियां उनकी भूख मिटाती हैं। उन मासूम इन्सानों का लहू उनकी प्यास बुझाता है। उस वक्त उनको नींद आती है। जब मासूम की लाशें उनके तकिए का काम करती हैं। हमें यह पता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने आपको बेबस महसूस करते हैं। क्या यह कोई संस्था है, क्या बला है, यह पंजाब में है, कहां है, क्या हम इसका पता नहीं लगा सकते, कहां उसका मुख्यालय है और कहां उसके ट्रांसमीटर होते हैं, कहीं से कुछ नारे चलते हैं। वह गुरुद्वारे जहां से गुरुओं की मीठी वाणियां सुनी जाती थी। आज उन गुरुद्वारों में यह आतंकवादी, उग्रवादी इन्तहा पसन्द न सिर्फ पनाह लेते हैं, बल्कि उन गुरुद्वारों की पाक सर जमीन से खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये जाते हैं।

बड़ी बदकिस्मती की बात है कल जो चुनाव हुए हैं उसमें उन लोगों के हाथ में दुबारा गुरुद्वारों की सत्ता आई जो उग्रवादियों की हौसला आफजाई कर रहे हैं, जो उग्रवादियों की इज्जत आफजाई कर रहे हैं और जो उनको शहीद कहकर सम्मानित कर रहे हैं। इस हालात में सरकार ने सोचना है हम सबने सोचना है कि इसका इलाज क्या है। अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाइये इन्सानियत कहां खत्म हो गई, कल के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि 24 आदमी जो उन इन्तहा पसन्द लोगों की गोलियों के शिकार हुए उसी गाड़ी में एक सरदार साहब भी बैठे थे उनका बेटा भी था जिसकी दाढ़ी कटी हुई थी, वह मोना था उस बुजुर्ग ने कहा कि यह तो मेरा लड़का है, यह तो सरदार है इसको क्यों मार रहे हो। लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रेंगी उसको भी भून दिया। यह दाढ़ी और बेदाढ़ी, यह हिन्दू और सिख, यह मुसलमान और ईसाई जो एक ही पेड़ के टहनी और पत्ते हैं, इन्सानों को इस प्रकार छांट-छांटकर भून रहे हैं और हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं, आप हम लोगों के सामने जवाब दें। हम बाहर जाते हैं हमारे पर फिकरे कसे जाते हैं विरोधी दल की तरफ से और कुछ सदस्यों की तरफ से यह मांग आई कि गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह जी इस्तीफा दे दें। मैं एक सवाल करना चाहता हूं हमारे दल वालों ने कहा कि :

[अनुवाद]

कार्यवाही कीजिए, हम कार्यवाही चाहते हैं······(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : हम कार्यवाही चाहते थे लेकिन वे त्याग-पत्र चाहते थे।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : कार्यवाही का आशय गृह मंत्री का त्याग पत्र नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कांग्रेस (इ०) के सदस्य भी त्याग-पत्र चाहते थे। यह सच है कि हमने इसकी मांग की थी।

श्री रामसिंह यादव : कोई नहीं चाहता था······(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं क्या विरोधी दल के भाई इस बात की गारंटी देंगे कि अगर सरदार बूटा सिंह गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें तो पंजाब में अमन और शान्ति कायम हो सकती है, क्या इन्तहा पसन्द अपनी कारगुजारी बन्द कर देंगे। क्या यह इलाज है। दूसरी तरफ बरनाला साहब की सरकार की बाबत मैं कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल में सारे सदन ने इत्तफाक राय से एक जुबान होकर कहा कि बरनाला सरकार के हाथ मजबूत करो। भारत सरकार ने ही नहीं, सारे सदन के विरोधी दलों ने बरनाला सरकार को शक्ति दी, उनका हासला बढ़ाया, बरनाला साहब जिस रोज पहले पंजाब पर चर्चा चल रही थी, उस रोज यहां जलवाफरोज थे और सारी चर्चा सुन रहे थे। अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बात है अगर खेत को बाड़ ही खाने लगे तो उस खेत का क्या होगा। आज बरनाला सरकार ने अपने वजीरात में से दो वजीरों को कान पकड़कर निकाल दिया। उनको पता था कि वह वजीर वजीरात में वजीर की कुर्सी पर सरफराज होकर उनकी जड़े कुरेद रहे हैं। काश अच्छा होता अगर यह कदम, यह दानिशमंदी और अक्ल वाला कदम पहले उठा लिया जाता। मैं इस बात में यकीन नहीं रखता हूं कि बरनाला साहब को रिप्लेस कर दिया जाए या उनको डिसमिस कर दिया जाए या प्रैजीडेंट रूल कर दिया जाए। यह करके भी हमने देख लिया है। सरदार दरबारा सिंह जी जब पंजाब के मुख्य मंत्री थे, तीन-साढ़े-तीन साल वे मुख्य मंत्री रहे, उस वक्त यह मांग की थी कि दरबारा जी को हटा दिया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी मैजोरिटी में थी, लेकिन सरदार दरबारा सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद प्रैजीडेंट रूल आया, लेकिन उसमें भी हालत नहीं सुधरे बल्कि बिगड़ते चले गए। एक स्टेज ऐसी आई कि ब्लू-स्टार आपरेशन करना पड़ा। उसके बाद राजीव गांधी जी ने बड़ी दिलेरी के साथ लोगोंवाल पक्ट किया और अमन से पंजाब के अन्दर इलैक्शन हुए। उस वक्त यह खयाल था कि इलैक्शन के बाद उनकी अक्ल कुछ ठीक हो जाएगी।

अध्यक्ष जी, आप घण्टी बजा रहे हैं, मैं आपकी घण्टी का एहतराम करता हूं। लेकिन मैं भारत की सरकार से और गृह मंत्री जी से एक बात अर्ज करूंगा कि वे बरनाला साहब से यह कहें कि अपीलों से काम नहीं चलेगा। पंथक-यूनिटी की अपीलों से काम नहीं चलेगा। राज-पाट हाथ जोड़ने से नहीं चलेगा, राज-पाट डण्डे से चलता है। डंडे का इस्तेमाल करिए, आतंकवाद के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ और जो हमारे देश के अन्दर खामोश समुन्द्र में आग लगाकर देश को तोड़ना चाहते हैं। देश की एकता और अखंडता को भंग करना चाहते हैं। इस चीज को किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : पिछले दो दिनों से इस सदन में बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और भावपूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं। परन्तु किसी ने एक तथ्य का उल्लेख नहीं किया। जहां तक राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सवाल है, हम इस विषय पर एक मत हैं।

[डा० दत्ता सामंत]

मेरे विचार से मजदूर वर्ग इस मामले में काफी प्रगतिशील हैं, और वे वास्तव में यह एकता चाहते हैं। यह प्रश्न शक्तियों का था क्या घटनायें घट रही हैं; उसका नहीं है। पर एक बात जरूर है। पिछले दो सालों से हम किसी न किसी मामले पर चर्चा कर रहे हैं। और हम इस सदन में संकल्प पारित कर रहे हैं, पर पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह हमारे लक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है। जब भी आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बार-बार अधिक शक्तियों के बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं। परन्तु वर्तमान कानून आतंकवादियों के साथ निपटने के लिए पर्याप्त हैं। भारतीय दंड संहिता, आतंकवादी-गतिविधि अधिनियम जैसे अन्य कई प्रावधान हैं जिससे केन्द्रीय सरकार एक ही दिन में ही कार्यवाही कर सकती है। निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत विगत में राज्य के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है·· ऐसा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हो चुका है।

अगर आप यह कहेंगे कि वे केवल केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी को बांट रहे हैं, तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। वास्तव में राज्य सरकार जो भी करे, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम इसका विरोध करते हैं।

माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने कल जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से कि 18(1) और 5(क) जैसे बहुत से उपबंध हैं। जिससे उन्हें कार्यवाही करने के लिए शक्तियां उपलब्ध हैं। मैं इनके विस्तार में नहीं बताना चाहता क्योंकि इतना समय आप मुझे नहीं देंगे।

माननीय गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह ने जो भाषण यहां करीब दो महीने पहले दिया था, मैं उसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उनके शब्दों का सही रूपान्तर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था—

"हमने राज्य सरकार और केन्द्रीय बलों के सहयोग से एक योजना बनाई है। हमने बहुत सावधानी से और बहुत पूर्णता से एक योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गाँव का ध्यान रखा जाएगा। हमने एक ऐसी नीति बनाई है जिससे वास्तव में हम पूरे कार्य संचालन पर अच्छी तरह से निगरानी रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त हम ऐसे कार्य-संचालन से संतुष्ट हैं। हम आतंकवादी तत्वों के कुछ अड्डों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।"

यह माननीय गृह मंत्री महोदय के भाषण का सही रूपान्तर है, जो कि दो महीने पहले उन्होंने इस सदन में दिया गया था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। हम यहां भाषण पर भाषण दिये जा रहे हैं, पर पंजाब में क्या हो रहा है ? मुझे आज रिपोर्ट मिली है, और माननीय मंत्री महोदय उसकी पुष्टि कर सकते हैं।

जिन 24 व्यक्तियों की कल हत्या की गई थी, उनमें से 14 लोगों को तो बहुत नजदीक

से गोली मारी गई। उनकी मृत्यु के लिए केवल एक ही गोली काफी थी जो उनको सिर को चीरती हुई पार कर गई। इन 14 यात्रियों की मौत बस में ही हो गई। 7 व्यक्तियों को तब मार दिया गया जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे। बस में केवल तीन ही गोलियों के निशान हैं। इससे बिना किसी सन्देह के यह प्रमाणित होता है कि इन निर्दोष लोगों को जानबूझ कर मारा गया। बिल्कुल नजदीक से एक के बाद एक को गोली का निशाना बनाया गया। पहले व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति। फिर तीसरा व्यक्ति। इस प्रकार से उन पर बिल्कुल नजदीक से गोली चलाई गई। पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट से ऐसा पता चलता है। यह सारा मामला कितना गम्भीर है! केवल यही नहीं, जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उनका लगभग 4 किलोमीटर तक पीछा किया। जहां यह घटना हुई उससे केवल 500 फुट दूर एक गांव है। उस गांव से करीब 100 फुट दूर एक राज्य मंत्री भी ठहरे हुए थे। वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लोग भी रहते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी थी। उन लोगों ने कहा कि हमलावर 9 किलोमीटर दूर तक अपने वाहनों तथा अन्य सामान को छोड़ कर भागे थे। यह क्या है? पुलिस क्या कर रही थी, मैं पूछना चाहता हूं? पिछले सप्ताह किसी पुलिस महा निरीक्षक के बेटे की हत्या विश्वविद्यालय परिसर में हुई थी। स्कूटर पर सवार दो व्यक्तियों ने उस पर बिल्कुल नजदीक से गोली चलाई। उसके बाद वे तीन किलोमीटर दूर चले गये। अगले दिन, इन आतंकवादियों ने बस पर गोलियां चलाईं। पर बस रुकी नहीं, और वे बस को क्षति पहुंचाकर भाग गये। इतने सारे राज्य पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस बलों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलों के बावजूद इन हत्याओं को रोकने में कोई कुछ नहीं कर सका। वे लोग क्या कर रहे थे? हम यहां क्या चर्चा कर रहे हैं? उनको क्या निर्देश दिये गये हैं?

पुलिस महानिरीक्षक श्री रिबैरो ने एक वक्तव्य में कहा है कि उनके चार सहायकों की आतंकवादियों के साथ सांठ-गांठ थी। अतः केन्द्र द्वारा अपने उत्तरदायित्व को राज्य पर छोड़ने या राज्य द्वारा उत्तरदायित्व केन्द्र पर छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन मैं यह आरोप लगाता हूं कि केन्द्र कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने में पूरी तरह से असफल रहा है। हम हमेशा पाकिस्तान को दोष देते हैं। मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तानी अधिकारियों से इसका क्या विरोध व्यक्त किया? कृपया इस मामले में पिछले दो वर्षों का ब्योरा दीजिए। क्या आपने यह किया है? बहुत से आतंकवादी यहां आ गये हैं? उनके पास क्या हथियार है? क्या वे आतंकवादी आपके लोग हैं? आपने इस बारे में क्या किया है! यह सदन जानना चाहता है। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि वे उन स्थानों का निरीक्षण करने को तैयार हैं, जिनके बारे में उल्लेख किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इन सभी बातों के बारे में बतायेंगे या नहीं, ताकि हम तैयार रहें। एक दूसरे पर आरोप लगाने से और हर बात की आलोचना करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मेरे विचार से माननीय मंत्री महोदय यह जानते होंगे कि 'खालिस्तान लिबरेशन फोर्स' की तरफ से एक पत्र आया है जिसमें यह कहा गया है कि 15 दिन पहले जो कुछ हुआ उसका बदला लिया जा रहा है। एक और सूचना यह मिली है कि यह सभी सिख गिरोह एक ग्रुप में आये हैं और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का काम कर रहे हैं। श्री बरनाला और केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है? मेरे विचार से दोनों ही बुरी तरह से असफल रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि कौन

[डा० दत्ता सामंत]

अच्छा है या कौन भावनाओं से अधिक जुड़ा हुआ है, बल्कि प्रश्न इस बात का है कि हम इन योजनाओं को कैसे लागू कर रहे हैं। हम बातें भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं।

बम्बई में एक सम्मेलन हुआ था। मैं अपने सिख और अन्य मित्रों को कह रहा हूं कि इस बारे में सदन में चर्चा न करें। दिल्ली और बम्बई में आप इन आतंकवादी गतिविधियों की निन्दा करते हैं। परन्तु यहां सिख लोग ग्रुपों में इन हिंसक घटनाओं की निन्दा नहीं कर रहे हैं। अन्ततः पंथ की आंतरिक भावनाएँ सामने आ रही हैं, और यही देश में हो रहा है। मेरे विचार से श्री बादल पर आज सबेरे कुछ कार्यवाही की गई थी। आतंकवादियों के मकानों पर छापा मारा गया था। आप जो भी कदम आतंकवादियों के खिलाफ उठाते हैं, यह पंथ के खिलाफ होता है, और इसलिए इसमें राजनीति दोबारा आ जाती है। यह एक दुष्चक्र है और इसमें राजनीति बिगड़ रही है। और यही पिछले कुछ सालों से हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नैतिक तौर पर उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिए। मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। यह लोगों की भावना है। और अगर वे त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं तो हमें बताएँ, कि आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। श्री बरनाला और अन्य व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व सौंपने से काम नहीं चलेगा। अतः माननीय मंत्री महोदय को हमें एक ठोस कार्य-योजना के बारे में बताना चाहिए, कि भविष्य में हम इस प्रकार से कार्यवाही कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके पास शक्तियां हैं। श्री बरनाला आपके अनुदेशों के आधार पर काम कर रहे हैं। कृपया कानून और व्यवस्था तथा इन सभी बातों का उल्लेख मत करिए।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सारे सदन की सर्व-सम्मत मांग है कि सरकार को तुरन्त यह बताना है कि पंजाब में क्या कार्यवाही की गई या की जायेगी।

महोदय, कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए इस सदन में कहा :—

> "मैंने आज पंजाब के मुख्य मंत्री और राज्यपाल के साथ बहुत लम्बी चर्चा की। इस बातचीत के बारे में कुछ बताना मेरे लिए असामयिक होगा। शायद कल या परसों, मैं आपको यह अधिक सुस्पष्ट बता सकूं, कि हमारी क्या बातचीत हुई और इसका कितना असर होगा। शायद कल या परसों तक हम इसके बारे में और ज्यादा बता सकेंगे।"

महोदय, मैं पहले यह सदन को बताना चाहता हूं कि कल रात से अभी तक क्या-क्या घटनायें घटीं। उसके बाद मैं सदन में हुए वाद-विवाद के विषय पर आऊँगा। अपने कर्तव्य के अनुसार, मैं माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली आने से पहले इस जानकारी के मिलने पर तत्काल मैंने श्री बरनाला जी से यह अनुरोध किया था कि मुझे घटनास्थल जाना है—यह मेरी पहली प्रतिक्रिया थी—जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कल मुझसे पूछा था : "आप वहाँ

क्यों नहीं गये ?" यह दुर्घटना इतनी बड़ी थी इसलिए मैंने सोचा कि सदन को इस दुखद घटना के बारे में शीघ्र सूचित करना मेरा पहला कर्तव्य है। फिर मैंने श्री बरनाला जी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि उन्हें तुरन्त दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि पूरा सदन और पूरा देश बहुत परेशान और दुःखी है, और कुछ कार्यवाही करने से पहले, हमें सदन को भरोसे में लेना चाहिए।

मेरे अनुरोध पर श्री बरनाला जी यहाँ आये हैं; पर यहां आने से पहले उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बताया है कि उन्होंने स्वयं कुछ कार्यवाही करने पर पहल की और वे कुछ समय चाहते हैं। परन्तु मैंने उनसे कहा : "जी नहीं, आप देरी नहीं कर सकते। आपको आना ही पड़ेगा।" और वह यहां आये हैं।

उन्होंने यहां आने से पहले कल कुछ कार्यवाही की थी। उसके बाद राज्यपाल और मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री से मुलाकात की। कुछ चर्चा के दारान मैं भी वहां मौजूद था, और उन्होंने अपनी कुछ कठिनाइयां मुझे बतलाईं, और कुछ निर्णयों तथा कुछ अधिनियमों के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयों के बारे में भी उन्होंने हमें अवगत कराया।

इसके बाद उन्होंने अपने द्वारा पंजाब में की गई कार्रवाई को जारी रखा। यहां से जाने के बाद उन्होंने और भी निर्णय लिए और उन निर्णयों में से कुछ के बारे में माननीय सदस्य भी जानते हैं। इन निर्णयों की मैं मोटे तौर पर एक सूची दे रहा हूं, वे हैं—आतंकवाद अधिनियम के अन्दर अपराध करने वाले आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना; आतंकवादी अपराधों की जांच करना व उन्हें सजा दिलवाना; नियम······(**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामंत : वह उनका सामान्य कार्य है······।

सरदार बूटा सिंह : मुझे दुख है; लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कल की मुश्किलात के संदर्भ में··· ··(**व्यवधान**) वे सामान्य कार्य थे; पर इसमें कुछ मुश्किलात थीं जिनका उन्होंने जिक्र किया था, जब मैं उन सबको पढूंगा तो आप जान जायेंगे। कृपया मुझे कुछ समय दें। मैं कोई भाषण देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको सूचित कर रहा हूं।

इसलिए यह अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत नियमों को संशोधन किया जा रहा है ताकि इन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान की जा सकें। इसके अलावा, राज्य के ऐसे अधिकारियों को और प्राधिकरणों को अतिरिक्त कार्य दिए जा रहे हैं जो राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक बस सेवाओं, यहां रेलवे सेवा के साथ परेशानी है, व्यापार-स्थल जैसे मंडी, बाजार बैंक, पोस्ट आफिस, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल तथा कालेज स्कूल, धार्मिक स्थान तथा अस्पताल आदि की सुरक्षा एवं रक्षा निश्चित करने हेतु निर्दिष्ट किए गए हैं। ये अतिरिक्त कार्य······(**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त : अब तक क्या वहां कोई पुलिस चौकी नहीं है ?

सरदार बूटा सिंह : दत्ता सामंत जी, क्या आप मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे—क्योंकि मैं सदन को वही बता रहा हूं जो मुझसे पूछा गया है। इसलिए मुझे अपनी बात को पूरी करने दें। अगर आप कुछ स्पष्टीकरण चाहें मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा।

ये अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त शक्तियों के साथ उन्हें दिए गए हैं ताकि वे अपने कार्यों को सही ढंग से कर सकें। दूसरे, अधिनियम में विभिन्न संशोधन करके भी शक्तियां प्रदान की गई हैं जैसे उन सभी व्यक्तियों की जिन्होंने आतंकवादी अपराध किया हो या उन सब की जिन पर आतंकवादियों को सहायता करने, भड़काने और आश्रय देने का आरोप हो आदि का इस अधिनियम के अन्तर्गत एक ट्रिब्यूनल बना करके उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान आदि।

सशस्त्र सेना (पंजाब और चंडीगढ़) संशोधन अधिनियम, 1983 को प्रयोग में लाया गया है ताकि पुलिस प्राधिकारियों के साथ या अकेले सशस्त्र सेना कानून और व्यवस्था को कायम करने के लिए कार्यवाही कर सके और इसके साथ ही उन आवश्यक क्षेत्रों की पहचान की जा रही है, जिन्हें विक्षुब्ध घोषित किया जा सके।

चार :—अनुभव बताता है कि आतंकवादी कार्रवाई को कुछ राजनीतिक तत्वों की अवसरवादिता का संरक्षण प्राप्त होता है जो आतंकवादियों की घृणास्पद कार्रवाई को एक सम्मानजनक रूप प्रदान करने की कुटिल चेष्टा करते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने निम्नलिखित राजनैतिक नेताओं को एन० एस० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है : श्री प्रकाश सिंह बादल, श्री गुरचरण सिंह तोहड़ा, श्री कुलदीप सिंह वड़ेरा।

शिक्षा मंत्री श्री बसंत सिंह खालसा तथा तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री निर्मल सिंह कहलों को मंत्री परिषद से निकाल दिया गया है।

पांच :—राज्य सरकार ने, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया, पुलिस को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तथा सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त शक्तियां देने का निश्चय किया है, इसके साथ-साथ सशस्त्र सेना (पंजाब तथा चंडीगढ़) अधिनियम को भी संशोधित किया गया है।

छह :—पूर्णतया सज्जित सेना की सहायता के द्वारा सभी राष्ट्रीय मार्गों तथा संवेदनशील मार्गों की चल-गश्त को बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

सात :—जिलों में पुलिस अधीक्षक की कमान में जिला पुलिस तथा अर्धसेना बल को मिलाकर आतंकवाद विरोधी दस्ते बनाए जायेंगे।

आठ :—यह निर्णय किया गया है कि रात को चलने वाली बसों में प्रत्येक में चार सशस्त्र सैनिक नियुक्त किए जायेंगे। यह भी निर्णय किया गया है कि जो व्यक्ति अभी हाल में होशियारपुर जिले में हुई बस यात्रियों की हत्या के आतंकवादियों के बारे में सूचना देगा उसे नकद एक लाख रु० का इनाम दिया जाएगा।

कल से लेकर आज तक, पंजाब सरकार ने इन निर्णयों को लिया है, जिनमें से कुछ, जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है कि पहले से ही विद्यमान थे। परन्तु उनमें कुछ जोड़ा जाना बाकी था ताकि वे हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।

अब, यह सब कहने के बाद मैं सदन में हो चुकी बहस पर आना चाहता हूं। श्री चिरंजी-लाल शर्मा ने अभी स्थिति के बारे में बताया तथा **हिन्दुस्तान टाइम्स** की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया। मैंने भी उस रिपोर्ट को देखा है, जो सूचना दी गई थी उस सूचना पर जिला प्राधिकरण ने कार्रवाई की। जो बस आतंकवादियों का शिकार बनी, वास्तव में होशियारपुर से नहीं बल्कि फरीदकोट से चली थी और यह अपने निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय पर पहुंच भी जाती अगर आतंकवादी इसका अपहरण नहीं करते। परन्तु इस कहानी में जिसे श्री चिरंजीलाल ने बताया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जैसा कि कल माननीय प्रधानमंत्री ने कल सदन को सूचित किया कि दुर्भाग्य से, जब ऐसे गम्भीर मामले जिला प्राधिकरण तथा अर्ध-सैन्य बल द्वारा लिए जाते हैं तो हमें सुरक्षा बलों को उनकी निश्चित गतिविधियों से हटाना पड़ता है जिसके कारण इन एजेंसियों के कार्य में विघ्न पड़ता है जो कि प्राधिकारियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्य से, कुछ ऐसे तत्व और पार्टियां हैं, जिनके बारे में कुछ माननीय सदस्यों तथा श्री चिरंजीलाल शर्मा तथा श्री एस० एल० यादव ने जिक्र किया है जो कि उन्हीं दिनों अपने बंद और प्रदर्शन आयोजित करती हैं जब खुफिया पुलिस एवं राज्य प्राधि-करण ऐसी घटनाओं के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने में व्यस्त होते हैं। हमें बलों को वहां से हटाना पड़ता है क्योंकि कहीं और ऐसे तत्वों द्वारा कोई और प्रदर्शन होता है जिसे किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन भी प्राप्त होता है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : ये तो अक्सर होता है, क्या आपके पास पर्याप्त पुलिस नहीं है ? क्या आप कुछ पुलिस यहां और बाकी पुलिस दूसरी जगह नहीं लगा सकते।

सरदार बूटा सिंह : पंजाब में पुलिस की संख्या पर्याप्त है। लेकिन आप जानते हैं कि जब किसी राज्य में कोई लड़ाई चल रही हो, इस राज्य में परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं खूनी लड़ाई जारी है और आप उन लोगों को जो बेचारे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं वहां से हटाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे हर एक प्रदर्शन पर अतिरिक्त बल की व्यवस्था करें ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कोई विश्वासोत्पादक नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : हम क्यों नहीं कुछ सब्र करते और इन प्रदर्शनों को स्थिति नियंत्रण में होने तक क्यों नहीं रोकते ? प्रदर्शन प्रचारबाजी, जलूस ये सब कुछ निश्चय ही किया जा सकता है······(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उनके पास एक निश्चित सूचना थी। अब ये कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस को वहां से हटाकर दूसरी जगह लगाना पड़ता है। ये बेकार बात है, हम इसे सहन नहीं करेंगे······(व्यवधान)

सरदार श्री बूटा सिंह : मैं माननीय सदन से कह रहा था कि हम किसी राजनीतिक पार्टी की वैध गतिविधियों में कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं ।

पंजाब में, जहां ऐसा वातावरण है, ऐसी परिस्थिति है और एक खूनी लड़ाई जारी है, वहां के संदर्भ में माननीय सदन से मेरा यह नम्र निवेदन है कि हम ऐसे राजनीतिक तत्वों पर क्यों दबाव नहीं डाल सकते कि वे अपना कर्तव्य निभा रहे लोगों का ध्यान ऐसी छिछोरी हरकतों से न बंटाएं ? यही मैं कहना चाहता था । यह नहीं कि हम और सेना नहीं ला सकते । हम ला सकते हैं अगर वे प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अवश्य करें । यह भी अपने आप में एक तथ्य है कि उस दिन एक प्रदर्शन भी था जिस पर हमें अतिरिक्त पुलिस लगानी पड़ी । ये सब बातें जो मैंने अभी माननीय सदन के सामने प्रस्तुत की हैं, बताती हैं कि पंजाब सरकार स्थिति की गंभीरता से पूरी तरह निपटने की कोशिश कर रही है ।

आज बहस की मर्मस्पर्शी बात पंजाब में आतंकवाद पर, श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया द्वारा प्रकट किया गया अकाली पार्टी का स्पष्ट रुख है जिसे मैं माननीय सदस्यों के साथ बांटना चाहूंगा हालांकि इससे पहले भी इस पर वक्तव्य दिए गए हैं लेकिन आज उन्होंने इस बात को जोर देते हुए और स्पष्ट शब्दों में कहा है । मैं चाहता हूं कि सदन को प्रशंसा करनी चाहिए कि अकाली दल को पंजाब समस्या के प्रति अपने इस रुख को जारी रखना चाहिए क्योंकि मैं श्री शाम लाल यादव से सहमत हूं कि पंजाब में 1980 के बाद की स्थिति, विशेषकर राजनीतिक स्थिति केवल एक ही पार्टी द्वारा पैदा की गई है और वह पार्टी है—अकाली पार्टी । और आज हम जो विभिन्न स्तर पर गड़बड़ी देखते हैं इसके बारे में पंजाब से बाहर और पंजाब के लोगों में यही भावना है कि आज होने वाली ज्यादातर घटनाओं के बीज उसी आंदोलन में और अकाली पार्टी में बो दिए गए थे । चूंकि पार्टी ने इन सब गतिविधियों का संचालन किया था इसके लिए यह देश तथा इसके निवासियों तथा स्वयं सिखों के प्रति उत्तरदायी है । इसके लिए आज प्रत्येक आदमी, सिखों की सुरक्षा के लिए चाहता है कि उन्हें स्पष्ट रूप से देश को बताना चाहिए कि यह उनकी अकाली पार्टी की नीति नहीं है । आज इस बारे में एक स्पष्ट लकीर खींची जा चुकी है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं । उस दिन जब एस० जी० पी० सी० के चुनाव हो रहे थे तो उस बारे में दो वक्तव्य सामने आये । कुछ पत्रकार विभिन्न उम्मीदवारों से मिले । उन्होंने श्री काबुल सिंह और श्री तोहड़ा से स्वर्ण मन्दिर में पुलिस के प्रवेश के बारे में अनेक दृष्टिकोण के बारे में प्रश्न किया । एक सुस्पष्ट प्रश्न किया गया और जैसा कि आप जानते ही हैं कि श्री तोहड़ा का उत्तर वही था और श्री काबुल सिंह ने कहा—"हां, सिद्धांत रूप में धार्मिक स्थानों में पुलिस के प्रवेश के विरुद्ध हूं लेकिन अगर स्थिति ऐसी है अगर स्वर्ण मंदिर के अन्दर कुछ तत्वों ने स्थिति ऐसी बना दी है कि पुलिस की जरूरत पड़ती है तो पुलिस को अवश्य आना चाहिए ।" क्या यह एक अच्छी शुरुआत नहीं है ? क्या यह स्थिति के प्रति एक राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है ? मैं माननीय सदन तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की भावना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सही है

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह घटिया सांत्वना है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सही है ।

सरदार बूटा सिंह : मुझे दुःख है कि जो पंजाब को जानते हैं वे ही इस चीज को समझते हैं । आपको लोगों में देश के प्रति भावना उत्पन्न करनी होगी, कानून के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी होगी, राज्य में शांति की भावना पैदा करनी होगी । यह ऐसे ही नहीं होगा······ (व्यवधान)

मैं यह नहीं कहता कि यह सबार्त है । परन्तु यह स्थिति को सुधारने में कारगर साबित होगी इसलिए इस भावना के साथ मैं श्री रामूवालिया के भाषण का स्वागत करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, आप मुझे माफ करेंगे । रामूवालिया जी बोलते हैं, तो दिल से बोलते हैं लेकिन वे पांच लोग कहां हैं, जो आपने आपको दिमाग से बोलने वाला बोलते हैं । मेरे पास वाला यह मोहल्ला बन्द है । आप दो तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन बाकी पांच अकाली भाई आज भी अनुपस्थित हैं ।······(व्यवधान) पूरी बी० जे० पी० भी अनुपस्थित है दो दिनों से । ····· (व्यवधान)······

अध्यक्ष महोदय : पूरे से आपका अर्थ क्या है ?

श्री बालकवि बैरागी : टोटल दो हैं, लेकिन बी० जे० पी० का एक भी मैम्बर नहीं आया है आज भी ।······(व्यवधान)

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : श्री दिनेश गोस्वामी ने कुछ मुद्दे सामने रखे हैं । (व्यवधान)

एक जो मुद्दा उन्होंने सामने रखा है—उसमें उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैंने अपने पिछले भाषण में सब अकाली नेताओं को आतंकवादी कहा है । मुझे इस बारे में सदन के सामने स्पष्टीकरण देना है । क्योंकि उस दिन यहां पत्रकार उपस्थित नहीं थे । मैंने दो मुद्दों को सामने रखा था । (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : आपने मेरी बात को गलत उद्धृत किया है । मैंने यह नहीं कहा था कि आपने सब अकाली नेताओं को आतंकवादी कहा है । मैंने तो यह कहा था कि उस दिन आपका यह कहना ठीक नहीं है, कि आतंकवादियों और उन लोगों की जो अनिर्णय की स्थिति है और जिन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया है, उनके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए । मैंने कहा था कि आतंकवादियों को अलग-थलग करना चाहिए । (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : कृपया बैठ जाइए। मैं बताता हूं कि उस दिन क्या हुआ था। श्री चरनजीत सिंह अठवाल ने दो बातें बताई थीं। वे अपने दृष्टिकोण को सामने रख रहे थे, और इसमें जो दो मुद्दे उत्पन्न हुए उस पर मैंने विचार किया। पहला, उन नेताओं का भोग अनुष्ठानों में उपस्थित रहने के बारे में था, और मैंने यह कहा था कि वो लोग आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरे विचार से उन पक्के आतंकवादियों के क्रियाओं में और भोग अनुष्ठानों में शामिल होने से और उनको शहीद घोषित करने से और यहां-वहां स्मारक और गुरुद्वारा बनवाने के वादों से और अन्य कई ऐसे चीजों से यह जाहिर है कि ये अकाली दल के नेता आतंकवाद को प्रोत्साहन देकर पंजाब में और खासतौर पर सिखों में इसको फैला रहे हैं।

दूसरी बार मैंने अखबारों में छपे उस वक्तव्य पर टिप्पणी की है, जो कुछ लोगों ने खास तौर पर आतंकवादियों के बड़े नेताओं ने दिया है, और जिसमें तथाकथित रूप में यह बताया गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई तो सिख लोग देश के शत्रु पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। मैंने यह कहा था कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको बता देना चाहिए कि वे देश के दुश्मनों के एजेण्ट हैं, और वे गद्दार हैं, उन्हें गद्दारों जैसा सलूक मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से, इन दो टिप्पणियों को मिलाकर एक वक्तव्य बनाया गया। अतः मैं श्री दिनेश गोस्वामीजी से कहना चाहता हूं कि हम इसका स्वागत करते हैं। और अगर आपने उस दिन मेरी बात सुनी थी, तो आपने यह भी सुना होगा कि मैंने उन नेताओं से उत्साहपूर्वक अपील की थी कि अगर वो यह सब एक गलतफहमी की वजह से कर रहे हैं ताकि उन्हें सम्मान प्राप्त हो और वे पंजाब में अपने दल को और भी मजबूत कर सके और भी बढ़ा सकें, तो यह सब उनको भूल जाना चाहिए। यह स्थिति उससे बाहर चली गई है। अकाली दल के एक अंश की राजनीतिक छवि या राजनीतिक शक्ति हमारे लिए महत्व नहीं रखती है। आज महत्व इसका है कि हम इन आतंकवादी तत्वों को जड़ से उखाड़ दें। अतः मेरी उनसे यह अपील है कि वे यह अनुभव करें जिससे उसी सम्प्रदाय का भला होगा जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरी यह अपील थी। पर दुर्भाग्य से उन सबको ऐसे मिलाया गया था, कि अगले दिन एक बड़ा हल्ला-गुल्ला पंजाब में हुआ और मेरे विरुद्ध तथा कुछ और लोगों के विरुद्ध एक कार्य योजना बनाई गई। इस स्थिति को समझने का तरीका यह नहीं है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे समझाने दीजिए। आपको मेरे प्रति आभारी होना चाहिए कि मैंने स्पष्ट करने का अवसर दिया।

सरदार बूटा सिंह : मैं यह कहूंगा कि जब आप सदन में बैठे होते हैं तब आप सदस्यों के भाषणों को अधिक ध्यान से सुना करें।

मेरी दूसरी बात यह है कि माननीय दिनेश गोस्वामी ने मेरा उपहास किया था और उन्होंने इस हद तक कहा कि माननीय प्रधान मंत्री महोदय को यह नहीं पता कि उनके पास उपयुक्त अधिकार है या नहीं, और वे यह जानना चाहते थे कि सरकार ने कोई नियम पारित किये हैं या नहीं और यह भी कहा कि उनको पुस्तकालय में उन नियमों की प्रति नहीं मिली। लेकिन महोदय, मेरे हाथ में इस वक्त उन नियमों की एक प्रति है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं पुस्तकालय भी गया और वहाँ……

सरदार बूटा सिंह : अगर आपको वह पुस्तकालय से मिल गई। फिर आपको यह तो नहीं कहना चाहिए था।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं पुस्तकालय में गया और वहाँ मुझे सूचना मिली कि कोई नियम पारित नहीं हुए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने वो नियम सभापटल पर रखे हैं ?

सरदार बूटा सिंह : नियम तो मौजूद हैं और सरकार ने भी स्वीकृति दे दी है। **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : यह लाइब्रेरी में नहीं है। कृपया आप सदन को यह बताएं कि आपने उन नियमों को सभापटल पर रखा है या नहीं।

सरदार बूटा सिंह : अतः यह कहना गलत होगा कि कोई नियम पारित नहीं किए गये हैं। नियम पारित किए गये हैं और माननीय सदस्यगण इसकी प्रति ले सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें कैसे मालूम होगा। अगर उसे सभा पटल पर नहीं रखा गया हो ? **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : यह स्पष्ट होना चाहिए कि मैंने यह नहीं कहा था कि कोई नियम पारित नहीं हुए हैं। मैंने यह कहा था कि मैं पुस्तकालय गया और वहाँ मुझे यह बताया गया कि वहाँ कोई नियमों की प्रति नहीं रखी गई है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको उनसे पता लगाना चाहिए कि नियम सभापटल पर रखे गये हैं या नहीं ? **(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : उन्होंने कहा था कि कोई नियम पारित नहीं हुए हैं। महोदय, नियम पारित हुए थे। मैंने यह सूचना दे दी थी। **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : हमें कैसे पता चले कि नियम पारित हुए हैं ? मैं यह जानना चाहता था कि नियम पारित हुए हैं या नहीं और अगर हुए हैं तो क्या उनको सभापटल पर रखे गये हैं ?

सरदार बूटा सिंह : श्री दिनेश सिंह ने यही दो बातें सदन के सामने रखी थीं। **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे बताने की कृपा करें।

सरदार बूटा सिंह : जहाँ तक प्रस्तावक प्रो० दंडवते जी का सवाल है……**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इन नियमों को सभापटल पर रखना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : हमने सूचना दे दी है और उसे सभापटल पर रखा जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कई बार इस काम में महीने लग जाते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या उसे सभापटल पर रखा गया है। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : जहां तक प्रो० दंडवते महोदय का प्रश्न है। जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया था, उन्होंने हमेशा की तरह अपना भाषण दिया और विगत में घटित अनेक चीजों का उल्लेख किया जो काफी संगत थीं किन्तु······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें सभापटल पर रखा गया है ?

सरदार बूटा सिंह : हमने आफिस को सूचित किया है सभापटल पर वो रखे जाएंगे। (व्यवधान) हम ही इसको सभापटल पर रखेंगे। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : यह उनका व्यवहार है। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : हम उसे रख देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह इस देश की सरकार का कार्य करने का तरीका है। इतने महत्वपूर्ण नियमों को सभापटल पर रखा ही नहीं गया। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : वे सदन की उपेक्षा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें ये सभापटल पर रखने चाहिए थे। अगर उन्होंने नियम बना लिए हैं तो उन्होंने क्या किया है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैं केवल सदन को यही सूचना दे रहा हूं कि ये नियम पारित हो गये हैं और उन्हें सभापटल पर रखा जाएगा। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं। महोदय जब प्रधानमंत्री महोदय इस सदन में बोल रहे थे, तब वे हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। हम यह कह रहे थे कि हमने पहले ही आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 को अपना लिया है और इसमें इस तरह के उपबंध हैं। धारा 18(1) इसमें सामान्य मार्गदर्शन देती है। किन्तु धारा 5(1) (2) (3) में नियम बनाने की निश्चित शक्तियां दी गई हैं। मैं यह पक्का समझ लेता हूं कि नियम बनाए गये हैं। उस वक्त उन्होंने एक कमजोर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि कई नियम बनाये गये हैं। मेरे विचार से, अगर माननीय मंत्री महोदय ने सभापटल पर नियमों की प्रति नहीं रखी है, तो उन्हें यह बता दिया जाना चाहिए कि इन नियमों के नहीं बनाये जाने से और सभापटल पर नहीं रखे जाने की वजह से भी इस

कानून के लागू करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। अतः आपको इस बात का खेद होना चाहिए कि आप सभापटल पर नियमों की प्रति रखने में असमर्थ रहे हैं और सदन को यह आश्वासन दें कि भविष्य में ऐसी भूल और नहीं होगी।

महोदय, आपको निर्देश देना है :—

सरदार बूटा सिंह : माननीय सभापति महोदय, जब मैं माननीय श्री दिनेश गोस्वामी को इस विषय पर जवाब दे रहा था, तब मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था। उन्होंने कहा था कि कोई नियम नहीं बनाए गए हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने अभी यह कहा था कि मुझे ध्यान से उनकी बातें सुननी चाहिए। जो कुछ भी मैंने कहा है उसकी तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने यह कहा था कि जब मैं ग्रन्थालय गया तो मुझे वहां नियमों की प्रति नहीं मिली। माननीय चिदम्बरम महोदय ने मुझे यह कहा था कि नियम बनाये गये हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या नियमों को बनाकर उनकी एक प्रति सभापटल पर रखी गई है?

सरदार बूटा सिंह : नियम बन गये हैं। हम लोकसभा सचिवालय से निवेदन कर चुके हैं कि इन नियमों की प्रति सभापटल पर रखने के लिए एक तारीख बताएं।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपका क्या निर्णय है? जब माननीय मंत्री महोदय ने नियम बनाए थे, तब उनको सभापटल पर नहीं रखा गया था, जबकि उनका वहां पर रखा जाना जरूरी होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह यहां पर है। इस अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के शीघ्र बाद संसद के प्रत्येक सदन में, जब कि उसका अधिवेशन चल रहा हो। रखा जाएगा······

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अब प्रश्न यह है कि ये नियम कब बनाये गये और उनकी तिथि क्या थी? सरकार को यह नियम सभापटल पर रखने के लिए कितना समय लगेगा?

अध्यक्ष महोदय : हमें उनका उत्तर मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह उत्तर दे रहे हैं।

सरदार बूटासिंह : इन नियमों को दिनांक 13 नवंबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

श्री सी० माधव रेड्डी : धारा 21 में यह स्पष्ट दिया गया है कि एक महीने के अन्दर आपको इन नियमों की प्रति सभापटल पर रखनी है।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं आपसे सहमत हूं कि देर हो गई है। परन्तु प्रश्न यह पूछा गया था, कि नियम बनाये गये हैं या नहीं। और मैं उसी प्रश्न का जवाब दे रहा था। इसलिए महोदय······

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आतंकवादी और विध्वंसकारी (निवारण) क्रियाकलाप अधिनियम 23 मई, 1985 से पहले पारित किया गया था और इसको राष्ट्रपति जी की स्वीकृति 23 मई, 1985 तक मिल गई थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज अपने को जरूरत पड़ी, आज सबने देखा इसको।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह संविधि संग्रह में एक साल से है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनकी गलती है, इनको रखना चाहिए था।

[अनुवाद]

आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें देर हो गई है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बात खतम करने दीजिए। उन्होंने एक साल और पांच महीने केवल नियम बनाने में लगा दिये।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : वह भाषण दे रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, इस कानून को सदन में चौबीस घंटों के अन्दर अपनाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय श्री जयपाल रेड्डी महोदय, मेरे विचार से, यह सोचा जा रहा था कि उन्होंने शायद नियम बनाकर सभापटल पर रख दिए हैं।

4.00 म० प०

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अधिनियम पारित होने के तुरन्त बाद ही उन्हें इसे कर देना चाहिए था। वे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताते हैं कि इसे उन्होंने क्यों नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं, प्रो० मधु दंडवते ने इस मुद्दे को उठाया था और आपने उसे समर्थन दिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यहां तक कि लाइब्रेरियन महोदय ने सोचा कि नियम नहीं बनाए गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदन के सभा-पटल पर प्रस्तुत किए जाने के बाद, मेरा कार्यालय इन्हें केवल अग्रेषित करेगा, अन्यथा वे यह कैसे कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्ट करें। लाइब्रेरियन महोदय के पास ये सदन में प्रस्तुत होने के बाद ही जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह कहना चाहता हूं कि ये नियम 13 नवम्बर, 1986 को बनाए गए थे जबकि कानून के इस हिस्से को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति मई 85 में दे दी थी। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि भारत सरकार ने नियम बनाने में 19 महीने का समय क्यों लिया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सदन एक या दो घंटे अधिक अपनी कारंवाई जारी नहीं रख सकता है। इन्होंने एक साल तक नियम बनाने की परवाह ही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ भी बोलना चाहें, उन्हें बोलने दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जब एक पाइंट आफ आर्डर पर हम आपसे निश्चित प्रक्रिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तब आप इस बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं जबकि इसे एक वर्ष पहले ही पारित कर दिया गया था। कम से कम भविष्य में ऐसी देरी नहीं होनी चाहिए ? आप इस बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। इसमें देरी हो गई है। यही मैंने कहा है और इसी के अनुसार मैंने इस अंश को पढ़ा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी ; इस कानून को 48 घंटों के अन्दर स्वीकार कर लिया गया था परन्तु उन्होंने नियम बनाने में 18 महीने का समय लगाया।

सरदार बूटा सिंह : जब पंजाब सरकार द्वारा इस मुद्दे को नियम बनाने के लिए लिया गया था तब इसमें कुछ देरी हो गई थी और सी० बी० आई० द्वारा कुछ मुश्किलों का सामना करने की बात के बाद ही पंजाब सरकार इस बात के लिए तैयार हुई थी कि नियम अवश्य बनाए जाने चाहिएं और वह भी कार्य संचालन नियमों की सीमा के अन्दर और हमने इस समय के अन्दर ही कर लिया है। 13 नवंबर का अर्थ है कि हम एक महीने के अन्दर ही इसे पूरा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि नियम बनने के बाद सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

सरदार बूटा सिंह : जी हां। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : यह देरी जानबूझ के की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले में देरी हो गई है।

श्री एच० एम० पटेल : अधिनियम पारित होने के साथ-साथ ही नियम बना दिए जाने चाहिए थे। अधिनियम की प्रभावकारिता तभी सही और पूर्ण होती है जब नियम बनाए जाते हैं और इसीलिए यह भी नितांत आवश्यक होता है कि जो नियम बनाए गए हैं उन्हें सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें देरी नहीं होनी चाहिए थी, यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आपके निर्देश दोनों मुद्दों पर लागू होने चाहिएं। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : कल सदन ने पूरी गम्भीरता, चिंता दुख तथा यंत्रणा अनुभव करते हुए पंजाब की स्थिति के बारे में चर्चा की जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे वहां कोई लड़ाई जारी हो और इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए, चाहे आप इसे कानून एवं व्यवस्था की समस्या कहें या कोई राजनीतिक मुद्दा। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप इसे क्या कहते हैं ?

सरदार बूटा सिंह : यह दोनों ही हैं। कानून और व्यवस्था का जहाँ तक सम्बन्ध है आप जानते ही हैं कि सारे देश में हमने पंजाब एवं अन्य राज्यों में अपने पुलिस बलों को जो प्रशिक्षण दिया है। यह प्रशिक्षण इस प्रकार की परिस्थिति के लिए नहीं दिया गया है। इसके साथ-साथ जब आतंकवाद को धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया गया है और देश में तथा बाह्य शक्तियों के द्वारा इसे उकसाया जा रहा है······

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ये लोग कौन हैं ? आपको बताना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : यह बात बार-बार कही गई है, पड़ोसी देश···(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप इस बारे में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ?···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : कृपया बैठ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं······।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कौन-सी बाहरी शक्ति है ? मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट बताएं। आप इस बारे में क्या ठोस कदम ले रहे हैं ? (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैंने सोचा था कि आज हम इन अनावश्यक बातों पर नहीं जाएंगे, उन्होंने मुझसे पूछा है कि······

श्री संफुद्दीन चौधरी : क्या ये बातें अनावश्यक हैं? (**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : कृपया सुनने का कष्ट करें। मैं पहले ही ये कह चुका हूं। (**व्यवधान**)

मैं कह रहा था कि सीमा के पार की शक्तियां निश्चय रूप से इस बात के प्रमाण विद्यमान हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। इससे पहले मौकों पर मैंने काफी प्रमाण भी दिए थे जिनके आधार पर हमने पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत भी की थी। हाल ही में हुई बातचीत के दौरान मैंने इस बारे में काफी विस्तार से बताया। मैं कहना चाहता हूं अगर आप ऐसी परिस्थितियों में, पुलिस से ये अपेक्षा करते हैं कि वे अपने शस्त्रों तथा इतने से वेतन में तथा उनको दिए जाने वाले यंत्रों के सहारे, हमारे संचार व्यवस्था को रुद्ध करने वालों को पकड़ लें तो यह कोई आसान बात नहीं है। वास्तव में इन लोगों को ये संयंत्र देश के भीतर उपलब्ध नहीं हो सकते। ये सब वस्तुएं इन्हें उन देशों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं जो हमारे दुश्मन हैं तथा जो हमारी एकता से जलते हैं—मैंने ये बातें एक बार नहीं बल्कि कई बार पहले भी कही हैं। ऐसे मामलों में, मेरे हिसाब से, हमें थानों तथा पुलिस से स्थिति को निपटने की योग्यता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बारे में हम कुछ करने जा रहे हैं। हम इस बारे में पहले भी काफी कर चुके हैं। श्रीमान श्री दत्ता सामन्त······

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सदन को धोखे में नहीं रखना चाहिए। इस सदन में आंतरिक सुरक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर पंजाब सरकार और श्री बरनाला को आधुनिक एवं शस्त्रादि, संचार के साधन और जो कुछ भी वे चाहें दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। हम उन्हें देने को तैयार थे और उन्हें दे भी रहे हैं लेकिन कार्रवाई करना न करना उन पर ही निर्भर करता है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास हथियार नहीं हैं, संयंत्र नहीं हैं और थानों के पास भी कुछ नहीं है······(**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : मेरी ही उपस्थिति में मुझे गलत उद्धरित न करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं डा० दत्ता सामन्त की बात पर आ रहा था। पंजाब सरकार से बातचीत के बाद हमने निर्णय किया और पंजाब के एक निश्चित क्षेत्र को खंडों में बांटा, जिनमें इस प्रकार के संयंत्र उपलब्ध करवाए गये और दूसरी घटना पर जो कि आपके संसदीय क्षेत्र में खुड्डा में हुई, इस बारे में मैंने स्वयं प्रस्ताव किया था कि मात्र ये ही दो जिले क्यों? पंजाब सरकार को चाहिए कि वह आगे आए और हम अन्य क्षेत्रों को भी यह सब उपलब्ध करवाएंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम ये सब चीजें उपलब्ध नहीं करवा रहे या नहीं करवायेंगे—इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने द्वारा यहां कही गई बात के प्रति पूर्ण निष्ठावान हूं इसके अलावा मैं कह रहा था कि इस सबको एक नया आयाम दिया जाना चाहिए। इस आतंकवाद को, इस उग्रवाद को, इस तरह की लड़ाई को परिस्थिति के अनुकूल आवश्यक शस्त्रों, तरीकों, रणनीतियों तथा प्रशिक्षण के द्वारा लड़ा जाना चाहिए?

श्री प्रताउर्रहमान (बारापेट) : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं।

सरदार बूटा सिंह : मुझे खेद है। यह स्थिति बार-बार पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन किसी विशिष्ट घटना से हम निपट सकते हों और फिर किसी दूसरी घटना के लिए हम प्रतीक्षा करते हों। माननीय सदन से मेरा निवेदन यह है कि······

श्री प्रताउर्रहमान : हमारे गृह मंत्री जी ने अभी कहा है कि वह वो सब आधुनिक संयंत्र देने के लिए तैयार हैं जिनको देने का तत्कालीन गृह मंत्री जी ने वायदा किया था। परन्तु कुछ भी नहीं दिया गया है। जहां तक परिवहन का प्रश्न है वे अभी भी युद्ध-काल की पुरानी गाड़ियों पर निर्भर हैं। आज जब हम इलेक्ट्रोनिक के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर चुके हैं तो हमें प्रत्येक बस में चालक द्वारा उपयोग के लिए इलेक्ट्रोनिक संयंत्र या वायरलैस लगाया जाना चाहिए ताकि बस पर हमले की स्थिति में वह मुख्यालय को खबर कर सके और उसे तुरन्त सहायता भेजी जा सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

दूसरे, मैंने इस सदन में कहा था कि अगर वे आधुनिक गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें भी यातायात के अच्छे साधन प्रयोग में लाने चाहिए। मैंने कहा था कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हैलीकाप्टर जाने चाहिए। इन्हें आसानी से लाया जा सकता है। लेकिन जब मैंने इस बात को उठाया तो तत्कालीन गृह मंत्री ने सोचा कि ये अदना सा आई० पी० एस० अधिकारी, संसद सदस्य बनकर के अपना रौब गांठ रहा है और इन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं नागालैंड तथा मिजोरम में पहले काम कर चुका हूं इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया था लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।

सरदार बूटा सिंह : ऐसा नहीं है कि हमने इनके सुझाव को रद्द कर दिया है, यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है लेकिन इस सम्बन्ध में इनकी सूचनाएं इनकी आई० पी० एस० सेवाओं की तरह पुरानी है। पंजाब में—कृपया मुझे इन्हें बताने दें—मैं सेक्टर स्कीम की बात कर रहा था। जब पंजाब सरकार ने एक निश्चित संख्या में गाड़ियों की मांग की तो हमने उन्हें उससे कुछ अधिक संख्या में आधुनिक संयंत्रों से सुसज्जित आधुनिक वाहन दिए। इस सम्बन्ध में मैंने पंजाब सरकार से निवेदन किया था कि "कृपया आप इन्हें एक ही सेक्टर तक सीमित न रखें, आप इसका विस्तार कर सकते हैं; और इस बारे में भारत सरकार तैयार रहेगी······"

श्री प्रताउर्रहमान : अगर आप अपना उत्सव और अन्य कार्यक्रमों पर इतना पैसा खर्च सकते हैं तो फिर हैलीकाप्टर क्यों नहीं खरीद सकते ?

सरदार बूटा सिंह : इस बात को इतनी आसानी से न लें। हैलीकाप्टर पंजाब पुलिस के डी० जी० के अधिकार में रखे गये हैं। मैं माननीय सदस्य को जो कि एक बहुत अच्छे रिकार्ड वाले आई० पी० एस० अफसर भी रह चुके हैं, बताना चाहता हूं कि शायद उन्हें इस बात का पता नहीं है हैलीकाप्टर को रात के समय प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनमें से अधिकांश घटना उस वक्त

हुई हैं जबकि अंधेरा था लेकिन पंजाब पुलिस के डी० जी० को हैलीकोप्टर की सुविधाएं दी गई हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें महत्व नहीं देना चाहिए और भारत सरकार इस बारे में आड़े नहीं आएगी और इन संयंत्रों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। असल बात यह नहीं है। दरअसल मैं जिस बात पर जोर डालना चाहता था वह यह है कि हमारी पुलिस को दिया जाने वाला प्रशिक्षण इस प्रकार का नहीं है कि उसके सहारे वे इस तरह की परिस्थिति से निपट सकें। इन्हें पुनरानुकूलन प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इन्हें एक नए सिरे से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्हें इस प्रकार से उस ढंग से प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है जो तरीके आतंकवादी प्रयोग में ला रहे हैं और भारत सरकार तथा पंजाब सरकार निश्चित रूप से······(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उनके पास ये सब करने के लिए पर्याप्त समय था अब वे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है······(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पंजाब में प्रत्येक आतंकवादी इस बात को जानता है जिस बात को ये यहां बता रहे हैं कि इन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया तथा इनके पास आधुनिक शस्त्र नहीं हैं······(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने लम्बे समय तक वहां राष्ट्रपति का शासन बनाये रखा आपने उस अवधि के दौरान क्या किया ? (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैं सदन को सूचना देने का प्रयत्न कर रहा हूं······(व्यवधान) मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह एक ऐसी समस्या है जिससे पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही निपटा जा सकता है।

इतनी बात कह कर मैं मुख्य बात पर आना चाहता हूं मुख्य बात यह है कि जिसका माननीय प्रधानमंत्री तथा इस सदन के दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने कल उल्लेख किया था कि हम देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं—चाहे वह बाहरी आक्रमण से हो या फिर आंतरिक गड़बड़ी के कारण हो। इसका कोई अर्थ नहीं है केवल आक्रमण···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्रीमान् हमने उनकी प्रतिबद्धता के बारे में प्रश्न नहीं किया बल्कि उनकी क्षमता पर संदेह प्रकट कर रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : सुरक्षा से तात्पर्य केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा ही से नहीं है अपितु सुरक्षा से तात्पर्य है मूल्यों की सुरक्षा, संसदीय लोकतंत्र की सुरक्षा तथा देश की स्वतन्त्रता की सुरक्षा। भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वर्तमान संविधान के ढांचे के अनुरूप, जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कल उल्लेख किया था कि पंजाब में विशेष रूप से संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यह बात कहने में तो आसान है लेकिन करने में बड़ी मुश्किल है कि सरकार को निरस्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति-शासन को लागू किया जा सकता है। अधिकांश माननीय सदस्यों ने आज कहा······(व्यवधान) हम चाहते हैं कि इस समस्या से निपटा जाए, इसका कुछ समाधान हो तथा पंजाब से देश के शत्रुओं को निकाल बाहर किया जाए।

[सरदार बूटा सिंह]

महोदय, अतः मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और हमें पंजाब की स्थिति के खतरों का पता है। मैं इस माननीय सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर देश की एकता और अखण्डता की सुरक्षा करेगी और इसके लिए हर तरह की कुरबानी की जाएगी। माननीय श्री श्यामलाल यादव महोदय ने एक प्रश्न उठाया था......(व्यवधान)......कृपया बैठ जाईए और हमें गम्भीरता से बात करनी चाहिए.. ... (व्यवधान)......माननीय प्रो० दंडवते महोदय और माननीय इन्द्रजीत गुप्त महोदय ने धार्मिक स्थलों और मन्दिरों के दुरुपयोग के बारे में कहा था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम इन स्थलों को पूरा सम्मान देते हैं; पर क्या इन जगहों में राष्ट्रविरोधी काम होने देना चाहिए, जो कि देश की एकता और अखण्डता के विरुद्ध हों। महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन और सरकार को यह बात मानने में कोई हिचक नहीं होगी कि जहाँ तक देश की एकता और अखण्डता बनाये रखने का सवाल है। किसी भी जगह की पवित्रता इस रास्ते में आड़े नहीं आयेगी। सरकार इस बारे में कोई हिचक नहीं करेगी।

जैसा कि आपने खुद कहा है, मुझे पंजाब के तत्वों को याद दिलाना है, कि काफी लम्बे समय से राजनीति और धर्म को मिलाया जा रहा है और लोगों की साम्प्रदायिक भावना को उकसाया जा रहा है। अब समय आ गया है कि सरकार इस बारे में पूरी तरह से तैयार रहे ताकि उन प्रतिगामी और साम्प्रदायिक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें और उन्हें देश की एकता के साथ खिलवाड़ करने दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्यामलाल जी ने जो सजेशन दिया है, जो उन्होंने कहा है, जो प्वाएंट रखा है, उस पर आप गौर करो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : इस समय हमें अपने देश की एकता और अखण्डता को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। मूल अधिकार और कानूनी सूक्ष्मता सब ठीक है। पर देश की एकता और अखण्डता इन सबसे ऊपर है......(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हम यह आशा रखते थे कि माननीय गृह मंत्री महोदय और कुछ कहें? हम यह चाहते हैं कि आप कोई कार्यवाही करें। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : हम मूल अधिकारों का सम्मान करेंगे। हम भारत के संविधान का सम्मान करेंगे। पर ये केवल देश की एकता को बनाये रखने के साधन हैं। हम इस

एकता को बनाये रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और सरकार अपने सारी शक्तियों का उपयोग करेगी जिसके लिए इस देश के लाखों लोगों का उसे समर्थन प्राप्त है ·····(**व्यवधान**) देश की जनता जिसने हमें इस माननीय सदन तक पहुंचाया है। कानूनी और नियमों की बारिकियों और पेचीदगियों से कोई मतलब नहीं रखना चाहती बल्कि उसे चिन्ता है उस बात की जिसके लिए हम उसके प्रति बचनबद्ध हैं। यदि हम समर्थ हैं, तो सरकार यह देखेगी कि देश सुरक्षित रहे। जनता की जान और माल की सुरक्षा हो। देश की एकता बनी रहे और धर्मनिरपेक्षता कायम रहे। मैं इस संदेह को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता हूँ कि भारत सरकार उन तत्वों को छोड़ देगी जो कि देश की एकता और अखण्डता के साथ खेल रहे हैं।·······(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : अगर आप उन सभी भाषणों को याद करें, जो कि इस सदन में दिये गए और अगर आप माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने जो कल कहा था उसे भी याद करें तो आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप में कहा था कि 24 घंटों के अन्दर आप एक ठोस कार्यवाही योजना इस सदन के सामने लाएंगे। उन्होंने केवल बड़ी-बड़ी बातें की हैं, पर ठोस कुछ नहीं कहा है। हम माननीय गृह मंत्री महोदय के जवाब से पूरी तरह से असन्तुष्ट हैं··· (**व्यवधान**)

श्री शांताराम नायक : हम यह भी जानना चाहेंगे कि किन प्रावधान के अन्तर्गत श्री तोहरा और श्री बादल को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा जाना चाहिए था, न कि किसी छोटे कानून के अन्तर्गत।

सरदार बूटा सिंह : उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ही पकड़ा गया है।

[**हिन्दी**]

श्री राजकुमार राय (कोसी) : अध्यक्ष महोदय, एक जिज्ञासा मेरे मन में है, एक छोटी सी जिज्ञासा है। माननीय गृह मंत्री महोदय ने बताया है कि जो स्थिति पैदा हो गई है, उससे निपटने के लिए पुलिस में रीओरिएटेशन किया जाएगा, नए वैपन्स देने होंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि 4-5 साल से इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, सरकार कब तक तय करेगी, सब कुछ हो रहा है तो कब तक इस काम को कर लिया जाएगा।

सरदार बूटा सिंह : जब मैंने यह जिक्र किया था तो मेरा यह मतलब नहीं था कि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, मेरा मतलब यह था कि ओरिएंटेशन पुलिस को देना पड़ेगा जिससे अगर इस तरह की सिचुएशन आगे भी चले तो पुलिस कैसे उनके साथ डील करे।

4.25 म० प०

सभा की बैठकें 8 और 9 दिसम्बर, 1986 के लिए बढ़ाने के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह घोषणा करनी है कि इस सत्र की अवधि को दो दिन और बढ़ाया गया है इस सदन की बैठक 8 और 9 को भी होगी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह हमारे सब कार्यक्रम को बिगाड़ देगा। मुझे पता नहीं क्यों आप यह सब करने के बारे में बिल्कुल अन्त में सोचते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था कि आप इसमें सहमत थे।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : हर बार यही होता आया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमसे परामर्श नहीं किया गया और हमें यह सूचना मिली कि सत्र की अवधि को बढ़ाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी सहमति से ही हुआ है। आप ही तो राय देते हैं। मैं तो केवल घोषित करता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आखिरी वक्त में नहीं करना चाहिए था।

प्रो० मधु दंडवते : हम राजनीतिक रूप से बेकार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं।

———

4.26 म० प०

राष्ट्रीय चिह्नों की पवित्रता और गरिमा को बनाये रखने की आवश्यकता के बारे में चर्चा [—जारी]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम अब मद संख्या-20 पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिए। एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमें उस पर ध्यान रखना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमें इस विषय को यथोचित महत्व देना चाहिये। जी हां, कुरूप महोदय।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, राष्ट्रीय प्रतीक देश की एकता और अखण्डता के प्रतीक हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रतीक और हमारा संविधान भी जो कि इस देश की जनता की आम सम्पत्ति है प्राय: सार्वजनिक रूप से दुरुपयोग किये जाते हैं—और उन्हें चुनौती दी जाती है। मैं केवल उस घटना का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने अपने स्कूल में राष्ट्रीय गान गाने से इन्कार किया था बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का भी उल्लेख कर रहा हूं जिसमें उसने उनकी स्थिति का समर्थन किया है। महोदय, जैसा कि श्री माधव रेड्डी ने उस दिन कहा था कि अगर कानून में कोई कमी हो तो हम कोई नया कानून बनाकर राष्ट्रीय-गान गाने के लिये उन्हें बाध्य कर सकते हैं परन्तु क्या यह ऐसी समस्या है जिसे इतने हल्के-फुल्के रूप में निपटाया जा सकता है? क्या यह केवल कानूनी या तकनीकी विषय है जिसके बारे में हम एक कानून बनाकर देश में लागू करा सकते हैं? मैं समझता हूं कि यह नहीं हो सकता। मेरा विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का भली भांति सम्मान कराया जा सकता है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत हो जाइये। माननीय जयपाल महोदय, माननीय सदस्य को आपकी बातों से बाधा पड़ रही हैं यह बहुत गम्भीर विषय है कृपया इसे सुनिये। मैं सोचता हूं कि इस विषय का भी उतना ही महत्व है जितना कि उस विषय का जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे। यह और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके दूरगामी·· ···

श्री सुरेश कुरूप : मेरा ख्याल है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान अपनी राष्ट्रीय एकता को कायम रखकर ही कर सकते हैं। इस बारे में कितनी ही घटनाएं हैं। तमिलनाडु में कुछ दलों ने संविधान को जला दिया है। अकाली आंदोलन के वक्त भी संविधान को जलाया गया था। और अब 'जिहोवाह विटनेस सैक्ट' के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय गान गाने से इंकार कर दिया है। राष्ट्रीय चिह्नों के अपमान को सहन नहीं करना चाहिये। इसमें कोई शक नहीं है।

महोदय, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एक दुर्भाग्य की बात तो है। इस देश में बहुत सारे लोग राष्ट्रीय प्रतीकों को सरकार से और शासन से जोड़ते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह शासकों के दुष्कर्मों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये भी कुछ वर्गों के लोग ऐसी कार्यवाही करते हैं।

जहां तक हमारे संविधान का सवाल है, हमारी पार्टी को इसमें गम्भीर आपत्तियां हैं। हमने बार-बार इसको समझाया है। हम विश्वास करते हैं कि इसे पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : हम सम्भवतः····(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह शर्म की बात है। (**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरूप : मैं कह रहा था कि हमारे दल ने संविधान की कड़ी आलोचना की है। इसको सम्पूर्ण तरह से बदलना चाहिए। और यही मैंने कहा था। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जब हमें सत्ता मिलेगी, तब एक बिल्कुल नया संविधान बनेगा। इसमें कोई शक नहीं है। (**व्यवधान**)

प्रो० पी०जे० कुरियन (इदुक्की) : उन्होंने संविधान के अधीन शपथ ली है। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपने संविधान के अधीन शपथ ली है और क्या आप उसी को गलत बताते हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : आप संविधान के विरोध में नहीं बोल सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुरियन महोदय, संविधान में संशोधन के प्रावधान हमने किये हैं। इस बारे में केवल सदन का अधिकार है और अगर बाहर का कोई व्यक्ति इसे कहना चाहे तो वह कानून के खिलाफ होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह ठीक है, कोई भी यह कार्य बाहर नहीं कर सकता। (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह केवल संविधान के अनुच्छेद संख्या 368 का उल्लेख कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरूप : इस सम्बन्ध में हमारी पार्टी की स्थिति बहुत स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं।

श्री सुरेश कुरूप : संविधान के कई प्रावधान ऐसे ही हैं जो हमारे देश को एक आधुनिक राज्य बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यही बात मैं कहना चाहता था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह संविधान का पूरा सम्मान करते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे संविधान का पूरा सम्मान करते हैं।

श्री सुरेश कुरूप : अन्यथा, मैंने शपथ नहीं ली होती, जो कई घटनाएं हुई हैं, वे हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए खतरा है, कई घटनाएं, हमारे राष्ट्र के लोगों में अशांति की द्योतक हैं मुझे इस संदर्भ में यह कहते हुए दुःख होता है कि कई मुख्य एवं नाजुक मुद्दों के बारे में हमारी

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई भड़काने वाली थी, तमिलनाडु का मामला हमारे सामने है। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री के बार-बार यह दोहराए जाने पर भी कि किसी भी वर्ग पर हिन्दी को लादने का प्रश्न ही नहीं उठता, कुछ लोग विशेष रूप से यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि हिन्दी को लादा जा रहा है, इसी कारण से तमिलनाडु में कुछ लोग उद्वेलित हो गए और उन्होंने हमारे संविधान के कुछ हिस्से को जला डाला।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या आप इस कार्रवाई को उचित ठहराते हैं।

श्री सुरेश कुरुप : नहीं मैं इसे उचित नहीं कह रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको उनसे कड़ाई से पेश आना चाहिए।

श्री सुरेश कुरुप : इसका मतलब हुआ कि आपने अपनी हरकत से यह सब करने और राष्ट्र के सबसे महत्वर्ण प्रतीक की अवमानना करने के लिए उनको बाध्य किया मैं या मेरी पार्टी किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार अनावश्यक रूप से इस देश की अखंडता के लिए समस्याएं पैदा कर रही है, कौन फूट डालने वाली शक्तियों को संरक्षण दे रहा है और विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रहा है तथा हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर का वातावरण बना रहा है? मैं सत्तारूढ़ दल से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में एक गम्भीर आत्मनिरीक्षण करे। श्रीमान केरल में एक मंत्री ने केरल वासियों से पंजाब आंदोलन जैसा आंदोलन शुरू करने के लिए उकसाया।···

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरुप : और यही नहीं बल्कि··· (**व्यवधान**)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : यह तथ्यों के विरुद्ध है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं नहीं जानता कि मैं सही हूं लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य विधान सभा इस पर अच्छी तरह विचार कर सकती है आप नहीं, राज्य विधान सभा यह कहने में सक्षम है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह न्यायालय के निर्णय पर बोल रहे हैं।

प्रो० पी०जे० कुरियन : यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर मैं अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि राज्य विधान सभा इस बारे में कार्रवाई करने के लिए पूर्ण सक्षम है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह न्यायालय के निर्णय के बारे में बोल रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप : मैं राज्य विधान मंडल या किसी अन्य के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, केरल में एक मंत्री ने खुले आम केरल की जनता को केन्द्रीय सरकार से लड़ने के लिए पंजाब आंदोलन के अनुरूप एक आंदोलन चलाने के लिए भड़काया।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : अब वही मंत्री जिसने हमारे देश के संविधान का अनादर दिया था आपके मंत्रालय की छत्रछाया में है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बहुत बुरी बात है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं।

श्री सुरेश कुरूप : मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से सम्बन्धित है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण को राष्ट्रीय प्रतीकों तक ही सीमित रखें उसमें असंबद्ध तथ्य न लाएं। अपने भाषण में केवल प्रतीकों के बारे में ही बात करें, श्री कुरूप, मैं समझता हूं कि आप एक मेधावी नवयुवक हैं; आपको इस विषय के बारे में कुछ सकारात्मक सोचना चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप : यह अभी हाल की ही घटना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं···ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुरेश कुरूप : श्रीमान्, मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं··· (व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन : इस बारे में निर्णय दे दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे राज्य विधान सभा पर छोड़िए, उन्हें इससे निपटने दीजिए। (व्यवधान) श्री कुरूप, अब आप बोलिए, श्री कुरियन इसे आप मुझ पर छोड़िए मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, कृपया बैठ जाइए। श्री कुरूप, कृपया विषय के बारे में ही बोलिए।

श्री सुरेश कुरूप : सत्तारूढ़ पार्टी को क्या हक है जबकि वे इस प्रकार की ताकतों को स्वयं ही आश्रय दे रहे हैं? क्या हक हैं उन्हें राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बोलने का? मैं इसे समझ नहीं पाता हूं, मैं समझने में असमर्थ हूं कि आप राष्ट्रीय प्रतीकों को कैसा आदर देते हैं

जबकि आप खुले आम ही राष्ट्र विरोधी ताकतों का इस देश में समर्थन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी०एन०एल०एफ० राष्ट्र विरोधी नहीं है, और दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय प्रतीकों की पवित्रता की बात करते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : हम अभी पश्चिमी बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं। वह इसमें राजनीति ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। ममता जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश कुरूप : मैंने केवल इतना ही कहा है। मैं कोई असंबद्ध बात नहीं कर रहा हूं, मैंने केवल यही कहा कि सारे देश में, इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है।··· **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। **(व्यवधान)**

श्री पी०आर० कुमारमंगलम (सलेम) : यहां राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बहस चल रही है। क्या इस स्तर तक नीचे आना आवश्यक है ? हमें इसके स्तर का बराबर ध्यान रखना चाहिए···

श्री सुरेश कुरूप : जब प्रधानमंत्री की हैसियत वाला व्यक्ति यह कह रहा है कि विघटनकारी संगठन राष्ट्र विरोधी नहीं है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह आपका दृष्टिकोण है।

श्री सुरेश कश्यप : इससे राष्ट्र विरोधी ताकतों को संरक्षण मिल रहा है इसलिए मैं कहता हूं कि सत्तारूढ़ दल को राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका दृष्टिकोण है, प्रधानमंत्री का अपना दृष्टिकोण है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ठीक है श्रीमान परन्तु उन्हें ऐसा कहना चाहिए।

श्री सुरेश कुरूप : त्रिपुरा में सत्तारूढ़ दल, त्रिपुरा जुबा समिति के साथ गठबंधन कर रहा है, और फिर आप राष्ट्रीय प्रतीकों की पवित्रता की बात करते हैं, इसका क्या फायदा है ? सभी कार्यों के लिए, आपकी पार्टी इस सारे देश में इन ताकतों से गठबंधन करती है और यहां संसद में आप राष्ट्रीय प्रतीकों की पवित्रता की बात करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री शांताराम नायक : वह त्रिपुरा में, सत्तारूढ़ दल के बारे में कह रहे हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी : वह पश्चिमी बंगाल में, सत्तारूढ़ दल के बारे में कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरूप : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा **(व्यवधान)** श्रीमान, मुझे ममता जी के भाषण का अनुवाद उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा **(व्यवधान)** मैं फिर से कहता हूं कि राष्ट्रीय प्रतीकों की मर्यादा तथा पवित्रता की सुरक्षा तथा सम्मान केवल राष्ट्र की अखंडता द्वारा तथा राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रख कर किया जा सकता है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : और देशभक्ति की भावना पैदा करके ।

श्री सुरेश कुरूप : इसके लिए देश की समस्त ताकतों को मिलकर काम करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री महोदय ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमान, क्या पंजाब पर चल रही बहस का उत्तर दिया जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं इस बात को सुन रहे हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे नहीं जानते कि वह क्या बोल रहे हैं फिर भी ताली बजा रहे हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनकी तालियां आप इनके पास रहने दो, आप अपनी बजाओ ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : श्रीमान हो सकता है कि माननीय सदस्य बिना जाने ताली बजा रहे हों परन्तु वहां माननीय सदस्य बिना विचारे बोल रहे हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं तो बिना सोचे केवल बात ही करता हूं परन्तु वह तो कार्य भी बिना विचारे करते हैं । **(व्यवधान)**

प्रधानमंत्री के रूप में, यह उनका विशेषाधिकार है कि वह बिना बिचारे कार्य करें । **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : श्रीमान जब मैं अंदर आया तो जैसी कार्रवाई सदन में चल रही थी उससे विषय सुनने में हल्का लगता है ।

(व्यवधान)

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : हम गम्भीर थे ।

श्री राजीव गांधी : मैंने आंखों देखा हाल सुनाने को नहीं कहा था, आप कोई क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं।

इस विषय को मेरे ख्याल से मामूली-सा नहीं समझना चाहिए क्योंकि राष्ट्र स्वत: ही नहीं बन जाते हैं, राष्ट्र बनाने के लिए हर चंद कोशिश करनी पड़ती है और जब हम आज से 70 साल पहले राष्ट्र निर्माण में जुटे थे तो हमने राष्ट्र को दो प्रतीक दिए थे, सब राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय झण्डा। ये प्रतीक, एक मायने में राष्ट्र की आत्मा और भावना साकार करते हैं। हमारा तिरंगा और जन-गण-मन हमारी राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। वे हमारे लिए अत्यन्त पवित्र हैं और रहने चाहिएं और इसके साथ-साथ वे हमारी स्वतंत्रता तथा हमारी एकता के अभिन्न अंग हैं। ये प्रतीक हमारे स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन से उभर कर आए हैं, आज ये स्वतंत्र भारत के प्रतीक हैं, जैसा कि स्वतंत्रता पाने समय बताया गया था, हमारा तिरंगा बलिदान, पवित्रता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इस पर शाश्वत चक्र का प्रतीक बना है। जन-गण-मन गुरुदेव टैगोर की रचना है······

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : कोर्ट के जजमेंट से लोगों की भावना को बड़ी चोट पहुंची है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ?

[अनुवाद]

श्री राम सिंह यादव : यह अभिव्यक्ति··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति किसने दी ?

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि हमारे कुछ माननीय सदस्य, कोर्ट के निर्णय के कारण कुछ परेशान हैं।

(व्यवधान)

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : हम केवल इसकी मांग कर रहे हैं** इससे अधिक कुछ नहीं। यही समय है जबकि हम राष्ट्र को दिखाएं··· (व्यवधान)

यह पूरे राष्ट्र का अपमान है। (व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने ही अधिकार दिया है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, सारे देश के लोगों की भावना को चोट पहुंची है, उनके सेन्टीमेंट्स को चोट पहुंची है।

अध्यक्ष महोदय : कोर्ट का काम है जजमेंट देना, हमारा काम है ला बनाना।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस तरह से आप न्यायालयों पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह किसने कहा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिना अनुमति कुछ नहीं। अब आप बैठिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : ······**······के लिए मांग इस तरह नहीं की जा सकती। इनको एक प्रस्ताव लाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं ?

श्री हरीश रावत : राष्ट्रीय गान के बारे में जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उससे सारे देश को चोट पहुंची है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कह दिया। सबको अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मौका मिला। उसके लिए यह चीज रखी गयी है, डिस्कशन रखा गया है। यह हाऊस कम्पीटेंट है, जो विधान में तब्दील करना चाहे वह कर सकता है। कोर्ट का काम कानून के बारे में जजमेंट देना है, हमारा काम कानून बनाना है।

कोर्ट का काम जजमेंट देना है, आपका काम कानून बनाना है, अब देखें क्या होता है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री हरीश रावत : उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, हम तो निवेदन करना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री हरीश रावत : हम तो सिर्फ निवेदन करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने निवेदन कर दिया, हरीश रावत जी, आपको कहने का मौका मिला, सबको मौका दिया, डिसकशन में हिस्सा लेना है, वह सारी की सारी बात प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, हाउस को भी पता है, अब हाउस जाने, प्राइम मिनिस्टर जाने, आप जानो।

श्री हरीश रावत : हम तो आभारी हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर आ रहा हूं। कृपया आप इस पाठ को दोबारा पढ़िये। जो कुछ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जो आक्षेप लगाये गये हैं। वे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं हो सकते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बिना मतलब के शोर करते हैं, बिना वजह।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय श्री जयपाल रेड्डी महोदय, आप बिना वजह मुझे तकलीफ दे रहे हैं। यह कोई फायदा नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर कुछ कहा गया हो तो वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप 50 आदमी बोलते हैं, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। आप 50 आदमी बोलते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। इस सब का अर्थ क्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बोल लीजिए, इस तरह से बोल लीजिए।

[अनुवाद]

इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कभी समाप्त नहीं होता है। मैंने आपको बार-बार कहा है कि न्यायधीशों के खिलाफ कही गई कोई भी बात को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। यह सरल सी बात है।

[हिन्दी]

क्या आपने कुछ कहा है ?

[अनुवाद]

क्या न्यायधीशों के खिलाफ आपने कुछ कहा है ?

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर कुछ नहीं कहा है तो बस ठीक है फिर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। क्या आपने जाजेज के खिलाफ कुछ कहा है। अगर खिलाफ नहीं कहा तो ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर एक मिनट आप मेरी बात सुन लें तो आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दीजिए। जो भी कुछ कानून या नियम के विपरीत है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केवल उसी को कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाएगा। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा हो तो आपकी बात कार्यवाही वृत्तांत में रहेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर झगड़ा किस बात का है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है। अगर आपने विधिवत कहा है तो उसमें कोई झगड़ा नहीं है, अगर विधिवत नहीं कहा है तो रिकार्ड में नहीं जाएगा, सिंपल बात है, अगर विधिवत है तो ठीक है।

एक माननीय सदस्य : विधिवत कहा है।

अध्यक्ष महोदय : विधिवत कहा है तो झगड़ा किस बात का है। बिना मतलब आप शोर करते हैं, बगैर सोचे समझे। इधर से ये कह देते हैं और उधर से आप कहने लग जाते हैं, सब बोलने लगते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, 'जन गण मन' गुरुदेव टैगोर की रचना है। यह ···(व्यवधान) ये लोग राष्ट्रीय गान का ऐसा सम्मान करते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आप कृपा करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : मैंने यह तो नहीं कहा कि माननीय सदस्य ने यह बात कही थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपा करके बैठ जायें। आपको बैठ जाना चाहिए। यह बात केवल मेरे और श्री सैफुद्दीन के बीच है। मुझे कोई बिचौलिया नहीं चाहिए।

श्री राजीव गांधी : जन-गण-मन के शब्दों में हमें राष्ट्रीय अखंडता, सहनशीलता और समानता का संदेश मिलता है।

महोदय, कुछ लोग यह सोचते हैं कि हमारा राष्ट्रीय-गान केवल कुछ शब्द हैं और हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक कपड़े का टुकड़ा है। लेकिन यह सबसे जरूरी बात है कि हम भी इस विश्वास में भागीदार बनें और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयत्न करें। यहां इन्दिरा जी को उद्‌धृत करना शायद बहुत सही होगा। उन्होंने कहा था :

> "हमारा ध्वज और हमारा राष्ट्रीय-गान साधारण चीजें नहीं हैं। वे हमारे देश को एकता प्रदान करते हैं और उसे एकसूत्र में बांधते हैं और इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हमें इस झण्डे की शान की रक्षा अवश्य ही करनी है, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए।"

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बेशक, बेशक।

श्री राजीव गांधी : यही बात हमारे राष्ट्रीय-गान के लिए भी सच है।

राष्ट्र निर्माण एक बहुत बड़ा और कठिन कार्य है जिसे इंट-इंट करके जोड़ा जा सकता है। इसका गांधी जी, पण्डित जी, इन्दिरा जी, और अन्य लोगों ने निर्माण किया है, जिन्होंने बलिदान देकर यह कार्य किया है और हमारा देश आज इतनी उन्नति कर पाया है किन्तु एक विकासशील देश के लिए और हमारे जैसे एक निर्माणाधीन देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात के प्रति सावधान रहें कि जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, हमारे देश के प्रतीक हैं, धीरे-धीरे उनका मूल्य ह्रास न हो जाए कुछ समय के अंदर जड़ से ही न उखड़ जाएं। इस प्रकार का काम हमारे देश को खोखला करके रख देगा। हमें अपनी राष्ट्रीयता की जड़ों को मजबूत करना है, जिसकी शुरूआत स्वतंत्रता संग्राम से हुई थी। हम विदेशी विचार धारा और मूल्यों को अपने मूल्यों पर थोंपकर इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विदेशों में क्या हो रहा है। उससे हम अपने देश की सीधी तुलना नहीं कर सकते हैं, ना ही यह बहाना कर सकते हैं कि यह हमारे देश के लिए उपयुक्त होगा। यह नहीं हो सकता। हम भारत का निर्माण कर रहे हैं। हम अपने देश को अमरीका, जापान, रूस या इग्लैण्ड नहीं बनाने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं बहुत सावधानी पूर्वक बात कर रहा हूं, और अगर आप उस निर्णय को दोबारा पढ़ें तो आपको सुस्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा ध्वज और राष्ट्रीय-गान हमारे स्वतंत्रता संग्राम की उपज हैं। वो हमारे इतिहास और हमारे विरासत की देन हैं। उन्हें समाप्त करने या नष्ट करने के लिए हमें दूसरे देशों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है जिससे कि ये नष्ट हो जाएं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : इस बात में कोई शक नहीं रहना चाहिए कि हम इन चिन्हों के महत्व को कभी भी कम या खत्म नहीं होने देंगे।

ईमानुयेल मामले में हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : आपको बार-बार बधाइयां।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो काम आप करना चाहते हैं, वह मैं अपने आप कर लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो बीमारी का इलाज करते हैं, उससे बिमारी बढ़ती है घटती नहीं है।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : लेकिन बाद में इसी से ठीक होती है।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : हम यह निश्चित करेंगे कि न केवल सही स्थिति सामने आये पर वह लागू भी की जाये हम सब कानूनी साधन का प्रयोग करेंगे और अगर उससे भी काम नहीं बने तो संविधानिक साधनों का प्रयोग करके यह देखेंगे कि ये लागू किये जायें।

एक माननीय सदस्य : संविधानिक साधन भी तो कानूनी साधन हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ये भी कानूनी साधन हैं, दोनों ही कानूनी साधन हैं।

श्री राजीव गांधी : जो मैंने कहा है वह बिल्कुल सुस्पष्ट हैं, अगर आप मेरी बात को सुनना चाहें तो।

महोदय, अनुच्छेद 51A में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय-गान के प्रति सम्मान दिखाने की व्यवस्था है। यह सदन भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न लोगों की अटल इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सदन ऐसे हर उपायों का समर्थन करेगा जो कि हमारे राष्ट्रीय-

[श्री राजीव गांधी]

ध्वज और राष्ट्रीय-गान को सम्मान दिखाने के लिए जरूरी हो। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पक्का निश्चय कर चुकी है कि भारत में बुनियादी कर्त्तव्यों का पूरी तरह से पालन हो। धन्यवाद।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहिए। यह मेरा प्रस्ताव है। मैं केवल यही जानना चाहता था। उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्य वाले पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष अपील करने पर निर्भर करने की बजाये आप स्वयं तत्काल कार्यवाही करके राष्ट्रीय सम्मान अपमान अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं करते ? धारा (3) इस बारे में दोष-पूर्ण है।

श्री राजीव गांधी : हम सोचते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि यह निर्णय स्वीकार्य नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय-गान का उल्लेख करते हैं, मैं आशा करता हूं कि वे वर्तमान राष्ट्रीय-गान का ही उल्लेख कर रहे हैं ना कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये किसी और राष्ट्रीय-गान का।

श्री राजीव गांधी : महोदय, मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य क्या कर रहे हैं, मैं जन-गण-मन' की बात कर रहा हूं जो कि महाकवि टैगोर की रचना है। शायद माननीय सदस्य, किसी और गीत की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे जहां तक पता है, इस देश का केवल एक ही राष्ट्रीय गान है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और रहेगा भी।

श्री राजीव गांधी : महोदय, इस राष्ट्र-गान के बने रहने के बारे में सन्देह केवल माननीय सदस्य के मन में है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : हम इसके लिए बहुत आभारी हैं जिन जजों ने ऐसा निर्णय दिया उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह उनका अपना काम है।

[अनुवाद]

हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री बालकवि वैरागी ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह मेरी बारी है। (व्यवधान) उन्होंने सत्तारूढ़ दल के तीन सदस्यों से अधिक का समय लिया। अब मेरी बारी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी महोदय, कभी-कभी आपको अपने आप पर संयम भी रखना चाहिए। आप तो हर समय खड़े हो जाते हैं। यह आपकी बुरी बात है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो सब सदस्यों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता चाहता हूं और उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस सलीके से, जिस चेतना के साथ और जिस उत्साह के साथ, जिस सम्प्रभू आत्मीयता के साथ और जिस जागरूकता के साथ राष्ट्रीय चिन्हों की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो संकल्प व्यक्त किया है मैं इसके लिए उनका बहुत आभार मानता हूं और मुझ जैसा आदमी जो कविता से सम्बन्ध रखता है आप जैसे व्यक्ति की अध्यक्षता में जब ऐसी बात करता है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती है। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी की सारी स्थिति साफ कर दी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं और बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं मैं देहाती आदमी हूं, खेतों-खलिहानों के बीच का आदमी हूं। आप संविधान के अन्तर्गत इस विशाल गुम्बद के नीचे बैठकर उन जजों के बारे में कुछ न कुछ फैसला लें या न लें, यह अलग बात है।

5.00 म०प०

लेकिन इस देश का हर समझदार किसान, यहां तक कि जो पढ़ा-लिखा भी नहीं है, वह भी जजेज की निन्दा कर रहा है, यही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, आप हमें संरक्षण दें।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : आप चाहें तो इन शब्दों को कार्यवाही में से निकाल दें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आक्षेप न करें। न्यायधीशों पर आक्षेप न करें।

[हिन्दी]

जयपाल जी, आपके कहे बगैर मैंने कह दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : न्यायधीशों पर आक्षेप कार्यवाही वृतान्त में शामिल न होंगे।

[हिन्दी]

अब आपको क्या तकलीफ हो रही है।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, जन-गण-मण अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता : इस गीत को गुरूदेव टैगोर ने लिखा था। वे किसी घर, गांव या शहर के कवि नहीं थे, उनको हमने विश्व-कवि माना है। जब कोई विश्व-कवि कोई गीत लिखता है, उस पर बाद में इल्जाम लगाया जाए, वैसे उन्होंने स्वयं ही उस धब्बे को धोया है, वे स्वयं लिख कर गए हैं, उन पर ऐसा इल्जाम लगाना कि वह किसी जार्ज पंचम या जार्ज चौथे की प्रशंसा में लिखा गया था, वह बिल्कुल गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भरे सदन में कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भाष्य किया है, उस भाष्य में मैं अपनी ओर से बड़ी गम्भीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि गुरूदेव ने इस गीत के माध्यम से किसी भूगोल का वर्णन नहीं किया, किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं किया, यदि ऐसा होता तो आज कहा जा सकता था कि इसमें राजस्थान का नाम नहीं है, असम का नाम नहीं है, ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं है, गोदावरी का नाम नहीं है, कृष्णा का नाम नहीं है, कर्नाटक का नाम नहीं है, कई दूसरी जगहों के नाम नहीं हैं, परन्तु मैं अपनी समूची चेतना के साथ कहना चाहता हूं कि गुरूदेव ने किसी भूगोल या व्यक्ति का वर्णन न करके इस गीत में पूरे देश की संस्कृति को समेटा है। गुरूदेव ने पंजाब की संस्कृति, गुजरात की संस्कृति, मराठाओं की संस्कृति और उन समस्त संस्कृतियों का वर्णन किया है, जिनके अन्तर्गत हमारा पूरा देश आ जाता है। क्या बंगला हमारी संस्कृति नहीं है, क्या आप सिंधु संस्कृति को निकाल देंगे। हमसे आज बहुत से लोग पूछते हैं कि सिंधु तो पाकिस्तान में चला गया आप फिर भी उसका गुणगान क्यों करते हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि सिंधु हमारी संस्कृति है और सिंधु है हमारे पास। सिंधु के बगैर हमारा काम चल नहीं सकता है। उन्होंने "दाविड़ उत्कल बंगा" शब्दों का प्रयोग किया, जो कि हमारी समूची दक्षिण और दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए गुरूदेव ने काफी सोच-समझकर इस गीत को लिखा। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता परन्तु अपनी पूरी संस्कार चेतना के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो लोग यह कहते हैं कि हमारे धर्म में इसकी स्वीकृति नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं गायेंगे, छोटे-छोटे बच्चों के माध्यम से ऐसा

कहलवाया जाता है परन्तु हम वह दिन भूल जाते हैं जब हमारे पड़ोस में, संविधान सभा ने बैठकर, पण्डित जवाहर लाल नेहरू की उपस्थिति में, सी० राजगोपालाचारी की उपस्थिति में, दूसरे बड़े महान नेताओं की उपस्थिति में, मौलाना आजाद की उपस्थिति में, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हर दिशा के प्रतिनिधि, हर धर्म के प्रतिनिधि, हर वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया, उस पर अपने हस्ताक्षर किए और तब इसे स्वीकार किया गया। उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया। आज छोटे-छोटे बच्चों को माध्यम बनाकर, हमारे ऊपर उंगली उठायी जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे हमारे पिता पुरखे सयाने नहीं थे? हम सब उनके बच्चे नहीं हैं। क्या हम इस देश में सयानों के वंशज नहीं है। यदि नहीं तो किस के वंशज हैं? आज यही बात सिद्ध करने का समय आ गया है। मैं आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश के खिलाफ देश की अखण्डता, एकता, प्रभुता या परिश्रमशीलता अथवा निर्माणशीलता के खिलाफ जो भी आक्रमण होगा, चाहे वह किसी भी शक्ति के द्वारा किया जाए, उसे कभी सहन नहीं किया जाएगा। आज हमारे देश में यह एक साजिश हो रही है कि धीरे-धीरे राष्ट्रीय चिन्हों पर हमला किया जाए जिससे लोग उसे अस्वीकार कर दें, उसके प्रति लोगों में नफरत की भावना पैदा हो जाए ताकि इस देश में विघटन की प्रक्रिया को चालू रखा जा सके। परन्तु हम प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को खून से हस्ताक्षरित करना चाहते हैं, जो संकल्प उन्होंने किया है। हम किसी भी कीमत पर इस पवित्र चीज का अपमान सहन नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। यही वस्तुस्थिति मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि हम केवल जन-गण-मन बोलना शुरू करें और उसकी भाष्य हमारे समक्ष न आये, हमारे मित्रों के गले न उतरे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इस पवित्र गीत से दूसरा पवित्र गीत और कौन-सा हो सकता है? यह किसी देश के खिलाफ नहीं है, इसमें से किसी तरह की बदबू नहीं आती, गुरूदेव ने समूचे संस्कारों के साथ इसको लिखा है। उस गीत के ऊपर यदि आज उंगली उठायी जाती है, चाहे वह बड़े से बड़े या सम्पन्न व्यक्ति की ही क्यों न हो, हमें उसका समुचित उत्तर देना पड़ेगा।

मुझे प्रसन्नता है कि उस उत्तर की भूमिका आज प्रधानमंत्री जी ने तैयार कर दी है। मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं कि झण्डा फाड़ने के लिए इस देश में वातावरण तैयार किया जाता है। कभी संविधान को जलाने के लिए वातावरण तैयार किया जाता है। ये सब वे साजिशें हैं, जिनके माध्यम से हमको कमजोर किया जाए। इन कमजोरियों को पहचाना, इसकी तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है। अंत में मैं आपसे अपनी ओर से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी संशोधन संविधान में करना पड़े, उस संविधान के संशोधन को आप लाइए। समूचा यह देश और यह सदन आपके साथ है। लेकिन यदि इस अपमान की भूमिका को संभालना शुरू नहीं किया तो इतिहास के हम सबसे बड़े अपराधी होंगे। इतिहास में अपराधी न माने जायें, इसके लिए हमारी तैयारियां हैं, उसके लिए हम आपको वन्दना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं।

राष्ट्रीय झण्डा जैसा कि राजीव जी ने कहा कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है कि उसके ऊपर समझौता कर ल। हमारे ऊपर यह लहर फैलाई जा रही है कि वैसा हमसे मनवाया जाए, लेकिन

[श्री बालकवि बैरागी]

हम नहीं मानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र धर्म से कोई भी धर्म बड़ा नहीं होता है, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है। हम धर्म के फालोअर हैं और उसको मानने वाले हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका अभिनन्दन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं। जो भी मित्र लोग इस गम्भीर क्षण में पंजाब की बहस के बाद इतने गम्भीर मुद्दे पर आए हैं उसमें यदि उनका मन कहीं से हल्का रहा हो तो मुझे खुशी है कि आपने लगाम ठीक वक्त पर खींच ली। मैं सब मित्रों से कहना चाहूंगा कि उनके दिल कहीं भी हो, उनके दिमाग कहीं पर भी हो, जब तक उनका जिस्म हिन्दुस्तान में है, उस वक्त ये बातें माननी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। यदि नहीं मानेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपसे मनवा लेंगी। उन पीढ़ियों के प्रहरियों को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री भी इसे सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहें।

अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले श्री माधव रेड्डी तथा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं।

वे मात्र प्रतीक ही नहीं हैं अपितु वे हमारी अखंडता तथा सम्मान के साथ-साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष एवं बलिदानों की सुगंधि से ओत-प्रोत खुशबुओं के भी प्रतीक हैं।

5.08 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू ने झंडा संबंधी प्रस्ताव को रखते हुए कहा था कि यह झंडा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की सकेन्द्रित इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कोई भी 'प्रतीक' के संदर्भ में वैधानिक और सैद्धांतिक प्रश्न नहीं कर सकता है, परन्तु हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे देश के कितने ही प्रतीक, पिछले समय में रौंद दिए गए हैं।

कर्नाटक में एक कम्पनी थी जो कुछ समय पहले अपने थर्मस पर श्री जवाहर लाल जी की तस्वीर को व्यापारिक प्रयोग के लिए छापती थी, यह अच्छी बात है कि इस अपराध के लिए उसके प्रति वैधानिक कार्रवाई की गई और उसे सजा दी गई।

परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री का पद हालांकि सही मायने में एक प्रतीक नहीं है फिर भी इस बात का विचार किए बिना कि कौन प्रधानमंत्री है, यह हमारे राष्ट्र का केवल

एक प्रतीक है, अभी हाल में हुए ए० आई० सी० सी० के अधिवेशन में प्रधानमंत्री के चित्र वाली एच० एम० टी० घड़ियां बांटी गई, मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार इस बारे में स्पष्ट करे कि क्या यह हमारे संविधान के, राष्ट्र के और हमारे गणतंत्र के प्रतीक का सम्मान करने का सही तरीका है...

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एच० एम० टी० का प्रतीक था। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। (व्यवधान)

कुछ समय पहले राष्ट्रपति-भवन के गेट पर··· ··

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन् (अलप्पी) : अगर आपका चित्र हो तो उसे कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन प्रधानमंत्री का चित्र होने के कारण, हजारों लोग इसे खरीदेंगे। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे प्रधानमंत्री के कार्यालय की बिक्री करना चाहते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया गम्भीरतापूर्वक ध्यान दें, समय व्यर्थ न करें। मुझे अन्य व्यक्तियों को भी मौका देना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब आप मुझे बोलने का मौका देते हैं तो समय के बारे में क्यों सोचते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल आप पर ही नहीं बल्कि सभी पर लागू होता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बात यह है कि राष्ट्रपति भवन के गेट पर ब्रिटेन का 'कोट-आफ आर्म्स' (आयुधांक) अब तक चित्रित है, हमारे नेता श्री मधु दंडवते द्वारा इस बारे में विरोध प्रकट किया गया तो सरकार ने इसको हटाने का वादा किया। मैं चाहूंगा कि गृहमंत्री इस बात का उत्तर दें······

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : आपकी बात सुनें ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं गृहमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राष्ट्रपति-भवन के गेट से क्या इसे हटा लिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी ; कृपया नोट करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने हमारे एक प्रधानमंत्री के नाम पर एक ट्रस्ट बनाने में प्रयोग किया था……

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित पड़ा हुआ है………

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह विचाराधीन नहीं है। (व्यवधान)

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री का नाम ट्रस्ट से हटा दिया गया है, और ट्रस्ट को भी समाप्त कर दिया गया है, यह मामला कोर्ट के विचाराधीन नहीं है। यह इन्दिरा प्रतिमा प्रतिष्ठान है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : असली बात पर आइए। क्या समस्या यह है कि आपको पर्याप्त समय नहीं मिलता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं, बात यह है कि वे चाहते हैं कि मैं भूमिका से प्रारंभ करूं………

उपाध्यक्ष महोदय : भूमिका के नाम पर आप 15 मिनट का समय नहीं ले सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारे प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रीय ध्वज को अत्यंत गरिमा एवं महत्व प्रदान किया, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, परन्तु मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी एक पार्टी का झंडा राष्ट्रीय झंडे से मिलता-जुलता होना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार की अनियमितता राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : (कटवा) : कृपया मंत्री महोदय, राष्ट्रीय झंडे और कांग्रेस पार्टी के झंडे में अंतर को बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसका जवाब अवश्य देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे राष्ट्रीय झंडे का अपनी पार्टी के समारोहों में प्रयोग कर सकते हैं ……… (व्यवधान)

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : श्रीमान् वह इस बात को बहुत हल्के रूप में ले रहे हैं, यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है ………

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना

आक्षेप लगाना चाहिए कि हम लोग पार्टी समारोहों में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करते हैं और हम झंडे को फेंकते है या उसे रौंदते है उन्हें ऐसा गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं देना चाहिए। उन्हें अपना आक्षेप वापस ले लेना चाहिए, वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने एक गैर-जिम्मेदाराना आक्षेप लगाया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कहना चाहता था, वह वैसा नहीं है जैसा मंत्री जी समझ रहे हैं ……

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह राजनीति में नए आए हैं। इसलिए इनको ये मालूम नहीं है…

श्री पी० चिदम्बरम : इसलिए मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है और आपका नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका अनुभव बहुत सीमित है……

श्री पी० चिदम्बरम : मेरे मस्तिष्क में बातें स्पष्ट हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्यथा आपका अनुभव असीमित है क्योंकि आप एक मंत्री हैं।…

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कम से कम मंत्री महोदय मेरे वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे, मैंने झंडे के इस्तेमाल करने की बात नहीं की……

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी बारी आने पर ही जवाब देंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री महोदय एक स्पष्ट मस्तिष्क और खाली मस्तिष्क का अन्तर नहीं समझ पाये, हम जानते हैं कि वह कितना खाली है।

श्री पी० चिदम्बरम : बहुत हास्यास्मक है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में मुझे यह कहना है, कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं नहीं समझता कि न्याय पीठ का यह दृष्टिकोण सही था कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक या अन्तरात्मा के आधार पर राष्ट्रीय गान गाने को मना कर सकता है। इस संबंध में अनुच्छेद 51क निरपवाद है, परन्तु मैं यह नहीं जानता कि कभी-कभी न्यायालय मामलों को आपस में मिला क्यों देता है। न्यायालय को अपने आप को वैधानिक स्वीकृति की पर्याप्तता तक ही सीमित रखना चाहिए। मेरे विचार में, इन्होंने इस पहलू पर अवश्य विचार किया और इसके बाद न्यायालय का यह मत था कि इस मामले में वैधानिक स्वीकृति पर्याप्त नहीं थी। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के अपमान की रोक-थाम का उल्लेख किया और कहा कि राष्ट्रीय गान के समय अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो मात्र इतना ही पर्याप्त है; और अधिनियम में उसके गाने पर कोई जोर नहीं दिया गया है, मेरे विचार में, न्यायालय का यह दृष्टिकोण काफी संकुचित, रूढ़वादी और तकनीकी है। इसलिए, मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं… (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :आप कितना समय चाहते हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्रीमान जी, केवल पांच मिनट और।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पांच मिनट में खत्म करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अगर कोई व्यक्ति भीड़ में खड़ा सामूहिक गान में असावधानी पूर्वक हिस्सा नहीं लेता है तो इस बात को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। असावधानीपूर्वक किया गया अनुपालन को अनदेखा किया जा सकता है। परन्तु इस मामले में जानबूझ कर मना किया गया था। यह रिकार्ड किया गया था··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। कृपया संसद में एक और संसद बनाने की चेष्टा न करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अन्य देशों में भी 'जेहोवा विटनेसेस' ने वहां के झंडे का आदर करने से यह कहते हुए मना किया है कि यह एक मूर्ति के तुल्य है। मैं नहीं समझता कि किसी अन्य देश का संविधान भारत के संविधान के ज्यादा धर्म निरपेक्ष है और कोई भी गीत जन गण मन से ज्यादा धर्म निरपेक्ष हो सकता। कोई भी अन्य व्यक्ति गुरुदेव टैगोर से ज्यादा धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता कि कैसे कोई इस प्रकार के गौरवशाली गीत पर धर्म के आधार पर या अन्तरात्मा के आधार पर आपत्ति कर सकता है।

इसका एक और पहलू है। इस अद्भुत राज्य केरल में···

एक अन्य संस्कृत के अध्यापक कृष्ण वारियर ने स्वयं एक राष्ट्रीय गान लिखा है। उसने सोचा कि उसको इसका राष्ट्रीय स्वत्वाधिकार मिल गया है··· (**व्यवधान**) ···डी० पी० आई० से हिदायत मिलने तक उसने राष्ट्रीय-गान को अपने स्कूल में गाए जाने की अनुमति नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बदला लेने की भावना से उसने अपने द्वारा रचित संस्कृत के राष्ट्रीय-गान को ही अपनाया।

इस तरह तो विभिन्न धर्मों को मानने वाले कई धर्मांध हमारे पवित्र राष्ट्रीय चिन्हों जैसे राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गान के प्रति अपनी कपटी अन्तरात्मा से विस्तृत आपत्तियां उठा सकते हैं एक हिन्दू उग्र राष्ट्रवादी कभी यह भी कह सकता है कि चक्र बौद्ध धर्म से संबंधित है इसलिए वह इसे नहीं गाएगा। हम तरह की मनमानी को और अधिक चलने नहीं दे सकते।

अन्त में मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वह यह है कि मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि सरकार ने एक पूर्णतया संवैधानिक पीठ के समक्ष एक अपील को वरीयता क्यों दी। (**व्यवधान**) चाहे यह तकनीकी रूप से समर्थनीय भी हो··· (**व्यवधान**) मैं श्री सोमनाथ चटर्जी या श्री चिदम्बरम के समान कानून का विद्यार्थी नहीं रहा हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं कोई विद्वान नहीं हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी तो विद्वान हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं नहीं जानता कि श्री चिदम्बरम को भारतीय संविधान के बारे में पता है या नहीं परन्तु वह अमरीकी संविधान को बखूबी जानते हैं··· (**व्यवधान**)

श्रीमान, मैं किसी से कुछ भी सीखने को तैयार हूं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत यह अपील सुविचारित नहीं है। जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो पाते हैं कि यह कोई संकीर्ण तकनीकी मामला नहीं है और जब हम कानून बनाने में समर्थ हैं तो क्यों नहीं हम कोई ऐसा सुनिश्चित कानून बनाते जो सदन द्वारा बिना किसी बहस के और बिना किसी देरी के इसे ग्रहण करने, अनुमोदन करने तथा इसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बशर्ते कि उनके संशोधन की भाषा सही हो।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : निश्चय ही हम उनकी कुशलता को नहीं मानते हैं। हमने अब तक उनके कई विशेषज्ञों को देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 20 मिनट का समय ले चुके है, अब समाप्त करें।

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : केवल एक मिनट श्रीमान्। अगर संवैधानिक पीठ के समक्ष इस मामले पर बहस की अनुमति दी जाए तो यह बहस ईश्वरीय अन्तर्राष्ट्रीय उदारतावाद से लेकर रोमांटिक काव्यगत इच्छास्वतंत्र्यवाद, हिन्दी जिंगोवाद से अल्पसंख्यक पिच्छट तक पहुंच जाएगी। क्या आप इस विषय पर एक अन्य ध्रुवण की अनुमति देने जा रहे हैं? क्यों नहीं हम इस बात को समाप्त कर देते है? (**व्यवधान**) ··एक संवैधानिक संशोधन लाइए। मैं मंत्री जी की प्रतिक्रिया चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपके साथ पूर्ण सहमत नहीं हूं लेकिन आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है।अगर उनके पास शब्दकोश होता तो वे इसे समझ पाते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या श्री चटर्जी शब्दकोष देखने गए हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्रीमान मैं सारे शब्द श्री सोमनाथ चटर्जी से ही सीखा हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम परिरक्षण करने और पवित्र करने की आवश्यकता पर बात कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे अपनी कल की कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीमान्।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : श्री जयपाल क्या आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं, अन्यथा मैं बैठ जाता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : चूंकि आपने मुझे निर्विघ्न नहीं बोलने दिया इसलिए मैं भी ऐसा क्यों न करूं ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैंने अभी बोलना प्रारम्भ नहीं किया है अगर आप मेरे बोलने से पहले ही व्यवधान पैदा करने लगें तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप मुझसे इसके बदले की आशा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक दूसरे से बदला न निकालें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय आज हम राष्ट्रीय प्रतीकों के परिरक्षण और उन्हें पवित्र रखने के बारे में बहस कर रहे हैं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जब सदन में ऐसे गंभीर विषय पर बहस चल रही है तब हम देखते हैं विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इसे कोई महत्व नहीं दिया और राष्ट्रीय झंडे के बारे में भी उपेक्षणीय टिप्पणियां कीं।

श्री अमर राय प्रधान : नहीं, नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपका किसी संशोधन को लाने के लिए मना करना ही इस बात को स्पष्ट कर देता है कि आपने इसे कोई महत्व नहीं दिया।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम देखते हैं कि ऐसे आदमी जो कानून के क्षेत्र में न होते हुए भी ऐसा लगता है कि कानून को भली-भांति जानते हैं और वे संशोधन की आवश्यकता की जोरदार मांग करते हैं··· **(व्यवधान)**

चिन्ह चाहे राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय झंडा, हमारी देशभक्ति के प्रतीक हैं, ये किसी अन्य संस्था या संगठन के प्रतीक नहीं हैं। ये प्रतीक किसी सनक या कल्पना से नहीं बल्कि स्वतंत्रता के संघर्ष से पैदा हुए हैं। जो लोग इनका अपमान करते हैं वे लोग गद्दार हैं और राष्ट्र के दुश्मन हैं। चाहे ये लोग सांविधानिक पदों पर प्रतिष्ठित हों या न हों या इस राष्ट्र का कोई नागरिक हो, जो भी इन प्रतीकों का अपमान करेगा वह व्यक्ति राष्ट्र का दुश्मन है।

हमारे राष्ट्र की आयु अभी बहुत कम है और इसी प्रकार हमारे चिन्ह भी नये हैं। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इन चिन्हों की रक्षा करें, उनकी पवित्रता और उनके सम्मान को बनाए रखें।

दुर्भाग्य से, हमारे देश में राष्ट्रीय प्रतीकों के मामले को हल्के रूप में लिया जाता है अगर कोई हमारी देश की सीमा से बाहर स्वतंत्र जनतंत्र को देखे जिन्हें पश्चिम कहा जाता है जिनकी श्री जयपाल रेड्डी अक्सर प्रशंसा करते हैं और संयुक्त राज्य अमरीका का नाम लेते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने नहीं किया।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैंने कहा कि वे अक्सर प्रशंसा किया करते हैं। वहां पर भी प्रतीकों का सम्मान किया जाता है। दो सौ साल से अधिक समय व्यतीत हो गया है फिर भी वहां उन प्रतीकों को इस सीमा तक सम्मान दिया जाता है कि उनके अपमान के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

अभी हाल में क्या हुआ कि एक स्कूल के कुछ छात्रों ने राष्ट्रीय गीत गाने से इन्कार कर दिया इसलिए नहीं कि उन्हें इसका ज्ञान नहीं था, इसलिए नहीं कि उन्हें विश्वास न था कि वे उसे अच्छी प्रकार से गा सकेंगे इसलिए उन्हें इसे गाने में कोई हिचकिचाहट थी बल्कि उन्होंने सिद्धांत के आधार पर इसे गाने से मना कर दिया। बच्चों को उनके माता पिता द्वारा सिखाया जाता है कि वे राष्ट्रीय गीत न गायें।

हमने इस सदन में जेहोवा के विटनेस संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ कहा है लेकिन क्या हम जानते हैं कि वास्तव में उनका धर्म क्या है। उनका धर्म यह कहता है कि राज्य और राष्ट्र शैतान की रचना हैं। वे कहते हैं कि किसी प्रतीक, राज्य या राष्ट्र का सम्मान करना शैतान के प्रतीक का सम्मान करने के बराबर है।

इसलिए जब उन्होंने राष्ट्रीय गान को गाने से इन्कार किया तो यह कह कर किया कि यह शैतान का प्रतीक है। इसी बात की उनको शिक्षा दी गई थी। हम मानते हैं कि वे निर्दोष बालक हैं लेकिन क्या हम ऐसे कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें यह विश्वास दिलाया गया है कि छोटे से छोटे समुदाय का भी इसमें महत्व है ? मैं कहता हूं कि यह राष्ट्रीय गान को शैतान का प्रतीक कहने जैसे कार्य को बचाने के लिए किया गया है। क्या इस बारे में कोई संदेह हो सकता है कि राष्ट्रीय गान न गाने का कार्य एक भूल थी। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों पर कोई दबाव डाल रहे हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि इस कार्य के पीछे क्या भावना थी ? यह भावना अत्यंत स्पष्ट थी। यह हमारे राष्ट्रीय गान को नुकसान पहुंचाने, अपमान करने और उसकी पवित्रता पर चोट पहुंचाना था। अगर हम इसकी अनुमति दे देते हैं तो फिर किस आधार पर हम विभिन्न पृथकतावादी आंदोलनों, सम्प्रदायवादी आंदोलनों और जातीय तत्वों की आलोचना करते हैं ?

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि वास्तव में इसमें कोई गलती नहीं है और राष्ट्रीय गान को न गाने कोई अपमान नहीं होता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह माना है

[श्री पी०आर० कुमारमंगलम]

कि जेहोवा का विटनेंस संप्रदाय राज्य पद और राष्ट्र पद को इस दुनिया में शैतान का कार्य मानता है, यह आश्चर्य की बात है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को किस तरह से देखा है।

आगे बोलने से पहले मैं समझता हूं कि मेरे लिए यह बताना संदर्भगत है कि संविधान के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय और वहां के न्यायधीशों की कौन-कौन सी सीमाएं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में संविधान की अनुच्छेद संख्या 121 उद्धृत करना चाहता हूं :—

"उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपबंधित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य-पालन में किए गए आचरण के विषय में न होगी।"

"उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक हटाया न जाएगा जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के लिए ऐसे हटाए जाने के हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या में बहुमत द्वारा तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा, समर्थित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो।"

अनुच्छेद 124(5) के अनुसार :

"खण्ड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायधीश के सदाचार या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की प्रक्रिया का संसद विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी।"

उपाध्यक्ष महोदय यहां पर एक छोटा सा प्रश्न उठता है : क्या कोई न्यायधीश अपने लिखित फैसले द्वारा ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो निश्चय ही संविधान का उल्लंघन करता हो अर्थात हमारे राष्ट्रीय गीत तथा हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता हो, यही बात मैंने प्रारंभ में कही है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी सांवैधानिक या किसी अन्य पद पर आसीन हो, उसे यह अधिकार कतई नहीं है कि वह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों पर कीचड़ उछाले या उनका अपमान करे, यह इस देश की एकता और अखण्डता की जड़ पर प्रहार करता है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय ठीक वही करता है। यह राष्ट्रीय गान की प्रतिष्ठा व सम्मान को बहुत कम महत्व देता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय गान के लिए छात्रों का खड़ा रहना ही पर्याप्त है। इसके बाद यह कहा जाएगा कि क्योंकि छात्रों ने स्वयं अपने मुंह से राष्ट्रीय गान की अवहेलना नहीं की इसलिए इतना ही सम्मान दर्शाना पर्याप्त है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि यह निर्णय निश्चित रूप से राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की अनुमति तथा बढ़ावा देने के सिद्धांत को जन्म देता

है। क्या यह निर्णय अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जो हमारे संविधान के प्रति अनादर दर्शाता है ? यही प्रश्न है जिसे मैं उठाना चाहता हूं। मैं न्यायालय में न्यायाधीश के आचरण या उसके कर्त्तव्य पालन या उसके व्यवहार के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं बल्कि मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई आदमी जो सरकारी पद पर आसीन हो, संविधान तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने के बाद भी उस पद पर बने रहने के योग्य है ? हर न्यायाधीश और हम में हरेक को संविधान के अनुच्छेद 193 के अन्तर्गत संविधान की शपथ लेनी पड़ती है और बिना शपथ ग्रहण किए वोट देना तो क्या, हम इस सदन में बैठ भी नहीं सकते। कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बिना शपथ ग्रहण किए अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता। क्या यह सही नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 51(क) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह संविधान के प्रति वफादार रहे और राष्ट्रीय आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का आदर करे, और अगर आपका निर्णय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति अनादर दर्शाता है तो आप उस पद पर बने रहने के आयोग्य हो जाते हैं। इसीलिए जब प्रधान मंत्री बोल रहे थे तो हममें से कुछ ने यह मुद्दा उठाया कि क्या महाभियोग का प्रस्ताव लाना जरूरी है। इसमें महाभियोग प्रस्ताव की मांग करना कोई गलत नहीं है क्योंकि सदन से सदस्य होने के नाते यह हमारा अधिकार है। कानून अपने आप में सुरक्षा के लिए पर्याप्त है परन्तु प्रश्न सभी भारतवासियों के दिल में देश-भक्ति की भावना पैदा करने का है। जब तक किसी चीज के लिए चाह है तो उसके लिए राह भी है। इस मुकदमे के निर्णय में राष्ट्रीय गान की सुरक्षा व उसे सही प्रतिष्ठा दिलवाने की चाह की कमी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मुकदमे ने तथा इन हालातों ने यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा की है इसलिए हमें इस विषय पर वाद-विवाद करने पर विवश किया है। मुझे मालूम है कि श्री सैफुद्दीन इस विषय पर काफी गम्भीर हैं। शुरू में उन्होंने इसे कुछ हलकेपन से लिया लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि वह काफी गम्भीर हो गए है। इसके अतिरिक्त एक और घटना जो राष्ट्रीय गान के अनादर के अलावा भी हो रही है। हाल ही में हमने संविधान के हिस्से को जलाते देखा, राष्ट्रीय ध्वज को जलाते देखा, कई राज्यों ने नई-नई संस्थाएं बना ली है और सरकार के नए केन्द्र स्थापित कर लिए हैं। ये सभी कार्य अनादर दर्शाने का ही हिस्सा है। यह जरूरी है कि यह सदन इस तरह के कार्यों व तरीकों की निन्दा करे और इस तरह के कार्यों के लिए किसी को प्रोत्साहित न करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से अपील करता हूं कि वह इस प्रश्न पर एकजुट होकर अनुकरणीय कदम उठाए ताकि भविष्य में कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी बड़े पद पर ही क्यों न हो या कैसी भी शक्तियां उसके हाथ में हों, वह कलम से या तलवार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप राष्ट्रीय गान का अनादर न कर सके।

* श्री पी० सेलवेन्द्रन (पेरियाकुलम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अं० भा० अ० द्र०

---

*मूलत: तमिल के दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री पी० सेलवेन्द्रन]

मु० क० की तरफ से राष्ट्रीय प्रतीकों की पवित्रता तथा प्रतिष्ठा बनाए रखने की जरूरत पर इस माननीय सदन में हो रहे वाद-विवाद पर अपने विचार प्रकट करूंगा।

महोदय, आजादी के 39 वर्षों बाद इस तरह का वाद-विवाद इस सदन में हो रहा है। वास्तव में, इन 39 वर्षों में देश भक्ति की भावना देश-वासियों के दिलों में भर दी जानी चाहिये थी, लोगों को राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के बारे में सिखा देना चाहिये था और हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा हर कीमत पर करनी चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य से हमने ऐसा करने में कुछ हद तक भूल की है। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है और शायद अन्य माननीय सदस्यों को यह बुरा लगे परन्तु राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर और उनकी पवित्रता व प्रतिष्ठा न बनाए रखने के लिए न केवल हम सभी के लिए शर्म की बात है बल्कि यह कार्य औरों की नजर में भी शर्मनाक है। यह एक खेद का विषय था कि राष्ट्रीय गान को गाने से मना करने का मामला भारतीय उच्चतम न्यायालय को भेजा गया था। केरला में जहोवा वीटनैस समुदाय के तीन छात्रों ने राष्ट्रीय गान गाने से मना किया और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकालने का कारण यह दिया गया है कि उन्होंने राष्ट्रीय गान गाने से मना किया था। केरला उच्च न्यायालय ने छात्रों को स्कूल से निकालने की कार्यवाही को उचित ठहराया था, परन्तु उच्चतम न्यायालय ने तर्क दिया कि अल्प-संख्यकों की भावनाओं का आदर होना चाहिए इसलिए उन्हें दोबारा स्कूल में दाखिल कर लिया जाये। हम सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने देश के कुछ लोगों के दिमाग में हलचल पैदा कर दी है। हममें से प्रत्येक सदस्य को यह भी मालूम है कि हम इस विषय पर इस सदन में क्यों चर्चा कर रहे है। अब यह मामला हमारे अटार्नी जनरल द्वारा संविधान पीठ को भेजा गया है। मैं इस मामले में विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह मामला अब संविधान पीठ को भेजा जा चुका है। परन्तु मैं इस सदन का ध्यान ऐसी ही एक घटना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जो 1940 में अमेरिका में घटी थी। पेन्नीसलवानिया में मीनर स्वीले स्कूल डिस्ट्रीक्ट स्थान के एक स्थानीय विद्यालय में दो छात्रों ने अमेरिका में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने से मना किया था। वे छात्र भी जहोवा विटनैस समुदाय के ही थे। उन छात्रों का कहना था कि उनका धर्म ध्वज के आगे झुकने की अनुमति नही देता इसलिए उन्होंने सलामी नहीं दी। वह मामला अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को भेजा गया जिसमें वहां के प्रधान न्यायाधीश श्री फ्रैंक फर्टर ने कहा :

> "धार्मिक स्वतंत्रता में राजनैतिक शक्ति के लिए त्याग होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार राष्ट्रीय एकता है और राष्ट्रीय एकता के लिए अनिवार्य ध्वज सलामी एक कारगर साधन है।"

इसका मतलब है कि हम सभी को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी चाहिये। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस निर्णय पर विचार करें।

इस संदर्भ में मैं इस सदन का ध्यान 'वीक' पत्रिका के दिनांक 7 सितम्बर, 1986 के अंक में छपे लेख की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। इस वर्ष 22 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति श्री जैल सिंह बम्बई की यात्रा पर गये और वहां उन्होंने एक जैन मुनियों की धार्मिक सभा में भाग लिया। सभा की समाप्ति पर जब राष्ट्रीय गान गाया गया तो हमारे राष्ट्रपति उसके सम्मान में खड़े हो गये परन्तु जैन मुनि जो वहां उपस्थित थे कोई खड़ा नहीं हुआ और न कोई राष्ट्रीय गान के प्रति आदर व्यक्त किया। उन्होंने राष्ट्रीय गान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जैसे कि हमारे राष्ट्रपति ने दिया।

मैं इस माननीय सदन के ध्यान में एक अन्य घटना लाना चाहता हूं। 22 मार्च, 1973 को जब बम्बई नगर निगम ने राष्ट्रीय गान को प्रत्येक समारोह में अनिवार्य गाए जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव लाया तो सदस्यों ने बहस में हिस्सा लेते हुए उसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दिए। श्री अमीन खण्डवानी जो कांग्रेस के सदस्य थे और मुसलीम समुदाय के थे उन्होंने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था :—

> "मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने ही अपना सिर झुकायेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय गान में सिर झुकाना जरूरी है इसलिए हम इसे नहीं गायेंगे।"

मैं नहीं कहता कि सभी मुसलमान इस विचार को स्वीकारते हैं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म के विचार व्यक्त किए गए हैं।

श्रीमान्, मैं सदन को एक और बात बताना चाहता हूं। हम अपने देश में विभिन्नता में एकता पाते हैं। दक्षिण में रहने वाले लोग धोती पहनते हैं, उत्तर भारत में कुछ लोग पाजामा पहनते हैं और कुछ लोग धोती को कुछ भिन्न तरीके से पहनते हैं। हमारे देश के भिन्न भागों में भिन्न प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन है पर फिर भी हम सब भारतीय हैं और इस रूप में हम विभिन्नता में भी अपनी एकता प्रकट करते हैं। दक्षिण के चावल खाने वाले तथा उत्तर के गेहूं तथा जौ खाने वाले जो लोग इस महान देश में रहते हैं वे केवल एक ही राष्ट्रीयता से सम्बन्ध रखते हैं और वह है भारतीय राष्ट्रीयता। श्रीमान् मेरी भाषा तमिल है और मैं द्रविड जाति का हूं, यह बात सौ प्रतिशत सही है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सौ प्रतिशत सही है कि मैं भारतीय हूं। मुझे संसद में अपने प्रधान मंत्री का भाषण सुनकर बहुत खुशी हुई है, जिन्होंने अब से आधा घंटा पहले इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये। देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों ने बड़े-बड़े बलिदान किये। प्रधानमंत्री जी का भाषण उन लोगों के प्रति एक श्रद्धांजलि था जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

श्रीमान् जी, भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय गान अवश्य गाना चाहिए। इस कार्य में कोई धर्म या अन्य विश्वास बाधक नहीं होना चाहिए। अगर कोई नागरिक राष्ट्रीय गान को गाने से इन्कार करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जानी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में कोई कानून बनाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी

[श्री पी० सेलवेन्द्रन]

बात समाप्त करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री अमिताभ बच्चन (इलाहाबाद) : पिछले कुछ दिनों से हम संसद में अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की पवित्रता और सम्मान को बचाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस बारे में कई सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। उनमें से कुछ ने इसे एक राजनीतिक स्वरूप दिया, तो कुछ बहस के दौरान इसकी कानूनी बारीकियों के बारे में बोले। परन्तु यहां मैं कहना चाहूंगा कि इस सारे प्रकरण का उपयुक्त समापन, अभी यहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों से किया। मैं समझता हूं कि उन्होंने सारी बहस का सार प्रकट कर दिया और इसे बहुत सुन्दर तरीके से प्रस्तुत किया है, मैं प्रधानमंत्री जी को उनके भाषण के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

हालांकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं पर फिर भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि समय अधिक नहीं हैं, मैं समझता हूं कि आज हमारे राष्ट्र में ऐसा एक भी नारा नहीं है जिसे हम सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय-नारा कह सकें, आज हमारे पास ऐसा कोई गीत भी नहीं हैं जिसे सच्चे अर्थों में हम राष्ट्रीय-गीत का नाम दे सकें, क्या हमारे पास ऐसा कोई गीत है जिसे देश के प्रत्येक कोने में समझा जा सके और गाया जा सके? जन-गण-मन एक ऐसा गीत है जिसे संविधान ने और कानून ने राष्ट्रीय-गीत करार दिया है लेकिन दुर्भाग्य से इसे गाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि देश के लिए यह स्थिति बड़ी निराशाजनक है। यह हमारे अनुकूल नहीं है। हम अपने को भारतीय कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह तथ्य कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक की सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा करने को सहमत हुए हैं, यह दर्शाता है कि हम अपनी एक प्रकार की दुर्बलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ऐसा करके इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हममें ही कोई कमी है।

जैसा कि श्री माधव रेड्डी ने संसद में कहा है कि राष्ट्रीय-गीत हमारे भीतर देशभक्ति के ज्वार की तरह उठना चाहिए। यह एक भावनात्मक अनुभव है, जब हम इस गीत को गाएं तो हमारी नसों में खून दौड़ पड़ना चाहिए और शरीर के भीतर यह खून अपनी पूरी क्षमता से दौड़ना चाहिए, ऐसी भावना वहां होनी चाहिए, जो अपने आपको भारतीय कहता है वैसे इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ले जा सकता है ताकि गाने की अनुमति प्राप्त कर सके, हमारे देशवासियों के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है, राष्ट्र की भावना के लिए यह संगत नहीं है।

चर्चा के दौरान बहुत सारे मत और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि देशभक्ति के इस जोश को अपने भीतर पैदा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे हमारे अन्दर से ही उभरना चाहिए, इसे किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, हमें राष्ट्रीय झंडे के आगे झुकने की आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए, हमें अपने

अन्दर से राष्ट्रीय गीत गाने की आवश्यकता को महसूस करना चाहिए, हमें अपने आप राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मान देने की आवश्यकता को महसूस करना चाहिए। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस संबंध में क्या कर रहे हैं, मैंने और आपने हम सबने इन राष्ट्रीय प्रतीकों को विरासत में पाया है, हमने इस देश की स्वतंत्रता को भी विरासत में पाया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं, हमें अपने बड़ों और पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए यह वातावरण बनाने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया, अ र जबकि हमने इस स्वतंत्रता को विरासत में प्राप्त किया है तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या आने वाली पीढ़ी हमें वहीं सम्मान देगी जो हमने अपने पूर्वजों को दिया है। हमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर अत्यंत गर्व है, लेकिन हम इस संबंध में क्या कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी हमें भी वहीं सम्मान दे सके? मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि हम सदन में बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा की आवश्यकता है, वास्तव में यह भावना अपने आप आनी चाहिए, इस बारे में किसी भी चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा के प्रश्न का संबंध है हमें एक माध्यम को प्रोत्साहन देना चाहिए, मैं देख रहा हूं कि श्रीमान यह सुनकर आप मुस्कुराए हैं लेकिन मैं फिल्म और इसकी भूमिका के बारे में कहने नहीं जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोगों को आपस में एक-दूसरे के साथ चलने का मौका मिलता है, उनका धर्म कोई भी हो सकता है, उनकी जाति और धर्म कोई भी हो सकता है लेकिन वे अपने मस्तिष्क में राष्ट्रीय उद्देश्य लेकर आते हैं। वे अपनी राष्ट्रीय टीम का समर्थन करने के लिए आते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे मौकों पर हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, झंडा और गीत पर आवश्यक जोर दे सकते हैं।

हाल ही में हमने सियोल, एशियाड तथा ओलम्पिक में देखा कि किस प्रकार विभिन्न देशों के लोग अपनी-अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाते हैं। कैसे वह अपनी टीम के सदस्यों को उत्साहित करने के लिए गीत गाते हैं, किस प्रकार वे अपने झंडों को लहराते हैं, दुर्भाग्य से वह भावना हम लोगों में नहीं है, एशियाड खेलों में मैंने देखा कि हाकी मैच के दौरान पांच और छह वर्ष की उम्र के छोटे-छोटे कोरिया के बच्चे अपनी टीम का उत्साह बढा रहे थे, मैं नहीं समझता हूं कि उन बच्चों को हाकी का ज्ञान भी था। परन्तु तथ्य यह है कि उन्हें मैच में जाने के लिए उत्साहित किया गया, ताकि वे अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा सकें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भावना हमारे देश में तथा देश के बच्चों में पैदा की जानी चाहिए।

मुझे लॉस-एंजिल्स के ओलम्पिक खेलों को देखने के साथ-साथ, पी० टी० ऊषा द्वारा बनाए गए इतिहास को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब उसने सैकंड के कुछ हिस्सों के अंतर से पदक खो दिया था, वह रेस एक मोरक्को देश की लड़की द्वारा जीती गई थी। उस वक्त स्टेडियम में 90,000 अमरीकी ठसाठस भरे थे और उनके मुकाबले केवल दस सदस्यीय मोरक्को की टीम उपस्थित थी। जब उनके देश की लड़की जीती तो उन्होंने खुशी से अपना राष्ट्रीय ध्वज उठा लिया, वे ट्रैक पर उतर आए और उन्होंने उस लड़की को अपने देश का झंडा पकड़ाया, जिसे

[श्री अमिताभ बच्चन]

पकड़कर वह लड़की रो उठी और उसने स्टेडियम का एक चक्कर लगाया जिसपर सारे स्टेडियम ने ताली बजा कर उसका स्वागत किया।

मैं समझता हूं कि वहां पर अगर दस भारतीय भी रहे होते तो वह पी० टी० ऊषा के लिए आवाज लगाकर उसका उत्साह बढ़ाते और इस तरह इतिहास का एक सुनहरा पृष्ठ लिख दिया गया होता।

हममें उस नेकार की भावना का अभाव है, हममें अपने लोगों को उस तरह से उत्साहित और प्रोत्साहित करने की भावना का अभाव है। हम अपने भारतीय होने से इन्कार क्यों करना चाहते हैं; हम इस तथ्य से इन्कार क्यों करना चाहते हैं कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झण्डा है। हमें इस बारे में कुछ व्यवहारिक बनाना चाहिए और मैं समझता हूं कि खेलों के माध्यम से हम यह प्रयत्न भली-भांति कर पाएंगे।

मैं मंत्री महोदय के बारे में एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगा, अगर वह समझते हैं कि यह बात सही है तो मुझे आशा है कि वह इस पर अवश्य ध्यान देंगे, अन्यथा वह मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। अशोक-स्तम्भ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्र में सदा से इसे गौरव प्राप्त होता आया है, हमने इसे संसद भवन के ऊपर विधान सभा के ऊपर प्रतिष्ठित किया है जो कि गौरवशाली स्थान हैं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसके ऊपर भी, उस पर भी यह विद्यमान है। यहां तक कि जवानों तथा पुलिस द्वारा पहने जाने वाली टोपियों पर अशोक स्तम्भ अंकित होता है जो हमारी सीमाओं के रक्षक हैं। वे इस देश के कानून के संरक्षक हैं। हम उन्हें यह सम्मान देते हैं यह एक ऐसा विशेषाधिकार है जो हम अपने प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति तक को नहीं देते। वे अशोक चक्र को अपने मस्तक पर धारण नहीं कर सकते, मैं समझता हूं कि हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम अशोक स्तम्भ को इतना मान-सम्मान देते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति भवन में और राज भवनों में ऐसी कई कारें होती हैं जिन पर अशोक स्तम्भ को उनकी पट्टिकाओं पर विभिन्न श्रेणी के अनुसार रखा जाता है, क्या यह बात सही है या नहीं? क्या हम इस तथ्य को स्वीकार करने जा रहे हैं कि कार की संख्या पट्टिकाओं पर अशोक स्तम्भ लगाना कोई सम्मानजनक स्थिति है। मैं इस बारे में उत्तर चाहता हूं।

5.59 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 3 दिसम्बर, 1986/12 अग्रहायण, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विंध्यवासिनी पैकेजिंग्स, दिल्ली-110053